राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 4]   चौदहवीं विधान सभा के चौथे सत्र का बीसवां दिवस   [संख्या : 11

सोमवार,

16 मार्च, 2015

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: नमस्कार। नमस्कार। आप मनुहार से पधारे, इसलिए आपको एक बार और नमस्कार।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अध्यक्ष महोदय, बहुत आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष: आप कुछ कहना चाहते हैं?

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): हां, मैं कुछ कहना चाहता हूं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेडा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए, मैंने प्रद्युम्न सिंहजी को इजाजत दी है। नहीं, आप बैठिए। कृपया बैठिए।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेडा): ...(व्यवधान) ओलावृष्टि से इतना नुकसान हुआ है। चित्तौड़गढ़ जिले में ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए। मैं आपसे कह रहा हूं आप बैठिए, कृपया बैठिए। मैं आपसे कह रहा हूं, बैठिए। मैंने प्रद्युम्न सिंहजी को इजाजत दी है। (व्यवधान) आप बैठिए।

एक माननीय सदस्य: ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, पहले ओलावृष्टि पर चर्चा की जाये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: निम्बाहेड़ा से आने वाले विधायक, आप बैठिए। सबको बोलने का मौका दूंगा, आपको भी दूंगा लेकिन मैंने अभी केवल प्रद्युम्न सिंहजी को अनुमति दी है। आप बैठिए।

नियम का निलम्बन

प्रश्नकाल का स्थगन

बेमौसम अतिवृष्टि व ओलावृष्टि से फसलों को कारित नुकसान पर चर्चा हेतु प्रश्न काल का स्थगन

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जो अतिवृष्टि, ओलों से किसान की तबाही हुई है, किसान बरबाद हो चुका है। इसके ऊपर सरकार की तरफ से, सरकार क्या कर रही है? मुझे डर था कि आप शायद मुझसे कह दें कि आप बैठ जाइए। मैं आपसे कहने वाला था कि बैठने का नहीं, यह खडे रहने का वक्त है। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि बिजली के बिल माफ किये जायें; जो को-आपरेटिव लोन की रिकवरी है उसको स्थगित किया जाये; और किसान को अधिक से अधिक राहत दी जाये। किसान बरबाद हो रहा है। आप सारे अख़बार...। राम तो रूठ ही गया, अब राज्य का सहारा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि आज यह प्रश्न काल स्थगित करें। प्रश्न काल स्थगित करके इसके ऊपर तुरंत चर्चा आरम्भ होनी चाहिये। यह मेरा आपसे अनुरोध है।

श्री अध्यक्ष: यह विषय ऐसा है कि प्रश्न काल प्रारम्भ किया जाये या नहीं? मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, प्रश्न काल चलने दिया जाये या स्थगित किया जाये?

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अध्यक्ष महोदय, इसको स्थगित किया जाये आज।

श्री अध्यक्ष: माननीय प्रद्युम्न सिंहजी ने एक प्रस्ताव रखा है प्रश्न काल स्थगित करने का। सामान्यत: प्रश्न काल सदन का बहुत महत्वपूर्ण काल होता है लेकिन प्रश्न काल के ऊपर भी, आज जो राजस्थान में बेमौसम बरसात के कारण बरबादी हुई है उसको देखते हुए क्योंकि सारा राजस्थान चिंतित हैं, इधर के विधायक भी चिंतित हैं, इधर के विधायक भी चिंतित हैं, तो मैं प्रश्न काल स्थगित करके, जो आपने कहा है, आप स्टेटमेंट देना चाहते हैं तो आपको स्टेटमेंट देने की इजाजत देता हूं।

शासकीय वक्तव्य

बेमौसम अतिवृष्टि व ओलावृष्टि से फसलों को कारित नुकसान व राहत हेतु उठाये गये कदम

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, वास्तव में सम्पूर्ण राजस्थान, इस बेमौसम बरसात के कारण से और ओलावृष्टि से किसान तबाह हुआ है। इसका राजस्थान की जनता को और हम सब जन-प्रतिनिधियों को भारी अफसोस है कि वास्तव में, बहुत मेहनत से जो अपनी भविष्य के बारे में योजनाएं सजा रहा था, वे सारी की सारी धराशाही हो गईं।

मैं अब तक जो कुछ भी रिपोर्ट इकट्ठी कर पाया, वह मैं आपके सम्मुख रख रहा हूं। उसमें भी अगर कोई कमी-खामी है तो आपके सुझाव से और प्रशासनिक अधिकारियों से फिर से सूचना लेकर, निश्चित रूप से यह जो कुछ भी एक तरह से किसानों पर प्रहार हुआ है, उसमें सरकार पूरे मन से सहायता करेगी। मैं आपको एक जानकारी दे देता हूं, उसके बाद भी अगर कहीं कोई चीज मेरी जानकारी में नहीं आई है, या प्रशासन की जानकारी में भी नहीं आई है, और कुछ है, तो मैं उसको जोड़ लूंगा।

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से, प्रदेश के अलवर और बारां जिले में दिसम्बर माह के बेमौसम, मैं वहां से शुरू कर रहा हूं जहां से खरीफ की फसल का नुकसान हुआ है, उसके मोटे-मोटे बिन्दु लेते हुए, 12 से 15 के बीच का है; बेमौसम बारिश से, ओलावृष्टि से अलवर जिले के 7 गांव और बारां के 5 गांव प्रभावित हुए, जिनमें विभिन्न राहत गतिविधियों को शुरू करने के निर्देश दिये गये थे। ओलावृष्टि से प्रभावित जिले अलवर और बारां में नुकसान होने पर 25.2.15 को ही राहत पैकेज जारी कर दिया था, जिन गांवों में पहली ओलावृष्टि से नुकसान हुआ था।

प्रदेश में पुन: 28 फरवरी, 1 और 2 मार्च, 2015 को अधिकांश जिलों में व्यापक रूप से बेमौसम वर्षा, ओलावृष्टि से होने वाले नुकसान की प्रारम्भिक सर्वे रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रारंभिक सर्वे रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार द्वारा विशेष गिरदावरी दिनांक 3 मार्च, 2015 से 18 मार्च, 2015 तक कराने का निर्णय लिया जा कर, तय समय सीमा में गिरदावरी को पूर्ण करने के निर्देश समस्त सम्भागीय आयुक्त और जिला कलक्टर को दिये थे, जो 28 और 2 के बीच में हुई थी।

दिनांक 12 मार्च, 2015 से 15 मार्च, 2015 को प्रदेश के अधिकांश जिलों में व्यापक रूप से बेमौसम वर्षा, ओलावृष्टि हुई है। इसके सम्बन्ध में

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

समस्त जिलों से हुए नुकसान की प्रारम्भिक सर्वे रिपोर्ट प्राप्त की गई। प्रदेश के 28 जिलो में वर्षा की सूचना है जिसमें से 16 जिलों में 25 एम एम से अधिक वर्षा हुई है। सभी सम्बन्धितों को निर्देश प्रदान करने के लिये माननीय मुख्य मंत्रीजी के निर्देश पर मुख्य सचिव द्वारा समस्त जिलों के सम्भागीय आयुक्त और जिला कलेक्टरों के साथ 15.3.2015, कल शाम को 6 बजे वीडियो कांफ्रेंस की गई, जिसमें बेमौसम वर्षा, ओलावृष्टि से फसलों में हुए नुकसान, मानव और पशु क्षति के सर्वे हेतु समस्त सम्भागीय आयुक्त, जिला कलक्टरों को निर्देशित किया गया। वीडियो कार्फ्रेंसिंग से सम्बन्धित जिला कलक्टरों ने बरसात, ओलावृष्टि से हुए नुकसान की प्रारंभिक जानकारी दी, जिसके अनुसार गत तीन दिवस से हो रही वर्षा और ओलावृष्टि से राज्य के 28 जिलों के 4,247 ग्राम प्रभावित हुए हैं; मोटी-मोटी जानकारी है, हो सकता है, कोई गांव इस सूची में छूट भी गया हो, जिसमें 3,102 गांवों में 50 प्रतिशत से अधिक खराबे का अनुमान है। सही गिरदावरी के बाद ही आयेगा कि कितना है। मुख्य रूप से जीरा, इसबगोल, गेहूं, चना, जौ, लहसुन, धनिया, संतरा, आदि फसलों में नुकसान हुआ है। (व्यवधान)

आकाशीय बिजली, बारिश से मकान गिरने से 13 जिलों में 25 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है तथा पशु धन में 18 जिलों में 166 बड़े पशु, 1,315 छोटे पशुओं को क्षति हुई है। इसके अतिरिक्त, 9 जिलों में 4,964 आवासीय मकानों को क्षति हुई है।

वीडियो कांफ्रेंस में जिला कलक्टरों ने बताया कि गिरदावरी की प्रक्रिया जारी है तथा पिछले तीन दिवस में हुई वर्षा, ओलावृष्टि में हुए नुकसान का त्वरित सर्वे किया जा रहा है। इस प्रक्रिया को त्वरित गति से पूर्ण किया जाकर गिरदावरी रिपोर्ट शीघ्र भेजने के निर्देश दिये हैं ताकि फसलों में हुए नुकसान हेतु कृषि आदान अनुदान राशि शीघ्र वितरित की जा सके। वर्षा से हुई फसल खराबे के अलावा अन्य क्षति तथा जनहानि, पशुहानि, मकानों के क्षतिग्रस्त होने आदि के सम्बन्ध में एस डी आर एफ नार्म्स के अनुसार सहायता राशि तुरन्त वितरित करने के निर्देश दिये हैं।

सदन को मैं यह भी बताना चाहता हूं कि सरकार ने त्वरित कार्यवाही करते हुए 24 घंटे में ही सभी मृतकों के आश्रितों को एस डी आर एफ नार्म्स के अनुसार प्रति मृतक डेढ़ लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत कर दी है

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

एवं अधिकांश परिवारों को राशि वितरित भी की जा चुकी है। पशुओं एवं मकानों के गिरने की हुई क्षति के नुकसान हेतु भी शीघ्र सहायता वितरित करने के निर्देश दिये हैं।

इस संदर्भ में मेरे द्वारा पिछले तीन दिवस में प्रदेश में अधिकांश जिलों में हुई व्यापक वर्षा, ओलावृष्टि से हुए नुकसान की स्थिति को देखते हुए आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग के अधिकारियों के साथ विस्तृत रूप से समीक्षा की गई तथा प्रभावितों को राहत प्रदान करने के लिये त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं।

चूंकि प्रदेश के अधिकांश जिलों में व्यापक रूप से पिछले तीन दिनों से बेमौसम वर्षा, ओलावृष्टि हो रही है तथा अभी भी जारी है, जिलों की खराबे की स्थिति पुन: परिवर्तित हो गई। हो सकता है, कल की रात में कुछ और हुआ हो, उसका इसमें शायद जिक्र नहीं आया हो। ऐसी स्थिति में प्रभावित काश्तकारों का पुन: विस्तृत रूप से सर्वे करवाया जाना आवश्यक है, जो 18.3.15 तक पूर्ण होना मुश्किल है। पहले हमने गिरदावरी की तारीख 3 से 18 के बीच में करने की जो उनको स्वीकृति दी थी; अब यह चूंकि 12, 13, 14, 15 में होने वाला नुकसान है, 18 तक की गिरदावरी होना सम्भव नहीं लग रहा है, इस कारण से इस 18 तारीख को 25.3.15 तक बढ़ाया जाता है ताकि प्रभावित गांवों व काश्तकारों की विस्तृत सर्वे रिपोर्ट प्राप्त हो सके एवं कोई भी प्रभावित काश्तकार छूट न सके।

उसको जो भी मदद होगी, सारा डिटेल भी है, किस जगह कितनी बारिश हुई, नहीं हुई, लेकिन मैं आपके माध्यम से, सदन के माध्यम से राजस्थान के सारे के सारे किसानों को आश्वस्त करता हूं कि सरकार अपने लेवल पर जो कुछ कर सकती है, वह करेगी। केन्द्र सरकार से भी सहायता की आवश्यकता पडेगी तो प्रयत्न करके वह सहायता भी लेंगे, लेकिन किसान को इस भारी नुकसान में जो मदद सम्भव हो सकती है वह हम करने का प्रयत्न करेंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अध्यक्ष महोदय, माननीय आपदा...

श्री अध्यक्ष: पहले मैं कुछ निवेदन कर दूं। मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, जैसा मैंने कहा, प्रश्न काल को स्थगित इसीलिए किया गया है कि

(श्री अध्यक्ष)

यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। प्रश्न काल से प्राथमिकता इस विषय को मिलनी चाहिये और इस विषय पर बोलने के लिए, मेरा ऐसा ख्याल है, करीब करीब– सभी विधायक बोलना चाहेंगे। इसको अपन रेग्यूलेट करें और रेग्यूलेट करने के लिए, सबको अवसर मिले, मुझे कोई एतराज नहीं है, आपका समय है, लेकिन लोक सभा में एक परिपाटी है; माननीय लोक सभा में जानते हैं कि एक विषय आ गया, उसी विषय को दूसरा सदस्य रिपीट नहीं करके अपने आपको एसोशिएट कराता है। यह इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि रिपीट तो वे की वह बातें होंगी, कुछ तथ्य आ गये, कुछ नई बात कहनी हो तो वह कह दें, बाकी एसोशिएट कराएं। जितने सदस्य चाहें, वे अपने आपको एसोशिएट कराएं, उनका नाम उसी लेवल पर आ जाता है, अख़बार में भी चला जाता है।

मेरा निवेदन यह है कि अपन कितनी, एक बजे तक रखें इस बहस को? मैं आपकी राय से, मुझे कोई एतराज नहीं, तो एक बजे तक हम इस पर बहस करेंगे। पहले आपके इधर से।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): अध्यक्ष महोदय, यह देखिए फसल की हालत। यह है फसल की हालत।

श्री अध्यक्ष: हां, है ना। (व्यवधान) हां, है; भई, है।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): पूरी तरह से किसान बरबाद हो गया। तीन दिन से बरसात हो रही है, उसके ऊपर ओलावृष्टि हो गई। जन-धन की हानि हो गई। (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): अध्यक्ष महोदय, जब आप समय दे रहे हो ...(व्यवधान)

(डा. किरोडी लाल मीणा द्वारा सदन कूप में क्षतिग्रस्त फसल लेकर आगमन)

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): अध्यक्ष महोदय, जब आप समय दे रहे हों तो इनको यह नाटक करने की क्या जरूरत है?

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए।

(श्री हनुमान बेनीवाल द्वारा सदन कूप में क्षतिग्रस्त फसल लेकर आगमन)

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): जब आप समय दे रहे हों ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गम्भीर विषय है और यह नाटक करने की जरूरत नहीं है इनको।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): अध्यक्ष महोदय, इनको अकेले को ही चिंता नहीं है, सभी विधायकों की चिंता है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): जब आपने चर्चा का समय दे दिया, क्या नाटक कर रहे हैं यह। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह रावत (भीम): सभी विधायक चाहते हैं। ये क्या करना चाहते हैं? (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): अध्यक्ष महोदय, यह नाटक करके ...(व्यवधान)

श्री हरिसिंह रावत (भीम): ये केवल दीर्घा में आने के लिए ...(व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): अध्यक्ष महोदय, यह नाटक करके क्या कहना चाहते हैं? (व्यवधान) यह बहुत गम्भीर विषय है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आसन अपने पैरों पर है। आसन अपने पैरों पर है। माननीय, आप अपने स्थान पर जाइये। आसन अपने पैरों पर है। माननीय, आप अपने स्थान पर जाइये। आसन अपने पैरों पर है, आप अपने स्थान पर जाइये। (व्यवधान) आप भी विराजें। आसन अपने पैरों पर है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): सदन में चर्चा चल रही है, फिर ये हंगामा क्यों कर रहे हैं? (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): अध्यक्ष महोदय, ये खाली सदन को गुमराह करना चाह रहे हैं। (व्यवधान) जब आपने समय दे दिया तो क्या नाटक करना चाह रहे हैं ये?

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ये नाटक करने आये हैं, अध्यक्ष महोदय।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): जब सदन में यही चर्चा चल रही है ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: एक शब्द नोट नहीं किया जाए। एक शब्द नोट नहीं किया जाए। किरोडीलालजी का भी एक शब्द नोट नहीं किया जाए। (व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष)

अपने स्थान पर जाइये। इनका एक शब्द नोट नहीं होगा। अपने स्थान पर जाइये। इनका एक शब्द भी नोट नहीं होगा।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): यह नाटक कर रहे हैं। इनको बाहर निकालो आप।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): जब सदन में यही चर्चा चल रही है...

श्री अध्यक्ष: मैं रिपोर्टर्स को एक इन्स्ट्रक्शन दे रहा हूं, फ्लोर में अगर कोई भी आ जाए, उसका एक भी शब्द नोट नहीं किया जाए। (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): मत नोट करो, सही है। इनको सदन से बाहर निकालो। इनको सदन से बाहर निकालो । (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ये अचानक आयें और इनको यह पता ही नहीं है कि हाउस में क्या चल रहा है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): ये हमेशा नाटक करते हैं। इनको बाहर निकालो, साहब। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आसन पैरों पर है। आसन पैरों पर है। मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रकृति की इस प्रकोप की पीड़ा को एक होकर, हम यहां पर कोई पाइंट स्कोर करें कि हमने ले लिया, हमने ले लिया, हमने श्रेय ले लिया राहत दिलाने का, या हमने श्रेय ले लिया; इन सब बातों से ऊपर उठकर यह सदन राजस्थान के किसानों की, प्रकृति के प्रकोप से प्रभावित हुआ है, उन सबकी पीड़ा के साथ अपना मत व्यक्त करता है, ऐसी भावना यहां से जानी चाहिए। यह मेरा आप सबसे निवेदन है।

हां, माननीय प्रद्युम्न सिंहजी।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अध्यक्ष महोदय, बहुत माननीय सदस्य बोलने वाले हैं। माननीय आपदा राहत मंत्रीजी का प्रारम्भिक रूप से यहां पर जो आकलन था, उसके बारे में उन्होंने यहां पर सदन को जानकारी दी है। अभी उन्होंने 18 तारीख थी, उसको बढ़ाकर गिरदावरी के लिए 25 तारीख कर दिया। यह सराहनीय कदम है।

अध्यक्ष महोदय, तीन मामलों के अन्दर माननीय आपदा राहत मंत्रीजी ने सदन को अवगत नहीं कराया। आज इस आपदा के वक्त में किसान के बिजली बिलों का क्या होगा? (व्यवधान) एक मिनट रुक जाएं, प्लीज।

श्री अध्यक्ष: कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। मैंने निवेदन किया है, इधर से आये या इधर से आये, किसानों की पीड़ा है उस किसानों की पीड़ा को हमें महसूस करना है। उसी के आधार पर यहां भाषण होना चाहिए। इसलिए कोई डिस्टर्ब नहीं करे।

माननीया मुख्य मंत्रीजी।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर, जैसा अभी आपने, अध्यक्ष महोदय, कहा, हम सबको एक होना चाहिए। यहां कोई पोलिटिकल पाइंट स्कोरिंग का सवाल ही नहीं उठता है। पोलिटिकल पाइंट अगर स्कोर करना है तो प्रतिपक्ष के नेता और ये सब बैठे हैं, उनको सबको ध्यान आना चाहिए कि जब ओलावृष्टि पहली बार हुई थी, तब यही सरकार, हम ही लोग थे जिन्होंने ओलावृष्टि का पैकेज अलग बनाकर दिया था। इसके पहले तो कभी सोचा भी नहीं था इन लोगों ने। तो पोलिटिकल पाइंट, माननीय सदस्य, मैं फिर से आपसे यह कहना चाहती हूं कि पोलिटिकल पाइंट्स नहीं करें।

हम लोगों ने कल रात को ही तुरन्त, जैसे हमने देखा, जब बरसात हो रही थी और ओलावृष्टि हो रही थी, उसी समय के अन्दर ही चीफ सेक्रेटरी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, उसके बावजूद भी चीफ सेक्रेटरीजी से बात करने के बाद, चीफ सेक्रेटरी ने शाम को ही मंत्री महोदय के साथ मिलकर हरेक कलक्टर के साथ वीडियो कांफेंसिंग की; डायरेक्ट लोगों से बात की। कई कलक्टर्स फील्ड में आलरैडी चले गये थे। सबको निर्देश दिये गये हैं कि वे फील्ड में जाएं और काम करें और तुरन्त ही, डैमेज कितना है, वह हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। ह्यूमन्स हैं; ये कोई मशीन नहीं है, ये ह्यूमन्स हैं और बेचारे जाकर, अपने क्षेत्रों में वस्तुस्थिति पता करके वापस लाने और हमारे पास भेजने की कोशिश में लगे हुए हैं। समय कुछ तो लगेगा। यह ओवरनाइट काम तो होने वाला नहीं है।

मैंने सबको कह दिया है कि इसको सिम्पेथेटिकली कंसिडर किया जाएगा क्योंकि यह पीड़ा है। वह उनकी पीड़ा नहीं है, वह हमारी पीड़ा है। जनता की पीड़ा सिर्फ एक की पीड़ा नहीं है, वह हम सबकी पीड़ा है।

इसलिए मैं फिर से यह कहना चाहूंगी कि यह कागज दिखाने की बजाय, फसल लाने के बजाय, सब लोग मिलकर यह ध्यान करें कि अगर उनको पीड़ा है तो उससे ज्यादा हमको पीड़ा है, क्योंकि सरकार हम लोग चला रहे हैं। हमको मालूम है कि वहां क्षेत्र के अन्दर क्या हो रहा है। हम पूरी तरह

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

से कोशिश में लगे हुए हैं। जब हमने पैकेज तब बनाकर दिया तो अब पैकेज क्यों नहीं बनाकर देंगे? माननीय सदस्य, आप चिंता मत कीजिए।

श्री अध्यक्ष: राजाखेड़ा के माननीय विधायक।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): अब इसमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, हमारे पास रिपोर्टस अब आएगी, रिपोर्टस आएगी, जनता क्या चाहती है, उसके ऊपर हम पूरा ध्यान देंगे। इसलिए मेरा, माननीय सदस्य, आपसे इतना ही निवेदन है, अध्यक्ष महोदय आपके द्वारा कि इनको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है । उसके बाद अगर कोई चीज रह जाती है तो जरूर हाउस में उठाएं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अध्यक्ष महोदय, सदन की माननीय नेता महोदया के आने से पहले काफी विस्तृत वक्तव्य माननीय गृह मंत्रीजी ने दिया, जो आपदा ....

श्री अध्यक्ष: आपदा प्रबंधन मंत्री जी।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): हां, उस कागज को देख रहे हैं, लेकिन काफी विस्तृत स्टेटमेंट यहां दिया और यह कोई राजनीति का विषय नहीं है। मैंने शुरू में कहा था, पूरा सदन इस मामले में, राजस्थान के किसान को कैसे राहत प्रदान की जाए। मैं सिर्फ सुझाव के बतौर, कोई आलोचना के बतौर नहीं, या कोई राजनैतिक पाइंट स्कोर करने के लिए यह बात नहीं कह रहा हूं। माननीय आपदा राहत मंत्रीजी ने काफी विस्तृत दिया है, थोड़े समय में जो सूचना एकत्रित कर सकते थे, उसके बारे कहा। सिर्फ तीन पाइंट जो उन्होंने अपने वक्तव्य के अन्दर जिक्र नहीं किये, मैं सिर्फ उस तरफ उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं। माननीय नेता महोदया, आपसे भी मेरा यही अनुरोध है कि यहां कतई राजनीति नहीं है। सह्रदयता-पूर्वक प्रश्न काल स्थगित करके अध्यक्ष महोदय ने आपके आने से पहले दो घण्टे की चर्चा, एक बजे तक, इसके ऊपर रखवा दी है। इधर से भी लोग बोलेंगे, सत्ता पक्ष के भी बहुत से लोग बोलना चाहते हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): राजनीति खराब चीज नहीं है। बार-बार कह रहे हों, राजनीति नहीं। राजनीति खराब नहीं है। राजनीति के कारण से ही आप यहां पर हों। राजनीति के कारण ही हम सब लोगों की सेवा कर रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): धन्यवाद।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): जिसमें नीति शब्द होता है, वह अच्छा होता है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि बिजली के बिलों का आपने कोई जिक्र नहीं किया। आज हालत यह है कि पुरानी रिकवरी के लिए बिजली कम्पनियों की तरफ से जो अभियान चलाया गया है, उसमें लोगों के ट्रांसफार्मर उतारे जा रहे हैं। एक तो बिजली बिलों को माफ करने की मांग मैं सरकार के समक्ष रखना चाहता हूं।

दूसरा, जो आपके लोन हैं, खासकर कोआपरेटिव बैंक के लोन हैं। आपको नेशनलाइज्ड बैंक वालों से बात करनी पड़ेगी इस मामले के अन्दर, कि उसके अन्दर वे भी स्थगित किये जायं। आज किसान रि-पेमेंट की स्थिति में निश्चित रूप से नहीं है।

तीसरी बात मैं आपसे और कहना चाहता हूं, जैसा माननीया मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि हम सिम्पेथेटिक व्यू लेंगे। यह 50 परसेंट की खराबे की बात चलती है कि 50 परसेंट के ऊपर खराबा होगा तब ही हम राहत प्रदान करेंगे। किसी का 40 परसेंट हुआ, किसी का 48 परसेंट हुआ, किसी का 49 परसेंट हुआ, वह तो बरबाद होगा, उसको कोई राहत तो मिलेगी ही नहीं।

मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप कृपया सहानुभूति-पूर्वक इसके ऊपर ध्यान रखते हुए जिला कलेक्टर्स को यह निर्देश दें कि कुछ चीजों को आपको नोर्म्स के अलावा भी, मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए आप रिपोर्ट भेजें ताकि आपको अधिक से, क्योंकि आपके पास पुराना पैसा भारत सरकार का जो एन्यूअल आपको मिलता है, आपको हर साल कैलेमिटी रिलीफ फण्ड का पैसा मिलता है, नाम बदल गया है उसका आजकल। वह पैसा आपके पास जमा हो रहा है बराबर। काफी बड़ी मात्रा में वह पैसा है। मतलब, आप प्रचुर मात्रा में किसान को राहत प्रदान कर सकते हैं।

यही मेरा आपसे अनुरोध है। बिजली के बिलों को माफ करते हुए और लोन्स को माफी दें या इनको आगे के लिए पोस्टपोन करें, यही मेरा आपसे निवेदन है, अध्यक्ष महोदय।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्षजी, मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: श्री शुभकरण चौधरी। (व्यवधान) नहीं, आप बैठिये। इधर से एक बोल चुके। फिर मैं आपको मौका दूंगा, लेकिन यूं नहीं। एक इधर से; तीन इधर से, वैसे तो चार का रेशो बनता है। इसलिए मैं स्ट्रिक्टली इस परम्परा का पालन करूंगा।

श्री शुभकरण चौधरी।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): अध्यक्ष महोदय, किसान की पीड़ा तो सरकार ने सुनी है, आपदा राहत मंत्री इस बात के लिए धन्यवाद के पात्र भी हैं पर मुझे गहरा दु:ख है, किसान का बेटा होने के नाते, जिसकी वजह से हम यहां बैठे हैं, लोग उसकी ही बात को यहां स्वीकार करना नहीं चाहते। मात्र विधान सभा भवन में, और यहां हाउस में फसलें दिखा कर हल्ला मचाना चाहते हैं। जनता की आवाज को दबाना चाहते हैं। सरकार का मंसूबा जब स्पष्ट है कि वह किसान की सेवा करना चाहती है तो फिर लोग चाहते क्या हैं? यहां फसलें दिखाकर, और हल्ला मचा करके, किसान की आवाज को कोई सुने नहीं। इस बात का तो मुझे सख्त एतराज है। जो लोग इस प्रकार का काम करते हैं, मैं उनकी घोर निन्दा करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: शोर्ट में बोलिये, शोर्ट में।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): मैं सरकार को धन्यवाद देने के साथ-साथ, जिस प्रकार की राहत पहुंचाई जा सकती है, आपके माध्यम से मैं सरकार से और आपदा राहत मंत्री महोदय से इतना निवेदन करना चाहता हूं, जैसा राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि 50 प्रतिशत की जो कंडिशन है, अध्यक्ष महोदय, यह किसान को बरदाश्त है भी नहीं और होनी भी नहीं चाहिए, हमें इस कंडिशन को हटाना चाहिए। क्योंकि किसान की फसल 50 प्रतिशत और 25 प्रतिशत नहीं घटा करती, उसका नुकसान इतना नहीं होता। गेहूं की बाली पर अगर एक ओला गिरता है तो पूरा नुकसान होता है। उसमें फिर परसेंटेज नहीं गिनी जाती। वह कोई फैक्टरी नहीं है जिसमें नुकसान कोई 50 प्रतिशत का या 25 प्रतिशत का होगा। सरसों चाहे काट कर डालने के बाद, और सरसों चाहे खड़ी है, उसकी बाली पर एक ओला और एक बहुत मोटी छांट पानी की गिरती है, तो पूरी बाली फटती है। किसान को एक दाना भी वापस मिल नहीं पाता, अध्यक्ष महोदय। इसलिए 50 प्रतिशत की जो कंडिशन हमने लगा रखी है, इसको हटाया जाए।

(श्री शुभकरण चौधरी)

जहां-जहां नुकसान हुआ है, चाहे अधिक बरसात से हुआ हो, चाहे आकाशीय बिजली से हुआ हो, और चाहे ओलावृष्टि से हुआ हो, वहां इस मापदण्ड को, अगर वह 10-15 प्रतिशत से अधिक, मैं आपको निवेदन करूं, अध्यक्ष महोदय, किसान का बेटा हूं, फसलें पैदा की हैं, अगर 10-15 प्रतिशत के ऊपर वहां नुकसान जाता है तो सम्पूर्ण किसान का नुकसान होता है। इसलिए उसको फायदा दिया जाए।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): ऐसे लोग जो किसान की आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं, उन लोगों को मैं सावचेत करना चाहता हूं, किसान उसको बरदाश्त नहीं करेगा।

श्री अध्यक्ष: आप अपना पाइंट रखिये। आप अपना पाइंट रखिये। (व्यवधान) आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): यह फसलें लहराने की बजाय, आप सत्ता पक्ष को मदद करके और किसान को लाभ पहुंचाने में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिये। आ गया, पाइंट आपका आ गया।

श्री केसाराम चौधरी। शोर्ट में। बातें वही की वही हैं, इसलिए शोर्ट में।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): अध्यक्ष महोदय, बहुत ही शोर्ट में कह रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, कल-परसों जो ओलावृष्टि हुई, वह इतनी खतरनाक थी जिसकी कोई सीमा नहीं। मेरे क्षेत्र में बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई, नीमली गांव की अमरसिंह की मिसेज की मौत हुई। सरकार ने मुस्तैदी से काम करते हुए उसको कल के कल डेढ़ लाख रुपये मुआवजे के रूप में पहुंचाये हैं। इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जिन पशुओं की भी मृत्यु हुई, उनके लिए भी तुरन्त प्रभाव से, आज शाम तक शायद..।

मैं कल पूरे दिन पूरे क्षेत्र में घूमा हूं और पूरे क्षेत्र में देखा, ऐसी तबाही मैंने तो मेरे जीवन में नहीं देखी। किसान पूरी तरह से, जो 50 प्रतिशत की बात करते हैं, 50 प्रतिशत नहीं, वहां तो सेंट-परसेंट गेहूं, राजका, जीरा, धनिया, इसबगोल, वगैरह, सब साफ हो गया, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: यह बात आ गई, आप स्थान ग्रहण कीजिये। श्री हीरालाल नागर। (व्यवधान) इसके बाद।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): इसलिए हमारी सरकार मुस्तैदी से इसका निवारण करेगी। ऐसा, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत निवेदन है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बस, आप विराजिये। आ गई, बात आ गई। श्री हीरालाल नागर। (व्यवधान) मैं दूंगा, सबको दूंगा। अब इधर नम्बर है, फिर इधर। सबको नम्बर दूंगा, एक बजे तक। पांच-पांच मिनट बोलिये आप। जो बात आ गई, उसको रिपीट मत कीजिये।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, आपको कि आपने इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर बोलने का अवसर दिया। मेरा सुझाव है, माननीय आपदा राहत मंत्रीजी से कि किसानों की जो स्थिति है और जितना प्रतिशत नुकसान हुआ है, कई जगह तो लगभग शत-प्रतिशत नुकसान हुआ है। सैकड़ों बीघा की जोत के जो बड़े किसान हैं, वे भी पूरी खेती को, प्रयास कर लें, तब भी उसमें एक बोरी भी गेहूं नहीं निकल सकता। ऐसी स्थिति क्षेत्र में है। बड़े-बड़े ओले पड़े हैं। निश्चित रूप से उसकी रिपोर्ट सरकार के पास आई है।

मेरा सुझाव है कि केवल ऋण को स्थगित करने से काम चलने वाला नहीं है। जिसने के.सी.सी. ले रखी है, जिसने सहकारिता का ऋण ले रखा है, जिस पर साहूकार का ऋण है, अगर उसको स्थगित कर देंगे तो उससे भी काम नहीं चलने वाला। उन ऋणों को माफ करना चाहिए। कई बार, कई दलों की सरकारें रही हैं जिन्होंने पहले ऋणों को माफ किया है। जब तक ऐसे किसान, जिसकी 70 प्रतिशत से ज्यादा हानि हो गई, उसका हमें निश्चित रूप से ऋण माफ करना चाहिए। तभी वह जा करके आगे खड़ा होगा। (व्यवधान) नहीं, अध्यक्ष महोदय, मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिये। आपका पाइंट आ गया ना। आपका पाइंट आ गया।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): उसे पुन: आगे खड़ा होने के लिए और भी ऋण देने की आवश्यकता है। अगर उसे पुन: ऋण नहीं देंगे तो अगली फसल वह कैसे खड़ी करेगा? इसकी भी चिन्ता करनी चाहिए।

इसमें मेरा एक और निवेदन है कि किसान के पास, जिसको हम अन्नदाता कहते हैं, उसके पास खाने के लिए अब अन्न नहीं है। उसको उम्मीद थी कि 15 दिन के बाद मेरी फसल पक करके तैयार हो जाएगी, वह आने वाली

(श्री हीरालाल नागर)

है;किसी के पास एक बोरी, आधी बोरी अन्न बचा था; अब 15 दिन बाद वह क्या खाएगा? इसकी भी हमें चिंता करनी चाहिए। राशन डीलरों के द्वारा उन्हें भी राशन का गेहूं उपलब्ध कराया जाए ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिये। श्री धीरज गुर्जर। (व्यवधान) धीरज गुर्जर, फिर इधर आऊंगा।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): ताकि उनकी, आने वाले समय में, 12 महीने तक उनको इस तरह का वितरित किया जाए कि उनको राहत का कोष मिल सके। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री धीरज गुर्जर। फिर आऊंगा बाद में। अब तीन इधर, फिर इधर आऊंगा।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सबसे बड़ी जो समस्या है, गिरदावरी के अन्दर जो इकाई मानी जाती है, हम तहसील को इकाई मानते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि सरकार सबसे पहले तो यह निर्णय ले कि गिरदावरी के अन्दर तहसील को इकाई न मानते हुए, अगर खेत को इकाई नहीं मान सकते तो कम से कम उस गांव को इकाई मानकर उसके अन्दर खराबे का आकलन करेंगे तो किसान को सही राहत मिल सकेगी।

दूसरी, भीलवाड़ा जिले के अन्दर पांच मौतें हैं। ये डेढ़ लाख रुपये की घोषणा कर रहे हैं। ये पांच मौतें हुई हैं, बता रहा हूं आपको, एक तो कोटड़ी के होलेड़ा के अन्दर मांगूबाई की, एक गुलाबपुरा के अन्दर बिजली गिरने से नानू गूर्जर की, एक मांगी धाकड़ की और एक शकरगढ़ में करंट आने की। पांच मौतें भीलवाड़ा में आदमियों की हो चुकीं।

उसके अलावा, सरकार एक निर्णय और भी करे कि पशुधन को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, भीलवाड़ा जिले के अन्दर भैंस, गाय, बकरियां और भेड़ें बड़ी संख्या के अन्दर मारी गई हैं, उनका भी मुआवजा देने की सरकार घोषणा करे।

तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज है भीलवाड़ा जिले की, कोटडी के अन्दर जो अफीम की फसल पैदा होती है, पूरी की पूरी, सवाईपुर, बरला और बनका खेड़ा के अन्दर पूरी की पूरी अफीम की फसल चौपट हो गई है।

जहाजपुर तहसील के अन्दर जो खेत हैं, वे ज्यादा गहराई के अन्दर हैं। तो उन खेतों के अन्दर पानी के निकास की व्यवस्था नहीं होने के कारण उन

(श्री धीरज गुर्जर)

खेतों के अन्दर आज तक पानी भरा हुआ है। मैं मांग करुंगा सरकार से कि अपने स्तर पर तहसीलदार या कोई अधिकारी, पटवारी जाकर उन खेतों से पानी निकासी की व्यवस्था भी करावें। (व्यवधान) और किसानों को मुआवजा देने के लिए और ब्याज माफी की, राहत की घोषणा करवाना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिये। (व्यवधान) पाइंट आ गया आपका, ब्याज सब आ गया। श्री रामहेत सिंह। (व्यवधान) दूंगा, सबको अवसर दूंगा। टाइम है अपने पास। तीन बोलने के बाद फिर इधर। पांच मिनट से ज्यादा नहीं।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने किसान की चिंता की। मैं सदन की नेता को भी धन्यवाद देता हूं, जब-जब भी आपका राज रहता है, किसान के हित में आपने फैसले लिये हैं। 2008 में वसुन्धराजी का राज था, किसानों को पैकेज दे करके और इस तरह से जो ओलावृष्टि हुई थी, उस पर भी उस समय मुआवजे की व्यवस्था की थी। अभी भी सरकार ने पहल करके मुआवजा दिया जाए किसानों को, उसकी सर्वे की डेट बढ़ाई ।

बाकी सब ठीक है, मैं एक थोड़ा-सा, माननीय कई नेताओं ने इस बारे में अपने विचार रखे, मेरा तो विनम्र आग्रह है माननीय अकाल राहत मंत्रीजी से, किसान की फसल बरबाद हुई है। आप जो उसको राहत देना चाहते हैं, वह राजस्थान में कम है। एक बीघा में 2,200 सिंचित का है, 1,150 असिंचित का है। उसके लिए हरियाणा में क्या है, पंजाब में क्या है, दिल्ली में क्या है, यू.पी. में और गुजरात में क्या पैटर्न है, उन सबको स्टडी करके इस राहत को बढ़ाया जाए। एक बात।

दूसरी बात मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय से, माननीय सदन की नेता से कि किसान जब किसान क्रेडिट कार्ड लेता है तो उससे बैंक जो राशि उसको देता है, उससे डेढ़ से ढाई प्रतिशत तक बीमा राशि उससे लेता है। किसान को, अब उसमें ओलावृष्टि भी है, नाबार्ड ने और इंश्योरेंस कम्पनी ने क्या एग्रीमेंट किया है, सरकार ने और इंश्योरेंस कम्पनी ने क्या एग्रीमेंट किया है, वह उस पर शर्त लागू नहीं होती है। मैं किसान हूं, मैंने बीमा दिया है। मेरे खेत पर जो मैंने उसमें कार्ड लिया है, वह यह चाहता है बैंक कि मुझे एश्योर करें कि आप अपना बैंक का ऋण है, जो किसान के लिए लिया है, फसल के लिए, वह मुझे वापस लौटाओगे। इसी बात

(श्री रामहेत सिंह यादव)

का तो बीमा है। जब मेरे से प्रीमियम ले लिया तो बैंक को भी मुझे मेरी इस हानि के लिए देना चाहिए। कोई सरकार की शर्त है, कोई बीमा कम्पनी और नाबार्ड की शर्त है, उसको सरकार डिलीट करवाए, प्रयास करके, और उसको अलग से, जिस-जिस भी काश्तकार ने कृषि कार्ड लिया है, उसका जिससे प्रीमियम बैंक ने वसूल किया है, उससे अलग से उसको पेमेंट करवाया जाए, यही मैं कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। आपका पाइंट आ गया।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): बहुत बढ़िया।

श्री अध्यक्ष: निम्बाहेड़ा से आने वाले माननीय विधायक। अब इधर से लूंगा मैं अलकाजी को। (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस संवेदनशील मुद्दे पर दो घंटे का समय रखा। उसके बाद में राजस्थान की हमारी लोकप्रिय मुख्य मंत्री वसुन्धराजी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कल ही, परसों ही, जब ओलावृष्टि हुई तो तुरन्त ही गिरदावरी के आदेश दिये और मुख्य मंत्रीजी ने विशाल हृदय दिखाते हुए कलक्टर्स को निर्देश भी दिये कि किसानों को जहां-जहां नुकसान हुआ है उसकी सही गिरदावरी होकर यहां पर रिपोर्ट आ जाए ताकि उनको मुआवजा दिया जा सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारे यहां, विशेष रूप से चित्तौड़गढ़ जिले में, प्रतापगढ़ जिले में और मेवाड़ में, जहां पर अफीम की खेती होती है, हालांकि इसबग़ोल भी हमारे यहां पर खतम हो गयी है, गेहूं भी हमारा खतम हो गया है, लेकिन अफीम की खेती चूंकि भारत सरकार से सम्बन्धित मामला है और डोडे के अगर चीरा लग जाता है और चीरा लगने के बाद जब उसका माल निकलने लग जाता है और ओलावृष्टि या किसी वजह से वह डोडा खतम हो जाता है तो उस काश्तकार का पट्टा कट जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको जानकारी होगी, आप भी हमारे क्षेत्र में आते रहते हैं, अफीम हमारे किसान की जीवन रेखा है और उस जीवन रेखा की वजह से जब भी काश्तकार का पट्टा कटता है तो आप यूं मानिए कि किसी घर में जैसे मृत्यु हो जाती है, वैसी स्थिति हो जाती है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: पाइंट आ गया। आपने इसको भारत सरकार को भेजने के लिए कहा है। (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): नहीं, मैं उसमें निवेदन कर रहा हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार सिर्फ बिजली के बिल माफ कर दे, सरकार सिर्फ मुआवजा दे दे, उससे काम चलने वाला नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आ गया यह पाइंट। (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): मैं दूसरी बात कह रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार से बात करके, उस काश्तकार का जिसने डोडे में चीरा लगा लिया है, उसका, क्योंकि गिरदावरी जो राज्य सरकार करवाती है उसको भारत सरकार नहीं मानती है, वित्त मंत्रालय जो अफीम को देखता है वह नहीं मानता है; मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, मुख्य मंत्रीजी से और आपदा प्रबंधन मंत्रीजी भी बैठे हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि अफीम की खेती का विशेष रूप से ध्यान रखें। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय से आप बात करें। जो हमारा नुकसान हुआ है और उस नुकसान में अफीम ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए। अलका सिंह जी।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): उसका पट्टा नहीं कटे। पट्टा नहीं कटना चाहिए, यह व्यवस्था आप करें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए। अलका सिंहजी।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): साथ ही, मैं मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो 30 परसेंट का, 50 परसेंट का राइडर लगा रखा है ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: वह आ गया आपका। आपका पाइंट आ गया। विराजिए।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): उसको खतम करें ताकि काश्तकार को राहत मिल सके, विशेष रूप से चित्तौड़गढ़ की और प्रतापगढ़ के जिलों को एक ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण कीजिए। आपका पाइंट आ गया। और कुछ रह गया हो तो आप लिखित में दे दीजिए।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): मैंने बता दिया, साहब, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: हां, तो बस, ठीक है, विराजिए।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि इस संवेदनशील मुद्दे पर आपने बोलने का मौका दिया।

मैं ज्यादा नहीं बोल कर सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में 90 परसेंट फसलों को नुकसान हुआ है। आज मैंने पढ़ा कि 26 जिलों को इस प्रबंधन, सहायता के अन्तर्गत लिया गया है। तो मैं आपके मार्फत से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगी कि सभी जिलों में इसका सर्वे करवाया जाए, क्योंकि मेरे एरिये में 70 परसेंट जगह पर तो 90 परसेंट नुकसान है और 30 परसेंट जगह पर कम नुकसान है। तो उसके आकलन का कोई एक क्राइटेरिया अलग से बनाया जाए क्योंकि जिसका 90 परसेंट नुकसान हो गया, उसको बहुत ज्यादा नुकसान हो गया।

एक चीज और कहना चाहूंगी कि आकाशीय बिजली गिरने से मुआवजा का प्रावधान रखा है लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक समय सिंह मीणा है जो आकाशीय बिजली गिरने से घायल हुए हैं। उनको कोई राशि अभी तक नहीं दी गयी है। तो उसकी भी व्यवस्था, मैं आपके मार्फत मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगी।

पशुओं के ऊपर पट्टियां गिरने से जो नुकसान हुआ है उसका आप जल्दी से जल्दी सर्वे करवाकर, उसको भी करवाएंगे तो किसान जो बिलकुल ही निराश होकर बैठा हुआ है, उसको भी थोड़ा-सा फायदा मिलेगा।

मैं यही कह सकती हूं क्योंकि आज किसान बहुत ही हतोत्साहित हो गया है। जो फसल 15 दिन बाद काटने के लिए वह बैठा था कि कुछ आएगा घर में, उसको बहुत अधिक नुकसान हो गया है।

माननीय मंत्रीजी ने अभी सदन को बताया है कि इस बारे में सरकार संवेदनशील है, मैं यही निवेदन करना चाहती हूं कि सभी जिलों की गिरदावरी करवाई जाएं। कम या ज्यादा नुकसान किसान का हुआ है और किसान बहुत उम्मीद से सरकार की तरफ देख रहा है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: विराजिए, आपका पाइंट आ गया। श्री घनश्याम महर। तीन इधर से, फिर इधर। (व्यवधान)

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। राजस्थान की जनता, आज किसानों के इतना बड़ा आघात हुआ है, राम भी रूठ गया और सरकार भी रूठ गयी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बैठिये। (व्यवधान)

श्री घनश्याम (टोडाभीम): सरकार ने इस तरह की कोई पहल नहीं की। (व्यवधान) मेरी बात तो सुनो। मेरी बात सुनो। बात सुनने की कोशिश करें।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए। आप बैठिए। (व्यवधान) प्लीज, पांच मिनट में बोलेंगे; पांच मिनट में। (व्यवधान)

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय सदस्य, बात सुनने की कोशिश करें। करौली जिले में जितना खराबा हुआ है न, सरकार की मंशा के ऊपर सबसे ज्यादा डिपेंड करता है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बैठिये।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): ...कि सरकार की मंशा कैसी है। करौली जिले का इसमें नाम नहीं आया है। पिछले दिनों में मंत्रीजी ने कहा कि 5 प्रतिशत खराबा हुआ है। आप देखते हैं कि राजस्थान में कितना बड़ा किसानों के साथ आघात हुआ है और आज किसान बेचारा सिर पकड़ कर बैठा है और आप लोगों का ...(व्यवधान) माननीय गृह मंत्रीजी ने जो संबोधन दिया, अभी आपने तो लाठी चार्ज हुआ हमारे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर, उसमें भी असत्य बोला। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: इस विषय पर ही बोलें। विषय से अलग है यह।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): अगर इस तरह का आप असत्य सदन को और किसानों को...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मेरा निवेदन है कि विषय से मत उतरिये। मेरा निवेदन है कि सिर्फ इसी पर बोलिये। विषय को हलका मत कीजिए आप।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): यह लाठी चार्ज कहां से आ गया?

श्री अध्यक्ष: विषय को हलका मत कीजिए।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): नहीं, मैं उस बात के लिए कह रहा हूं ... (व्यवधान)

श्री सुशील कटारा (चौरासी): अपनी बात करो न आप। लाठी चार्ज पर कहां आ गये? (व्यवधान) जो कहा गया है, उसी की बात करो।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): यहां, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस संवेदनशील मुद्दे का मजाक बना रहे हैं। यह लाठी चार्ज पर कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री घनश्याम (टोडाभीम): नहीं, मैंने यह बात नहीं कही। मैंने यह कहा है कि आप असत्य नहीं बोलें। जैसे उस मामले में असत्य बोला है, इसी तरह से किसानों के साथ भी ...(व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): जो मुख्य मंत्रीजी ने कह दिया, उसका धन्यवाद तो नहीं दे रहे हो आप। (व्यवधान)

श्री घनश्याम (टोडाभीम): जो असत्य आपने पहले स्टेटमेंट दिया, उसी तरह से किसानों के मामले में असत्य नहीं बोलें। यह कहा है मैंने तो। किसानों के साथ में ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको यह पता भी नहीं कि असत्य असंसदीय है। (व्यवधान) असंसदीय है, इसको निकाला जाए।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): भगवान भी रूठ गया और आप लोग भी अगर असत्य स्टेटमेंट देंगे तो आपको राजस्थान के किसान माफ नहीं करेंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय विधायक, आपका पाइंट आ गया। आपका पाइंट आ गया बिलकुल। (व्यवधान) श्री लादूरामजी विश्नोई। (व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई): जो विषय है उसकी बात करें। विषय से हट कर बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री लादूरामजी विश्नोई। (व्यवधान) आपने कह दिया, जो कहना था।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): मेरा महत्वपूर्ण पाइंट रह गया। पटवार सर्किल में दो-दो, तीन-तीन पटवारी मंडलों के पटवारी नहीं हैं। वहां पर कर्मचारी अलग से लगायें।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये, पाइंट आ गया।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): वैसे कई मंडलों में पटवारी जो सर्वे करते हैं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हां, हां, तो वह आ गया।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): पटवारी के द्वारा सर्वे किया जाता है। तीन-तीन, चार-चार हलकों में एक-एक पटवारी लगा रखा है। वे पटवारी सर्वे करते ही नहीं हैं। वहां पर बैठे-बैठे ऐसे ही झूठी सच्ची रिपोर्ट दे देते हैं। तो इसमें

(श्री घनश्याम)

एक अलग से सरकार को विधायकों की एक कमेटी बनानी चाहिए। उसमें पक्ष और विपक्ष के सदस्यों की एक कमेटी निर्धारित की जाए, वह स्टेट का दौरा करे और कहां-कहां पर किस-किस जिले में कितना-कितना नुकसान हुआ है, यह सरकार को वह करना चाहिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपका पाइंट आ गया, आप विराजिए।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): एक व्यक्ति अगर झूठ बोले तो उसको नहीं करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: आप विराजिए। हां, लादूरामजी विश्नोई।

श्री लादूराम (गुढामालानी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी कल और परसों बाड़मेर जिले में था। वहां पर जीरा और घोड़ा-जीरा की फसल होती है। हमारे न तो गेहूं है, न कोई रायड़ा है, न सरसों ही है। उसमें 13 तारीख को कहीं पर चार अंगुल, कहीं पर तीन अंगुल और कहीं पर दो अंगुल, पांच मिलीमीटर की बरसात हुई और उसमें जीरा हंड्रेड परसेंट जल गया। घोड़े-जीरे में जो दाना होता है, वह बहुत वज़न वाला होता है, उसमें पत्ती नीचे से खुल जाती है और सारा का सारा घोड़ा-जीरा खराब हो गया। कलेक्टर साहब और एस.डी.एम., वगैरह, उन सबसे मैंने बात की और किसानों के साथ मीटिंग की गुढामालानी और धोरीमन्ना में। तो हंड्रेड परसेंट वहां पर नुकसान हुआ है।

आदरणीया वसुन्धराजी ने और कटारिया साहब ने उनको निर्देश भी दिया है, जिलाधीश और एस.डी.एम. को, गिरदावरी के लिए। तो आपसे यह रिक्वेस्ट है, कटारिया साहब से, कि गिरदावरी में पक्षपात नहीं हो।

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्री लादूराम (गुढामालानी): बैकवर्ड जिला है, पक्षपात नहीं हो। यह आप नोट कर लें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। पाइंट आ गया आपका। पाइंट आ गया। सुशील कटाराजी। आदिवासी क्षेत्र से। (व्यवधान) आएगा सबका नम्बर। इंतजार करें। इनके बाद एक और इधर से बोलेगा, फिर इधर। कटाराजी। आप बैठिये।

श्री सुशील कटारा (चौरासी): माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन की नेता और आपदा मंत्री महोदय ने जो किसानों को राहत देने के लिए पैकेज की बात की, उसके लिए तो धन्यवाद। टी.एस.पी. क्षेत्र में भी, वहां पर ओलावृष्टि और बवंडर आने से, तूफान आने से, उस क्षेत्र में क्या है कि कच्चे मकान भी होते हैं

(श्री सुशील कटारा)

और वहां पर जनजाति क्षेत्र में दो से ढाई बीघा कम से कम जमीन और दस बीघा ज्यादा से ज्यादा जमीन होती है। तो उस क्षेत्र में भी गेहूं और चने की और सौंफ और मूंगफली, उस क्षेत्र में लोग करते हैं। तो मेरा माननीय आपदा मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि केलूपोश मकान है, वहां पर बवंडर की वजह से कई मकानों को भी नुकसान हुआ है और काश्तकारों को ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बैठिये।

श्री सुशील कटारा (चौरासी): उन मकानों का भी मुआवजा मिले। यह मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है।

एक वहां पर उस क्षेत्र में लैम्प्स से लोग छोटा-छोटा लोन लेते हैं, 10-10, 15-15 हजार के के.सी.सी. लोन। तो उनको भी माफ किया जाए, उस पूरे उदयपुर सम्भाग में, टी.एस.पी. क्षेत्र में।

आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से डूंगरपुर जिले की बात कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: विराजिए, पाइंट आ गया आपका। बाजियाजी। अब इधर से।

श्री बंशीधर (खण्डेला): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस संवेदनशील विषय पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

सर्वप्रथम मैं सदन की नेता को और हमारे आपदा मंत्रीजी जो धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने मांग करके, प्रश्न काल स्थगित करके और सरकार की संवेदनशीलता दिखाई और वह अभी नहीं दिखाई, 2008 में और उसके पहले भी सरकार के टाइम पर, आदरणीया वसुन्धराजी के टाइम पर, आपदा आयी थी, उस टाइम आपदा कोष के अलावा और अरैंजमेंट करके पैसा दिया गया। लेकिन हमें दु:ख है इस बात का कि विपक्ष में बैठने वाले माननीय सदस्यों ने, पिछले टाइम पर हमारे साथ कितना, 2010 में हमने बहुत चिल्लाया कि हमें आपदा कोष से पैसा दिलाइये लेकिन विपक्ष ने उस टाइम यह कह कर टाल दिया कि केन्द्र सरकार को हमने लिख दिया है, केन्द्र सरकार पैसा देगी तो हम देंगे। लेकिन हमारी सरकार ने इस संवेदनशील मौके पर बहुत अच्छा ध्यान दिया।

(श्री बंशीधर)

मैं आपसे दो बात कहना चाहना चाहूंगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, डेयरी के द्वारा हम जो दूध देते हैं, डेयरी में इंश्योरेंस भी करते हैं। उसके द्वारा पशुधन का जो नुकसान हुआ, उसका भी एक्स्ट्रा लाभ दिलाया जाये। जो सहकारी बैंक हैं और कामर्शियल बैंक हैं, इनसे काश्तकार ने जो लोन ले रखा है, उसको आगे के लिए स्थगित करें और उसको आगे माफ भी कराइये, जिनका ज्यादा नुकसान हो गया है।

मैं एक बात और कहना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। हां, वह कहिये, फिर आप विराजें।

श्री बंशीधर (खण्डेला): सरकार नहीं रूठी है, राम रूठा है। यह बात सही है। सरकार बिलकुल नहीं रूठी है, राम रूठ गया है। यह बात सही है। राम तो राम ही जाने, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि सरकार रूठ गयी। किसानों के प्रति सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और सरकार ने आगे गिरदावरी का जो टाइम बढ़ाया है, यह बहुत ही सराहनीय है। मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहूंगा, इससे ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले।

श्री अध्यक्ष: विराजिये, पाइंट आ गया। सरदारशहर के विधायक, आप बहुत कम बोलते हैं। आज पहली बार बोल रहे हैं भंवरलालजी। बहुत कम बोलते हैं। (व्यवधान) नहीं, इसके बाद तीन इधर से, फिर एक इधर से।

श्री भंवरलाल (सरदारशहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा तो आपके मार्फत सरकार को एक सुझाव है कि राज्य सरकार अधिकतम 4 हेक्टेयर तक यह आपात सहायता देती है, जिसमें से 9 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर है। एक काश्तकार को 36 हजार रुपया चूरू जिले में मिलता है। मेरी चूरू जिला कलेक्टर से बात हुई तो उन्होंने कहा कि अधिकतम हम 4 हेक्टेयर तक देते हैं। अत: सरकार को मेरा सुझाव है, चूरू-बीकानेर में जमीनें ज्यादा हैं और बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, इसलिए आपात सहायता के जो नियम हैं, इनमें संशोधन करके काश्तकार को अधिक से अधिक सहायता दी जाए।

श्री अध्यक्ष: यह बहुत अच्छा सुझाव है। श्रीराम भींचर। सबका नम्बर आयेगा। मैं इसीलिए पाइंट ले रहा हूं और कोई एसोशियेट करना चाहे तो कर ले। भींचर साहब के बाद आप बोलना। आपका नाम मैं पहले लेना चाहता था। सबको चांस दूंगा, सबको।

श्री श्रीराम भींचर (मकराना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, अभी सदन में कई माननीय सदस्य बोल रहे थे कि हमारे 60 प्रतिशत हुआ है, हमारे 70 प्रतिशत खराबा हुआ है; मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि नागौर जिले के अन्दर इसबगोल और जीरा शत-प्रतिशत खतम हो चुका है और गेहूं और जौ की जो फसल है, वह आंधी-तूफान चलने के कारण जमीन पर बिलकुल लेट गयी है, जिससे वह फसल पकेगी नहीं। इसके कारण गेहूं और जौ की फसल भी किसान की खतम हो चुकी है। इसलिए इन सभी को अच्छी तरह से पूरा मुआवजा कराकर करें।

श्री अध्यक्ष: यह पाइंट आ गया। किशनाराम नाई।

श्री किशनाराम (डूंगरगढ़): अध्यक्ष महोदय, इस ओलावृष्टि से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। रात एक बहुत बड़ी घटना हुई है कि रामसर एक गांव है, उसमें तूफान से पूरे के पूरे पशुधन मर गये। मोर पक्षी मर गये और बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इस वास्ते मेरा निवेदन है कि कम से कम कलेक्टर और एस.डी.एम. को आदेश देकर गिरदावरी सही ढंग से कराने के आदेश आप फरमायें तो बहुत कृपा होगी।

श्री अध्यक्ष: बहुत अच्छे। जगदीश नारायणजी। (व्यवधान) सबका नाम आयेगा, मैं कह रहा हूं, मैं टाइम और बढ़ा दूंगा।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्राकृतिक आपदा है, अनहोनी है और ऐसी अनहोनी के साथ में पूरे सदन का फर्ज बनता है कि पूरा सदन किसान के लिए चिन्ता करे और किसान के लिए जितना जो कुछ कर सकता है, उसकी तैयारी करे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहूंगा दो बातें कहने के लिए, सरकार से। वैसे तो माननीया मुख्य मंत्री अस्वस्थ होते हुए भी बड़ी संवेदनशील हैं, उन्होंने कल से ही आदेश जारी कर दिये और उसी का परिणाम है कि आज गांव-गांव और खेत-खेत पर सरकारी अधिकारी और कर्मचारी घूम रहा है। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें किसान की फसल तो तबाह हुई ही है, लेकिन किसान की फसल के साथ-साथ में, किसान का जितना भी सहयोगी वर्ग था, जो किसान के खेत पर जाकर मजदूरी करता था, खेती से अपना भरण-पोषण करता था, वह भी आज चिन्तित है। इसलिए सरकार से मांग करना चाहता हूं कि ऐसी दुःखद घड़ी में राहत कार्य खोलने पर भी सरकार अतिशीघ्र विचार करे और राहत कार्य खोले जायें।

(श्री जगदीश नारायण)

दूसरा, मेरा निवेदन है कि इसमें गांव और तहसील को इकाई नहीं माना जाये। इसमें किसान के खेत को इकाई मानना चाहिये, क्योंकि गांवों में किसानों की जमीनें बंटी हुई हैं। किसी के पास दो बीघा है, किसी के पास पांच बीघा है। अगर हम गांव और तहसील को इकाई मानेंगे और किसी किसान के अगर पांच बीघा खेत में नुकसान हो गया और वह उसमें नहीं आ पाया, तो उसकी भरपाई नहीं हो पायेगी। इसलिए खेत को इकाई माना जाना चाहिये। आप सबको धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: सुखराम विश्नोई ।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्षजी, जालौर जिले में इसबगोल और जीरे की खेती होती है और इसबगोल और जीरे की खेती ओलावृष्टि के अलावा, केवल मात्र बरसात होने से ही खराब हो जाती है। मैं, माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इसबगोल और जीरा मेरे पास है, एक भी इसके अन्दर दाना नहीं है। इसबगोल और जीरे का पूरा का पूरा दाना झड़ चुका है। मेरा निवेदन है कि सुबह मैंने कलक्टर से बात की, कलक्टर साहब का कहना है कि 46 परसेंट खराबा हुआ है, जबकि 'भास्कर' लिख रहा है कि 90 परसेंट खराबा हुआ है।

मेरा निवेदन है कि खरीफ की फसल खराब होने से जिस तरह से अकाल घोषित किया जाता है, इसी तरह से पूरे राजस्थान में यह जो रबी की फसल खराब हुई है, इस रबी की फसल खराबे को देखते हुए पूरे राजस्थान में अकाल राहत कार्य घोषित किये जायें और अकाल राहत के अन्दर जो भी कार्य चालू होवें, चाहे फैमिन वर्क हो, चाहे रिलीफ वर्क हों, चाहे बिजली के बिल माफ हों, चाहे किसान क्रेडिट कार्ड के लोन माफ हों, माफ होना चाहिये।

मेरा आपसे निवेदन है, माननीय अध्यक्षजी, आपके माध्यम से आपदा प्रबन्ध मंत्रीजी से, जिस तरह से कलक्टर से मैंने बात की है, वे केवल मात्र 46 परसेंट मान रह हैं। आप खुद 26 जिलों की बात कर रहे हैं 33 जिलों में से, हमारा जिला उसमें बाकी में रहा है। आप खुद कलक्टर से बात करके, जो एक्चुअल रिपोर्ट है, वह मंगवायें। पांच-पांच हलकों पर एक पटवारी लगा हुआ है। इसलिए पटवारी के अलावा, अतिरिक्त पटवारी लगाकर, जो भी व्यवस्था हो, जल्दी व्यवस्था की जाये। धन्यवाद।

(श्री सुखराम विश्नोई)

आज आप साहब बड़े खुश हैं। हमें तीन में से एक का मौका दे रहे हैं। आज आपका व्यवहार ठीक है, साहब।

श्री अध्यक्ष: ठीक है। श्री रामलाल शर्मा। नहीं, अब सबका आयेगा नम्बर।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके की प्राकृतिक आपदा आयी है और माननीय मुख्य मंत्री महोदय और आपदा राहत मंत्रीजी ने जो उदार मन दिखाया है, अध्यक्ष महोदय, 2008 के अन्दर भी इसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा हुई थी और उस समय भी माननीया मुख्य मंत्रीजी ने मौके के ऊपर जाकर जो नुकसान हुआ था, उसको अपनी आंखों से देखकर, और राजस्थान सरकार ने सी.आर.एफ. के नोर्म्स से भी बाहर जाकर, राजस्थान के खजाने से, माननीया मुख्य मंत्रीजी ने किसानों के लिए राहत पैकेज दिया था। एक तो मेरी मांग है कि 2008 के अन्दर माननीया मुख्य मंत्रीजी ने जिस तरीके से राहत पैकेज किसानों के लिए दिया था, उसी तरीके का राहत पैकेज अब की बार भी दें।

अध्यक्ष महोदय, एक और मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जयपुर जिले के अन्दर सब्जियों का बहुत भयंकर नुकसान हुआ है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरी सरकार से मांग है कि सब्जियों के अन्दर खर्चा बहुत आता है, महंगे बीज आते हैं; दवाइयां महंगी आती हैं; इसलिए सब्जियों के अन्दर जो नुकसान हुआ है, उस नुकसान का अलग से पैकेज बनाकर किसानों को राहत पहुंचाने का काम करें।

आपने बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: आप बोलिये। (व्यवधान) पब्बारामजी, बैठिये। मैंने उनको पुकारा है।

श्री ललित कुमार (किशनगंज): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो बहुत बड़ी हानि हुई है, इसकी चर्चा के लिए दो घंटे का समय रखा। मैं सदन की नेता को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कल ही इसकी घोषणा कर दी कि विशेष आपदा, जो भी सहयोग होगा, सरकार की तरफ से वह किया जाएगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक सुझाव देना चाहूंगा कि जिस तरह से केदारनाथ में आपदा हुई थी, उस समय सदन के सभी सदस्यों ने अपने एक माह का वेतन देकर अपना सहयोग दिया था। उसी

(श्री ललित कुमार)

प्रकार आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहूंगा कि इस सदन के सभी माननीय सदस्य अपना दो माह का वेतन और हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं राजस्थान स्तर के, इनके एक या दो माह का वेतन दिया जाए, ताकि जो गरीब किसान को नुकसान हुआ है, उसकी क्षतिपूर्ति हो सके...

श्री अध्यक्ष: बहुत अच्छा सुझाव है।

श्री ललित कुमार (किशनगंज): और उसको इस कठिन समय में एक सम्बल मिल सके। यह निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: आपका पाइंट आ गया। आप बोलिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। अध्यक्ष महोदय, सदन के अन्दर सबसे छोटी उम्र के माननीय विधायक ने एक प्रस्ताव रखा है कि सभी सदस्य अपना एक माह का वेतन दें। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति हो...

श्री अध्यक्ष: यह आप राय मिला लीजिये। प्रतिपक्ष के नेता से भी बात कर लीजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सत्ता पक्ष की तरफ से मुझे सदन की नेता ने कहा है, सत्ता पक्ष के सारे विधायक मुख्य मंत्रीजी के निर्देश पर एक महीने का वेतन आपदा राहत कोष में देंगे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह स्कोर करने में लग गये।

श्री अध्यक्ष: आप भी जोइन कर लीजिये न। हां, अब आप बोलिये, प्रतिपक्ष के नेता।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): प्रतिपक्ष की भी घोषणा कीजिये।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष की तरफ से जो सुझाव दिया है एक महीने के वेतन देने का, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपके माननीय सदस्य को...

श्री अध्यक्ष: शाहबाद से आने वाले।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): और कार्य संसदीय मंत्रीजी के द्वारा जो बड़ा दिल दिखाया गया कि हम सत्ता पक्ष की तरफ से एक महीने का वेतन देंगे, तो हमारा भी प्रतिपक्ष की तरफ से यह धर्म बनता है। यह मांग तो

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

थी हमारी, लेकिन उसमें आपने मांग कर ली पहले। इसलिए हम आपके पीछे हैं।

श्री अध्यक्ष: पाइंट स्कोर मत कीजिये। आपका स्वागत है। आपने भी आफर किया है कि प्रतिपक्ष भी देगा। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): लेकिन एक बात, संसदीय कार्य मंत्रीजी, विराजो। एक इनका सुझाव और था, माननीय सदस्य द्वारा सरकार को यह निवेदन किया गया कि दो महीने की सैलेरी आपके अधिकारियों की, उसमें आप तय करें, उनकी आप दो महीने की सैलेरी लोगे या नहीं लोगे?

श्री अध्यक्ष: हां, आप बोलिये। आप बैठिये। बैठिये। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है।

सुश्री कीर्तिकुमारी (माण्डलगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी कि ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

अध्यक्ष महोदय, हमारे राजस्थान में एक पुरानी परम्परा कही जाती है कि राम रूठ गया, लेकिन आज हमने आंखों से देखा कि राज नहीं रूठा। हमारी जो यशस्वी मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजेजी सिंधिया हैं, इनके द्वारा जो प्रयास किये गये, चीफ सेक्रेटरी, राजस्थान से लेकर के एक पटवारी तक को मैंने कल माण्डलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में और शाहपुरा में तो मैंने सुबह नौ बजे ही जब कलक्टर साहब से बात की तो वे शाहपुरा पहुंच चुके थे। आपदा प्रबन्धन के सराहनीय कदम उठाये गये हैं। उसके लिए मैं मुख्य मंत्रीजी का और गुलाबजी भाई साहब का बहुत-बहुत आभार भी व्यक्त करना चाहूंगी।

छोटा-सा निवेदन करूंगी, इस सब के बीच में एक विषय छूट गया बागवानी का। बागवानी के लिए सन्तरे की और पपीते की फसल में जो नुकसान हुआ है, उसको भी सरकार इसमें जोड़े। ऐसी मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती शकुन्तला रावत।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि ओलावृष्टि से पूरी रबी की फसल नष्ट हो चुकी है; चना, गेहूं, सरसों, जौ पूरी तरह से नष्ट हो गये और जो यह कहा जा रहा है कि 40 प्रतिशत, 50 प्रतिशत, 80-90 प्रतिशत, जिस फसल में पानी भर चुका, जिसका दाना गल चुका, फसल गल चुकी तो वह कौन सी 50, 60, 80 परसेंट अपन

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

किस आधार पर गिन लेते हैं उसको? चारा भी खतम हो गया, फसल भी बरबाद हो गयी। सरसों सारी काली पड़ जाती है, गेहूं भी काला पड़ जाता है। तो उसमें यह परसेंटेज के हिसाब से नहीं करें।

बल्कि, अध्यक्ष महोदय, मैं एक अनुरोध करना चाहूंगी कि जो सर्वे करने जाते हैं, पटवारी हैं, जो भी कर्मचारी लगाये जाते हैं, वे इसमें एक सहृदयता अपनाएं कि जिस तरीके से आप का, जब सरकारी तंत्र का कोई भी टी.ए., डी.ए., जो बिल बनता है, उसमें आप सहृदयता अपनाते हों, तो किसान के लिए क्यों नहीं? उनको कोई भी टी.ए., डी.ए. नहीं मिलता, उनको कोई तनख्वाह नहीं मिलती। उनका जो कुछ भी होता है, सारा फसल पर निर्भर होता है, पशुओं पर निर्भर होता है और वह जब सम्पूर्ण रूप से नष्ट हो चुका होता है, जब उनका सर्वे करना होता है तो उसमें आप परसेंटेज लगा देते हों, जबकि वह पूरी तरह नष्ट हो चुकी है।

तो मेरी यह मांग है कि जो बिजली का बिल है, वह उनका कम से कम एक वर्ष का माफ किया जाए; जो ऋण, कोआपरेटिव बैंक के हैं, उनके जो भी ऋण हैं, सारे माफ होने चाहिए; और जो पशु धन नष्ट हो गया है, मर चुके, उनका भी उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए।

मेरा आपसे यही अनुरोध है कि पिछली बार की तरह सर्वे नहीं हो कि आधे खेत छूट गये और आधे रह गये। प्लीज पूरा सर्वे करवाएं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: आपका पाइंट आ गया है। श्री बाबू सिंह।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय,...

श्री अध्यक्ष: सबको दूंगा टाइम। मैं टाइम बढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, राम रूठे, राज न रूठे। वास्तव में इस बार जिस प्रकार की ओलावृष्टि हुई है और प्राकृतिक आपदा आयी है, पिछली बार सरकार ने 2003 से 08 के बीच सी.आर.एफ. नोर्म्स के अलावा अलग से पैकेज घोषित किया था। इस बार भी हम यह चाह रहे हैं कि सी.आर.एफ. में नोर्म्स के अनुसार थोड़ा मुआवजा कम मिलता है, सरकार आगे बढ़ कर के; छह-छह महीने में दो बार फसल आती है, तो हम चाहते हैं कि मरुस्थल इलाके के अन्दर जीरा और इसबगोल तो पूरे नष्ट हैं, साथ ही जो गेहूं की फसल हुई है उसमें जो खाखळा चारा आता है, वह चारा

(श्री बाबू सिंह)

भी नष्ट हो गया। तो हमारे पशु धन पर भी आन पड़ी है। अब पशु धन को बचाना आवश्यक है। इसलिए अकाल राहत घोषित किया जाए, अकालग्रस्त घोषित किया जाए और इसमें चारा डिपो, पशु शिविर, ये सारे हो जाएं।

छह महीने की फसल होती है, इसलिए छह महीने का बिजली का बिल भी माफ हो। प्रति बीघा अलग से, सी.आर.एफ. नोर्म्स के अलावा, मुआवजा मिले। इस प्रकार की सारी सहायता देकर के किसानों को फिर से खड़ा करने की आवश्यकता है। यही कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। आपका पाइंट आ गया, विराजिये।

कपासन के माननीय विधायक। मैं सब को टाइम दूंगा।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं कि राजस्थान के अन्दर जो दो-तीन दिन से प्राकृतिक आपदाएं घट रही हैं, उस सम्बन्ध में सरकार ने जवाब भी दिया है, सारा कुछ अच्छा हो रहा है। कल हमारे यहां चित्तौड़ में राजस्व मंत्रीजी पधारें और सरकार ने, तुरन्त खेतों का निरीक्षण कर के वहां पर मौके पर गये ...

श्री अध्यक्ष: आपसी बातचीत नहीं। आपसी बातचीत नहीं।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): और जिला कलक्टर, चित्तौड़ को निर्देश दिये कि हाथों-हाथ जा कर के, सभी का सर्वे करवा कर के, लोगों को मुआवजे की व्यवस्था करवाएं। मैं राजस्व मंत्रीजी का धन्यवाद देना चाहूंगा।

हमारे क्षेत्र में गेहूं, जौ, चना, सरसों, अजवाइन, इसबगोल, ये सारी की सारी फसलें नष्ट हो गयीं। इसके अलावा, जो फलदार पौधे हैं, पेड़ हैं, वे नष्ट हो गये; सब्जियां नष्ट हो गयीं। मेरा निवेदन है कि ओले इस कदर के गिरे हैं कि घरों पर जो सीमेंट की चद्दरें थीं, उनमें छेद हो गये, टिनशेड टेढ़े हो गये।

इसलिए ऐसी स्थिति में मेरा निवेदन है आपके माध्यम से, सरकार वैसे तो अच्छा मुआवजा देने वाली है लेकिन कुछ राइडर लगे हुए हैं। अब यह पैमाना बता रहे हैं 50 प्रतिशत, 60 प्रतिशत; किस पटवारी का दिमाग कैसे है, किस पटवारी का दिमाग कैसा है, कैसे पता चलेगा कि 60 परसेंट है कि 70 परसेंट है? इसलिए एक अलग पैमाना तय हो और समस्त किसानों को मुआवजा दिया जाए।

श्री अध्यक्ष: आपका पाइंट आ गया।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): बिजली के बिल माफ किये जाएं।

श्री अध्यक्ष: हां, यह भी आ गया पहले।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): एक निवेदन और है मेरा। जो हम इकाई मानते हैं, जब किसी उद्योग के अन्दर आग लगती है, किसी उद्योग में नुकसान होता है तो उसको एक उद्योग को मान कर के उसको हम मुआवजा देते हैं। यहां पर पूरा गांव और तहसील इकाई मान रहे हैं। खेत को इकाई मानना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: यह भी पाइंट आ गया।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): कभी-कभी ऐसी स्थिति होती है कि एक खेत पर जोरदार ओले गिरते हैं, एक पर नहीं गिरते।

श्री अध्यक्ष: यह भी पाइंट आ गया। आप स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): एक निवेदन और है।

श्री अध्यक्ष: हां, एक और कर दीजिए।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): मेरा निवेदन है, जो खेत मालिक है उसको तो हम मुआवजा देंगे लेकिन किसी ने ठेके पर खेती ले रखी है, उस ठेके वाले को क्या मिलेगा? उस मजदूर को क्या मिलेगा जो ठेके पर लेकर के खेती कर रहा है? उसकी तो खाद भी गयी। वह बेचारा खाद भी ब्लैक में लाया था। उसका क्या होगा?

श्री अध्यक्ष: विराजिये। विराजिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): खाद की स्थिति है। इसी प्रकार से बिजली का बिल है। यह कुछ न कुछ करो ताकि काम ठीक हो जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: नहीं, आप बोल लिये। श्री राव राजेन्द्र सिंह।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): अध्यक्ष महोदय, करुणाजनक सहानुभूति का उद्देख किसी भी लोक कल्याणकारी सरकार का मौलिक चरित्र है; परदुखातड़ता और परोपकार में संलग्नता उसका क्रियात्मक प्रतिफलन है। किसी भी संवेदनशील सरकार का प्रमुख दायित्व यह बनता है, अतिवृष्टि, किसी भी प्रकार की घटना जिससे आम जन को, चाहे वह किसी वर्ग का हो, चाहे किसी व्यवसाय का हो, अगर प्राकृतिक प्रकोप से उसको कहीं नुकसान हुआ है, तो उस

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

सरकार का दायित्व बनता है कि उनके प्रति संवेदनशीलता का आचरण इस सदन के माध्यम से प्रकट करे। इतिहास इस बात का गवाह है कि चाहे सेंट्रल रिलीफ फंड से पैसा न आया हो, नेशनल कैलेमिटी रिलीफ फंड से न आया हो, लेकिन जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में रही है, इन सारी व्यवस्थाओं से परे जाकर उस आम आदमी तक राहत पहुंचाने का उन्होंने सद्कर्म किया है। यह सदन अभी अभिलेखों से यह पता कर ले।

इसलिए मेरा सिर्फ इतना निवेदन है कि समाज की व्यथा और वेदना के सम्हार के लिए एकमत होकर लोक कल्याणकारी रीति और चरित्र का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए यह सदन उस किसान के घर में जो कुछ भी घटना घटी है, उससे उसको मदद प्रदान करने का सशक्त प्रयास करे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। श्री मानिक चन्द सुराना।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, इधर भी हाथ उठाया है कई बार।

श्री अध्यक्ष: आ रहा हूं।आ रहा हूं।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): अध्यक्ष महोदय, जयपुर के अखबारों में अनेक जिलों का जिक्र है बीकानेर का जिक्र कम से कम है। मेरा निवेदन है कि कल ही मेरे क्षेत्र में 14 गांवों में ओले पड़े हैं और 14 गांवों की फसल, चाहे वह उत्तमदेसर है, चाहे सुरवाना है, और चाहे उनसे लगती हुई बेल्ट है, पूरी की पूरी फसलें नष्ट हो गयी हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस विषय पर पहले भी दो बार चर्चा हो चुकी है और माननीय आपदा प्रबन्धन मंत्रीजी ने यह फरमाया है कि जब तक सी.आर.एफ., भारत सरकार से अनुमति नहीं मिलती है, तब तक हम उस रुपये का उपयोग नहीं कर पायेंगे। अभी शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो निवेदन किया, उसमें जोड़ते हुए मैं यह निवेदन करूंगा कि आप सी.आर.एफ. और भारत सरकार की अनुमति तक यदि इस पैसे को रोकेंगे तो किसान का अनर्थ होगा। इसलिए हुड्डा कमेटी ने चार मुख्य मंत्रियों की कमेटी के अध्यक्ष के नाते जो रिकमंडेशन की कि प्रति हेक्टेयर 25 हजार

(श्री मानिक चन्द सुराना)

रुपया, चाहे आप 4 हैक्टेयर तक दें, लेकिन प्रति हैक्टेयर 25 हजार रुपये का मुआवजा तय किया जाए। यह हुड्डा कमेटी ने 2010 में कहा था।

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): मेरा निवेदन है कि इसमें संशोधन कर लें और राजस्थान की आर्थिक हालत को देखते हुए अपन चार हेक्टेयर नहीं, तो कम से कम तीन हेक्टेयर तक तो 25 हजार प्रति हेक्टेयर का मुआवजा देने की व्यवस्था करें। यही मेरा आपसे निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: सब को दूंगा टाइम, सब को दूंगा। श्री हमीरसिंह भायल। आयेगा, आपका नम्बर भी आयेगा, सब का आयेगा। सब को बोलने दूंगा। आज बड़ी शांति से ठीक ढंग से सारे विधायक अपनी बात रख रहे हैं।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा कि 2008 में माननीया मुख्य मंत्रीजी ने किसानों को राहत दी और आज भी जो घोषणा आपदा मंत्रीजी ने की, मेरा निवेदन रहेगा कि बाड़मेर जिले में जीरा और इसबग़ोल हैं, इन फसल में ठंडी हवाई बहुत होती

(12.00 बजे)

है। मेहरबानी करके यह परसेंन्टेज वाला रोला ना पटकें। पूरा मुआवजा किसानों को मिले। पानी की कमी होने के वजह से बिजली की अभी जो विजिलेंस चल रही है, उसको भी रोका जाए। बिजली के बिल माफ हों। पूरे जिले में इसबगोल और जीरा शत-प्रतिशत खराब हो गया। इसका ध्यान दिया जाए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: जी, आप बोलिए, आप। नहीं, नहीं, आपके पीछे। आपके पीछे।

श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र पूरा का पूरा कमांड एरिया है। पूरे विधान सभा क्षेत्र में, कल डिविजनल कमिश्नर और कलक्टर साहब मेरे साथ थे, हंड्रेड परसेंट उन्होंने खराबा माना है। कई गांवों में किसानों को स्कूल के कमरों में जाकर शरण लेनी पड़ी है। बड़ी संख्या में जंगली जानवर मरे हैं। बड़ी संख्या में भेड़ें मरी हैं।

(श्री विद्याशंकर नन्दवाना)

इस प्रकार की स्थिति बन गई कि आज किसान के पास न तो खाने के लिए अनाज की व्यवस्था है, न जानवरों के लिए भूसे की व्यवस्था है।

प्रारम्भिक दृष्टि से यह सदन कोई भी निर्णय करे, लेकिन प्रमुख रूप से अनाज की और भूसे की व्यवस्था मेरे विधान सभा क्षेत्र में करते हैं तो यह निर्णय मेरे लिए बहुत आवश्यक होगा। बाकी निर्णय यह सारा सदन करेगा। जो मूल आवश्यकता है, वह सभी सदस्यों के माध्यम से निकलकर आ रही है। भयावह स्थिति है। किसानों के कच्चे मकानों के केलू टूट गये; जो सीमेंट की चद्दरें थीं, वे टूट गईं।

श्री अध्यक्ष: ये बातें आ चुकी हैं, विराजिए।

श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा): बहुत बुरी स्थिति बनी हुई है।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। ये बातें आ चुकी हैं। श्रीमती संजना आगरी।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले 3 दिनों से बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि से किसानों की जो तबाही हुई है, उसके बारे में हमारी माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने जो चिंता जाहिर की, उनको बहुत-बहुत धन्यवाद।

मेरा आपसे यही निवेदन है कि सोजत विधान सभा क्षेत्र में काश्तकारों की फसलों के खराबे के साथ-साथ उनके पशुओं की मृत्यु भी हुई है, जैसे बीजागुढा ग्राम पंचायत की मुझे जानकारी है। इसके अलावा, और भी पशुपालन का काम है, जहां बकरियां, भेड़ों के अलावा उनके और पशुओं की मौतें हुई हैं। उनका सम्बन्धित अधिकारियों से निवेदन करें कि वे पटवारी और पटवारी के साथ-साथ तहसीलदार, बी डी ओ, जो भी हैं, वे वहां मौके पर जाकर उनकी फसलों का जो खराबा हुआ, उसका भी सर्वे करें। यह बात भी सही है कि ग्राम पंचायतों में पटवारियों की कमी है और दो या तीन-तीन ग्राम पंचायतों में एक-एक पटवारी लगे हुए हैं, जिससे किसानों को पूरा फायदा नहीं मिल पाता है।

इसके साथ ही मेरा आपसे यह निवेदन है कि 50 प्रतिशत से कम जो फसल का नुकसान हुआ है, उन काश्तकारों को भी, चाहे वह छोटा काश्तकार हो, चाहे बड़ा काश्तकार हो...

श्री अध्यक्ष: यह पाइंट आ गया। यह पाइंट आ गया।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात और है।

श्री अध्यक्ष: हां, एक बात और बोलिए।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): साथ में निवेदन करना चाहती हूं कि ओलावृष्टि से जो फसलों का खराबा हुआ है, गांव का जो किसान होता है वह रबी और खरीफ की फसलों से उसको जो इन्कम होती है, उससे साल भर तक अपने परिवार का पालन-पोषण करता है। बच्चों को पढ़ाता है, बेटियों की शादी-ब्याह करता है। किसानों के सामने यह एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ है, इस ओलावृष्टि से। तो क्यों नहीं गांवों के अन्दर छोटे काश्तकारों के लिए, उनके रोजगार को देखते हुए भी, गांवों में नरेगा जैसे कार्य को अतिशीघ्र शुरू करवाया जाए? धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। आ गया, पाइंट आ गया आपका? डोटासराजी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो प्राकृतिक आपदा आई, ओले गिरे, बारिश हुई, पूरे प्रदेश में किसान की फसलें बरबाद हुईं। मेरे सीकर जिले में भी आठों विधान सभा क्षेत्रों में यह प्राकृतिक प्रकोप बरसा है। किसानों की फसलें बरबाद हुई हैं। मैं तीन छोटे-छोटे निवेदन करूंगा।

श्री अध्यक्ष: बस, तीनों ही छोटे-छोटे करना।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): एक तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो ओलावृष्टि है, यह पहले नहीं थी। हमारे गहलोत साहब की सरकार ने इसको केन्द्र में भेजकर के, इसको यू पी ए गवर्नमेंट ने किया था। तभी आज हम केन्द्र की मदद लेने के हकदार हुए हैं।

श्री अध्यक्ष: सुन रहे हैं गहलोत साहब।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जीरो परसेंट इंटरेस्ट पर किसान को जो ऋण दिया जाता था, पिछली बार आपकी सरकार ने 4 परसेंट किया था, उस ब्याज का पुनर्भरण किया जाए, सरकार के नहीं लगाया जाए।

तीसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो किसान को ऋण दिया जाए, वह सबको दिया जाए। यह पैटर्न क्या चल रहा है कि जो पहले से ऋणी हैं, उनको तो मिल जाता है, लेकिन नया किसान वंचित रह जाता है। इस प्राकृतिक आपदा में वह भी चपेट में आया है। इसलिए इसका बजट बढ़ाकर के और सबको दिया जाए।

श्री अध्यक्ष: बहुत अच्छा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): एक मैं निवेदन और करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: 3 पाइंट हो गये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): एक बात।

श्री अध्यक्ष: अच्छा, एक बात और।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): जो प्राकृतिक आपदा उत्तराखंड में आई थी तो हमारे उस समय के मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत ने, हमारी सरकार ने 5 लाख रुपये और मारे गए व्यक्ति के लड़के को, आश्रित को नौकरी देने का भी किया था। यह सरकार पहल करके उस प्रकार का कोई पैकेज दे। डेढ़-डेढ़ लाख रुपये से कुछ नहीं होगा। 5 लाख रुपये और जो किसान मर गये हैं, 25 से ज्यादा, उनके आश्रितों को नौकरी देने की अगर पहल करती है तो हम भी इनका स्वागत करेंगे। जो सरकार प्रस्ताव लाएगी, उसके साथ करेंगे। आपको धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। आप बोलिए, माननीय गहलोत साहब।

श्री अशोक गहलोत (सरदारपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय डोटासराजी ने जो अभी बात कही है, मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा अपनी तरफ से कि ओलावृष्टि पहले से ही नार्म्स में थी, अकाल राहत के कामों के लिए। उनको गलतफहमी हुई होगी, इसलिए उन्होंने कह दिया गलती से। लेकिन शीत लहर जो है...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हां, शीत लहर।

श्री अशोक गहलोत (सरदारपुरा): शीत लहर, जो फ्रोस्ट होता है, उसका कोई नार्म्स नहीं था। उसके कारण से बहुत तकलीफ आती थी। उसको हम लोगों ने प्रयास करके इन्क्लूड करवाया था जिससे कि उसके कारण मुआवजा मिल सके। यह मैं करेक्ट करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: श्री शैतान सिंहजी। आएगा, नम्बर आएगा; आपका भी आएगा।

श्री शैतानसिंह (पोकरण): माननीय अध्यक्ष महोदय, हम तो जैसलमेर जिले से आते हैं, जहां लगभग-लगभग 70 प्रतिशत अकाल पड़ता है। 2 साल से लगातार अकाल पड़ रहा है जैसलमेर में। हमारी चारों ही समितियां और चारों ही तहसीलें अकाल में हैं।

(श्री शैतानसिंह)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि इस ओलावृष्टि से जिनके कुओं पर फसल थी जीरा और इसबगोल, दोनों ही नष्ट हो गई हैं।

दूसरा, हमारा पूरा गुजारा पशु धन पर ही होता है। आज पटवारियों को कहा तो उन्होंने कहा कि सरकार ने हमें निर्देश नहीं दिये हैं। हमारे वहां भेड़ और बकरियां मर गईं, 28 और 1 तारीख की बरसात से मर गईं; अभी वाली जो हुई बरसात उससे पहले। उसको भी देखें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, गायों का विशेषकर ध्यान रखें क्योंकि स्थिति अच्छी नहीं है।

इस बात को ध्यान में रखते हुए, अकाल को ध्यान में रखते हुए जैसलमेर का ध्यान रखें।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। आपका पाइंट आ गया।

श्री शैतानसिंह (पोकरण): उसमें छोटे और बड़े किसानों को अलग-अलग नहीं किया जाये।

श्री अध्यक्ष: बिलकुल नहीं करेंगे। श्रीमती मंजू बाघमार।

डा. मंजू बाघमार (जायल): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार राजस्थान में आज अतिवृष्टि की स्थिति हुई है और उससे किसानों की जो फसलें चौपट हो गई हैं, उससे निश्चित रूप से पूरा सदन इस पर बहुत गम्भीर है। पूरा सदन एकमत होकर किसानों की इस समस्या पर चर्चा कर रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से कुछ बातें बताना चाहूंगी। कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में 141 गांवों में से 55 गांव इससे प्रभावित हुए हैं। जीरा और इसबगोल की फसलें पूरी तरह से इससे प्रभावित हो गई है। मैं इस बारे में सरकार से निवेदन करना चाहूंगी कि एक आपदा विशेषज्ञ समिति बनाई जाए जिसके अन्दर पटवारी, ग्राम सेवक, सरपंच, व्यवस्थापक और जो प्रभावित किसान हैं, वे उस समिति के अन्दर हों ताकि वे हर गांव का अच्छी तरह से आकलन कर सकें। इसके अलावा, सर्वे का जो कार्य है वह 3 दिनों के अन्दर करवा लिया जाये और 7 दिनों के अन्दर उन किसानों को मुआवजा दे दिया जाए। इसके अलावा, हर काश्तकार को एक इकाई माना जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं यह भी बताना चाहूंगी कि मुआवजा केन्द्रीय आपदा राहत कोष से जो हमें मिल रहा है, उससे हटकर हमें अपना एक बजटीय प्रावधान भी करना चाहिए जिससे किसानों को जो इस

(डा. मंजू बाघमार)

प्रकार की आपदा आती है, उसके लिए प्रावधान किया जाए। उसके लिए केन्द्र से भी मांग की जाए।

जितना नुकसान किसानों को हुआ है, चाहे 10 परसेंट हुआ है, चाहे 20 परसेंट हुआ है, उतना का उतना ही मुआवजा उन्हें दिया जाए।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। पाइंट आ गया आपका। हाथ नीचे कर लें, मैं सबको मौका दूंगा।

श्री तरुण राय कागा।

श्री तरुण राय कागा (चौहटन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे यह जो कुदरती आपदा हुई है, इसके बारे में बोलने का मौका दिया। इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं।

मैं हमारे आपदा मंत्री और हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने इस बहुत संवेदनशील मुद्दे पर हमारे जिले के सभी अधिकारियों को इसका निर्देश देकर इसका आकलन करने के जो निर्देश दिये हैं, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

हालांकि मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, जो बाड़मेर जिला है, अभी जैसा हमारे शैतान सिंह जी ने भी कहा, हमारे बाड़मेर और जैसलमेर का तो अकाल से चोली-दामन का सा साथ है।

हमारे हमेशा ही अकाल पड़ता रहा है। इस साल भी मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करूं तो तीन पंचायत समितियां और दो तहसील हैं, वहां, जिनमें से पूरी चौहटन तहसील और सेड़वा का आधा भाग, आंशिक रूप से अकाल की विभीषिका से ग्रसित है। उसके लिए हमारे क्षेत्र में पशु मर रहे हैं। वहां कोई पशु चारा डिपो नहीं खुला है। पशु भूखे मर रहे है।

खरीफ की फसल में तो कोई मुआवजा नहीं, लेकिन हमारी जो रबी की फसल है और हमारी जो जीरे और इसबगोल की फसलें हैं वे बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। हमारे वहां एक कहावत है और एक गीत भी गाते हैं, जीरो मत बाइजे, जीरो दिल रो बैरी; यह हमारे कहावत के अनुसार ही होता है। यह सब बहुत मासूस फसल है। ऐसी मासूस फसल है कि शीत लहर से भी जीरा प्रभावित हो जाता है।

श्री अध्यक्ष: आप विराजें, आपकी बात आ गई।

श्री तरुण राय कागा (चौहटन): हमारा निवेदन है कि उनको ... (व्यवधान) मुआवजा दिलाया जाए।

श्री अध्यक्ष: अब जीरो नहीं बावंगा। विराजो। मेवारामजी जैन।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे राजस्थान में जिस तरह से आपदा का पूरा कहर ढाया गया है, मैं बाड़मेर जिले के लिए कहना चाहूंगा कि बाड़मेर के अन्दर बाड़मेर जिला दो प्रकार से ग्रसित है, एक तो जितनी फसलें थीं, जिनमें जीरा और इसबगोल की फसल, वे मामूली बरसात हुई तो ही पूरी चौपट हो गईं, और जिस तरह से सर्वे है कि 50 परसेंट खराबा मानकर और उस ढंग से यह सर्वे होगा तो यह हमारे साथ कुठाराघात होगा।

हमारा आधा जिला तो दो फसली है और आधा बिलकुल दो वर्षों से अकाल से ग्रसित है जहां हजारों गायें मर रही हैं। तीन महीने शिविर चलाया, यदि शिविर नहीं चलाते तो गायें एक जगह इकट्ठी नहीं होतीं। तीन महीने शिविर चलाकर उन शिविरों को बन्द कर दिया। वहीं हजारों गायें उन शिविरों में आई हुई थीं, वे मर रही हैं। सरकार से कई बार निवेदन किया है, कि तीन महीने के बाद हम चलाएंगे नहीं। तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि ये हजारों गायें, एक तरफ हम कह रहे हैं गौ भक्त, गायों की सेवा और एरिया है जो पशु गौ धन के ऊपर भी निर्भर है। वह जांच करा लें, वहां आपको हजारों गायें मरी हुई मिलेंगी।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इन शिविरों को शुरू करें, गायों को भी बचाएं और फसलों का मुआवजा भी दिलाया जाए।

श्री अध्यक्ष: विराजें। श्री ज्ञानदेव आहूजा। (व्यवधान) आएगा, आपका नम्बर भी आएगा। तीन इधर, फिर इधर। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन में राजाखेड़ा के माननीय सदस्य के प्रस्ताव पर आपने जो सहृदयता दिखाई और पूरे सदन ने सहमति व्यक्त की और प्रश्न काल स्थगित हुआ, उसके लिए आपको धन्यवाद। धन्यवाद, आपको और सरकार को भी कि बिना कहे ही सदन के माननीय नेता ने और राहत मंत्री गुलाब जी कटारिया ने भी अपना जवाब दिया।

श्री अध्यक्ष: आप अपने पाइंट रखो। (व्यवधान) आप बैठिए, डिस्टर्ब मत कीजिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, अलवर जिला एन सी आर में है और एन सी आर का जो एरिया है दिल्ली का, उत्तरांचल और उत्तराखण्ड की और हिमाचल और जम्मू-कश्मीर की सीधी ठण्डी हवाएं वहां काम करती हैं, बर्फीली हवाएं बहुत काम करती हैं। मेरे जिले में और विशेषकर मेरे विधान सभा क्षेत्र में तीन-तीन बार ओलावृष्टि हुई है और तीन-तीन बार अतिवृष्टि हुई है। अब सर्वे-सर्वे की बात कर रहे हैं, अब सर्वे की तो कोई बात रही नहीं, सौ प्रतिशत नुकसान हुआ है। इसलिए बिना सर्वे के ही मापदण्ड निर्धारित करके मुआवजा हो, राहत हो और बैंकों से कर्जा-माफा हो और बिजली के बिल स्थगित न हों, खतम हों; वसूल नहीं किए जाएं और सहकारी बैंकों से और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जो बीमा लागू हुआ, उस बीमे के नाते से किसानों को फायदा हो। ये चार पाइंट है।

श्री अध्यक्ष: श्री हरिसिंह रावत। (व्यवधान) हरिसिंहजी रावत। मैंने उनका नाम पुकारा है। आप हाथ नीचे कीजिए। (व्यवधान) हरिसिंह रावत।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं आपको भी।

श्री अध्यक्ष: अब तो धन्यवाद देने का ही रह गया है, सब पाइंटस आ गये हैं।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे ज्यादा अगर कोई नुकसान हुआ है तो मेरे विधान सभा क्षेत्र में हुआ है जिसमें करीबन 6 तो जानें गई हैं। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह शिकायत कर रही हैं माननीय सदस्या कि आप महिलाओं की तरफ कम ध्यान देते हैं। यह शिकायत है।

श्री अध्यक्ष: किसी महिला ने मेरे ऊपर आज तक कोई कृपा नहीं की1 अब मैं क्या कहूं? (व्यवधान)

श्रीमती कमसा (भोपालगढ़): मैं अबकी बार रक्षाबन्धन पर राखी लेकर आ रही हूं। राखी बांधने वाली हो गई मैं।

श्री अध्यक्ष: विराजो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ये राखी लेकर आ रही हैं आपके लिए, लेकिन मैं यह देख रहा हूं, आजकल आप ध्यान ही महिलाओं की ओर दे रहे हैं।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, 14 मार्च, 2015 को ऐसा आतंक हुआ है हमारे यहां पर, ऐसे ओले और बिजली गिरी कि मेरे क्षेत्र में दो सगी बहनें थीं, एक तहसील करेरा से और एक राशी से; अपने मामा की डैथ हो गई वहां पर...

श्री अध्यक्ष: ये किस्से मत सुनाओ, पाइंट बताओ।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि दो जवान मौतें हो गईं। वे अपने खेतों में गई थीं कि हमारे मामा की फसल नष्ट हो जाएगी; वह लेने गई, बिजली गिरने से दोनों बहनों की मौत हो गई। दूसरा, उसके अलावा वहां चार आदमियों की मौत हो गई, एक तो संजू देवी-हेमराज; लता वाइफ आफ प्रभु लाल; गीता देवी-सोहन सिंह; प्रेम सिंह सन आफ खींव सिंह; परतोमा-चौड़ा; और एक दस साल का बच्चा, वह भी पानी में बह गया।

तो इस प्रकार, 388 तो भेड़ें हमारी बह गईं, ओलावृष्टि से मर गईं और 150 घरों का नुकसान हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, 150 घर जो कच्चे, केलू के थे, उनमें एक बच्चा भी मर गया और उनके घरों में जितना भी सामान, अनाज, कपड़े, बिस्तर, वगैरह थे, वे सब भीग गये और वे पड़ोस में जाकर शरण ले रहे हैं। करीब 70-80 लोग केलू पड़ने से उनके शरीर पर चोटों के निशान पड़ गये। वे हास्पिटल में हैं, पी एच सी और सी एच सी में हैं।

श्री अध्यक्ष: आ गया पाइंट आपका। श्रीमती अनीता।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जिनको चोटें लगी हैं, उनको भी मुआवजा दिलाया जाएं।

श्रीमती अनीता (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी संवेदनशीलता और गम्भीरता के लिए धन्यवाद। मैं तो तीन पाइंट रखना चाहती हूं कि जो अकाल राहत के काम चलाये जाते हैं, जब आपदा प्रबन्धन की बात होती है और जिस प्रकार से ओलावृष्टि और अतिवृष्टि हमारे भरतपुर जिले में हुई है, उसमें जो सीमा रख रखी है लघु किसान की, जो सीमान्त किसान हैं, लघु किसान हैं, केवल उनके लिए है कि दो हैक्टेयर है, या चार हेक्टेयर है, उससे ज्यादा ली जाएगी। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगी कि

(श्रीमती अनीता)

जो सीमा है दो हैक्टेयर की, उसको ज्यादा बढ़ाना चाहिए, ताकि किसानों को फायदा मिले।

चालीस परसेंट और पचास परसेंट के बीच खराबे की बात है माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है कि आप इसमें बीच में इंटरफीयर करके जो मुआवजा राशि है, चालीस परसेंट भी यदि किसी की है, उसको भी मुआवजा राशि देनी चाहिए। जो पशु धन, भरतपुर जिले में जिस प्रकार से पशु धन का अतिवृष्टि और ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है उसका भी नुकसान इसमे शामिल करना चाहिए।

एक बात और संवेदनशील है कि जो गिरदावरी होती है पटवारियों के द्वारा, पटवारी अपनी मनमर्जी से सब जगह फसल के नुकसान का आकलन करते हैं। मेरा आपसे निवदेन है कि इसमें जन-प्रतिनिधि, किसान और उप खण्ड स्तर पर एक अधिकारी हो, जो इस बात का आकलन करें। जो किसान जाकर कहे कि मेरे यहां पर पचास परसेंट, साठ परसेंट, नब्बे परसेंट नुकसान हुआ है, तो पटवारी वहां जाकर स्पेशल उस खेत को भी देखकर आये। अक्सर यह देखा गया है कि पटवारी जाता है और फौरी तरीके से देख लेता है और फौरी तरीके से उसका आकलन बना लेता है कि इतना नुकसान हुआ है। प्रत्येक खेत की, प्रत्येक किसान, जो रिपोर्ट करे, उसका भी होना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि बीमा की जो राशि है, जो क्रय-विक्रय से वह खाद खरीदता है, तो भी बीमा की राशि कटती है और किसान क्रेडिट कार्ड बनवाता है, तब भी बीमा की राशि कटती है। बीमा की राशि कटने के बावजूद भी किसान को अतिवृष्टि में, ओलावृष्टि में बैंकों की ओर से और क्रय-विक्रय को-आपरेटिव की ओर से कोई बीमा की राशि नहीं दी जाती है। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि जिस किसान की बीमा की राशि कटी है, जिसका भुगतान किया है, उस किसान को बीमा के अन्दर कवर करके बीमा की राशि दी जाए।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। न्यांगलीजी। (व्यवधान) सबका ले लेते हैं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): हमारा भी है या नहीं? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सब तरफ देख रहा हूं। आप बैठिये, आप तो पर्ची पर हैं। आप तो ...(व्यवधान) कर चुके...(व्यवधान) बैठिए। आप बैठिए। न्यांगलीजी।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज अतिवृष्टि और ओलावृष्टि पर जो चर्चा है, इसमें मैं निवेदन करना चाहूंगा, इसमें

(श्री मनोज कुमार)

सभी जिलों को शामिल किया जाए। सभी जिलों में जिस भी गांव में, जिस भी क्षेत्र में नुकसान हुआ है, उसमें प्रत्येक गांव को शामिल किया जाए।

दूसरा मेरा निवेदन है, जैसा अभी माननीय सदस्य कह रहे थे, पटवारियों की वास्तव में हालत है कि वे किसी भी किसान के खेत में जाकर उसका सर्वे नहीं करते। घर बैठे ही अपना सर्वे का आंकड़ा भेजते हैं। उन पर मानिटरिंग की जाए और मानिटरिंग करके सर्वे करवाया जाए और हर किसान के हर खेत में जाकर सर्वे करवाया जाए।

श्री अध्यक्ष: बहुत अच्छा सुझाव है।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): मेरा एक और है, सार्वजनिक सम्पत्तियों का भी बहुत सारा नुकसान हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सड़कें हैं गांवों की और जो आने-जाने के रास्ते हैं, उनको भी पूर्णत: शामिल करके इसको दिखाया जाए और इनका पूरा काम आपदा प्रबन्धन में करवाया जाए।

श्री अध्यक्ष: विराजिए, हो गया।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): इसके साथ ही, विशेषकर, राज्य सरकार एक पैकेज तय करे और आपदा का जो आंकड़ा है, वह सरकार अपना पैकेज तय करके जनता को दे।

श्री अध्यक्ष: पैकेज आ गया। श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा।

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर): अध्यक्ष महोदय, पूरे नागौर में इस ओलावृष्टि से बहुत नुकसान हुआ है। इसबगोल और जीरा की फसलें बिलकुल ही समाप्त हो गई हैं। मैं मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि इसके सर्वे की जरूरत नहीं है, इसका नुकसान पूरा मान लिया जाय। जीरे और राइडे में बहुत नुकसान हुआ है। हमारे यहां जो गरीबों के घर हैं, झोंपड़े हैं, उनका भी सर्वे किया जायं। हमारे एरिये में जानवर बहुत मरे हैं। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि जो किसानों को ऋण दिया गया है, उस ऋण को आज ही माफ करें। यही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: बहुत अच्छा। गोतम कुमार।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पिछले साल भी ओलावृष्टि हुई थी और उस ओलावृष्टि में किसानों को बहुत नुकसान हुआ था। उस नुकसान के लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदया, आपदा मंत्री महोदय ने अच्छी-खासी संख्या में किसानों को मुआवजा दिलाया था।

(श्री गोतम कुमार)

लेकिन जहां कहीं पटवारी इस तरह के थे, पटवारी लेजी भी होते हैं, कोई उनको लिस्ट बनानी होती है। तो वे सोचते हैं कि यह परेशानी का काम है, इसमें हमें कुछ मिलेगा नहीं। तो गांव वंचित रह जाते हैं। एक तो रिपोर्ट जाती है तो किसानों को पता ही नहीं लगता कि गिरदावरी कब हुई। पटवारी तो उस समय कह देता है कि आपका खराबा भेज दिया।

श्री अध्यक्ष: यह तो आ गया।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी): जब मुआवजा आता है, तब उन्हें पता लगता है कि हमारे गांव का नम्बर नहीं आया।

मेरा आपसे आग्रह है कि उनको बाद में भी सुना जायं और उनकी बाद में जांच भी करायी जाय। ऐसे पटवारी जिन्होंने रिपोर्ट सही नहीं भेजी है, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय। अभी तक कोई ऐसा विषय नहीं आया है जिसमें पटवारियों के खिलाफ, या गिरदावरी, या जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही का कोई नहीं आया। मेरे यहां पिछली बार भी ओलावृष्टि हुई थी जिसमें कई गांव और पंचायतें रह गयी थीं।

श्री अध्यक्ष: आपका पाइंट आ गया है।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी): तहसील मुख्यालय पर जो बारिश मापने का मापदण्ड रखा है उसको थोड़ा दूर कराया जाय। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सबको दे रहा हूं मैं। श्री गुरजण्ट सिंह।

श्री गुरजण्ट सिंह (सादुलशहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, गंगानगर में मेरी विधान सभा क्षेत्र में हिन्दुमल कोट में एक साल में तीसरी बार नुकसान हुआ। उसमें क्या हुआ कि पिछली बार भी काफी नुकसान हुआ और उस नुकसान के लिए माननीया मुख्य मंत्रीजी, राहत मंत्रीजी ने हमें मुआवजा दिया। दूसरी बार वहां बारिश का तूफान आया, बारिश की वजह से मकान भी ढह गये। एक साल में तीसरी बार इतना नुकसान हुआ है। मेरे यहां 31 गांव हैं जहां कणक, चने बरबाद हो गये हैं। कल 4.30 बजे बारिश हुई है, शायद उसकी रिपोर्ट यहां अभी तक नहीं पहुंची।

मैं चाहता हूं कि जैसे पटवारी गिरदावरी करते हैं, वे तुरन्त करें। जिस फसल के एक गिड़ा लग गया, वह बूटा पूरा का पूरा पांच दिन बाद नष्ट हो जाता है।

(श्री गुरजण्ट सिंह)

मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप हम लोगों को एक दिन की छुट्टी दे दें; जिन लोगों का नुकसान हुआ है, लाखों रुपये का नुकसान हो गया, हम चाहते हैं कि उनके घर में अफसोस भी करें और उनकी जो कोई कमी आयें तो उसके लिए अफसरों से मिलकर कोशिश करें। हम उस नुकसान की भरपाई के लिए चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष: सदन तय कर लेगा, मुझे एतराज नहीं है। विराजें। श्री मलिंगा।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो 2,200 रुपये बीघे की रेट है, एक किसान की एक बीघा में करीबन 10 से 12 हजार रुपये की लागत लग जाती है, इससे किसान का भला होने वाला नहीं है। मेरा मंत्रीजी से निवेदन है कि किसान को कम से 25 हजार बीघे की मुआवजा रेट दी जाय।

मंत्री महोदय, मेरा एक पाइंट और है। जिस किसी के कच्चे मकान गिर गये, या किसी के मकान में आग लग जाती है, तो इसके लिए सरकार 1,500 रुपये मुआवजा देती है। 1,500 रुपये से उसकी छान के लिए लकड़ी भी नहीं आती और उसकी छान के लिए तो पूरा पड़ता ही नहीं है। मेरा निवेदन है कि इसको कम से कम 10 हजार रुपये बढ़ाकर किया जाय। वह गरीब व्यक्ति है, वह अपने रहने के लिए झोंपड़ी भी नहीं डाल पाता। 1,500 रुपये में आज के जमाने में क्या आता है, यह तो आप भी जानते हैं।

दूसरा, किसान ने जितना लोन ले रखा है, चाहे किसी ने ट्रैक्टर उठा रखा है, चाहे किसी ने इंजन उठा रखा है, उसने खेती के लिए ही तो लोन लिया है। वह किसान ही तो है। जैसे पहले कांग्रेस सरकार ने, केन्द्र ने वह लोन माफ किया था मनमोहन सिंहजी के पीरियड में, मेरा निवेदन है कि उसी तरह से, चाहे हमारी राज्य सरकार करे, चाहे केन्द्र सरकार करे, किसानों के जितने लोन हैं उनको समाप्त किया जाय और उनसे कोई वसूली नहीं की जाय।

श्री अध्यक्ष: श्री शंकर सिंह राजपुरोहित। (व्यवधान) सबका आएगा नम्बर, आप चिन्ता ही मत करो।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बेमौसम बरसात या आपदा होती है, यह समूचे एरिये में नहीं होती है। एक ही खेत में जैसे एक फसल इधर है और दूसरी फसल इधर है, एक खेत में एक

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

जगह तो नुकसान हुआ, लेकिन दूसरी जगह नहीं होता है। इसलिए जिस किसी किसान की फसल में नुकसान हुआ है, उसको माना जाय। यह कहें कि खेत में नहीं हुआ, एक फसल का नुकसान हुआ है; तो उसका नुकसान भी दिया जाय।

दूसरा, पशु धन का चारा तो बिलकुल खतम हो गया है। इसलिए उनके चारे की व्यवस्था करनी है। आदमी कहीं भी जाकर कमाकर खा लेगा, कुछ भी कर लेगा, लेकिन पशु कहां जाएगा? मूक पशु के लिए चारे की व्यवस्था करनी है।

दूसरी बात, जिस प्रकार से मुख्य मंत्री महोदया ने 2008 में तुरन्त प्रभारी सचिव को फील्ड में भेजा था उस जिले में, उस जिले के प्रभारी सचिव वहां गये, जन-प्रतिनिधि भी गये; इसलिए, जैसा पहले कहा है, एक दिन सदन की छुट्टी रखकर, हमको और प्रभारी सचिव को भेजकर इस नुकसान का आकलन कराएं।

श्री अध्यक्ष: आ गया सुझाव। दिव्या कुमारीजी।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): दूसरा, जीरा थोड़ी सी हवा में भी खराब हो जाता है।

श्री अध्यक्ष: यह पाइंट आ गया।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): एक विषय और है। मौसम विभाग को कम से चेतावनी देनी चाहिए थी कि मौसम खराब हो रहा है। उसकी कोई चेतावनी नहीं आयी।

श्री अध्यक्ष: वह रोज दे रहा है। अब आप विराजिए।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक विषय और उठाना चाहता हूं कि चिकित्सा विभाग को भी अपने को अलर्ट करना पड़ेगा। आपदा के बाद में वहां पर चिकित्सा के माध्यम से, वहां कोई मौसमी बीमारियां जाग्रत हो जायं। वे बीमारियां न हों, इसके लिए हमें चिकित्सा विभाग को भी अलर्ट करना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। चिकित्सा मंत्रीजी ने सुन लिया। दिव्या कुमारीजी। आप बैठिए।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रतिपक्ष के बंधुओं से यह कहता हूं, जिस प्रकार से सरकार ने, सदन की नेता ने, आपदा मंत्री ने किया है, उसके लिए बात कहते समय

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

धन्यवाद भी दें जिससे जनता को भी यह लगेगा कि पूरे सदन ने एकमत से किया है।

श्री अध्यक्ष: दिव्या कुमारीजी।

राजकुमारी दियाकुमारी (सवाई माधोपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि इस संवेदनशील मुद्दे पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

मेरे विधान सभा क्षेत्र सवाई माधोपुर में 90 परसेंट से ज्यादा फसलों का नुकसान हुआ है। कल जब मैं दौरे पर गई थी, एक बात मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहूंगी, मेरे साथ पटवारी भी थे और तहसीलदार भी थे, उन्होंने यह बताया कि इस बार सिर्फ गेहूं की फसल को ही लिया जाएगा। लेकिन मेरे क्षेत्र में नुकसान सभी फसलों का हुआ है। सरसों का भी हुआ है, चने का भी हुआ है और हमारी अमरूद की भी काफी खेती होती है, उसका भी बहुत नुकसान हुआ है। नुकसान सभी चीजों का लेना चाहिए। सिर्फ एक ही चीज का क्यों?

दूसरा, जो परसेंटेज है, फिफ्टी परसेंट एण्ड अबोव, ऐसा क्यों? जो एक्चुअल में नुकसान हुआ है, चाहे 20 परसेंट हुआ हो, चाहे 90 परसेंट हुआ हो, एक्चुअल में उनको मुआवजा मिलना चाहिए।

बिजली के बिलों में भी उन्हें राहत मिलनी चाहिए; अभी जो बिल आएंगे, उनमें भी, और आगे आने वाले बिजली के बिल आएंगे, उनमें भी।

बाकी इंश्योरेंस भी उन्हें मिलता नहीं है। को-आपरेटिव बैंक से उन्होंने ऋण लिये हैं, उनमें भी उनको राहत मिलनी चाहिए। यह मैं आपके माध्यम से आपदा मंत्रीजी से कहना चाहूंगी। आगे एक चीज और कहना चाहूंगी कि हमारे आदरणीय प्रधान मंत्रीजी ने सोइल कार्ड का सूरतगढ़ में लांच किया था, वह एक्चुअल में कब तक इंप्लीमेंट होगा? क्योंकि उससे किसानों को बहुत फायदा मिलेगा। वह बहुत अच्छी योजना है और उसका इंप्लीमेंटेशन भी जल्द से जल्द होना चाहिए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए। पब्बारामजी विश्नोई।

श्री पब्बाराम (फलौदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, धन्यवाद। मैं मुख्य बिन्दुओं पर ही आता हूं।

श्री अध्यक्ष: बहुत अच्छा। मुख्य बिन्दु ही बोल दीजिए।

श्री पब्बाराम (फलौदी): हमारे फलौदी और बाप उपखण्ड हैं, वहां पर खरीफ के समय में अनावृष्टि हुई और 80 प्रतिशत से अधिक गांव अभावग्रस्त हैं। पूरे भारतवर्ष में यह सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। पहले से ही जो अकालग्रस्त है, उसमें 'कोढ़ में खाज' का काम इस बरसात और ओलावृष्टि ने किया है।

एक विशेष निवेदन है और एक मौलिक विषय मैं उठा रहा हूं कि हमारे क्षेत्र में अधिकतर जीरे और इसबगोल की खेती की जाती है। जीरे और इसबगोल की जो कीमत है, गेहूं की फसल जितने रकबे में बोयी गयी है उतने रकबे में जीरा और इसबगोल बोया गया है उससे पांच गुना अधिक कीमत का वह होगा। अब उसको कीमत की दृष्टि से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है; पांच गुना अधिक नुकसान हुआ है।इस बात को इंगित किया जाना चाहिए। विशेष तौर से लिया जाना चाहिए कि कीमत की दृष्टि से किसान को कितना नुकसान हुआ है, यह ध्यान रखने की आवश्यकता है। विशेषकर जीरे में बरसात के चार दिन बाद में पता चलेगा, उसका रंग बदरंग हो जाएगा तब उसका पूरा पता चल जाएगा, परन्तु अगर उसी समय जाकर उसकी हरेक टहनी को देखकर आएंगे तो उसका पूरा आकलन नहीं हो पाएगा। मेरा निवेदन है कि अंतिम बरसात के तीन दिन बाद में जाकर देखेंगे तो वह पूरा खेत काला मिलेगा।

श्री अध्यक्ष: आ गया, आपका पाइंट आ गया है। एक बात और कह दीजिये।

श्री पब्बाराम (फलौदी): एक बात और निवेदन करता हूं। 2009-10 के अन्दर फैट नाम का तूफान हमारे पश्चिमी राजस्थान में आया था। मुझे याद है कि पूरा पश्चिमी राजस्थान उससे प्रभावित हुआ और व्यापक जन-धन, फसल की बरबादी हुई। परन्तु उस समय तत्कालीन सरकार ने इतनी संवेदनशीलता से उस पर एक्शन नहीं लिया। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि सदन की नेता और आपदा प्रबन्धन मंत्रीजी का हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहिए कि उन्होंने इतनी संवेदनशीलता के साथ में, सदन के बगैर आग्रह के ही, इस पर कार्यवाही की। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: विराजिये आप। श्री रमेश। शार्ट में बोलिये।

श्री रमेश (सपोटरा): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, 26 जिलों में जो अतिवृष्टि से नुकसान हुआ है, उसमें करौली जिले को भी सम्मिलित किया जाए। यहां पर भी 80 प्रतिशत से अधिक नुकसान हुआ है।

(श्री रमेश)

मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है, आपदा प्रबन्धन मंत्रीजी बैठे हैं, जो ओलावृष्टि से प्रदेश में करीब 18-20 मृत्यु बताई हैं, उनसे ज्यादा व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। इसलिए उनके परिवारों को आर्थिक सहायता के रूप में 10-10 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए और जो घायल हुए हैं, उनको 1-1 लाख रुपये की सहायता दी जाए। इसके अलावा, कुछ ऐसे गरीब परिवार हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर थे और उनके परिवार के सदस्य की मृत्यु हो गई। तो उनको बी.पी.एल. की श्रेणी में जोड़ा जाए।

साथ ही खेत को एक यूनिट मानकर मुआवजा दिया जाए। 10-20-30-40 प्रतिशत वाला जो नुकसान होता है, वह सरकार दे नहीं पाती, क्योंकि भारत सरकार के, फसल बीमा योजना के माध्यम से नार्म्स बने हुए हैं। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार की तर्ज पर यहां पर भी जितना नुकसान हो, उतना मुआवजा सरकार दिलाये। जो सरकार 12 हजार रुपये प्रति एकड़ या बीघा के हिसाब से मुआवजा दिलवाती है, वह बहुत कम रहता है। इससे जिसके एक लाख का नुकसान हुआ है, उसको दस हजार रुपये मिलेंगे। उसका पूरा जीवन, पूरे साल भर का सिस्टम उसी पर डिपेंड रहता है और यह सरकार उसको दस हजार रुपये देगी तो वह ऊंट के मुंह में जीरा जितना है। इसलिए इस मुआवजे की राशि को बढ़ाया जाए।

श्री अध्यक्ष: बहुत अच्छे सुझाव दे दिये आपने। बहुत अच्छे सुझाव हैं, विराजिये।

श्री रमेश (सपोटरा): मेरे विधान सभा क्षेत्र में अभी इस अतिवृष्टि से करीब 30 भेडें और 8 आदमी घायल हो गये हैं तथा पूरी फसल चौपट हो गई है। इसके अलावा, उनकी सम्पत्ति और झोंपड़ियों में जो गरीब रहते थे, उनकी झोपड़ियां भी नष्ट हो गई हैं। इसलिए उनका मुआवजा भी सरकार दिलाये, इसका ध्यान रखें।

इसके अलावा, जो फसल बीमा योजना के नियम हैं, उनमें राज्य सरकार सरलीकरण करवाये, भारत सरकार को भेजे, जिससे आम आदमी को फायदा हो।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। श्रीमती सुशील कंवर। विराजिये, हो गया आपका। पाइंट आ गया आपका।

श्री रमेश (सपोटरा): हमारे कृषि मंत्रीजी ने यह बात पूर्व सरकार के समय रखी थी, आज कृषि मंत्रीजी भी यहां नहीं हैं, मेरा निवेदन है राज्य सरकार से कि उचित मुआवजा मिले।

श्री अध्यक्ष: रमेशजी, आपका पाइंट आ गया है। वे बहुत कम बोलती हैं। पाइंट आ गया है। श्रीमती सुशील कंवर।

श्रीमती सुशील कंवर (मसूदा): माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

यह सारे विधान सभा क्षेत्रों की समस्या है। हमारे मसूदा विधान सभा में यह बेमौसम की जो दो दिन से बरसात हुई है, इससे बहुत सारी फसलों जैसे गेहूं, जीरा, सरसों, चना है, इनका ओलों से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। हमारे ग्राम पंचायत हणुतिया है, उसमें बिजली गिरने से तीन लोग घायल हुए हैं। इसके अलावा, गुढाकलाई ग्राम पंचायत है, वहां एक गरीब का मकान गिरा है।

इसलिए मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूंगी कि 10 हजार रुपये तो मैंने मेरी तरफ से दे दिये लेकिन आपसे, सरकार से यही निवेदन है कि सरकार की ओर से जो भी मुआवजा मिले, उसके लिए जल्दी से प्रयास करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री शंकर लालजी। सबका नम्बर आ रहा है।

श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अखबारों के माध्यम से 26 जिलों का तो नाम आ गया लेकिन दौसा जिले का नाम नहीं आया। हम आस के ऊपर भी जिन्दा रहते हैं पर आस पर, उम्मीद कर रहे थे कि हमारे जिले का नाम आएगा। जिलाधीश से मालूम किया कि यह क्यों नहीं हुआ तो केवल मात्र वे यह कह रहे हैं कि बरसात तो ज्यादा हुई है पर ओले कम पड़े हैं। हमारे यहां पर काली मिट्टी है और 36 एम एम से 60 एम एम तक बरसात हुई है जिससे कई दिनों तक वह पानी जमीन में जाने वाला नहीं है। वह पानी पूरी फसल खराब कर देगा और केवल मात्र कीचड़ वहां पर रहेगा। न तो वहां पर चारा रहेगा और न अन्न रहेगा। जो चने की फसल कट चुकी, वह पूरी की पूरी अंकुरित होकर, किसके काम आएगी? यह आप देख लीजिए। ऐसी हालत में दौसा जिले का नाम नहीं दिया। इसलिए मैं आपके द्वारा हमारे मंत्री महोदय से यही निवेदन करना चाहूंगा कि उस जमीन की हालत को देखते हुए, जब वह पानी नहीं सोखेगी तो वह फसल आड़ी पड़ी हुई ही रहेगी। यही मैं निवेदन करना चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री जितेन्द्र गोठवाल। अब इधर का नम्बर है। तीन इधर के हो गये हैं तो अब इधर का।

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (खण्डार): अध्यक्ष महोदय, सरकार इस मुद्दे को लेकर कितनी संवेदनशील है यह तो दो दिन से हम अख़बार में पढ़ ही रहे हैं लेकिन हमारे खण्डार विधान सभा क्षेत्र में पिछले 15 दिन पहले जब बारिश आई थी, उस समय अधिकारियों द्वारा यह सर्वे भेजा गया था कि सरसों की फसल कट गई है और उसमें नुकसान नहीं होगा, जबकि सरसों की हमारी फसल खेत में पड़ी है, और उस सरसों की फसल में 100 प्रतिशत नुकसान होगा। अब अधिकारियों से बात करने पर उन्होंने कहा कि हम पहले जो रिपोर्ट भेज चुके हैं, उसको कैसे बदलें? माननीय मंत्रीजी से अनुरोध करता हूं कि इस ओर विशेष डायरेक्शन दिये जाएं कि जो फसल कट कर खेत में पड़ी हुई थी, उस फसल में विशेष तौर पर कुछ बचने वाला नहीं है, इसलिए उसका भी दुबारा से सर्वे कराया जाए।

दूसरा, मंत्री महोदय, पूरे सदन ने आपसे आग्रह किया है कि किसानों को बिजली के बिल में, के.सी.सी., सहकारी बैंकों में, इन सब में राहत दी जाएं, ताकि किसानों को आने वाले समय में असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। श्री महरिया।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): अध्यक्ष महोदय, पूरा सदन जिस मुद्दे पर चिंतित है,...

श्री अध्यक्ष: आप भी चिंतित हैं।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): पिछला समय, पिछला जो इतिहास है, उसमें भी सदन कई बार ऐसे मुद्दों पर संवेदनशील रहा है और सभी लोग चिंतित रहे हैं, लेकिन जब नीचे से सर्वे रिपोर्टस आती हैं, जब मुआवजे तय होते हैं, तो सीन दूसरा हो जाता है। इसलिए आपदा मंत्रीजी से निवेदन है कि ऐसा कोई फार्मेट बनाएं, सभी विधायकों को, जन-प्रतिनिधियों को ऐसी कमेटी में शामिल किया जाए, जिससे तहसील लेवल पर ग्रामवाइज जो भी सर्वे हो, उसमें उनकी भी सहमति हो, या उनसे भी डिस्कशन हो।

इसके अलावा, जिसको जितना नुकसान हुआ है, आज एक कार का, जीप का इंश्योरेंस होता है तो 100 रुपये का नुकसान होता है तो 100 रुपये इंश्योरेंस कम्पनी देती है, पूरा होता है तो पूरा देती है, परन्तु यह किसान के

(श्री नन्दकिशोर महरिया)

साथ क्या तमाशा है कि इंश्योरेंस के पूरे और 50 प्रतिशत होगा तो नहीं देंगे, 60 होगा तो दे देंगे! यह बन्द किया जाए और इंश्योरेंस कम्पनियों से जितना पैसा किसान को मिलना चाहिए, वह पूरा दिलाया जाए। जिन किसानों ने इंश्योरेंस नहीं कराई है, उनको सरकार पैसा दे और मुआवजा सही मिले।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। श्री शंकरलाल रावत।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): शंकर सिंह रावत हूं पर, अध्यक्ष महोदय ने शंकर लाल बुलाया, तो भी कोई बात नहीं है, अध्यक्ष महोदय प्रेम से कुछ भी बोल दें।

श्री अध्यक्ष: 'लाल जी' नहीं; 'सिंह साहब', बोलिये।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार किसानों के ऊपर यह आपदा हुई है, यह बहुत ही दुखद है। मेरे क्षेत्र में भी कानपुरा चौराहे पर बिजली गिरने से एक व्यक्ति की वहीं पर मौत हो गई और दो घायल हो गये, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया है।

अध्यक्ष महोदय, तीन बात कहूंगा।

श्री अध्यक्ष: तीन कह दीजिये पर फटाफट कह दीजिये।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): मैं सरकार को मेरी तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिस प्रकार कलक्टर महोदय को कहा और उन्होंने तुरन्त राहत पहुंचाकर डेढ़ लाख रुपये उसको मिल गये हैं। इसके लिए मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

किसानों के लिए बिजली के जो कनेक्शन दिये जा रहे हैं, फसल उनकी चौपट हो गई है, तो बिजली का सिंगल फेज का कनेक्शन काश्तकार को मिलना चाहिए, मेरी यह मांग है क्योंकि वहां किसान बुरी तरह से पिट चुका है। पशुओं के लिए किसानों को चारा मिलना चाहिए।

एक बात और कहूंगा कि जिस प्रकार हमारे इस सदन में जो अच्छे कार्य होते हैं उनके लिए सरकार की प्रशंसा भी करनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, किसी को गलत बताने से पहले यह कहते हैं कि यह सामने वाला गलत है, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ये तीन अंगुलियां वापस सामने आती हैं। इसलिए थोड़ा अपने अन्दर भी झांककर देख लें कि जब हम सरकार में थे, तब किसानों के कितने हितैषी थे। अगर हितैषी होते तो आज हमारी यह हालत नहीं होती।

(श्री शंकर सिंह)

तो इसलिए सदन के अन्दर अच्छा काम करना चाहिये, अच्छा व्यवहार होना चाहिए, किसानों की मदद होनी चाहिए। यह मेरा सरकार से निवेदन है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। विराजिये। श्रीमती कमसा मेघवाल। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: हमारी तरफ भी देखो, अध्यक्ष महोदय। अन्याय मत करो।

श्री अध्यक्ष: नहीं, मैं सब तरफ देख रहा हूं।

श्रीमती कमसा (भोपालगढ़): अध्यक्ष महोदय, आज किसानों पर यहां चर्चा हो रही है। किसान साल भर से अपने अरमान लगाकर बैठे हैं कि हमारी खेती है और हमारी फसल आयेगी, हम कुछ काम करेंगे। कुछ किसानों ने तो अपनी बेटियों की शादी भी तय की थी और आने वाली आखा तीज पर उन किसानों ने अपनी बेटी के लिए शादी तय की थी। जो यह फसल बरबाद हुई है, क्या सरकार, 18 साल की बेटी है उन किसानों की, उनको शादी-ब्याह के लिए पैसे देने की मंशा रखती है? यह भी अभी घोषणा करें।

मैं यह भी चाहती हूं कि जिनकी लम्बित ये फाइलें भरी हुई हैं उन किसानों को जल्दी से जल्दी कनेक्शन दिये जायें ताकि वे दुबारा अपनी खेती कर सकें। किसान इतना मजबूत होता है, उसको मिलता कुछ नहीं है लेकिन एक परिपाटी पड़ गई कि बिना खेती किये वह कुछ नहीं कर सकता है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि गांव को इकाई मानकर उनको जितना नुकसान हुआ है, उनको इतना मुआवजा दिया जाये।

कुछ पटवारी ऐसे भी हैं, अध्यक्ष महोदय, रात को 11 बजे सोते हैं और दिन के 12 बजे उठते हैं। ऐसे पंचायतों का वे कैसे सर्वे करेंगे? तो जिला लेवल पर एक कमेटी बनाई जाये। उस कमेटी के अन्दर जिला परिषद की बैठक हो। वार्ड पंच तक उस कमेटी में शामिल किया जाये तो वार्डवाइज समस्या जानकारी में आ जायेगी। फिर यहां वह सरकार के पास आये और उसके बाद उसका निर्णय हो कि कितना नुकसान हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, साल भर कर्मचारियों को तनख्वाह मिलती है और दीपावली के अन्दर उनको बोनस मिलता है, तो अब की बार वह बोनस किसानों को दिया जाये। कर्मचारियों के बोनस से उनको राहत मिलनी चाहिये।

(श्रीमती कमसा)

मैं यह भी कहना चाहूंगी कि हर गांव के अन्दर अकाल राहत कार्य भी खोले जायें। किसान ही है जो गौशालाओं के अन्दर अपना चारा भी देता है। तो गौशालाओं के अन्दर भी चारे के लिए गोदाम खोलने चाहिये और इसके लिए उनको अनुदान दिया जाये। मेरा आपसे यह निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। श्री हुड़ला। सबका नम्बर आ रहा है। सबका नम्बर आ रहा है। अब इधर से नम्बर आयेगा।

श्री ओमप्रकाश (महुवा): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपकी संवेदनशीलता को नमन करते हुए, सदन के सामने निवेदन करना चाहूंगा कि आदरणीय मुख्य मंत्री महोदया ने जिस प्रकार से 2008 में किसानों की ओलावृष्टि पर राहत पैकेज दिया था, यह पूरा सदन आशा रखता है सरकार से कि ठीक उसी तरह से, उससे बढ़कर राजस्थान के किसानों को मुआवजा मिलेगा।

साथ ही साथ, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा शाहबाद से आने वाले विधायक महोदय को कि उन्होंने अभी आपके बीच एक महीने की तनख्वाह देने का प्रस्ताव रखा और धन्यवाद देना चाहूंगा संसदीय कार्य मंत्री महोदय को, उन्होंने इस प्रस्ताव को तुरन्त ही आपके बीच निवेदन कर दिया और विपक्ष के लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस मुद्दे पर उन्होंने साथ देने का जो वादा किया। वे भी धन्यवाद के पात्र हैं।

मैं आपसे एक छोटी-सी बात निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार को कि जो व्यक्ति जंगल में रहकर उसकी फसल की रखवाली कर रहा हो, उस पर बिजली गिर जाये, तो मात्र डेढ़ लाख रुपये सरकार देने की बात करती है। आदरणीय मुख्य मंत्री महोदया ने पिछले बजट में कृषि में कार्य करने वाले किसान को पांच लाख रुपये देने की बात कही थी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि डेढ़ लाख रुपये से बढ़ाकर यह राशि, एक व्यक्ति जिस पर बिजली गिरी है, वह खेत की रखवाली कर रहा है, उसको मात्र डेढ़ लाख रुपया मिलता है और सरकार उसको पांच लाख रुपया देना चाहती है। यह कहां कमियां हैं? किन अधिकारियों की कमियां हैं? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस किसान को भी पांच लाख रुपये का मुआवजा दिया जाये। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री मालवीयाजी।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन में किसान से जुड़ी हुई समस्या और प्राकृतिक आपदा आई है, उस पर डिबेट हो रही है। बहुत अच्छी बात हो रही है।

मैं खरीफ की फसल की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और मुझे यह कहते हुए बड़ा दुःख है कि आज तो सब व्यक्ति कह रहे हैं कि हम यह दे देंगे, हम यह दे देंगे, हम यह कर देंगे; खरीफ की फसल को ठीक आठ महीने का समय हो गया, आठ महीने पहले मेरे विधान सभा क्षेत्र में पंचायत दमणिया में भूरा टीबा, गमणिया और मोटीटिंबी, तीन गांवों में इतनी हवा और पानी आया कि मकान समेत उठाकर 10-10 किलोमीटर दूर गुजरात तक ले गये, पेड़ टूट गये, मकान रहे नहीं। सरकार का कोई व्यक्ति वहां नहीं आया, बल्कि हमने सबने अनाज इकट्ठा करके उनको उस वक्त राहत दी। आज तक उस गरीब को एक रुपया नहीं मिला। कहीं ऐसा तो नहीं होने वाला है कि हम यह जो बात कह रहे हैं, वह सदन तक ही रह जायेगी। आठ महीने पहले जो घटना घटी, उस पर तो सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। आज भी वह गरीब बैठा हुआ है कि मुझे कब मदद मिलेगी। वह आदिवासी इलाका है। वह सुबह मेहनत करके शाम की रोटी खाता है और शाम को मेहनत करके सुबह का इंतजाम करता है। तो आठ महीने से उसको अभी तक कोई मदद नहीं मिली और कलक्टर तक मौके पर नहीं आये, कोई अधिकारी मौके पर नहीं आया। क्या हम उम्मीद कर सकते हैं?

इसलिए हम चाहेंगे कि उसकी पूरी मदद होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष: श्री खेमारामजी, सुजानगढ़ से आने वाले माननीय विधायक। मैं इधर भी आ रहा हूं, इधर भी आ रहा हूं। आ रहा हूं मैं।

श्री खेमाराम (सुजानगढ़): माननीय अध्यक्ष जी, आज जिस ढंग से इस सदन में किसानों के प्रति चर्चा हो रही है, सुजानगढ़ में कल शाम को साढ़े चार बजे से लेकर साढ़े आठ बजे तक भारी वर्षा हुई और बहुत ओले गिरे। उस कारण से हमारे सुजानगढ़ के किसानों को खेतों में बहुत भारी नुकसान हुआ है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि पूरे चूरू जिले में, विशेष तौर से रतनगढ़ और सुजानगढ़ में, रात को इतनी जबरदस्त बारिश हुई और किसानों को बहुत भारी नुकसान हुआ। तो उनको भी शामिल किया जाये। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती द्रोपदी मेघवाल। (व्यवधान) गलती हो गई। शिमला बावरी।

श्रीमती शिमला बावरी (अनूपगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि मेरे अनूपगढ़ विधान सभा क्षेत्र के लूणिया गांव के अन्दर एक किसान की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई। मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं हमारी मुख्य मंत्री महोदया वसुन्धरा राजेजी को, जिन्होंने तुरन्त ही डेढ़ लाख रुपये उस पीड़ित को देकर राहत पहुंचाई।

उसके साथ-साथ, रायसिंहनगर विधान सभा क्षेत्र के अन्दर भी दीवार गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अन्दर भी दीवार गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। उन पीड़ितों को भी मुख्य मंत्रीजी ने डेढ़ लाख रुपये देकर के राहत पहुंचाई।

इसके साथ-साथ, अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहती हूं कि पूरे गंगानगर जिले के अन्दर करणपुर, सादुलशहर, रायसिंहनगर और कुछ हिस्से में अनूपगढ़ में भी बरसात होने के कारण फसलों को नुकसान हुआ है। आप सभी विधान सभा क्षेत्रों में सर्वे करवाकर उन किसानों को मुआवजा दिलाने की कृपा करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: आ रहा है, आपका नम्बर भी आ रहा है। श्री बंसलजी।

श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा) (भरतपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद; देर आये, दुरस्त आये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 13, 14 और 15 तारीख की बेमौसम बरसात, ओलावृष्टि और तेज हवा के चलने से मेरे विधान सभा क्षेत्र भरतपुर और पूरे भरतपुर जिले में शत-प्रतिशत आलू, गेहूं, जौ, सरसों की फसलें नष्ट हो चुकी हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कल इलाके के दौरे पर मैं गया था, खेतों में गले-गले तक पानी पड़ा हुआ है। फसल चौपट हो चुकी है, गिर चुकी है लेकिन जो गिरदावरी चल रही है, वह सही ढंग से नहीं चल रही है। मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से अनुरोध है कि जो भी पटवारी और गिरदावर जाते हैं, उनके साथ पंच-सरपंच जायें और उसकी वीडियोग्राफी कराई जाये। तभी किसानों के साथ न्याय हो सकता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत, यह बात आ चुकी है कि बिजली के बिल...

श्री अध्यक्ष: जो आ चुकी है, उस पर मत बोलिये। कोई नई बात बोलिये।

श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा) (भरतपुर): ...किसानों को मुआवजा, लेकिन मैं यह अनुरोध करना चाहूंगा, माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय ने जो प्रस्ताव रखा था कि एक महीने का वेतन देंगे, एक महीने का वेतन विधायकों का केवल 15,000 रुपये होता है, जिसको वेतन कहते हैं। अगर खाली वेतन ही देने की बात है तो कम से कम सभी विधायकों का छह-छह महीने का वेतन दिया जाये।

श्री अध्यक्ष: चलो, विराजिये। श्री कैलाश चौधरी।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): अध्यक्ष महोदयजी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आज इस चर्चा पर सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारी मुख्य मंत्रीजी को कि जैसे दो-तीन दिन से बरसात आ रही है, वह बरसात होते ही कलक्टर्स को निर्देश दिये और जिस तरह से गिरदावरी रिपोर्ट बनाने को कहा है, तो मैं उसके लिए उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।

जिस प्रकार से 2008 के अन्दर, उस समय भी मुख्य मंत्रीजी ने जिस तरह से आपदा राहत दी, उसी तरह इस बार भी निश्चित रूप से हमारे किसानों को जो नुकसान हुआ है, उसकी राहत देंगे। लेकिन मेरा एक सुझाव भी रहेगा कि जो पटवारी है, पटवारी की रिपोर्ट कई जगह, जैसी बात भी आई, रिपोर्ट सब जगह सही नहीं आती है। कलक्टर उनको कई जगह निर्देश भी देते हैं कि आपको 50 प्रतिशत से ज्यादा नहीं देनी है...

श्री अध्यक्ष: यह पाइंट आ गया है।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): इसलिए मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि पटवारी के अलावा ग्राम सेवक या को-आपरेटिव के मैनेजर हैं, उनसे या अपने जो विधायक हैं, उनसे भी; उनकी भी एक अलग से रिपोर्ट बने। तो मेरा यह सुझाव रहेगा कि अलग-अलग सारी एजेंसियों से भी इनकी रिपोर्ट पहुंचे ताकि, वास्तव में, वास्तविक रिपोर्ट यहां पर सदन के अन्दर आ सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। विराजिये। स्थान ग्रहण कीजिये। श्रीमती गोलमा।

श्रीमती गोलमा (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, मेरे राजगढ़ क्षेत्र में पूरी फसल नष्ट हो गई है और दौसा जिले का नाम ही नहीं लिया है। दौसा

(श्रीमती गोलमा)

जिले में पूरी फसल चौपट हो गई है। वहां के कलक्टर और पटवारी मौके पर जाते नहीं हैं। ध्यान देकर सुनें, मंत्रीजी, आपके सुनने से ही पार पड़ेगी।

इससे जो आदमी मर जाता है उसको सरकार द्वारा दस-दस लाख रुपये देने चाहिए। मेरा आपसे यही कहना है।

अध्यक्षजी, मैं ज्यादा तो बोल नहीं पाती हूं आपके बीच में, परन्तु जनता को मुआवजा मिलना चाहिए और सरकार को उसको देना चाहिए। सरकार खूब गब्बर है, गब्बर है, सरकार को मुआवजा देना चाहिए जनता को। जनता का फसल में बहुत नुकसान हुआ है। गेहूं चना, सरसों का राजगढ क्षेत्र में और महुवा जिले में, सब जगह पूरे क्षेत्र में नुकसान हुआ है। इसका जनता को मुआवजा मिलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। श्री अभिषेक मटोरिया।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): अध्यक्ष महोदय, कृषि विभाग ने पारम्परिक खेती से हटकर हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों में किसानों को बाग़ लगाने के लिए प्रोत्साहित किया था। ये जहां-जहां हनुमानगढ़ और गंगानगर में बाग़ लगे हुए हैं, वहां पर भी बहुत बड़े स्तर पर खराबा हुआ है। बागों की भरमार है। विडम्बना यह है कि हमारे मुआवाज़े और सर्वे के अन्दर बागों को नहीं लिया जाता। यह छह माही फसल नहीं, पूरे साल की किसान की फसल है। इसके अन्दर बागों के नुकसान को भी लिया जाए।

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर औसत 12 क्विंटल के हिसाब से हम किसान की फसल को देखें और 50 प्रतिशत खराबा अगर उसमें इन्क्लूड किया जाए, जो कि छह क्विंटल बनेगा, जिसकी लागत और कीमत 9 हजार आएगी, और सरकारी मुआवजा केवल 3 हजार रुपये मिलता है। कहीं न कहीं यह किसानों के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाला है। क्यों न हम किसानों को प्रति बीघा उत्पादन और लाभकारी मूल्य के साथ उसको उतने रुपये दिये जाएं जिससे उसके छह महीने का गुजारा हो? अंतिम बात, अध्यक्ष महोदय,...

श्री अध्यक्ष: बहुत अच्छे।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): मुआवजा केवल 4 हैक्टेयर का दिया जाता है और किसी लिमिट के अनुसार, जो किसानों की लिमिट है, उसके बीच में जो काश्तकार आते हैं। जिनकी 18 बीघा, 20 बीघा, 24 बीघा जमीन है उनको किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जाता है। मेरा आपसे निवेदन है

(श्री अभिषेक मटोरिया)

कि 4 हैक्टेयर से बढ़ाकर, उन किसानों को भी मुआवजा दिया जाए। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: आप बोलिये। आपको कह रहा हूं, ये जो खड़े हैं। मदनजी आप बैठिये। इनको कहा है, वे बोल रहे हैं।

श्री संजीव कुमार (भादरा): अध्यक्ष महोदय, आज प्राकृतिक आपदा, ओलावृष्टि और अतिवृष्टि जैसे संवेदनशील मुद्दों पर सदन में चर्चा का आपने समय दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद देते हुए, मैं जो मुद्दे आज चाहे वह ऋण माफ करने का हो, नहरी आबियाना माफ करने का, बिजली के बिल माफ करने का हो, उसके अलावा मैं आपको छोटी-सी दो बातें निवेदन करना चाहता हूं। सरकार जैसे जो कुछ खराबा हुआ, 50 परसेंट से अधिक खराबा फसल के अन्दर हुआ है, लेकिन फिर जो कुछ भी बची-खुची फसल है किसानों की, उस फसल को, जैसे सरकार द्वारा उसके निर्धारित मूल्य पर जो खरीद की जाती है; मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उस खरीद पर जो बोनस सरकार द्वारा दिया जाता है, चाहे सरसों खरीद का हो, चाहे गेहूं खरीद का हो, उस बोनस को बढ़ाया जाए, ताकि जो कुछ बची-खुची फसल किसान की है उसमें किसान को राहत मिल सके।

दूसरा, मेरा छोटा-सा निवेदन यह है कि आज पूरा सदन किसान की समस्या से चिंतित है, हम जिस जिले से आते हैं, जिस क्षेत्र से आते हैं, वहां नरमा कपास, ग्वार, सरसों और गेहूं की फ़सलें ज्यादा बोई जाती हैं। तो जहां तक किसान का सवाल है, फसल केन्द्र पर जो खर्चा किसान का लगता है, उस खर्चे के मुताबिक भाव किसान को नहीं मिलता। निश्चित तौर पर, खर्चा जितना हमारा लगता है, उतना पैसा हमारे को मिले। किसान को उचित भाव मिले, इसके लिए भी सरकार द्वारा एक ठोस नीति बनाई जाए ताकि किसानों को राहत मिल सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: विराजें। भिण्डा साहब। तीन इधर के, एक इधर का। चालीस इधर हैं और एक सौ साठ इधर हैं।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय अध्यक्षजी, यहां मुआवजे की जो बात की जा रही है, यह किसान को कभी मुआवजा नहीं मिलता। किसान को केवल इनपुट सब्सिडी मिलती है; जो खर्च करता है उसकी सब्सिडी मिलती है, खाद और बीज की। बिजली का पैसा भी नहीं मिलता और जुताई

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

का पैसा भी नहीं मिलता है। इस कारण से मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इनपुट सब्सिडी नहीं देकर के मुआवजा दिया जाए और मुआवजा भी जो भारत सरकार का आयोग बना था, उसमें 25 हजार प्रति हेक्टेयर की बात कही है, उसके हिसाब से प्रति बीघा का साढ़े 6 हजार का मुआवजा बनता है और राजस्थान सरकार देती है 2,200 रुपये और जो असिंचित है उसको 1,100 रुपये देती है। इसमें एक तो परिवर्तन किया जाए।

दूसरा निवेदन यह है मेरा कि एक बार 6 अगस्त, 2010 में एक आदेश निकला था...

श्री अध्यक्ष: कहां पुराने में चले गये?

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): कि आधा डीज़ल फ्री किया जाए। किसानों के लिए इस प्रकार की स्थिति में उसको भी लागू किया जाए। यह दूसरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): तीसरा निवेदन है यह डेढ़ लाख नहीं, कृषि गतिविधि के लिए जो मुआवजा है किसान के मरने पर, उतना पांच लाख रुपये दिया जाए। ये तीन निवेदन हैं।

श्री अध्यक्ष: ठीक है। गीता वर्मा। ये बहुत कम बोलती हैं।

श्रीमती गीता वर्मा (सिकराय): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, आज अति संवेदनशील मुद्दे पर जो चर्चा हो रही है, मैं आपको अवगत कराना चाहूंगी कि पूरे 26 जिलों को इसमें लिया गया है लेकिन दौसा जिले को बिलकुल दरकिनार कर दिया गया है, जबकि, मैं आपको सदन के माध्यम से बताना चाहती हूं कि दौसा जिले में भी बहुत से किसानों की फसलें खराब हो चुकी हैं। वहां पर भी ओलावृष्टि हुई है, अतिवृष्टि हुई है और खास तौर से मेरे विधान सभा क्षेत्र सिकराय में भी पापड़दा गांव में ओलावृष्टि हुई है। बारिश होने के बाद जो हवा चलती है उससे बहुत सारे किसानों की फसल नीचे गिर चुकी है जिससे उनकी फसल का दाना, जो कि सरसों, गेहूं, चना और जो वहां की मुख्य फ़सलें हैं, वे फसलें खराब हो चुकी हैं।

(श्रीमती गीता वर्मा)

अत: मैं सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगी मंत्री महोदय से कि दौसा जिले की सभी विधान सभा क्षेत्रों की गिरदावरी कराई जाए और वहां के जितने भी किसानों को नुकसान हुआ है, उस नुकसान का उन्हें मुआवजा दिलाया जाए। यही मैं आपसे कहना चाहती हूं।धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। श्री कैलाश भंसाली।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस संवेदनशील मामले पर बोलने के लिए आपने समय दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद।

हमारी मुख्य मंत्रीजी ने तथा आपदा प्रबंधन मंत्री महोदय ने कुछ संवेदनशीलता इसमें दिखाई है। मैंने हमारे सांसद के साथ में परसों लूणी क्षेत्र का दौरा किया था। जोगारामजी यहां उपस्थित नहीं हैं, इसलिए मैं यह बात रख रहा हूं। उस क्षेत्र में जीरे और गेहूं की फसलें बरबाद हो गई। शुक्रवार को भी ओले पड़े और शनिवार को भी, जब हम थे, तो दो-दो इंच के ओले पड़े। सारी फसल नष्ट हो गई है। मेरा यह निवेदन है कि गिरदावरी कराकर के उन किसानों को राहत दें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: आधा घंटा और बढ़ाया जाता है। सबका नम्बर आएगा। मैंने परमिशन दे दी है। पाली वाले, आप बोलिए। सब दो-दो मिनट बोलेंगे, सबका नम्बर आएगा।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला निवेदन यह है कि जो पिछला खरीद का नुकसान है ना, उसके मुआवजे से भी कई किसान वंचित हैं। उस समय लापरवाही कर पटवारियों ने कइयों का नाम सूची में जोड़ा नहीं और बाद में संशोधन सूची भेज दी गई। एक तो पहले वाले नुकसान का मुआवजा तत्काल दे दिया जाए।

एक विसंगति है, माननीय अध्यक्ष महोदय, फसल बीमा में। ग्राम सेवा सहकारी समिति के माध्यम से जिसने ऋण लिया उसको तो मुआवजा मिल रहा है ज्यादा...

श्री अध्यक्ष: आप जल्दी बोलिए, लम्बी-चौड़ी भूमिका नहीं।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): और मारवाड़ ग्रामीण बैंक के माध्यम से जिसने ऋण लिया है, उसको मुआवजा कम मिल रहा है। उस विसंगति को माननीय मंत्री महोदय ठीक करवायें। क्योंकि नुकसान बराबर हुआ है तो दोनों

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

को मुआवजा भी बराबर मिलना चाहिए। अधिकारियों को पाबंद करें कि खेत-खेत घूमकर देखें वे। अगर वाकई में नुकसान ज्यादा हुआ है तो उसका आकलन करके हर किसान को उसका मुआवजा मिल जाए, इसके लिए उनको बिलकुल पाबंद करें आप। यही मेरा आपसे आग्रह है।

श्री अध्यक्ष: श्री दलीचंद डांगी।

श्री दलीचन्द डांगी (मावली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में जब यह ओलावृष्टि हुई, उस समय जो तेज हवा चली, उससे इतना नुकसान हुआ है 33 पंचायतों में। मैं दिन में शनिवार को था, सौ-डेढ़ सौ ग्राम के ओले पड़े हैं। इतना भारी नुकसान हुआ है। अधिकारियों को बोलकर, सर्वे कराकर, विधान सभा क्षेत्र में सही मुआवजा दिलाया जाए।

(13.00 बजे)

उदयपुर जिले में मावली विधान सभा क्षेत्र में साठ पंचायतें हैं, उनमें से 35 पंचायतों में बहुत भारी नुकसान हुआ है। गेहूं दाल, अफीम और सभी फसलों को नुकसान हुआ है और घर के केलू भी फूट गये हैं। तो सर्वे करा कर मावली विधान सभा क्षेत्र की रिपोर्ट मंगायें। अधिकारी जो थे उन्होंने सर्वे रिपोर्ट नहीं भेजी। कल मैं वहीं था। इसलिए आप सर्वे करा कर रिपोर्ट मंगायें।

श्री अध्यक्ष: श्री भागीरथ चौधरी। इनके बाद इधर आता हूं।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने अति संवेदनशील विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज यह हालत है कि अब राजस्थान का जो मौसम है वह वास्तव में बदलता जा रहा है। तो मेरा यह निवेदन है कि मौसम विभाग और कृषि विशेषज्ञों को मिलकर अब अध्ययन करना चाहिए। राजस्थान में किसान जो हमेशा फसल करते आ रहे हैं, वह पहले वाले मौसम के हिसाब से करते आ रहे हैं और अब ऐसी स्थिति बन गई है कि किसान अब तो ठगा-सा महसूस कर रहा है। आज पूरे राजस्थान में हाहाकार मचा हुआ है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि जो भारत सरकार के सी आर एफ नोर्म्स हैं, वे ऊंट-के-मुंह-में-जीरे-के-समान हैं। आज किसान बरबाद हो रहा है। किसान खेती करना बंद कर देगा तो ये सवा सौ करोड़ की जनसंख्या

(श्री भागीरथ चौधरी)

क्या खायेगी? मैं एक किसान होने के नाते आपको मेरी अंतरात्मा की बात बता रहा हूं कि यदि यही स्थिति रही तो दस साल बाद राजस्थान ही नहीं, वरन् हिन्दुस्तान का किसान खेती करना बंद कर देगा। आज यह हालत है। नुकसान तो नुकसान है, चाहे दस परसेंट हो, चाहे बीस परसेंट हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि नुकसान तो नुकसान होता है।

श्री अध्यक्ष: विषय पर बोलिये।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): कोई पचास परसेंट से ऊपर-नीचे से कोई मतलब नहीं है। भारत सरकार से सी आर एफ नोर्म्स में बदलाव होना चाहिए और किसान को कितना भी नुकसान हो, वह नुकसान की भरपाई होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: बहुत अच्छे। श्री ओला साहब। आ गया आपका।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र की मैं बता रहा हूं कि रघुनाथपुरा में एक बालक की बिजली गिरने से डैथ हो गई, उसको डेढ़ लाख रुपये मिल गये परन्तु मेरे माण्डवखुर्द है वहां एक व्यक्ति की आकाशीय बिजली गिरने से डैथ हो गई। अभी तक गांवों में ऐसी स्थिति है कि पोस्टमार्टम नहीं करायेंगे, तो उसका पोस्टमार्टम नहीं कराया और उसका दाह संस्कार कर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा; आपदा मंत्रीजी, वास्तव में वहां सबको पता है, तहसीलदार साहब फिर से गये हैं परन्तु उन्होंने पोस्टमार्टम नहीं कराया और पोस्टमार्टम नहीं कराने पर उसको मदद नहीं मिल सकती। तो उसको मदद दिलायी जाए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: ध्यान में आ गया आपका पाइंट। श्री ओला साहब।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आपदा राहत मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि जो पैकेज ये देना चाहते हैं उसको आज ही घोषित कर दें। उसमें जो भी इनके एस डी आर एफ और एन डी आर एफ के नोर्म्स में कवर होंगे, उनको वह मिल जाएगा; नहीं तो, उनको मिलने में बहुत समय गुजर जाएगा।

दूसरी बात, हमको भारत सरकार को लिखना चाहिए कि वह अपनी टीम भेजे और असेस करे कि हमको कितना नुकसान हुआ है। उसके लिए हमको एक ज्ञापन भी देना चाहिए, भारत सरकार को।

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

उसके अलावा, पहली बार हमारी सरकार थी, तब आदरणीय मुख्य मंत्री जी के सहयोग से हम स्पेशल ग्रांट लाये थे इनपुट सब्सिडी की। उससे पहले वो मिलती नहीं थी। तो वह भी आपको मांगनी चाहिए।

जो राहत गतिविधियां तीन महीने तक सीमित कर दीं, 90 दिन तक, उसके लिए हमने भी चिट्ठी लिखी। आप भी सदन की नेता से चिट्ठी लिखायें और आप भी लिखें, अपने प्रभाव का भी उपयोग करें। उनको भी आप अनलिमिटेड पीरियड, जब तक ये प्रभावित हैं लोग आपदा से, तब तक वे चलती रहें, इस तरह की आप व्यवस्था करायें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री विट्ठलजी। अब तीन इधर से, फिर इधर आऊंगा।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में ओलावृष्टि से सर्वाधिक प्रभावित जिला भीलवाड़ा है...

श्री अध्यक्ष: मेरा विधान सभा क्षेत्र भी है।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): और सबसे ज्यादा बरबादी भीलवाड़ा जिले में हुई है। मेरा निवेदन है कि वहां 1,900 के लगभग गांव हैं लेकिन कलक्टर यह कह रहे हैं, 989 गांवों में ही उन्होंने नुकसान माना है। मेरा निवेदन यह है कि सारे गांवों में समान नुकसान हुआ है, सभी गांवों को इसमें जोड़ कर किसानों को राहत पहुंचाने का प्रयास करें।

मेरा सरकार से निवेदन है कि खेत की पाली पर, चार काश्तकारों की वहां खेत देखते ही हार्ट अटैक से मृत्यु हो चुकी है। ऐसे लोगों को दस-दस लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य सचेतक के यहां किसान मर गया लेकिन कार्यवाही नहीं हो रही है।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): मेरा निवेदन है कि अफीम के जो काश्तकार हैं उनको भी मुआवजा पूरा दिया जाए, क्योंकि चीरे लग चुके थे और चीरे लगने के बाद अफीम बह चुकी है बारिश से। अब वे कुछ भी देने की स्थिति में नहीं हैं। तो उनको पूर्णरूपेण माफी दी जाए।

इसके अलावा, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे जिले में केलूशुदा जितने मकान थे, उन मकानों की छतें सब टूट चुकी हैं और लोगों ने स्कूलों में शरण ले रखी है। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि कृपा करके सरकार को निर्देश

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

दें कि उन सभी लोगों को मकान का मुआवजा भी दिया जाए, जिनके मकान टूटे हैं।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। श्री मानसिंह।

श्री मान सिंह (गंगापुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले तो माननीया मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने सहृदयता से जिस प्रकार से इन मुद्दों को लिया, उससे किसानों में यह विश्वास है कि हमको इस बात का मुआवजा मिलेगा, लेकिन मेरा एक ही अनुरोध है एक ही बात कहूंगा कि जो फसल कट चुकी है, सरसों की फसल जो कट चुकी है, हमारे जिले में वह बिलकुल बरबाद हो गयी है और फसल रिपोर्ट में, जो भेजी गई है, उसमें उसको शामिल नहीं किया गया है। तो उसको भी शामिल किया जाए।

किसान पूर्णतया बरबाद है। सवाई माधोपुर जिले में पिछले साल भी ओले पड़े थे, उस समय भी पटवारियों ने गिरदावरी में गलती की थी और जब हमने पुन: उसका सर्वे करवाया तो उस आकलन में वापस उसकी गलतियां पाई गईं। इसलिए अनुरोध है कि अब की बार गलती नहीं हो और पूरा-पूरा किसान को मुआवजा मिले। यही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: श्री मदनजी राठौड़। आपका भी आ रहा है। मैंने समय बढ़ा दिया है, इसलिए निश्चित रहें।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि पूरा सदन चिंतित है और जो विषय आ चुके हैं, उनको मैं नहीं दोहराऊंगा। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि अपन सब सोच रहे हैं कि बहुत बड़ा मुआवजा मिल जाएगा, लेकिन वास्तव में जब अपन इलाके में जाएंगे तो अपने को पता चलेगा कि बहुत कम किसानों को और वह भी बहुत कम मात्रा में मिला है। उसका बहुत बड़ा कारण है कि इसका आकलन दो स्टेजेज में होता है। पहली स्टेज है, इंडिविजुअल किसान की फसल यदि पचास प्रतिशत से कम एरिया में उसकी हानि हुई है तो उसको नहीं गिना जाएगा। फिर उस रेवेन्यू विलेज को इकाई माना है। पहले तो इंडिविजुअल किसान को इकाई माना है और इस प्रकार से गिनती करते-करते फिर रेवेन्यू विलेज को इकाई माना है। रेवेन्यू विलेज में भी यदि पचास प्रतिशत से अधिक किसानों की हानि नहीं हुई है; यानी, पहले तो वह किसान आएगा नहीं क्यों नहीं, आएगा क्योंकि उसकी फसल जैसे मैंने बीस बीघा बोई और बीस में से नौ बीघा में मेरे जीरे की हानि

(श्री मदन राठौड़)

हो गई ग्यारह बीघा में गेहूं की नहीं हुई तो मुझे नहीं गिना जाएगा। ऐसी गिनती करते-करते जब रेवेन्यू विलेज में भी आधे से अधिक किसानों की हानि नहीं हुई तो वह भी नहीं माना जाएगा। ऐसे ही फिर तहसील की। यानी ये स्टेजेज हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इसमें आकलन की जो प्रक्रिया है, उसमें कोई न कोई नोर्म्स में सुधार करने की जरूरत है।

मैं सोचता हूं कि अपन सब यदि अपनी तनख्वाह भी दे देंगे लेकिन इससे भी बहुत बड़ा लाभ नहीं मिलने वाला है। एक प्रस्ताव करना चाहिए कि केन्द्र सरकार को नोर्म्स में संशोधन करने का एक सुझाव निश्चित रूप से भिजवाना चाहिए। तब जाकर के जो हम सोचते हैं, उस प्रकार से किसानों को राहत मिल सकेगी। यह मेरा आपके माध्यम से निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। श्री हनुमान बेनीवाल। अगले राउंड में आपका लूंगा। इनके बाद तीन इधर से, फिर आप।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे राजस्थान में अतिवृष्टि और ओलावृष्टि से जो नुकसान हुआ है, 26 जिलों में नुकसान हो गया। मेरे नागौर, खींवसर में, जहां जीरे की सबसे ज्यादा पैदावार होती है, वहां लगभग 17 हजार टन जीरा होना था, यह अंदाज था, उसमें से 15 हजार टन जीरा पूरी तरीके से खराब हो गया। तीन मौतें मेरे इलाके में हुईं और दर्जनों मौतें पूरे राजस्थान में आकाशीय बिजली गिरने से हुई थीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे दो-तीन सुझाव मैं आपको बता देता हूं।

श्री अध्यक्ष: बस दो-तीन सुझाव बता दीजिये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली बार भी बजट में एक बात कही थी कि खेत में काम करते हुए किसी किसान की मौत हो जाती है, उसको एक लाख रुपये पहले दिये जाते थे, उसे बढ़ा कर पांच लाख रुपये देने की बात थी। आकाशीय बिजली से जो भी दुर्घटनाएं राजस्थान में हुई हैं, उन प्रत्येक किसानों को पांच लाख रुपये प्रति किसान मुआवजा दिया जाए। बहुत बड़ा पशु धन का इसमें नुकसान हुआ है। तो जिनके पशु मारे गये हैं इस ओलावृष्टि से, तो वहां भी सरकार को सर्वे करवाकर उनको मुआवजा देना चाहिए।

खाली यहां बातें करने से, 2008 की बात करें कि 2008 में मुआवजा दिया था, लेकिन बहुत बड़ा मुआवजा आज तक राजस्थान में किसानों को नहीं

(श्री हनुमान बेनीवाल)

मिला। यह सत्तर प्रतिशत खराबा है। सरकार को दिल्ली में बात करके इसको राष्ट्रीय आपदा में लेकर बहुत बड़ा मुआवजा देना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे दो-तीन सुझाव हैं। एक तो गौशालाओं को जो अनुदान है, वह इस समय बहुत बड़ी आवश्यकता है कि गौशालाओं को अनुदान सरकार तुरन्त शुरू करे।

बिजली के बिलों की वसूली पूरे राजस्थान में हो रही है। तो इसको एक बार स्थगित किया जाए और एक साल के बिजली के बिल माफ हों। विजिलेंस की कार्यवाही जहां-जहां हुई है, सरकार ने सुराज संकल्प यात्रा के दौरान कहा था कि अगर हमारी सरकार बनी तो किसानों के बिजली के विजिलेंस के जो मुकदमे दर्ज किये गये थे उनको वापस लेंगे, वह मुकदमे तो वापस लिये नहीं, उलटे आज किसानों पर बिजली के अधिकारी, घाटा बढ़ गया, दरें भी बढ़ा दी और दर्जनों मुकदमे दर्ज हो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: आपने ध्यान खींच लिया। ध्यान खींच लिया। श्री जगसीराम। आपने ध्यान खींच लिया, विराजो आप।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मैं सरकार से अपील करूंगा कि वसूली पर तुरन्त प्रभाव से रोक लगाये और बहुत बड़ा राहत पैकेज राजस्थान के किसानों को दे। इसमें किसी तरह की राजनीति नहीं हो। अध्यक्ष महोदय, हम भी इसमें कोई श्रेय नहीं लेना चाहते...

श्री अध्यक्ष: देखिए, आप विराजिए। मुझे आपसे शिकायत यही है। विराजिए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ...(व्यवधान) हम उस इलाके से आते हैं जहां बहुत बड़ी पैदावार जीरे की और इसबगोल की होती है। अध्यक्ष महोदय, आप सरकार को निर्देशित करें कि विशेष पैकेज की घोषणा सरकार करे।

श्री अध्यक्ष: श्री जगसीराम।

श्री जगसी राम (रेवदर): अध्यक्ष महोदय, ओलावृष्टि से ...

श्री अध्यक्ष: भाभीजी बहुत बढ़िया बोल गईं। अब क्या बोलोगे? उन्होंने सारे सदन को प्रभावित कर दिया। अब विराजिए। बहुत बढ़िया बोली हैं वे।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): भाभीजी ने पक्षपात किया है। (व्यवधान) राजगढ़ उठा दिया, लालसोट को छोड़ दिया भाभीजी ने। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जगसी रामजी बोल रहे हैं, शांत रहें।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): अध्यक्ष महोदय, ये बोल रहे हैं, भाभीजी ने पक्षपात किया है। ये इनकी भाभाजी थोड़े ही है, ये तो हमारी भाभाजी हैं। यह क्या गजब कर रहे हो आप।

श्री अध्यक्ष: शांत रहें।

श्री जगसी राम (रेवदर): अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश में ओलावृष्टि से जो नुकसान हुआ है, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 26 जिले इसमें सम्मिलित किये गये हैं। पूरे सिरोही जिले में भी ओलावृष्टि से किसानों की फसल नष्ट हुई है। विशेष तौर से गेहूं की फसल, रायड़े की और आबू रोड और पिंडवाड़ा ट्रायबल में जो है, वहां पर चने की फसल जो किसानों ने सारी काट रखी थी, वह पानी से अंकुरित होकर सड़ गयी है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, सिरोही जिले को भी इसमें सम्मिलित करें, ताकि किसानों को फायदा मिले।

श्री अध्यक्ष: बहुत अच्छा। आप बोलिये।

श्री अजीत सिंह (टोंक): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने इस संवेदनशील विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

मेरे टोंक विधान सभा क्षेत्र में पिछले वर्ष भी ओलावृष्टि और बारिश से फसल का नुकसान हुआ था और इस वर्ष भी ओलावृष्टि और बारिश से भयंकर नुकसान हुआ है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, पिछले वर्ष जो गिरदावरी की गई थी, हम मौके पर थे तो हमें लगा था कि पूरे किसानों को उसमें जोड़ा गया है, लेकिन जब मुआवजा आया तो सैकड़ों किसानों को उससे वंचित रखा गया। मेरा माननीय मंत्री महोदय से विनम्र निवेदन है कि इस विषय में जो भी अधिकारी लापरवाही करते हैं, पटवारी गिरदावरों की कमी होने के कारण घर बैठे गिरदावरी कर देते हैं, उसकी वजह से बहुत दिक्कत आती है। किसानों को मुआवजा नहीं मिल पाता। उसको मिलना चाहिये।

दूसरा मेरा निवेदन है कि जो जी एस एस से किसान को लोन मिलता है, उसकी 31 मार्च की जो तारीख है उसको बढ़ाया जाना चाहिये और जो के सी

(श्री अजीत सिंह)

सी है उसका भी समय बढ़ाना चाहिये। जो किसान समय पर के सी सी जमा कराता है, उसको तीन परसेंट की जो छूट मिलती है, उसका भी समय बढ़ाने का हमें प्रयास करना चाहिये।

मेरा माननीय मंत्री महोदय से विनम्र निवेदन है कि हमारे टोंक जिले को वैदर इंश्योरेंस से जोड़ना चाहिये क्योंकि हमारे क्षेत्र में पिछले 8-10 वर्षों से ओलावृष्टि और बारिश की वजह से बहुत नुकसान हो रहा है, और हमारे पड़ोस के जिले बूंदी को इसमें जोड़ रखा है।

जहां तक हमारे विपक्ष के साथियों ने अपना विरोध दर्ज कराया है...

श्री अध्यक्ष: यहां पक्ष-विपक्ष नहीं है, आप अपनी बात कहिए।

श्री अजीत सिंह (टोंक): मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे विधान सभा क्षेत्र में चारों विधायक दो दिन से पूरे क्षेत्र में किसानों के साथ खेत में दौरा कर रहे हैं लेकिन मेरे विपक्षी साथियों का कोई भी जन-प्रतिनिधि, कोई भी कार्यकर्ता पूरे क्षेत्र में देखने को नहीं मिला। इस ओर भी मैं इनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: विराजो। हां, आप बोलिए।

श्री कन्हैयालाल (मालपुरा): अध्यक्ष महोदय, आपने किसानों के दु:ख की घड़ी में मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। साथ ही मैं हमारी मुख्य मंत्रीजी और आपदा प्रबंधन मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस घडी में हमारे किसानों के लिए मदद की।

हर खेत पर पटवारी, वगैरह पहुंच गये हैं आकलन कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, खड़ी फसल का तो आकलन कर रहे हैं; बाकी जो फसल कट चुकी है और जो खेत में पड़ी है, उसका नुकसान हो गया, उसका आकलन नहीं कर रहे हैं। उसका भी सर्वे कराया जाये।

पिछली बार भी हमारे मालपुरा क्षेत्र एवं पूरे टोंक जिले में जो ओलावृष्टि हुई थी, किसानों को फसली बीमा योजना में एक भी पैसा नहीं मिला, क्योंकि इसकी जानकारी न तो किसानों को है और न ही उनको कोई कवर नोट दिया जा रहा है। यह पूरी जानकारी किसानों को मिले, इसके लिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि किसानों को पूरी जानकारी देने के लिए वहां पर कैम्प लगाये जायें और उनको बीमा की पूरी जानकारी दी जाये जिससे उनको पूरा फायदा मिले।

श्री अध्यक्ष: श्री नवीन पिलानिया।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, हर साल किसान इसी त्रासदी को झेलता है, कभी अतिवृष्टि के रूप में, कभी ओलावृष्टि के रूप में और बहस हो कर खतम हो जाती है किसान के हाथ कुछ नहीं आता है। मैं वैदर बेस्ड क्रोप इंश्योरेंस स्कीम के आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं। रबी 2007-08 से लेकर रबी 2011-12 तक आंकड़ा है। जो सम इंश्योर्ड हुआ था वह 19,287 करोड सम इंश्योर्ड था; इन चार सालों में जो टोटल क्लेम मिला वह 1,050 करोड रुपये। आप सोच सकते हैं क्या? यह केवल चार साल का आंकड़ा है। 19,287 करोड़ टोटल इंश्योर्ड किया कि हम किसान की इतनी फसल इंश्योर्ड करते हैं और उसको चार साल में मिला 1,050 करोड़ रुपये। जो टोटल प्रीमियम इकठ्ठा हुआ 2007-08 से लेकर 2011 -12 तक, टोटल प्रिमियम की राशि जो बीमा कम्पनियों को दी गई थी, वह 1,786 करोड और उसमें से केवल 1,050 किसान को मुआवजा मिला। इन चार सालों में इन कम्पनियों को 736 करोड़ का मुनाफा हुआ है।

इसके साथ-साथ मैं आपका ध्यान...

श्री अध्यक्ष: विषय पर आइये।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): बिलकुल विषय है, यही विषय है, आज का सबसे बड़ा विषय ही यह है।

इसमें मैं आपको वैदर बेस्ड स्टेट-वाइज स्टेटिस्टिक्स बता रहा हूं, खरीफ 2007 से लेकर खरीफ 2013 तक के। राजस्थान का आंकड़ा है, सम इंश्योर्ड 345,770 मिलियन रूपीज और उसमें जो क्लेम पास हुआ, वह केवल 21,140 मिलियन रूपीज। मतलब, यह घोर अन्याय है। इस इंश्योरेस पालिसी को न तो कोई समझता है और सबसे बड़ी बात, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो एग्रीकल्चर विभाग है यह इसकी सही जानकारी नहीं लेना चाहते हैं। मैं माननीय कृषि मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं, वैदर बेस्ड इंश्योरेंस स्कीम हो, चाहे मोडिफाइड क्रोप इंश्योरेंस स्कीम हो, कहां पर लिखा हुआ है कि 50 प्रतिशत से ज्यादा नुकसान होगा तभी मुआवजा दिया जायेगा? मुझे वह कोट करके बता दीजिए। इन दोनों स्कीमों में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। सिर्फ क्लेम जब मिलता है, जितना रकबा था, उसमें जो फसल बोई गई थी, उसका आकलन करके उसकी कीमत का बीमा किया जाता है। उसको थ्रेशहोल्ड वोल्यूम से डिवाइड करके जो भी इंडेम्निटी होती है, उसके हिसाब से मुआवजा

(श्री नवीन पिलानिया)

मिलना चाहिये। मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री महोदय से यह जानकारी चाहता हूं, इन दोनों स्कीमों में कहां पर यह लिखा हुआ है कि 50 प्रतिशत से ज्यादा नुकसान होगा, तब मुआवजा मिलेगा?

श्री अध्यक्ष: विराजिए। विराजिए।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): मुझे और बहुत बोलना है।

श्री अध्यक्ष: नहीं, बहुत नहीं। गोतमजी। आप बैठिए। आप बैठिए, मदनजी। (व्यवधान) गोतम जी।

श्री गोतमलाल (धरियावद): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र धरियावद दो जिलों में है, प्रतापगढ़ और उदयपुर। कल 14 तारीख रात में कई पंचायतों में भारी बरसात हुई है, किसी में कम हुई है, लेकिन लसाड़िया पंचायत समिति में 14 तारीख रात से कल सुबह तक भारी बरसात हुई है। इससे पहले धरियावद पंचायत समिति क्षेत्र और झल्लारा में भी बरसात हुई है। मेरा आपसे निवेदन है कि दोनों जिला कलक्टरों से रिपोर्ट मंगाई जाये। दोनों जिलों में मेरा विधान सभा क्षेत्र है, धरियावद प्रतापगढ़ में और लसाड़िया और झल्लारा उदयपुर जिले में हैं।

श्री अध्यक्ष: बहुत बढ़िया। श्री लक्ष्मीनारायणजी।

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (चाकसू): माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं सदन की तरफ से यह कहना चाहूंगा कि इस संवेदनशील विषय पर आदरणीया मुख्य मंत्रीजी ने और हमारे आपदा प्रबंधन मंत्रीजी ने पक्ष-विपक्ष के विधायकों के कहने से पहले ही, तीन दिन की जो अतिवृष्टि हुई, उसको ध्यान में रखते हुए आपने सभी कलक्टर्स को कहा, वीडियो कार्फ्रेंस से बातचीत की और आपदा प्रबंधन के लिये बात कही इसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी को और आपदा प्रबंधन मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और सभी विधायकों को, बिना भेदभाव रखे हुए, मुख्य मंत्रीजी ने सभी जिलों का आंकलन करके सबको सुविधा देने की बात की, इसके लिए सभी विधायक मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहते हैं और आभार व्यक्त करना चाहते हैं।

साथ ही, मैं कहना चाहूंगा कि जयपुर जिले को इसमें नहीं जोड़ा, जबकि हमारे यहां फुलेरा, फागी, चाकसू, बस्सी, जमवारामगढ, विराटनगर में, सभी जगह ओलावृष्टि भी हुई है और अधिक बरसात भी हुई है।इसको जोड़ा जाये।

ड़ो

(श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा)

मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात कहना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र चाकसू में 170 भेड़ों की मृत्यु हो गई। साथ ही, वहां सब खेतों में पानी भरा हुआ है, सारी फसलें नष्ट हो गई हैं। इकाई न मानकर, व्यक्तिगत रूप से मानकर इनको मुआवजा दिलवाया जाए।

अध्यक्ष महोदय, साथ ही, मैं आपको कहना चाहूंगा, जब किसान की फसल नष्ट होती है तो उसको ऐसा महसूस होता है, खेत में जाकर बैठता है तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी परिवार के सदस्य की मौत हो गई हो, क्योंकि उसका सारा भविष्य खतम हो जाता है। वह कैसे खाएगा, कैसे पीएगा, कैसे परिवार का पालन करेगा? इसलिए जिनके कच्चे घर ढह गये हों, उनको चद्दरें दिलाई जाएं; गायों के लिए चारा दिलाया जाए; उनको खाद्य सामग्री भी वितरित की जाए। मेरा आपसे यह निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: बैठिए।

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (चाकसू): साथ ही कहना चाहूंगा कि फसल के साथ-साथ सब्जी और फलों का भी नुकसान हुआ है। आप इसका भी मुआवजा दिलाएं। आस-पास के सब्जी और फल आते हैं, उनको भी दिलाया जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। नारायणसिंहजी देवल।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने किसानों से जुड़े संवेदनशील मुद्दे पर मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं।

जालौर जिले में पिछले तीन-चार दिन से हुई बेमौसमी बारिश एवं अतिवृष्टि से हमारे जिले में किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। जालौर जिला जीरा, इसबगोल, अरण्डी की फसल के लिए जाना जाता है। इसमें इसबगोल, जीरा और टमाटर में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। गेहूं की फसल गिरने से भी नुकसान हुआ है। रायड़े की फसल हालांकि काट ली थी, वह लाटे में पड़ी है, तो इस बारिश से उसको भी नुकसान हुआ है।

मैं मांग करता हूं कि किसानों को दिये जाने वाले मुआवजे की इकाई तहसील के बजाय गांव को माना जाए; को-आपरेटिव बैंक से लिये हुए लोन और बिजली के बिल में राहत दी जाएं, सी आर एफ नियम के अलावा, सरकार भी इसमें किसानों को मुआवजा दे; जगह-जगह चारा डिपो भी खोले जाएं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: आप बोलिए। नहीं, आप नहीं, आप। कोने में। कोने में।

श्री रामनारायण (नसीराबाद): माननीय अध्यक्षजी, नसीराबाद विधान सभा क्षेत्र और अजमेर जिले में पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। इसके लिए मैं आपसे यही कहूंगा कि जो गिरदावरी है, आप सब जानते हैं कि गिरदावरी पटवारी क्या करेंगे। मेहरबानी करके सौ परसेंट खराबे का, नुकसान हुआ है, वह किसानों को दिया जाएं साथ ही, किसानों के कर्जे हैं, वे माफ किये जाएं; बिजली के बिल माफ किये जाएं; अभी जो बिजली की रेट बढ़ाई है उसको वापस किया जाए। क्योंकि किसान की हालत इतनी खराब है, मैं समझता हूं कि वे अब कर्ज चुकाने के फेवर में नहीं हैं। इसलिए, मेहरबानी करके, अकाल इतना पड़ गया है कि चारे की भी बहुत कमी हो गई है, अकाल घोषित किया जाए।

सरकार कितनी संवेदनशील है, इसका अंदाजा आप लगा लो कि माननीया मुख्य मंत्रीजी को पूरे सदन की, पूरे राजस्थान के किसानों की बात सुनने का टाइम ही नहीं है। दस मिनट-बीस मिनट सदन में बैठतीं तो पूरे राजस्थान में क्या हुआ, वह मालूम पड़ता।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। रामचन्द्र।

श्री रामपाल (बारां-अटरू): रामपाल हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

मेरे बारां-अटरू विधान सभा क्षेत्र में गत तीन दिनों से रुक-रुककर ओलावृष्टि हो रही है और पूरे क्षेत्र में तबाही हो चुकी है। किसानों के कच्चे मकान हैं, उनकी केलू, सीमेंट की चद्दरें, सब फूट चुकी हैं। खलमड़ा गांव में आठ लोग हताहत हुए हैं। इसी के साथ, लक्ष्मीपुरा गांव में लोगों को राहत शिविर लगाकर स्कूलों में रोका गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है कि पूरे क्षेत्र में लोगों को नुकसान हुआ है। अतः उनके बिजली के बिल, फसली ऋण; इसी के साथ, मण्डी में जो किसान गये हैं उनकी मण्डी की जींस भी भीगकर बह चुकी है, उनको भी नुकसान हुआ है। अतः सभी का ध्यान रखते हुए उचित मुआवजा दिलाने के आदेश फरमाएं।

श्री अध्यक्ष: हां, बोलिए, आप बोलिए। छोटूसिंहजी, आप बाद में। एक राउण्ड इधर आ जाए, एक और।

श्री विजय सिंह (नावां): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे नावां विधान सभा क्षेत्र के अन्दर ओलावृष्टि और पूरे नागौर जिले के अन्दर अतिवृष्टि के कारण नुकसान हुआ है। मेरे नावां विधान सभा क्षेत्र के अन्दर इसबगोल, जौ, गेहूं, विशेषकर प्याज की ज्यादा खेती होती है, उनके अन्दर काफी नुकसान हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि किसानों को उचित मुआवजा दिलाया जाए।

जो मुआवजा मिलता है, जी एस एस के मार्फत, उनके अन्दर जी एस एस अध्यक्ष और व्यवस्थापक होते हैं, वे उनको सही मुआवजा नहीं दे पाते हैं। किसान के अगर 8 हजार रुपये मिलते हैं तो वे बीच के अन्दर 4 हजार रुपये दे देते हैं और 4 हजार रुपये खा जाते हैं,तो इसकी भी कोई व्यवस्था की जाए। अभी पिछली बार जब जीएसएस थी, उसके अन्दर किसानों के, जो जी एस एस अध्यक्ष और जी एस एस व्यवस्थापक थे, उनके पास 8-8 हजार थे लेकिन उन्होंने किसी को चार हजार दे दिये, किसी को तीन हजार दे दिये। उन पर उचित कार्यवाही होनी चाहिए, ताकि किसान ठगा नहीं जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय से मेरा यही निवेदन है।

विशेषकर आज जो वी सी आर ...

श्री अध्यक्ष: दोनों में से कोई बोल लो।

श्री विजय सिंह (नावां): के चक्कर के अन्दर जाते हैं, वहां के ए ईएन...

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्री विजय सिंह (नावां): तो जिस किसान के 20 का लोड है और वह 2-ट्यूबवेल चलाता है 10-10 के...

श्री अध्यक्ष: आपको भी टाइम दूंगा।

श्री विजय सिंह (नावां): अध्यक्ष महोदय, उनका 20 का लोड ही माना जाए। उनकी गलत वी सी आर नहीं भरी जाए। मेरा आपसे यह निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। आप बोल लो, शार्ट में। बहुत चीजें आ चुकी हैं। एसोशिएट कर लो।

श्री मानसिंह किनसरिया (परबतसर): अध्यक्ष महोदय, आपने इस संवेदनशील मुद्दे पर सदन में जो चर्चा कराई, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे नागौर जिले में खराबे का जो प्रतिशत बताया गया है वह 85 प्रतिशत बताया गया है, जिसमें जीरा और इसबगोल का

(श्री मानसिंह किनसरिया)

विशेषकर बताया गया है, जबकि नागौर जिले की सभी फसलें ओलावृष्टि से, बारिश से समाप्त हो चुकी हैं।

मेरा आपसे निवेदन है कि जो इंश्योरेंस का जीरा और इसबगोल का पीरियड एक मार्च से 15 अप्रेल तक माना गया था इसी में यह खराबा हो गया, लेकिन जो मुआवजे का सिस्टम है उसमें जीरे का माना गया प्रति हेक्टेयर 2914 रुपये और इसबगोल का 1,714 रुपये प्रति हेक्टेयर। अध्यक्ष महोदय, उसमें तो मजदूरी भी नहीं निकलेगी।

श्री अध्यक्ष: बस, आपने ध्यान खींच लिया।

श्री मानसिंह किनसरिया (परबतसर): मजदूरी भी नहीं निकलेगी। मेरा आपसे निवेदन है, इसमें पुन: ध्यान देकर उचित मुआवजा दिलवाया जाए।

साथ में, जो गिरदावरियां गत वर्षों में हुई हैं, पिछले 2012-13 में गिरदावरी हुई, उसमें पटवारियों ने घर बैठे गिरदावरियां की है। साथ में, जातिवाद, राजनीतिकवाद, पक्षपात के साथ गिरदावरी की है।

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्री मानसिंह किनसरिया (परबतसर): उचित गिरदावरियां की जाएं।

अध्यक्ष महोदय, मेरे परबतसर विधान सभा क्षेत्र में फूलों की भी खेती होती है। फूलों की खेती का भी पुष्कर और परबतसर विधान सभा क्षेत्र में सम्पूर्ण नुकसान हो चुका है। उसका भी मुआवजा दिलवाया जाए।

मेरे परबतसर विधान सभा क्षेत्र की नारायणपुरा पंचायत में बिजली गिरने से पशु धन का नुकसान हुआ है, उसके लिए जो पैसा दिया गया है वह पर्याप्त नहीं है, 1,600 रुपये प्रति भेड़ का दिया गया है, उसको बढ़ाकर ज्यादा दिया जाए, यह मेरा आपसे निवेदन है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: दो महिलाओं के बीच में, मुझे नजर आ रहा है, एक जो बोलना चाहें।

श्रीमती राजकुमारी (हिण्डौन): अध्यक्ष महोदय, आपने संवेदनशील मुद्दे पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, अकाल राहत मंत्रीजी यहां विराजमान हैं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि करौली जिले में मेरे हिण्डौन विधान सभा क्षेत्र में तेज गति से हवा चलने से पूरी फसल गिर चुकी है। ओले चाहे कम पड़े हैं, लेकिन बरसात दो दिन लगातार हुई है। बरसात के साथ-साथ तेज हवा के कारण पूरी फसल गिर चुकी है। 70-80 परसेंट फसल का नुकसान हुआ है।

(श्रीमती राजकुमारी)

मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि राहत कोष से सरकार जो मुआवजा देना चाहती है, उसमें करौली जिले को भी शामिल किया जाए। आपके माध्यम से मेरा निवेदन है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: आप बोल लीजिए। सिलौटियाजी।

श्रीमती रानी सिलौटिया (बसेड़ी): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जिस संवेदनशील विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: सबका नम्बर आएगा।

श्रीमती रानी सिलौटिया (बसेड़ी): धौलपुर जिले में मेरा विधान सभा क्षेत्र सबसे पिछड़ा हुआ विधान सभा क्षेत्र है, जिसमें आधे क्षेत्र में खेती होती है और आधे में खनन एरिया है। वहां भी ओलावृष्टि हुई है और किसानों को बहुत नुकसान हुआ है। वैसे तो धौलपुर जिला हमारी सम्माननीया महारानीजी का गृह जिला है, इसलिए वे सारी बातों का ध्यान रखती हैं, फिर भी मैं यही कहूंगी कि वहां भी जांच कराई जाए और किसानों को मुआवजा दिया जाए। वहां पर जो किसान हैं, उनकी खेती पहले से ही सीपेज के कारण, 100 एकड़ जमीन, पहले से ही पानी भरा रहता है और ऊपर से अब बरसात भी हुई है, ओले भी पड़े हैं। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि वहां पर भी किसानों को मुआवजा दिया जाए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। हां, आप। वह पीछे-पीछे। पीछे भी जाने दो मेरी नजर।

श्री भजन लाल (वैर): माननीय अध्यक्षजी, आपने मुझे इतने संवेदनशील विषय पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

मेरे विधान सभा क्षेत्र वैर में सरसों, गेहूं और अमरूद की फसलें पूरी तरह से बरबाद हो चुकी हैं। इसलिए वहां पर पुन: गिरदावरी की जाए। क्योंकि अभी जो पहले गिरदावरी की गई थी, उसमें उन्होंने जो फसल का आकलन बताया था, वह दस से पन्द्रह प्रतिशत बताया था। इसलिए सम्पूर्ण भरतपुर जिले को अकाल राहत में शामिल किया जाए और किसानों के बिजली के बिल माफ किये जाएं।

परसों मैं भरतपुर जिले में था, वहां पर बिजली के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, डीग-कुम्हेर विधान सभा क्षेत्र है, उसमें एक कासोट गांव है, उस सम्पूर्ण गांव की बिजली काट दी गई। एक तरफ तो ओलावृष्टि हो रही थी, दूसरी तरफ

(श्री भजन लाल)

उस सम्पूर्ण गांव की बिजली काट दी गई। यह कौन-सा न्याय है, अध्यक्ष महोदय?

श्री अध्यक्ष: पाइंट आ गया। आपका पाइंट आ गया।

श्री भजन लाल (वैर): थोड़ा-सा निवेदन है आपसे कि इन चीजों का ध्यान रखा जाए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: आप बोलिये। वे, पीछे-पीछे।

श्री नरेन्द्र कुमार (मण्डावा): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपके जरिये यह बताना चाहता हूं कि झुंझुनूं जिले के मण्डावा विधान सभा क्षेत्र में 15-20 परसेंट भूमि पर ही बुआई होती है। वह 15-20 परसेंट भूमि पर इस कारण से होती है कि हमारे मण्डावा विधान सभा क्षेत्र में पानी में फ्लोराइड की मात्रा सबसे ज्यादा है। 15-20 परसेंट जमीन पर ही सिंचाई होती है। तो सारे में ओले और बरसात ज्यादा होने के कारण से पूरी फसल चौपट हो गई है। तो मैं झुंझुनूं जिले को भी, मण्डावा विधान सभा क्षेत्र को भी इस एरिये में जोड़ने के लिए इच्छा जाहिर करता हूं। (व्यवधान)

दूसरा, मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे के होने के नाते, किसानों और विधायकों की इच्छा यह है कि पहले जो मुआवजा मिला है, उससे बढ़ करके, किसी भी राहत में ज्यादा से ज्यादा मुआवजा मिले और अगली फसल के दो महीने बचे हैं, उसमें समय रहते हुए उचित बीज की व्यवस्था होनी चाहिए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: ठीक। आप बोलें। 10 मिनट और हो जाएं तो सबकी हो जाएगी।

श्री राजेन्द्र गुर्जर (देवली-उनियारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिये धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में रणथम्भौर अभयारण्य से विस्थापितों को बसा तो दिया, पर जब मैं वहां गया तो न तो उनके पास पट्टे हैं, वन भूमि पर ही उनको बसा दिया और जो भी खेती हुई है...

श्री अध्यक्ष: विषय पर बोलें, विषय पर।

श्री राजेन्द्र गुर्जर (देवली-उनियारा): उसी पर आ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, उसी पर नहीं आ रहें। आप विषय पर बोलें, डाइरेक्ट।

श्री राजेन्द्र गुर्जर (देवली-उनियारा): वन भूमि पर उनके पट्टे नहीं हैं, खातेदारी नहीं है, इसलिए उनको मुआवजा कैसे मिलेगा? यह मैं निवेदन करना चाहता हूं। स्थिति यह है।

श्री अध्यक्ष: बस आ गया, पाइंट आ गया।

श्री राजेन्द्र गुर्जर (देवली-उनियारा): मेरा आग्रह है कि किसान परेशान है, वह बिलकुल असहाय है, गिरदावरी भी उसकी नहीं हो रही है। इसलिए उनको पट्टे दिये जाएं, खातेदारी दी जाए और उनको अभी कोई तत्काल राहत मिले, इसके लिए मैं आपदा राहत मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि राहत दी जाए।

श्री अध्यक्ष: पाइंट आ गया। यादव साहब।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): अध्यक्षजी का बहुत-बहुत धन्यवाद। अध्यक्षजी, इस पर चर्चा तो बहुत देर से हो रही है। पर हकीकत है, किसान बिलकुल बरबाद हो गया है और इस पर तो कोई स्पेशल पैकेज घोषित करना चाहिए और किसानों का बिजली का बिल स्थगित करने के बजाय माफ कर देना चाहिए। क्योंकि जो फसल खड़ी है, वह भी बारिश हो गई, वह भी अपने-आप में उगना शुरू हो गई है, और जो सरसों बच गई ओले से, बारिश के कारण, जैसे ही आज सूरज निकला है, तो पूरी की पूरी उस सरसों की फली फटेगी और एक दाना भी घर में नहीं आएगा।

इसलिए मेरा सरकार से आपके माध्यम से निवेदन है कि यह तो चाहे विधायकों का जो दो करोड़ रुपये है डवलपमेंट का, वह भी अगर काट करके बिजली के बिल माफ करने के लिए उसमें जोड़ दिया जाए, तो उसमें कोई नहीं है। मेरा निवेदन है कि इस समय किसान को बचाने की जरूरत है। खाली मुआवजा देने से काम नहीं चलेगा। चाहे छोटा किसान हो, बड़ा किसान हो, यह तो जनरल पूरी फसल को लेकर के, विधायकों का दो करोड़ भी काट करके बिजली के बिल में समायोजित कर दो। बिजली का बिल स्थगित मत करो, उसको माफ कर दो और हर बीघा के हिसाब से आप मुआवजा दो। सर्वे की जरूरत नहीं है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: नया बिन्दु। श्री हीरालाल जी।

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस संवेदनशील...

श्री अध्यक्ष: सीधा-सीधा सुझाव दो आप।

श्री हीरालाल (निवाई): माननीया मुख्य मंत्रीजी ने जो सदन को आश्वासन दिया, किसानों के प्रति संवेदनशीलता दिखाई, उसके लिए बहुत-बहुत बधाई।

मेरा आपके माध्यम से निवेदन है आपदा राहत मंत्री महोदय से, पिछले साल भी मेरे यहां ओलावृष्टि हुई थी, एक ग्राम पंचायत डोडवाड़ी है, जिसका सर्वे करने के बाद भी उनको सहायता नहीं मिली। गिरदावर और पटवारी के स्तर पर यह कमी रही। एक तूफान आया, उसमें अनुसूचित जाति की महिला ग्राम बगड़ी, पंचायत मुख्यालय की मरी, उसको आज तक मुआवजा नहीं मिला।

अभी कल मैंने जिला प्रमुखजी के साथ मेरे पूरे विधान सभा क्षेत्र में दौरा किया। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक-एक गांव में तीन-तीन बार ओले पड़े। गेहूं, जौ और जो सरसों काट कर डाल दी, उसको भी काफी नुकसान हुआ। मेरा तो एक निवेदन है कि जो दस परसेंट, बीस परसेंट है, जिस किसान के जितना नुकसान हुआ, यह परसेंट के चक्कर में नहीं पड़कर उसको सहायता मिले। परसेंटेज में तो आयेगा नहीं, उसको सहायता मिलेगी नहीं। ऐसे ही कई रह गये हैं।

मेरा एक निवेदन है कि आकाशीय बिजली से दुर्घटना होने पर, मरने पर तो पैसा मिलता है, मेरे पीपलू उप-खण्ड पर एक मकान पर बिजली गिर गई और मकान में दरारें पड़ गईं। उसका सामान भी जल गया। इसी तरह निवाई विधान सभा क्षेत्र में ग्राम बिड़ोली में भी बिजली गिरी और वहां नुकसान हुआ। कोई जन-हानि नहीं हुई, लेकिन जो नुकसान हुआ, उसको वह भी मिलना चाहिए।

मेरा एक अनुरोध है कि जो यह सर्वे करते हैं, पटवारी, गिरदावर, उसके लिए आपके माध्यम से आपदा राहत मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि सी.आर., डी.आर., ग्राम पंचायत के सरपंच को भी उसमें जोड़ा जाए।

श्री अध्यक्ष: बस, सुझाव दे दिया आपने। सुझाव आ गया आपका।

श्री हीरालाल (निवाई): आपके माध्यम से निवेदन है कि सी.आर., डी.आर., सरपंचों को इसमें जोड़ा जाए ताकि जो रेवेन्यू के कर्मचारी हैं, वे अपने स्तर पर ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सूरजगढ़ के माननीय विधायक। आपने बड़ी देर से संकेत कर रखा है।

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत संवेदनशील है।

श्री अध्यक्ष: बस, अब विराजें आप। आपका आ गया, सुझाव आ गया।

श्री हीरालाल (निवाई): मेरा पूरा नहीं हुआ, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: आ गया, आपका पाइंट आ गया। विराजिये। हां, आप।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, सब लोगों ने इस संवेदनशील मामले में बड़ी चर्चा की। मैं तो धन्यवाद आपको देना चाहता हूं कि आपने आज कौनसा खाना खाया था जो सबको बोलने का मौका दिया? मैं चाहूंगा कि आप प्रतिदिन, जब तक विधान सभा चले, आज जो खाना खाकर आये, वही खाकर आएं।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): खाने के ऊपर हाजमोला ले लिया।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): हां। क्योंकि आज आपने उदारता दिखाई है, यही उदारता दिखाया करो, जिससे लोगों का मन बढ़े।

श्री अध्यक्ष: कोई नई बात है आपके पास कहने को? (व्यवधान) मैं बहुत प्रसन्न हो गया।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आपका डाइजेशन ठीक है आज।

श्री अध्यक्ष: सुझाव दें, सुझाव।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): श्रवणजी, दाल-बाटी, चूरमा खाया है इन्होंने।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): यह तो हजम नहीं होने वाला है।

मैं तो एक बात कहना चाहता हूं कि बहुत सारे सुझाव आयें आपके सामने, क्या इन सुझावों को मान करके इम्प्लीमेंट करेंगे, या पहले भाषण दिये थे, वे ही भाषण देंगे?

श्री अध्यक्ष: जवाब आयेगा। अभी जवाब आयेगा।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): सरकार पर से जनता का विश्वास उठ चुका है, भाषणों से। अब की बार तो आप करके दिखाओ।

श्री अध्यक्ष: वे करके दिखाएंगे। विराजो आप।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): क्योंकि आप लोगों ने जो भी डेढ़ साल पहले कहा था ना, वह कोई पूरा नहीं किया।

श्री अध्यक्ष: विराजें। छोटूसिंहजी, आप भी अपना पाइंट रख दें। आप विराजें।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): बात तो सुनें। बात ही नहीं सुन रहे हैं। एक तो आपने अभी बिल काटने ...(व्यवधान) आप जो कुओं के कनेक्शन काट रहे हों ...(व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई): सारा बरबाद कर दिया पिछली सरकार ने। (व्यवधान) पिछली सरकार ने पांच साल घोषणाओं में ही बरबाद कर दिये। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): पहले हाउस कण्ट्रोल में लें ना। हाउस कण्ट्रोल में लें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विराजें, और आने दीजिये।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कम पानी में खेती जैसलमेर जिला करता है। (व्यवधान) उसमें सबसे पहले इसबगोल, जीरा और थोड़ा बहुत रायड़ा बोते हैं। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मैं यह बताना चाह रहा हूं कि आपने कनेक्शन काटने के जो आदेश दिये थे, वह बदलवाओ ना। किसानों के कनेक्शन काट रहे हैं एक तो ...(व्यवधान) और आप कह रहे हैं कि उदारता दिखाई है। कनेक्शन काट रहे हो, किसानों के कनेक्शन काट रहे हो, उनको तो पूरा करवाओ। आज भी कनेक्शन काटने के लिए लोग जा रहे हैं। (व्यवधान) और जो पैसे बढ़ा रहे हों ना, पैसे मत बढ़ाओ इस साल। (व्यवधान)

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जब सर्वे किया जाता है तो कहते हैं पांच एम.एम. बरसात हुई है, इसमें किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं है। (व्यवधान) मैं निवेदन करना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त हुई। चर्चा समाप्त हुई। (व्यवधान) आसन पैरों पर है। नहीं, अब सब हो गये। नहीं, आपकी तरफ से बोल लिये। चर्चा समाप्त हुई। नहीं, यह नहीं हो सकता। (व्यवधान) हां, एक मिनट। अच्छा, एक मिनट लीजिये। (व्यवधान)

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): जीरा, रायड़ा बोते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपका पाइंट आ गया है, और लिख कर दे देना आप। (व्यवधान)

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): मैं जो मुद्दा कह रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, निवेदन यह कर रहा हूं कि कम पानी में हमने फसल बोई है और कम बरसात में उसमें सबसे ज्यादा नुकसान होता है इसबग़ोल और जीरे को। जैसलमेर की ट्यूबवेल खेती को ध्यान में रखते हुए ...(व्यवधान) यह सर्वे नहीं किया जाए कि कम बरसात में कोई नुकसान नहीं हुआ है। एक्चुअली में वह नुकसान इसबग़ोल के अन्दर कम बरसात से होता है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विराजिये। दो मिनट, दो मिनट। विराजिये। (व्यवधान)

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): साथ में निवेदन करना चाहता हूं कि जो निर्णय लिया जा रहा है, वह निर्णय बीमा कम्पनी कर रही है। वह न करके सरकार के द्वारा किसानों का निर्णय लिया जाए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपका पाइंट आ गया, विराजिये। (व्यवधान) एक मिनट आपका। एक मिनट आपका। एक मिनट आपका लेंगे।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इतने संवेदनशील मुद्दे पर बोलने के लिए आपने मुझे उदार हृदय से स्वीकृति दी, उसके लिए आपका आभार व्यक्त करते हुए, आपके माध्यम से मैं सदन को निवेदन करना चाहूंगा कि- 'दुविधा में दोऊ गये, माया मिली, न राम।' 9 मार्च को राज्य सरकार ने अपने बजट से किसान और मजदूर को मारा और अब पिछले चार दिन से यह राम इस किसान और उस मजदूर के पीछे लगा हुआ है। (व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई): राज नहीं लगा हुआ है।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पक्ष बात नहीं करे, ये नहीं बोलें तो, मेरे ख्याल में, मेरा निवेदन अच्छा रहेगा।

श्री अध्यक्ष: आप अपना पाइंट क्यों नहीं रख देते एक मिनट में? (व्यवधान)

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): पाइंट बोलूं न सर। ये बोलने देंगे तब न।

श्री अध्यक्ष: यह बेकार की भूमिका में ...(व्यवधान)

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इन्होंने, पिछली बार भी मैंने निवेदन किया, जिस किसान ने दस एच.पी. का कनेक्शन लिया हुआ है और पानी के अभाव में पांच एच.पी. की मोटर डाल दी, उसकी भी ये लोग वी.सी.आर. भरवा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आ गया, आपका पाइंट आ गया। आप बोलिये एक मिनट। (व्यवधान)

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): अगला मैं कहना चाहूंगा कि सहकारिता के माध्यम से ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आ गया आपका पाइंट, आप बैठिए।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): किसान को जो लोन दिये जा रहे हैं, सहकारिता के माध्यम से किसानों को जो लोन बांटा गया है, उस लोन को, पिछली बार भी जब सहकारिता विभाग के माध्यम से बंटवाया गया तो उसमें राशि किसानों तक पहुंची नहीं थी। (व्यवधान)

श्री गोपी चन्द मीणा (आसपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से, आपने मेरे को इस संवेदनशील मुद्दे पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय विधायकगण, अब मैं आपसे एक निवेदन करूंगा। (व्यवधान) अब आसन पैरों पर है। सब बैठिए। सबसे निवेदन है। नहीं, सबसे निवेदन है। (व्यवधान) बैठिये अब आप। यह नहीं हो सकता। मैं लम्बे समय से सबको बोलने का मौका दे रहा हूं। उसमें अगर कुछ विधायक रह गये हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बहस का तरीका है। एक बजे के बजाय मैंने चालीस मिनट और आगे ले लिया। अब आप विराजिए।

मैं माननीय गृह मंत्रीजी से, आपदा राहत मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस सारी बहस का जवाब दें। (व्यवधान) नहीं, बैठिये आप। आप बैठिये। आप कौन होते हैं? बैठिये।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): कृषि मंत्रीजी से जवाब दिलवाइये।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। यह आपका काम नहीं है, यह मेरा काम है। बैठिये आप।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका और सदन के सभी माननीय सदस्यों के सुझावों का स्वागत करता हूं और आपकी जो प्रोसीडिंग्स हैं, उसको मैं शब्दश: पढ़कर, मेरे अधिकारियों के साथ बैठकर, आपके दिये हुए सुझावों को कहां-कहां, किस-किस तरह से, जोड़कर राहत दे सकता हूं, उसके लिए मैं पूरा प्रयत्न करूंगा। इतना मैं आपको आश्वस्त करता हूं।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

वास्तव में यह जो किसानों पर कहर ढहा है, प्रकृति है, यह हम सबके लिए बहुत दु:खद है। मैं चूंकि, आपके मन में यह होगा, मैंने जो कुछ भी अब तक इकट्ठा किया, मैं आपके सामने आज उन सब गांवों की सूची भी रख देता हूं, जिलों की, जिसके कारण से आपको यह लगे कि मेरा कोई इसमें से, प्रत्येक गांव का तो नहीं है पर हर जिले के कितने गांव, अभी तक जो मेरी रिपोर्ट आयी है, उसमें आये हैं और उसमें क्या नुकसान हुआ है।मैं थोड़ा सा आपके सामने रख देना चाहता हूं।

यह 23 जिले ऐसे हैं जिनमें गांवों में नुकसान हुआ है, फसल का नुकसान हुआ है। उसके जो मेरे पास आकड़े हैं, अजमेर में 890 गांवों में यह नुकसान हुआ है, इसमें जीरा, गेहूं, चना और जौ हैं; टोंक में 215 गांवों का नुकसान हुआ है, जिसमें जीरा, चना, जौ, गेहूं; भीलवाड़ा में सभी ग्यारह तहसील इससे प्रभावित हुई है और लगभग 1026 गांव इसमें प्रभावित हुए हैं, गेहूं, सरसों, जौ, चना और इसबग़ोल; नागौर में- खींवसर और मेड़ता, जीरा और इसबग़ोल। धौलपुर में बसेड़ी- गेहूं, सरसों और आलू, आठ गांव हैं वहां। सवाई माधोपुर में 30 गांव हैं, गेहूं और सरसों; झुंझुनूं में 25 गांव हैं- गेहूं, सरसों और चना; सीकर में 5 गांव हैं, गेहूं चना; अलवर में रामगढ़, अलवर, कठूमर और लक्ष्मणगढ़, चार तहसीलों में 230 गांवों का है- गेहूं और सरसों- कोटा में लाड़पुरा, दिगोद, पीपल्दा, रामगंजमंडी और कनवास, 588 गांवों में गेहूं और धनिया का नुकसान हुआ है; बूंदी में इन्द्रगढ़, केशवराय, बूंदी, नैनवां और हिण्डौली, इन सभी तहसीलों का है, 650 गांवों का नुकसान हुआ है- गेहूं, धनिया, सरसों, लहसुन; झालावाड़ में झालरापाटन, असनावर और पचपहाड़- गेहूं, धनिया, लहसुन और संतरा; बारां में- मांगरोल और अन्ता, 25 गांवों का नुकसान हुआ है- गेहूं और धनिया; जोधपुर में इसबग़ोल और जीरे का नुकसान हुआ है; जालौर में भीनमाल में जीरे और इसबग़ोल का नुकसान हुआ है।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): कितना परसेंट?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): परसेंटेज एग्जेक्ट तो उससे आएगा जब आपकी गिरदावरी होकर आएगी। यह सम्भावित परसेंटज है जिससे कोई रिलीफ नहीं मिलेगी; केवल अनुमान हैं पर क्या नुकसान हुआ है, वैसे इसमें है कि कितना परसेंट हुआ, कितना नहीं हुआ लेकिन यह कोई आथेंटिक

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

नहीं है। जब तक सही गिरदावरी नहीं आएगी, तब तक अपन इसको आंक नहीं सकेंगे।

जालौर में भीनमाल में जीरा और इसबग़ोल; जैसलमेर में 7 गांव हैं- जीरा और इसबगोल; बाड़मेर में गुढामालानी, चौहटन और समधड़ी, 284 गांव हैं; पाली में बाली और देसूरी हैं- जीरा और इसबग़ोल; सिरोही में शिवगंज-इसबगोल और जीरा हैं; चित्तौड़ में बेगूं, रावतभाटा, कपासन, गंगरार- इसबगोल, मैथी, मसूर, धनिया और जीरा है और बीकानेर में फसल का नुकसान नहीं है लेकिन 30 गांव इसके अन्दर आते हैं। (व्यवधान) एक मिनट, मैं एक बार मेरी, आप उसके बाद बतायें। मैं आपको कह रहा हूं न, आप मुझे ...(व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): आपके पास अलवर की रिपोर्ट आयी, पूरी गलत भेज दी। कोटकासिम पंचायत समिति में 32 गांवों में तो कुछ बचा ही नहीं और उसमें एक भी गांव का नाम नहीं लिया आपने। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि अगर आप मुझे कागज लिखकर भी देंगे तो ...(व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): एस.डी.एम. लूणकरणसर तो कहता है कि 50 परसेंट से ज्यादा नुकसान है। मंत्री महोदय, तो ...(व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): मंत्री महोदय, कोटकासिम पंचायत समिति का नाम ही नहीं दिया। मंत्री महोदय, यह तो ऐसा ही सर्वे हुआ होगा। (व्यवधान) कोटाकासिम पंचायत समिति ...(व्यवधान)

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): मेरे विधान सभा क्षेत्र की कोटकासिम तहसील पर पर्ची के माध्यम से चर्चा हुई थी। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): कोटकासिम तहसील में तो कुछ बचा ही नहीं है। कुछ बचा ही नहीं। वहां का नाम ही नहीं आया।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): माननीय मंत्रीजी ने जवाब दिया है, उसमें उसका नाम ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, चूरू में भी खूब नुकसान हुआ है।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): माननीय अध्यक्ष महोदय, हम आपकी मेहनत पर नहीं कह रहे हैं, हम आपकी मेहनत पर शक नहीं कर रहे हैं, पर जो भेजा है, कोटकासिम पंचायत समिति में 32 गांवों में तो कुछ बचा ही नहीं है और उसका नाम नहीं आया।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि ...(व्यवधान)

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, चूरू जिले की ...(व्यवधान)

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय अध्यक्ष महोदय, बीकोनर जिले के डूंगरगढ़, कोलायत, खाजूवाला आदि क्षेत्रों में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, जबकि आपके सर्वे की रिपोर्ट में नाम नहीं आया है।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): लालसोट में बहुत नुकसान हुआ है। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैंने आपको कहा है कि अभी तक जो प्रारम्भिक मेरे पास सूचना है, वह मैंने रखी है। मैं ...(व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): साहब, प्रारम्भिक ही गलत आ गयी।

श्री अध्यक्ष: माननीय विधायक, बीच में मत बोलिए।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): सारे राजस्थान की सूचना आएगी, उसके बाद ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे कैसे ये बोलेंगे?

श्री अध्यक्ष: बानसूर से आने वाले माननीय विधायक ...(व्यवधान) बैठिये आप।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि ...(व्यवधान)

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): हम तो यह कहते हैं कि पूरे के पूरे 33 जिलों का सर्वे करवा लें। 33 जिलों में जहां-जहां पर भी नुकसान हुआ है, सब जिलों को शामिल करते हुए ...(व्यवधान)

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय अध्यक्ष महोदय, धरातल पर सर्वे नहीं किया जा रहा है। न बीकानेर के कलक्टर, एस.डी.एम., तहसीलदार, बी.डी.ओ., पटवारी, कोई भी बीकानेर जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं गये हैं।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, 33 के 33 जिलों में आप जहां-जहां भी नुकसान हुआ है, उन सबको शामिल करें। (व्यवधान)

श्री भंवरसिंह (कोलायत): सभी माननीय विधायकों ने बताया है कि अलग-अलग जिलों में कलक्टर क्षेत्र का दौरा करने गये हैं लेकिन बीकानेर में किसी भी अधिकारी ने ग्रामीण क्षेत्र का दौरा नहीं किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, बीकानेर के साथ यह कुठाराघात है। बीकानेर मरुस्थलीय क्षेत्र है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैं सभी माननीय विधायकों से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर कोई बात रह गयी है तो आप इन्हें लिखकर दे दें। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह गलत सर्वे है। ...(व्यवधान)...

श्री भंवरसिंह (कोलायत): खेतों में भारी नुकसान हुआ है, माननीय अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बैठिये। कृपया आप भी बैठिये। (व्यवधान) कृपया आप भी बैठिये।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय अध्यक्ष महोदय, बीकानेर का सर्वे अलग से करवाया जाए। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वे ही गलत है।

श्री अध्यक्ष: मैं माननीय विधायकों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि आपदा प्रबंधन मंत्रीजी ने बड़ी ईमानदारी से कहा है कि यह अंतिम नहीं है, सारे डैटाज आने के बाद वे सारी स्थिति देख लेंगे। (व्यवधान) आपके सामने स्पष्ट ...(व्यवधान) इसके बावजूद भी मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि बड़ा संवेदनशील मुद्दा है, हमने दो-ढाई घंटे बड़े अच्छे वातावरण में इस पर बहस भी की है, अच्छे सुझाव भी आये हैं। इस सारे वातावरण को बनाये रखने के लिए आपके पास अगर कोई और मुद्दा रह गया हो तो आप लिखित में भी दे सकते हैं। यह मेरा आप सबसे निवेदन है। अब आपका वक्तव्य पूरा हो जाने दीजिए। (व्यवधान)

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पर्ची के माध्यम से ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बैठिये आप। सीट पर बैठो आप।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह कर रहा हूं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, बैठिये।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): मैंने विधान सभा में पर्ची के माध्यम से सदन में रखा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बैठिये। प्लीज। माननीय रामहेतसिंहजी, प्लीज बैठिये।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): उसका नाम ही नहीं है और न मंत्री महोदय ने नाम ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: रामहेत सिंहजी, बैठिए।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों को आश्वस्त करता हूं कि प्रत्येक जिला कलक्टर को पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट सहित पूरी गिरदावरी, चाहे कहीं कुछ हुआ है या नहीं हुआ है, उनको अपने क्षेत्र की गिरदावरी 25 तारीख तक निश्चित रूप से भेजनी है।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): धन्यवाद।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): हंड्रेड परसेंट और उसके बाद भी कहीं चूक हो जाती है तो आप मुझे लिख कर भी देंगे तो मैं उसको फिर से बैठकर, उसको देखकर, जो कुछ मुझ से बन पड़ेगा, वह मैं निश्चित रूप से आश्वस्त करता हूं।

यह समस्या केवल आपकी ही नहीं है, राजस्थान के उस किसान की है जिसका वास्तव में जितना नुकसान होता है, उसकी तुलना में कुछ भी भरपाई नहीं होती है। यहां हम भले ही कितनी ही बात कहें लेकिन कानून की सीमाओं में बंध जाने के कारण से वास्तव में उसका भला होना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी जो अब तक सुविधा मिली हुई है, वह मैं थोड़ा आपके ध्यान में रख दूं और उसमें भी सरकार चाहेगी तो कुछ और रद्दोबदल करने की स्थिति में होगी। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मंत्रीजी, आप कानून की बेबसी मत बतायें। कानून की बेबसी बताना आपका काम नहीं है।

श्री अध्यक्ष: आपने मेरी अनुमति नहीं ली है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आपका तो राहत देने का काम है और आप कानून की बेबसी को कम कर सकते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपने मेरी अनुमति नहीं ली है। लेनी चाहिए। आप वरिष्ठ विधायक हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): आपदा राहत में, जैसा मैंने आपको कहा, 50 प्रतिशत से अधिक खराबे में ही इस नोर्म्स के आधार पर मिलता है, लेकिन सरकार ने पहले से ही केन्द्र सरकार को 25 परसेंट तक के खराबे को जोड़ने के लिए अपना आग्रह कर रखा है। फिर माननीया मुख्य मंत्रीजी से भी मैंने व्यक्तिगत बात की, वे भी आकर गयी थीं। हम कोशिश करेंगे कि 25 परसेंट से अधिक खराबे को भी केन्द्र सरकार इसमें जोड़े और उसके बाद हम किसान को मदद कर सकें।

अभी हमारे पास जो सुविधाएं हैं, वह मैं आपको बता रहा हूं। असिंचित क्षेत्र है प्रति हेक्टेयर 4,500 रुपया, सिंचित क्षेत्र में है 9 हजार रुपया प्रति हेक्टेयर, नहर से और बिजली से सिंचाई वाला। बारहमासी फसलों में जो डीजल से सिंचाई की जाती है, उसमें है 12 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर। गांव अभावग्रस्त घोषित होने पर, अर्थात् यह जो आपके नोर्म्स हैं, उनके आधार पर सिंचाई विभाग का आबियाना शुल्क व लगान माफ किया जाता है। चार महीने के बिजली के बिल माफ किये जाते हैं तथा सरकारी बैंकों के अल्पकालीन ऋण को मध्यकालीन ऋण में परिवर्तित किया जाता है।

मृत्यु का है – मृत्यु पर उसके आश्रित को डेढ़ लाख रुपया। विकलांगता, इसमें 40 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक 43,500 रुपया; 80 प्रतिशत से अधिक विकलांगता जिसमें है उसको 62 हजार रुपया। गम्भीर चोट पर एक सप्ताह से अधिक अस्पताल में भर्ती रहने पर 9,300 रुपया; एक सप्ताह से कम भर्ती रहने पर 3,100 रुपया। पशुओं की मृत्यु- दूध देने वाले पशु, गाय, भैंस और ऊंट, 16,400, छोटे पशु - भेड़-बकरी को 1,650 रुपया; जो दूध नहीं देते हैं उस पशु को 15 हजार रुपया; बछड़ा-बछड़ी, गधा और अन्य तरह के जो जानवर हैं, उनको 10 हजार रुपया।

अगर मकान की क्षति हुई है तो जो पक्के मकान हैं, उसको 70 हजार रुपया; जो कच्चे मकान हैं उनको 17,600 रुपया। यह सरकार की तरफ से एक तरह से देय है।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

मैं, क्योंकि यह पशु धन और उसके आंकड़े हर जिले के आपके सामने रखे हैं, फिर भी हो सकता है, कहीं मेरे पास सूचना आने में कोई कमी-खामी रही, तो मैं दुरुस्त करके उसको जो लाभ दे सकता हूं, वह निश्चित रूप से दूंगा।

मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जो पीड़ा आपके मन में है, वही पीड़ा मेरे मन में भी है। मैं इस पद पर रहते हुए किसान को जितना, जिस तरह से भी, आग्रहपूर्वक भी, मुख्य मंत्रीजी से कहकर कहीं अगर छोटी-मोटी छूट दिलाने की भी आवश्यकता पड़ी तो जरूर दिलायेंगे, पर उस किसान को ज्यादा से ज्यादा सरकार कैसे सहयोग करे, वह इस कठिनाई के समय में अपने आपको कैसे बचा सके; मैं आश्वस्त करता हूं, यह चर्चा भले आज यहां खतम हो जायेगी पर मेरा काम समाप्त नहीं हुआ और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि इस महीने के अंत तक सारी गिरदावरी रिपोर्ट भी आयेगी और 20 अप्रैल के पहले-पहले इन सारे पैसों का चुकारा उस किसान को हो जाएगा।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त हुई। स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था। आप कुछ कहेंगे? सारी, मेरा ध्यान नहीं था।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं फिर से जो हुआ है, उसके ऊपर अपनी संवेदना व्यक्त करना चाहूंगी। मैंने देखा कि सब लोगों ने चर्चा की है और सब लोग इससे दु:खी हैं। जो भी पिछले तीन दिन के अन्दर राजस्थान के अन्दर हुआ है, वह बहुत दु:खद है। वर्स्ट चीज तो यह होती है, अध्यक्ष महोदय, जब अपन देखते हैं कि किसान की फसल पूरी तरह से खड़ी है और खड़ी फसल को काटने का समय जब आता है, ऐसे समय पर इस तरीके की प्राकृतिक आपदा हो जाती है तो इससे बहुत बड़ी घटना क्या हो सकती है? इतना आघात हम सबको हुआ है।

मैं तो मानती हूं, इसलिए आज ओलावृष्टि के पैकेज, जो हम लोगों ने अपने पूर्व कार्यकाल के अन्दर किया था, 2008 का, इसी पैकेज को तब भी घोषित किया था और मैं समझती हूं कि पिछले पांच साल के अन्दर उसमें कोई चेंज किसी सरकार ने किया नहीं। इसका मतलब यह है कि वह अच्छा पैकेज था और इस पैकेज की आपने अभी घोषणा भी की है। उसको आगे करने का काम हम अभी करेंगे।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

पूर्व में मैंने जो पैकेज की घोषणा की थी, उसके साथ-साथ कुछ और निम्न बिन्दु भी हम लोग जोड़ना चाहते हैं। उसके अन्दर सबसे पहले तो अभी निर्धारित नोर्म्स के अन्तर्गत जन-हानि के लिए 1.5 लाख रुपये की बात अभी की थी। इसके अतिरिक्त 1.5 लाख रुपये राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। इसके साथ-साथ निर्धारित नोर्म्स के अन्दर वर्तमान में जो अधिकतम चार भेड़ या बकरी के लिए 1,650 रुपये प्रति पशु निर्धारित है, नोर्म्स से परे हटकर राज्य सरकार द्वारा स्वयं के संसाधनों से मृतक भेड़-बकरी के लिए प्रति काश्तकार को अधिकतम सीमा 1 लाख रुपया रखते हुए हम लोग पैकेज देना चाहते हैं। इसी तरीके से, वर्तमान में जो अधिकतम दुधारू पशु, यानी गाय, भैंस या ऊंट के लिए 16,400 रुपये प्रति पशु निर्धारित है, तो नोर्म्स से थोड़ा-सा परे हटकर हम लोगों ने यह तय किया है कि इनको भी अधिकतम सीमा 1.25 लाख रखकर बड़े पशुओं का भी इसी तरीके से इन्तजाम करें।

मैं यहां सबको ध्यान दिलाना चाहूंगी कि यह जो नोर्म्स परिवर्तित करने चाहिये थे, आपको याद होगा, चिदम्बरम साहब के समय में अधिकतम सीमा अकाल की खाली 30 दिन से ज्यादा नहीं थी, 30 दिन थी और लगातार पत्राचार के बाद हम लोगों ने सरकार से बात कर-कराकर, बहुत मशक्कत करने के बाद, 90 दिन हम लोगों को मिले। अभी भी प्रयास जारी हैं। हम जितनी भी अपनी शक्ति लगा सकते हैं, फिर से गवर्नमेंट आफ इंडिया को चिट्ठी लिखेंगे और उनसे फिर से अपनी वस्तुस्थिति के बारे में अवगत करायेंगे और अवगत कराने के बाद, जो भी अपेक्षित सहयोग है, उसकी मांग भी हम लोग करेंगे। तो वह तो मैं समझती हूं कि आज ही चिट्ठी निकल जायेगी।

मैं यह कहना चाहती हूं कि पिछली तीन दिनों के अन्दर यह जो कहर ढहा है, इसको कल शाम को ही हम लोगों ने, जैसे गृह मंत्रीजी ने बताया, कल शाम को ही अटेंड किया था। इसमें कोई समय निकला नहीं है। कलक्टर्स के साथ जो वीडियो कांफ्रेंसिंग हुई है, उसमें हमको यह भी मालूम पडा कि सब कलक्टर्स फील्ड के अन्दर चले गये थे। मैं यह कह रही हूं कि एक्चुअल डैमेज तो तभी मालूम पड़ेगा जब गिरदावरी की रिपोर्ट हमारे पास आयेगी। तो थोड़ा-सा पेशेंस तो हम लोगों को रखना पड़ेगा। पर साइड-बाई-साइड हम लोगों ने कलक्टर्स को आदेशित कर दिया है, एक रिवोल्विंग फंड उनको दिलवा दिया है कि जब तक यह सब पूरा तय नहीं होता है तो उनका काम नहीं रूके, वे अपना काम करते रहें और लोगों को राहत पहुंचाते रहें और जो भी उनको सही तरह

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

से पैसे वगैरह दिलवाने की जरूरत है, वह पैसे के अभाव में नहीं रुके, इसका हम लोगों ने इन्तजाम कर दिया है।

मैं यह कहना चाहती हूं कि सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है और हम पूरी तरह से, कहीं भी, जैसी भी, हम मदद कर सकते हैं, उस मदद में कहीं पीछे नहीं रहेंगे।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष: स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

1. महाराज रणधीर सिंह भीण्डर, सदस्य की ओर से राज्य के बजट निर्माण से पूर्व व्यापार मण्डल, उद्योगपति एवं संस्थाओं के साथ विधायकों से भी चर्चा करके विधायक कोष से निर्मित परिसम्पत्तियों का रखरखाव करने तथा विधान सभा के कम से कम तीन सत्र आहूत करने, आदि के सम्बन्ध में। यह नियमावली में है।
2. श्री मनोज कुमार, सदस्य की ओर से पुलिस थाना सदर नागौर में दर्ज मुकदमा संख्या 38/2015 का अनुसंधान पूर्ण होने के उपरान्त भी मुलजिमों को गिरफ्तार नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
3. श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य की ओर से पूरे राज्य में हुई भयंकर बरसात, ओलावृष्टि व आकाशीय बिजली के कारण चौपट हुई फसल के सम्बन्ध में।
4. डा. किरोड़ी लाल, सदस्य की ओर से पूरे राज्य में हुई भयंकर बरसात, ओलावृष्टि व आकाशीय बिजली के कारण चौपट हुई फसल के सम्बन्ध में।
5. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा, सदस्य की ओर से प्रदेश में खुली नीलामी का प्रावधान होने के बावजूद अनियमित एवं अवैध रूप से सीमेंट कम्पनियों को खानों का आबंटन कर देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
6. श्री रमेश, सदस्य की ओर से राज्य सरकार द्वारा स्वयं नीलामी से खानों के आबंटन का सुझाव केन्द्र को भेजने, केन्द्र द्वारा नई खनन नीति की अधिसूचना जारी करने से 12 दिन पहले चार सीमेंट

(श्री अध्यक्ष)

कम्पनियों को खानों का आबंटन कर देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उललेख की सूचनाएं

1. श्री किशनाराम, सदस्य की ओर से राजस्थान विंग होम गार्डस को भी अन्य पुलिस जवानों की भांति सुविधाएं देने के सम्बन्ध में।
2. श्री कंवरलाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना के नगरपालिका क्षेत्र अकलेरा के पुराने पुलिस थाना भवन में पुलिस चौकी संचालित करने के सम्बन्ध में।
3. श्री शुभकरण चौधरी, सदस्य की ओर से राज्य में सरकारी विद्यालयों के विकास के लिए लगाये गये विद्यार्थी मित्रों एवं कुक-कम-हेल्परों का मानदेय बढ़ाने के सम्बन्ध में।
4. श्री नन्दकिशोर महरिया, सदस्य की ओर से सीकर जिले के फतेहपुर शेखावाटी में बरसाती पानी की निकासी की माकूल व्यवस्था नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
5. श्री अजीत सिंह, सदस्य की ओर से टोंक जिला मुख्यालय स्थित हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र को नगर परिषद में हस्तान्तरित करने के सम्बन्ध में।
6. राजकुमारी दीयाकुमारी, सदस्या की ओर से सवाई माधोपुर में शेष बचे दूसरे फेज के सीवरेज कार्य को शीघ्र पूरा करवाने के सम्बन्ध में।
7. श्री भागीरथ चौधरी, सदस्य की ओर से किशनगढ़ के वर्तमान रेलवे स्टेशन को उप-नगरीय रेलवे स्टेशन रखे जाने का प्रस्ताव रेलवे मंत्रालय को भिजवाने के सम्बन्ध में।
8. श्री विद्याशंकर नन्दवाना, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में सी.ए.डी. विभाग द्वारा पांच लिफ्ट परियोजनाएं बनाने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

9. श्री विजय सिंह, सदस्य की ओर से नावां शहर से दूर पड़ने वाली 9 ग्राम पंचायतों को तहसील कार्यालय कुचामन के अधीन करने के सम्बन्ध में।

10. श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा, सदस्य की ओर से चाकसू (जयपुर) में राजकीय महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में।

11. श्री अभिषेक मटोरिया, सदस्य की ओर से जिला हनुमानगढ़ की नोहर-पल्लू सड़क का जल्दी सर्वे करवाकर इसको हाइवे बनाने के सम्बन्ध में।

12. श्री सुरेन्द्र पारीक, सदस्य की ओर से राज्य में मकान-मालिकों को उनके किरायेदार एवं घरेलू नौकर रखने की सूचना पुलिस द्वारा प्राप्त करने के निर्देश जारी करने की आवश्यकता के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्य, मेरा आप सब को एक सुझाव है कि यह सब 295 की जो सूचनाएं हैं, इनको पढ़ा हुआ मान लिया जाए। ये सरकार के पास जायेंगी, वही प्रक्रिया होगी, आपके पास जवाब भी आयेंगे। आप पढ़ेंगे तो भी वह ही स्थिति रहेगी। इनको पढ़ा हुआ मान कर सरकार के पास भेज दिया जाए, यह मैं सुझाव देता हूं।

(नियम 295 के तहत पढ़ी मानी गयीं विशेष उल्लेख की सूचनाओं के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

आज दिनांक 16 मार्च, 2015 में शून्य काल में बोलने हेतु 51 पर्चियां प्राप्त हुईं, जिनमें शलाका द्वारा चार पर्चियां निकाली गयीं, जो निम्नांकित हैं:-

1. श्री अर्जुन लाल जीनगर, कपासन में ओलावृष्टि के बारे में। बोल चुके।
2. श्री ललित कुमार, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि के बारे में। बोल चुके।
3. श्री शंकर सिंह राजपुरोहित-राज्य में गौवंश की तस्करी को रोकना। वह भी आप अपने भाषण में बोल चुके हैं।
4. श्री शंकर लाल शर्मा, दौसा-शहर में। वह भी आप बोल चुके।

ये चारों ही पर्चियों पर, आप बोल चुके हैं दौसा शहर के बारे में, फिर बोलना चाहेंगे क्या? (व्यवधान)

श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा): सीवर लाइन के बारे में।

श्री अध्यक्ष: बोल लीजिए। आप सब बोल चुके, जितना भी बोलना था। आप बोल चुके हैं सीवर लाइन के बारे में।

यह सब पर्चियों पर बोल चुके।

अब आज का कार्यक्रम।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): अध्यक्ष महोदय, एक मेरा निवेदन है। अध्यक्ष महोदय, बहुत गम्भीर मुद्दा है। नागौर के एक दलित परिवार को रात को 12 बजे झोंपड़े में जिंदा जला दिया, अध्यक्ष महोदय, और एक माह हो गया।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। आप गृह मंत्री से ...(व्यवधान)

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): बहुत गम्भीर मुद्दा है। एक दलित परिवार को रात को साढ़े 12 बजे ...

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): ×××

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बैठिये। अंकित नहीं हो इनका एक शब्द भी। एक शब्द भी अंकित नहीं हो।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): ×××

श्री अध्यक्ष: यह सदन को, पुलिस के अनुसंधान को प्रभावित करने के लिए सदन का प्रांगण यूज करने की इजाजत नहीं दूंगा। बैठ जाइये आप।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): ×××

श्री अध्यक्ष: सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। इनका यह अंकित नहीं हो।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): ×××

श्री अध्यक्ष: श्री पुष्पेन्द्र सिंह। अंकित नहीं हो यह।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का 13वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण (वर्ष 2012-13)

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए के अन्तर्गत राजस्थान

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का 13वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 2012-13 सदन की मेज पर रखता हूं।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): अध्यक्ष महोदय, मामला दलितों का है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: दलितों का हो, या ...(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): कितना भयंकर मामला है, आधी रात को 12 बजे जला दिया।

श्री अध्यक्ष: इस सदन के प्रांगण को पुलिस के अनुसंधान को प्रभावित करने के लिए प्रयोग नहीं होने दूंगा। यह मैंने आपसे कह दिया।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): आप पूरी बात तो सुनो, माननीय अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): ×××

श्री अध्यक्ष: मैंने रिजेक्ट कर दिया। मैंने रिजेक्ट कर दिया।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): दलितों पर अत्याचार ...(व्यवधान) आप बैठे हों ...(व्यवधान) आप कुर्सी पर खुद दलित रखवाले हो ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री संजीव कुमार।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): आप दलितों की बात पर ध्यान दो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री संजीव कुमार।

याचिका

भादरा (हनुमानगढ़) में राजकीय महाविद्यालय खोला जाना

श्री संजीव कुमार (भादरा): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, भादरा, जिला हनुमानगढ़ में राजकीय महाविद्यालय खुलवाने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती राजकुमारी दीयाकुमारी।

राजकुमारी दियाकुमारी (सवाई माधोपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करती हूं:-

(राजकुमारी दियाकुमारी)

राजकीय पी.जी. कालेज, सवाई माधोपुर में आडिटोरियम का निर्माण

(1) राजकीय पी.जी. कालेज, सवाई माधोपुर के परिसर में आडिटोरियम बनाये जाने बाबत एवं

सवाई माधोपुर में खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने हेतु स्टेडियम का विकास

(2) विधान सभा क्षेत्र सवाई माधोपुर में खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने हेतु दशहरा मैदान स्टेडियम के रूप में विकसित करने बाबत।

श्री अध्यक्ष: विधायी कार्य। पुर:स्थापित किये जाने वाले विधेयक। राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2015 । श्री राजेन्द्र राठौड़।

विधायी कार्य : विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2015

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): ×××

श्री अध्यक्ष: आप प्रांगण में मत आइये। आप प्रांगण में मत आइये। आपको मैं फिर नाम लेकर पुकारूंगा। नहीं, नहीं, एक शब्द नोट नहीं हो।

(माननीय सदस्य श्री मनोज कुमार द्वारा सदन कूप में आगमन)

प्रांगण में मत आइये। आप प्रांगण में मत आइये। आप मिलिये। देखिये, मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, मुझे नाम लेकर पुकारना पड़ेगा। यह अनुशासनहीनता की पराकाष्ठा है। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

अंकित नहीं होगा। अनुशासनहीनता की हद है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: मैं आपको अभी नेम करूंगा। जब चाहे जब, जो चाहे जो, बोल दें। यह सब प्रक्रियाएं हैं। यह पुलिस का केस है, गृह मंत्रीजी से मिल लीजिए आप। इस प्रांगण को आप प्रयोग करना चाहते हैं? अनुसंधान को प्रभावित करने के लिए इस प्रांगण का प्रयोग करने की इजाजत कभी नहीं दूंगा।

प्रश्न यह है कि राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: राजस्थान कृषक उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2015 । श्री प्रभू लाल सैनी।

राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2015

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुर:स्थापित करता हूं।

व्यवस्था

अनुदान की मांगों पर कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

श्री अध्यक्ष: अनुदान की मांगों पर कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया पर व्यवस्था।

माननीय सदस्यगण, इसको आप ध्यान से सुनिये। अनुदान की मांगों पर विचार करने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस सम्बन्ध में कुछ वर्षों से अपनायी जाने वाली पद्धति की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। इस सदन की परम्परा रही है कि जितने भी कटौती प्रस्ताव, जिस दिन की मांग आती है, जो प्रस्तुत होते हैं, वह यह मान लिये जाते हैं कि सदन में पेश हो गये हैं और बोलने के लिए उन्हीं माननीय सदस्यों को इजाजत दी जाती है जिनके नाम विभिन्न दलों के सचेतक महोदयों और मुख्य सचेतक महोदय द्वारा आसन को प्रस्तुत किये जाते हैं।

विभिन्न दलों के सचेतक महोदय और मुख्य सचेतक महोदय बोलने के लिए प्राथमिकता उन्हीं माननीय सदस्यों को दें जिन माननीय सदस्यों के कटौती प्रस्ताव हैं। ऐसा मेरा अनुरोध है। जब मांग मतदान के लिए आती है, उस समय भी स्वत: यह मान लिया जाता है वे कटौती प्रस्ताव, जो प्रस्तुत किये गये हैं, वे वापस ले लिये गये हैं। यह परम्परा सदन की रही है।

जिस माननीय सदस्य का नाम पुकारा जाए, वे अपने सारे कटौती प्रस्तावों पर एक साथ उसी समय बोलने की कृपा करें। किसी पार्टी के माननीय नेता या अन्य प्रमुख सदस्य, जो उनकी पार्टी की ओर से बोलना चाहें, वे भी अपने विचार व्यक्त कर सकेंगे।

माननीय सदस्यों को यह भी ज्ञात होगा कि मांगों पर होने वाली बहस के दौरान उठाये गये प्रश्नों के उत्तर मंत्री महोदय द्वारा उसी दिन दिये जायेंगे और उसके बाद उन मांगों पर मतदान होगा। जिन कटौती प्रस्तावों के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को समय अभाव के कारण उत्तर न मिल सकें, उनके लिखित उत्तर सम्बन्धित माननीय सदस्यों को सरकार की ओर से मिल जाएं, ऐसा मेरा निवेदन है।

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2015-16 । द्वितीय अवस्था। अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान।

(श्री अध्यक्ष)

श्री गुलाबचन्द कटारिया, गृह मंत्री, अनुदान की मांग संख्या 16 और 17 प्रस्तुत करेंगे।

श्री रमेश (सपोटरा): गृह मंत्रीजी, मैं एक मेरी बात कहना चाहता हूं। मेरा जो स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से खनन आबंटन का ...

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो। ...(व्यवधान)... रिजेक्ट कर दिया है। अस्वीकृत कर दिया। नहीं हो सकता। (व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो। स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं है यह। यह स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं है। अंकित नहीं हो।

श्री रमेश (सपोटरा): ×××

वित्तीय कार्य

अनुदान की मांग

मांग संख्या 16 – पुलिस की प्रस्तुति

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 16-पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 40,23,57,77,000/- (चालीस अरब तेइस करोड़ सत्तावन लाख सतहत्तर हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

(मांग संख्या 16 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

मांग संख्या 17 – कारागार की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 17- कारागार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,33,69,01,000/- (एक अरब तैंतीस करोड़ उनहत्तर लाख एक हजार तक की राशि प्रदान की जाए।

(मांग संख्या 17 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

श्री रमेश (सपोटरा): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

श्री रमेश (सपोटरा): ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय अध्यक्ष महोदय सब सुन रहे हैं। स्थगन प्रस्ताव के विषय में, पहले स्थगन प्रस्ताव की परिभाषा देख लो, नियमावली देख लो।

(श्री अध्यक्ष)

उसमें कहीं भी आए तो माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे कक्ष में आकर के देख लीजिए कि मेरी रूलिंग ठीक थी या गलत। लेकिन उसमें देखना पड़ेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, उसके पश्चात् भी 24 तारीख को खान पर चर्चा है। माननीय सदस्य के पास कोई तथ्य हों तो वे लेकर आएं। हम जोधपुर में जिस तरह से खानें नीलाम हुईं, वह काम हमारी सरकार नहीं कर रही है। (व्यवधान) वाले लोग हैं। ये बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): 24 तारीख को हम उत्तर देने को तैयार हैं। (व्यवधान) 24 तारीख को लेकर आएं। (व्यवधान) आसन की व्यवस्थाओं को चुनौती नहीं दे सकते हैं। (व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): ×××

श्री राज कुमार रिणवां (राज्य मंत्री, खान): आसन ने व्यवस्था दे दी ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप 24 तारीख को आएं न। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए। इनका एक भी शब्द अंकित नहीं हुआ है। जवाब देने की आपको जरूरत नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: अब हम बहस चालू करते हैं। (व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): ×××

(माननीय सदस्य श्री रमेश का सदन कूप में आगमन)

श्री अध्यक्ष: आप अपने स्थान पर जाइये। फिर मुझे सख्त होना पड़ेगा। (व्यवधान) आप, यह देखिए, फिर मुझे सख्त होना पड़ेगा। (व्यवधान) अपने स्थान पर जाइये (व्यवधान) अपने स्थान पर जाइये ...(व्यवधान)... इनका एक शब्द अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) यह है आपका अनुशासन? ये हैं अनुशासित ...(व्यवधान)... जाइये अपने स्थान पर। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): अध्यक्षीय व्यवस्थाओं को तो मानो। कुछ सीखो।

श्री अध्यक्ष: यह तो पहले ही भुगत चुके हैं। (व्यवधान) देखिये, हमारे यहां कार्य सलाहकार समिति में एक निर्णय लिया गया, जिसमें प्रतिपक्ष के नेता भी थे, उनके वरिष्ठ सदस्य भी थे और सत्ताधारी पार्टी की ओर से भी थे, कि 6 बजे तक हमारा सदन चलना चाहिए। विशेष परिस्थितियों में 6 से 7 तक चलना चाहिए। 7 बजे तक निश्चित रूप से एडजोर्न होना चाहिए। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, हमारे यहां दोनों पक्षों के नाम आ रहे हैं, 10-10 मिनट; 3 इधर के, 1 इधर का, यह 10-10 मिनट के हिसाब से बोलें। ठीक 6 बजे मैं बहस बंद करके, 6 बजे बाद, 6 से 7 का हाउस बढ़ाकर मंत्रीजी का वक्तव्य सुन लेंगे और 7 बजे हमारी विधान सभा एडजोर्न हो जाएगी। यह एक निर्णय है, सर्वसम्मति से लिया गया निर्णय है कार्य सलाहकार समिति में। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप इसमें सहयोग करें।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह रा ज पा और निर्दलीयों को बुलवाओगे न?

श्री अध्यक्ष: हां। देखिए, मैं बताऊं, मैंने आज ही बुलवाया है सबको, लेकिन 24 ये हैं, 16 अन्य हैं। 24 और 16 मिलकर के कितने हुए?

एक माननीय सदस्य: 40 ।

श्री अध्यक्ष: 40 । 160 ये हैं। तो मैं यह चाहता हूं कि ये भी इतनी उदारता बरतें कि इधर से भी नाम दें, 16 के हिसाब से आपको दे दें; 24 के हिसाब से ये रख लें; और 160 के हिसाब से ये रख लें। इसमें से भी 4 का कोटा इधर का बनता है बोलने का, लेकिन मैंने 3 का ही रखा है, कि 3 इधर और 1 इधर का। यह मैंने व्यवस्था दी है, इस पर आप कायम रहें। परम्परागत यही होता आया है, जो आपको मालूम है। आप पुराने सदस्य हैं।

अब बहस चालू करेंगे आज की, श्री रामहेत सिंह यादव।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): एक पाइंट आफ इन्फार्मेशन है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: कोई पाइंट आफ इन्फार्मेशन नहीं है।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): जहाजपुर के अन्दर एक बच्ची के पास स्कूल में छेड़छाड़ की घटना कक्षा 6 की लड़की के साथ हुई है। पूरे ग्रामीणों ने स्कूल के बाहर ताला लगा रखा है।

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): ×××

श्री अध्यक्ष: बिना अनुमति के बोल रहे हैं, अंकित नहीं हो।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो। मेरी बिना अनुमति के बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): ×××

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): ×××

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, मैं इसकी जांच करवाकर, जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ कार्यवाही होगी।

(14.23 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से, एक सैकण्ड लूंगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि 3 तारीख को जो गतिरोध हुआ था, वह लाठी चार्ज को लेकर के गृह मंत्रीजी के एक वक्तव्य को लेकर हुआ था। वह बात अभी तक पूरी नहीं हुई। लेकिन किसानों पर जो अप्राकृतिक आपदा आई, उस मुद्दे को देखते हुए, किसान हित में हमने यह निर्णय लिया कि हम हाउस में जाकर के किसान के हित की बात करें।

जिस तरीके की बयानबाजी हुई, लाठी चार्ज पूरे मीडिया ने दिखाया, लेकिन गृह मंत्रीजी ने अपने वक्तव्य में कहा कि लाठी चार्ज नहीं हुआ। मैं यह चाहता हूं कि आज कारागार और पुलिस के ऊपर, डिमांड पर चर्चा हो रही है। हम चर्चा में भाग लेना चाहते हैं और गृह मंत्रीजी का जवाब भी सुनना चाहते हैं लेकिन हमारी एक मांग है कि गृह मंत्रीजी उसके ऊपर बयान देकर के, वक्तव्य देकर के, हाउस की एक कमेटी बैठा दें, या कोई ऐसे निष्पक्ष अधिकारी को लेकर के एक जांच कमेटी बैठा दें जिससे कम से कम एक माननीय सदस्य के साथ जिस तरह से लाठी चार्ज पुलिस ने किया, उसकी बात आ जाए। गृह मंत्रीजी कह भी चुके हैं कि मैं वक्तव्य देने को तैयार हूं, इसके ऊपर जांच कमेटी बैठाने को तैयार हूं, कम से कम जांच कमेटी की बात आ जाए,

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

उसके बाद चर्चा हो, तो सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम, माननीय गृह मंत्रीजी, आपकी बात सुनेंगे, पूरा जवाब भी सुनेंगे लेकिन हमारी जो मांग है, उस पर आप गौर करें।

सदन के सारे माननीय सदस्य बराबर होते हैं। न कोई इसमें सत्ता पक्ष है, न कोई विपक्ष है। एक माननीय सदस्य के साथ जिस प्रकार का लाठी चार्ज हुआ है, कम से कम उस बात के ऊपर आपका वक्तव्य आए, कमेटी बनाकर के जांच करें, वस्तुस्थिति सदन के सामने आ जाए। सदन चल रहा है, तो मैं समझता हूं कि हम भी आपसे न्याय की उम्मीद करते हैं। आप थोड़ा जवाब दे दें, उसके बाद में हम इस पर चर्चा करेंगे।

श्री सभापति: श्री रामहेत सिंहजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि हमारे नियमों और प्रक्रियाओं में स्पष्ट लिखा गया है कि जिस विषय पर सदन में एक बार चर्चा हो जाए, उस पर दुबारा चर्चा नहीं की जा सकती है। इस विषय पर सदन में आधा दर्जन से ज्यादा बार चर्चा हो गई। इसलिए, सभापति महोदय, मेरा आपसे आग्रह है कि आगे का काम ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सदन में नहीं हुई। गृह मंत्री जी जवाब देना चाह रहे हैं। हरी किताब सबके पास में है, माननीय राठौड़ साहब। हरी किताब का ही तो निर्णय माना है अभी।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैंने पहले ही दिन स्पष्ट रूप से कहा कि जो भी फुटेज मेरे पास उपलब्ध थी, वह मैंने देखी और देखने के बाद मैंने अपनी बात कही। उसके बाद आपका आग्रह था कि और फुटेज मंगाएं, मैंने 3-4 फुटेज और मंगाई। आपको स्वयं को बुलाकर के मेरे कमरे में मैंने शुरू से आखिर तक दिखाई। उसके बाद मैंने आपको वह क्लिप दी थी कि आप अपने विधायक दल में जाकर के इसको और दिखा दो। उसके बाद मैंने जितना भी प्रेस था, उसको भी अपने कमरे में बुलाकर वह सब दिखा दी। उसको देखने के बाद तो, जो कुछ भी मैंने देखा और आपने देखा, उसमें इस प्रकार की कोई चीज मुझे दिखाई नहीं दी। अगर आपके

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

पास कोई ऐसी फुटेज हो जिसमें कोई ऐसी बात दिखती है, तो आप लाकर के मुझे दीजिए, मैं फिर दुबारा देख लूंगा।

मैंने कोई अपनी बात बंद नहीं की। अगर कहीं कोई कमी है तो सुधारना मेरा फर्ज है, लेकिन जो कुछ मैंने देखा और जो कुछ मैंने आपको दिखाया था, उसमें ऐसा कोई वाकया मुझे दिखाई नहीं दिया।

श्री रमेश (सपोटरा): गृह मंत्रीजी आप असत्य बोल रहे हों। यह आपके लिए शोभा नहीं दे रहा है। आप सीनियर हों ...(व्यवधान) यह ठीक नहीं है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, नेता प्रतिपक्ष खड़े हो गये तो आपको तो संयम रखना चाहिए।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय सभापति महोदय, जो गृह मंत्रीजी ने बताया; आपके स्वयं के कमरे में बैठकर और हमारे पास में जो विजुअल्स थीं, स्क्रिप्ट थी, वह भी आपको हमने बताई। आपको उस वक्त में जल्दी थी, क्वेश्चन आवर था, उसमें आपको पधारना था। आप यह कहकर गये थे कि वापस आकर अपन इसको देखेंगे। आपके द्वारा ही मीडिया के अन्दर, पेपरों के अन्दर, टीवी चैनलों के अन्दर, पहले यह बात आई कि लाठी चार्ज हुआ है। आपने अपने वक्तव्य में उस दिन कहा था कि पुलिस गीत नहीं गाएगी, लाठी बरसायेगी। यह आपका वक्तव्य था।

अभी भी कुछ नहीं हुआ है। हमारे पास में जो स्क्रिप्ट है, उसमें आपने तो सीधा वक्तव्य यहां दे दिया, माननीय गृह मंत्रीजी, यहां लाठी चार्ज हुआ ही नहीं। संसदीय कार्य मंत्रीजी ने दे दिया। आपके बी जे पी के अध्यक्ष और माननीय सदस्य ने यह कह दिया कि वहां लाठी चार्ज नहीं हुआ। क्या लाठी चार्ज नहीं हुआ? आप जब वक्तव्य दे रहे हो तो उसमें क्या लाठी चार्ज नहीं हुआ? यह जांच का विषय है।

इसलिए हम निवेदन करना चाह रहे हैं, हम भी सदन के अन्दर एक सौहार्दपूर्ण वातावरण तैयार करना चाह रहे हैं और आप सत्ता पक्ष जिस तरीके से सत्ता के मद में चूर, आपने वक्तव्य दे दिया, लाठी चार्ज हुआ ही नहीं; तो आप इसमें एक निष्पक्ष जांच करवा लें कि लाठी चार्ज हुआ कि नहीं हुआ। वह जांच आने के बाद में बैठकर आप फैसला करना। मेरा यह विशेष निवेदन है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैंने जो कुछ भी देखा, मैंने वहीं तक ही अपनी बात सीमित रखी। आपके पास कोई फुटेज ऐसा है, मैंने उस दिन भी कहा था कि एक मिनट के आधा भाग में पुलिस ने जब कैनिंग करना शुरू किया, उसके बाद लाठियां उठाई, लेकिन कहीं भी लाठी गिरती हुई उस फुटेज में नहीं दिखाई दी, कि यह इस पर गिरी। मैं बहुत सच और ईमानदारी से कह रहा हूं कि अभी भी आपके पास फुटेज हों तो आप लाकर दिखाएं, जिससे यह लगे कि यह लाठी इस आदमी को लगी, तब तो मैं कोई बात समझता हूं। मैंने जो कुछ भी देखा है, उसमें एक मिनट के आधे भाग में जब कैनिंग होकर भीड़ भागने लगी, उस समय उन्होंने भागते हुए लोगों के पीछे डण्डे जरूर उठा कर दस-बीस कदम दौड़े। उसके बाद, आपने जाकर के वहीं तो प्रेस को ब्रीफ किया, वहीं बैठ कर आपने अपनी सारी बात कही।

मैं अब भी खुले दिमाग से हूं और कोई ऐसा प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है, कोई चीज ऐसी आप दिखाएंगे जिससे मुझे यह अहसास होगा कि हां, पुलिस ने कोई एक्सेस काम किया, तब तो मैं उसके लिए जिम्मेदार हूं। मेरी पुलिस जिम्मेदार नहीं, गुलाबचन्द कटारिया जिम्मेदार है और उसका कोई अगर खामियाजा भुगतना है तो मैं पहले भुगतने को तैयार हूं। लेकिन यह नहीं है कि आप दबाव बनाकर केवल पुलिस को डिमोरेलाइज करो। आधे घण्टे तक पुलिस भिड़ती रही। और धक्के खाती रही, अगर मैं पुलिस आफिसर होता न, तो इतनी देर धैर्य नहीं रखता। (व्यवधान)

श्री सभापति: श्री रामहेत सिंह यादव। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय सभापति महोदय, एक मिनट। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय नेता प्रतिपक्ष, अब आसन इससे ज्यादा उदार नहीं हो सकता। (व्यवधान) आसन आपसे निवेदन करता है कि अगर आपका कोई विषय रह गया हो तो आप उसको बहस में प्रस्तुत कर सकते हैं, आपके सदस्य कर सकते हैं।

रामहेत सिंह यादव।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय सभापति महोदय, एक मिनट। हमारे पास विजुअल्स हैं।

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। आसन की अनुमति के बगैर कोई भी वक्तव्य अंकित नहीं होगा। रामहेतसिंहजी, आप शुरू कीजिए।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

मांग संख्या 16 व 17 पर विचार

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 16-पुलिस और मांग संख्या 17, पर मेरे विचार रखने के लिए खड़ा हुआ हूं।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री सभापति: रामहेत सिंहजी। बाकी किसी का अंकित नहीं होगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री सभापति: आदरणीय सदस्य, आप अपने दल के सचेतक भी हैं, आसन आपको सचेत करना चाहता है कि आसन की उदारता का आप अनुचित फायदा न उठाएं। कृपा शांत बैठे रहें और रामहेत सिंहजी की अभिव्यक्ति सुनें।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 16 और 17, पुलिस और कारागार पर ...(व्यवधान)

श्री सुखाराम (मेड़ता): ×××

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभारी हूं।

मैं सबसे पहले राजस्थान के गृह विभाग का हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि अलवर जिले के सपूत, स्वर्गीय निहाल सिंह जी, कांस्टेबल 185 नम्बर, जो पुलिस ड्यूटी करते हुए शहीद हो गये, उनको गृह विभाग द्वारा, राजस्थान सरकार द्वारा गणतंत्र दिवस पर शौर्यता के लिए वीरता पदक से सम्मानित किया। मैं उनका हृदय से आभारी हूं।

मैं कहना चाहता हूं।

श्री रमेश (सपोटरा): ×××

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): गृह विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। पिछले वर्षों में जो-जो घटनाक्रम हुआ, उससे सीख कर सुधार की क्या गुंजाइश है, उस पर हमें मंथन करना पड़ेगा।

मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, 2008 से 2013 तक कांग्रेस का राज था, राजस्थान में पुलिस की जैसी व्यवस्था थी, वह आप सब जानते हैं;

(श्री रामहेत सिंह यादव)

अलवर जिले का तो मैं बहुत खूबी से जानता हूं।उस सदन में मैं भी विधायक के नाते यहां था। हर बार पुलिस को सुधारने की चर्चा हुई, पुलिस के इकबाल की चर्चा हुई, लेकिन चर्चा होकर ही रह गई और क्षेत्र में उलटा हुआ। मैं उदाहरण के लिए बताना चाहता हूं कि तिजारा विधान सभा क्षेत्र में पालपुर गांव है, वह तिजारा थाने के अन्दर पड़ता है। उस एक गांव में पुलिस अलवर जिले की पुलिस कांग्रेस के राज में पिटी और एक भी मुलजिम को पकड़ नहीं पाई। यही नहीं, बहुत सारी चोरियों का गृह था, विशेषकर भैंस चोरियों का; आसपास के लोग उसमें शामिल थे। हरियाणा पुलिस आई, चार इंस्पेक्टर आए, आठ सब इंस्पेक्टर आये, लगभग चालीस से अधिक हथियारबंद पुलिस वाले तिजारा में आये, फूलावास एक गांव है वहां से चोरी का सामान, भैंस को पकड़ लिया, चोरियों को पकड़ लिया और जैसे ही उनको ले जाने लगे तो गांव में आवाज लग गई माइक से और बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि हथियार सहित आठ थानों की पुलिस हरियाणा की बन्धक बना ली गई। पूरे दिन भर प्रयास हुए। राजनीतिक प्रयास होने के बाद, बड़ा आग्रह, हाथ जोड़कर, राजस्थान की उस समय की तत्कालीन सरकार ने आग्रह किया, कुछ बिचौलियों को साथ लिया, तब जाकर हरियाणा की पुलिस और उसके हथियार वापस मिले। जो बन्धक बनाने वाले हैं, उनके प्रति एफ आई आर तक दर्ज नहीं हुई। तो पुलिस से आप क्या अपेक्षा रखेंगे? पुलिस अपनी रक्षा करेगी या मुलजिमों को पकड़ने का प्रयास करेगी?

उसका रिजल्ट यह हुआ कि तिजारा ही नहीं, अलवर जिले में जंगल राज रहा। अवैध खनन में एक-एक हजार, दो-दो हजार ट्रक चोरी करते थे। यही नहीं, कांग्रेस के राज में जिस तरह का माहौल बना, वहां से नकली घी का आना, सोने के नकली सिक्के बेचना, नकली ईंटें बेचना, अलवर जिला एक तरह से बारूद के ढेर पर हो गया। इस सदन में हमने कई बार चर्चा की।

आपने पुलिस के मनोबल को गिराया है। उस समय के तत्कालीन एस पी ने कहा कि गोली का जवाब गोली से और पत्थर का जवाब पत्थर से; कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने उसको 24 घण्टे के अन्दर ट्रांसफर करके दूसरे जिले में भेज दिया। तो देखा कि अलवर जिले में जिसको नौकरी करनी है, अपराधियों से मिलिए, उनके साथ रहिए, पैसा कमाइए और अपराधियों के संरक्षण में ही पुलिस चलती थी। ऐसे हालात थे।

(श्री रामहेत सिंह यादव)

माननीय सभापति महोदय, मैं बधाई देता हूं राजस्थान की सरकार को, गृह विभाग को, एक साल में एक बार भी ऐसी घटना नहीं हुई, जिसमें पुलिस पर कहीं ऐसा आया हो, अख़बार में ऐसा छपा हो कि पुलिस के साथ कोई अपराधी ने कोई गिरोह बनाकर कोई हमला किया हो, या इस तरह की कोई घटना हुई हो। पुलिस ने अच्छा काम किया है। उस पुलिस के आत्मसम्मान की रक्षा करने का काम राजस्थान की सरकार ने किया। जो अच्छे लोग थे पुलिस में, उनको सम्मानित किया गया और उसी कारण से हमारे स्वर्गीय निहाल सिंहजी जैसे सिपाही ने अपनी ड्यूटी पर, अपनी पुलिस की ड्यूटी समझ कर अपराधियों से लड़ते हुए अपनी जान दे दी। राजस्थान की सरकार ने उनको मरणोपरान्त जिस तरह से सम्मानित किया, मैं गृह विभाग को पुन: धन्यवाद देना चाहता हूं।

मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं और अभी चूंकि जो साल भर में प्रयास हुए हैं, वे बहुत कम हैं, उसके कारण हैं। हम विचार करेंगे कि हमारे पुलिस की नफरी जिस तरह से होनी चाहिए थी, मैं कहना चाहता हूं, राजस्थान में आई पी एस 205 होने चाहिए, 25 पद रिक्त हैं; आर पी एस 863 होने चाहिए, 201 पद रिक्त हैं; इंस्पेक्टर, 1332 होने चाहिए थे, 527, यानी, 20 परसेंट से अधिक इंस्पेक्टर के पद रिक्त हैं; सब-इंस्पेक्टर के 4,475 पद हैं जिनमें से 1,736 पद रिक्त हैं। ए एस आई के 6,000 पद हैं जिनमें से 2,183 पद रिक्त हैं। हैड कांस्टेबल के 13,325 में से 5,402 पद रिक्त हैं, 1/3 पद रिक्त हैं; पुलिस के लिए चुनौती है। इसी तरह से, कांस्टेबल के लगभग 13,000 पद रिक्त हैं। मैं माननीय गृह मंत्रीजी से और राजस्थान की सरकार से सदन के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि राजस्थान की नफरी खाली नहीं रहनी चाहिए। आज जितने लोग पुलिस के रिटायर होने वाले हैं, उनमें 2 परसेंट, 5 परसेंट आप अग्रिम रूप से विज्ञप्ति जारी करें। यह काम ऐसा तो है नहीं कि 2 बाबू नहीं हैं, 3 बाबू नहीं हैं तो 3 बाबू का काम 1 कर लेगा। यह नौकरी पुलिस की हार्ड ड्यूटी होती है और 24 घण्टे की नौकरी होती है। उसको तनख्वाह बहुत कम मिलती है, सुविधाएं बहुत कम मिलती हैं और उसमें उसको अगर आराम करने के लिए अवसर नहीं देंगे तो उसकी कार्य क्षमता में कमी आएगी। इसलिए मेरा आग्रह है सरकार से, गृह मंत्रीजी से आग्रह करना चाहता हूं कि पुलिस की नफरी वैकेंट नहीं होनी चाहिए। पहले भावी 2 साल

(श्री रामहेत सिंह यादव)

आगे की योजना बनाकर कि कितने पद रिक्त होने वाले हैं, जैसे ही रिक्ति हो, उसके एक-डेढ़ महीने में उसकी भरपाई हो जाए।

जैसे हमारा अलवर जिला है, अलवर जिला तो बारूद के ढेर पर आज भी बैठा है, गृह मंत्री महोदय। अब तक जो प्रयास हुए हैं, वे वास्तव में ऊंट के मुंह में जीरा हैं। वहां पर जिस तरह का क्राइम है, वहां सारा नकली दूध आता है, वहां नकली घी का धंधा है, वहां पर अवैध हथियार आते हैं, वहां पर आये दिन गौकशी होती है। गौकशी में पुलिस कुछ नहीं कर सकती। जिस तरह से अपराधी हथियारबंद होकर आते हैं, एक टूटी-सी जीप, एक छोटी-सी बोलेरो में चार सिपाही बैठ कर, एक पुरानी बंदूक लेकर जो चली या नहीं चली, उससे उन अपराधियों को नहीं रोका जा सकता। उसमें तो आपकी जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं, जिनको आप कोई झगड़ा हो जाय, कोई उपद्रव हो जाय, उस समय जिस तरह के हथियार लेकर बख्तरबंद गाड़ी के साथ चलते हैं, आपको अलवर जिले के लिए, गौ संरक्षण के लिए, गौकशी की निकासी को रोकने के लिए, अलग से एक फोर्स बनाकर, पुलिस में सबसे बड़ा काम है।

ये जहां से भी निकलकर आती हैं, पुलिस की बगैर मिलीभगत के नहीं आ सकतीं। हमारा तो अलवर जिला लास्ट है; जहां से वे शुरू हुई हैं, जितने भी थाने, चौकियां पड़ती हैं, उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती। तिजारा, किशनगढ़ की बात आती है तो ठेठ झिरका फिरोजपुर के पास भिड़ जाती हैं तो जेरोली चौकी से पूछते हैं कि आपके यहां से कैसे निकल गईं? गौ तस्कर कैसे निकल गये? बानसूर से होकर आयी हैं। बानसूर के बाद खैरथल है, ततारपुरा चौराहा है। खैरथल थाना है, किशनगढ़ थाना है, उसके बाद तिजारा थाना है, उसके बाद जेरोली चौकी आती है। बानसूर एस एच ओ के खिलाफ जब तक आप कार्रवाई नहीं करोगे, उस चौकी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करोगे, तब तक गौ तस्करी को आप रोक नहीं सकते। अलवर जिले के बार्डर को सीज करना पड़ेगा आपको। दौसा से जाती हैं। पूरे हाइवे पर इतनी चौकियां व पोस्ट हैं, क्यों जाकर आप भिवाड़ी चौकी पर चिन्ता करते हो? जो गया है, जहां से शुरू हुआ है, वहां से उसकी चिन्ता करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी।

इसलिए गृह मंत्रीजी से कहना चाहता हूं, विशेषकर अलवर जिले में गौ निकासी न हो, गौ हत्या न हो, इसके लिए आपको पुलिस में एक अलग से

(श्री रामहेत सिंह यादव)

फोर्स की व्यवस्था कर उसको अलग से संसाधन देने पड़ेंगे ताकि वे अपनी रक्षा कर सकें, वरना तो वह पहले अपनी जान बचाता है। जिस तरह के हथियार हैं, जिस तरह की उसके पास व्यवस्था है, जिस तरह का उसका नेटवर्क है, उसको भी चैक करने के लिए हमको भी कोई न कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी।

मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, हमारे यहां पर अवैध खनन का बहुत है। आज थानेदार यह तय कर ले कि मैं एक भी पत्थर मेरे क्षेत्र से नहीं उठाने दूंगा, उसी दिन अवैध खनन रुक जाएगा। लेकिन एक पुलिस की ड्यूटी नहीं है, वह कहता है कि माइन्स विभाग क्या कर रहा है? पुलिस वाला कहता है कि फोरेस्ट विभाग का रेंजर क्या कर रहा है? विभाग जंगलात है, फोरेस्टर, रेंजर की ड्यूटी है। रेंजर कहता कि मैं क्या करूं, मैं पकड़ने गया था, पुलिस को-आपरेट नहीं करती। माइन्स विभाग कहता है, मैंने लीज दे दी थी, लेकिन उसकी लीज में से होता नहीं, जितने लीज के आसपास के पहाड़ हैं उन सारों को खोद ले गया, मैं पुलिस को कहता हूं, मेरे पास कोई फोर्स नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं जो इल्लीगल माइनिंग है, या तो पुलिस को बिलकुल मुक्त कर दें कि उसकी ड्यूटी नहीं है, वन विभाग की ड्यूटी है, माइन्स विभाग की ड्यूटी है। इससे थाने को बिलकुल फ्री कर दें। जब पुलिस को जिम्मेदारी देते हो, पुलिस केस बनाएगी, फोरेस्ट एक्ट का बनाएगी, 379 का पुलिस बनाती है, तो पुलिस इस जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। उसके थाने में जो अवैध खनन हो रहा है, उसको रोकने की जिम्मेदारी भी पुलिस की होगी। उसके लिए अलग से फोर्स की आवश्यकता है। जितने भी सीमावर्ती थाने हैं, जहां इल्लीगल माइनिंग जोन हैं, जो वन विभाग ने भी चिह्नित कर रखे हैं, माइन्स विभाग ने भी कर रखे हैं और आपके पुलिस विभाग ने भी चिह्नित कर रखे हैं, जब थाने के सामने से, चौकी के सामने से आएगा तो वह रात को आराम से सुविधा शुल्क, जो एक ट्रक का एक हजार है, या 500 है, जो तय है, वह ले जाता है। टार्गेट उपलब्ध करने के लिए पुलिस ने कितने इल्लीगल माइनिंग करते हुए ट्रक पकड़े? कभी गरीब हरिजन, मेघवाल की ऊंट गाड़ी को पकड़ लेते हैं।

अभी की घटना बताता हूं, खानपुर मेवात में मेवात आवासीय विद्यालय है, वहां लकड़ी की आवश्यकता थी, बालिकाओं के लिए भोजन बनना था। पास में रामगढ़ पड़ता है। एक टेम्पो लेकर वहां का एक गार्ड चला गया, लकड़ी लेकर आया। पुलिस ने उसको फोरेस्ट एक्ट में जब्त कर लिया, उस गार्ड को भी बंद कर दिया; कहते हैं, एफ आई आर दर्ज होगी, हम तो कुछ नहीं कर

(श्री रामहेत सिंह यादव)

सकते। भले ही 200 ट्रक तो रोज इल्लीगल माइनिंग के निकलते हैं और आपका उस टेम्पो वाले पर इतना ध्यान है। जो इल्लीगल माइनिंग हुई, सारे पहाड़ को खोद ले गये, उस पर आपका ध्यान नहीं है। अभियान चलाते हैं, अभियान में जो वास्तव में शातिर बदमाश हैं, वे उस अभियान में अपने आप समझ जाते हैं। उनके हमसे ज्यादा, पुलिस से ज्यादा सोर्स रहते हैं। मोबाइल पर, नेटवर्क पर, उनको सब जानकारी पुलिस की रहती है। उनको जानकारी है कि पुलिस का अभियान चलेगा तो वह सात दिन की चुप्पी लगा देते हैं, अपने डम्पर, क्रैशर, सब खड़ा कर देते हैं।

एक और व्यवस्था है, मैं माननीय गृह मंत्रीजी से कहना चाहता हूं, हमारे यहां ट्रैक्टर है, एजेन्सी वाले ट्रैक्टर को खरीदते हैं और खरीदने के बाद, रिसेल में पुराना ले लेते हैं, नया उनको दे देते हैं और पुराने के कागज खुद एजेंसी के नाम नहीं कराकर 'वाई' के नाम करा देते हैं। जब दो-चार साल बाद पता चलता है कि 'वाई' को जो बेचा था, एफिडेविट दे दिया, एग्रीमेंट कर गया, सेल लैटर पर दस्तख्त कर गया, उस व्यक्ति ने तो अपने नाम ट्रैक्टर नहीं कराया। फिर पुलिस आती है, फोरेस्ट एक्ट का मुकदमा लगाती है, जिसके मूल नाम पर ट्रैक्टर है उसको भी मुलजिम बनाने का काम करती है। ये कानूनी पेचीदगियां हैं। उसमें आम आदमी को सफर करना पड़ता है। इस तरह के बहुत सारे केसेज अलवर जिले में हैं जिसमें पुलिस ने मुकदमे बनाये। ऐसे मुकदमों की पुलिस समीक्षा करे और समीक्षा करके, उनको यह लगता है कि वह वास्तव में इन्नोसेंट हैं तो उनके इल्लीगल माइनिंग के, 379 के मुकदमे सरकार वापस ले।

मैं कहना चाहता हूं, हमारे दो और समस्या हैं जो पुलिस से सम्बन्धित हैं। एक तो मोटरसाइकिल चोरी, मैंने पहले भी सदन में कहा था, पुलिस उस मोटरसाइकिल चोरी को चोरी नहीं मानती। विद्युत विभाग के ट्रांसफार्मर चोरी हो जाएं, तो न तो विद्युत विभाग उसको चोरी मानता है, न पुलिस उसको चोरी मानती है। यदि क्राइम हुआ है, एफ आई आर दर्ज हुई है, सरकार का पैसा लगा है, सरकार का ट्रांसफार्मर गया है, इंश्योरेंस से क्लेम ले लेगा मोटरसाइकिल वाला, वाहन वाला, लेकिन चोरी की कैटेगरी में तो है। मैं माननीय गृह मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि जितनी भी साल भर में एफ आर लगती हैं, उन केसेज की जिला स्तर पर विशेष सेल बनाकर मोनिटरिंग होनी चाहिए कि इनमें एफ आर क्यों लगीं। कांग्रेस के राज में लगभग 50 करोड़ के विद्युत विभाग के

(श्री रामहेत सिंह यादव)

ट्रांसफार्मर, बिजली का सामान चोरी हो गया, इस सदन में मैं हर सत्र में बोला, लेकिन एक भी एफ आई आर वापस नहीं खुली, चोर नहीं पकड़े गये। वही परम्परा हमारे राज में अभी कायम है। मैं गृह मंत्रीजी से कहना चाहता हूं, उस पर सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। जैसे ही ट्रांसफार्मर चोरी की एफ आई आर दर्ज हो आप थानावाइज छंटवाएं, लगभग 99 परसेंट ट्रांसफार्मर चोरी में मोटरसाइकिल और व्हिकल चोरी के केस में एफ आर लगा देते हैं। उसकी कोई समीक्षा नहीं होती। क्लेम लेने वाला अपना क्लेम ले लेता है और ट्रांसफार्मर के मामले में कहीं पर भी, जहां डी एल ओ स्तर पर समीक्षा होनी चाहिए, चीफ इंजीनियर को चिन्ता करनी चाहिए, विद्युत विभाग के सी एम डी को चिन्ता करनी चाहिए; वे तो करते नहीं, तो पुलिस क्यों ध्यान देगी? इसलिए मेरा आग्रह है कि इस पर भी थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है।

हमारे यहां अलवर जिले के अन्दर जिस तरह की बड़ी घटनाएं होती हैं, मैं यह कहना चाहता हूं कि कुछ यूनिक घटनाएं हो जाती हैं। आप उसमें मुलजिम पकड़ लेते हैं, जेल भेज देते हैं लेकिन जनता के गले नहीं उतरती; वह इसलिए नहीं उतरती कि उसमें कोई न कोई ऐसी बात है जिसको जनता स्वीकार नहीं करती। बहरोड़ में दो पुलिस वाले मरे, हत्या कर दी गयी, इनाम 4-4 हजार का दिया। बाद में कोई छोटे-मोटे लोगों को शातिर बदमाश बनाकर पकड़ लिया, बंद कर दिया। जिनके परिजन, जो पुलिस के सिपाही मरे, वे कहते हैं ये हो ही नहीं सकते। 8 हजार की मोटरसाइकिल, 6 हजार की मोटरसाइकिल के लिए कोई दो-दो हत्या करेगा? पुलिस ने बना लिया कि इसमें मर्डर हो गया। पुलिस के दो सिपाही सोते हुए मार दिये पत्थरों से, उनकी जान चली गयी। ऐसे स्पेशल केस के लिए मैं गृह मंत्रीजी से आग्रह करना चाहता हूं।

ऐसे ही, सुरेश गुप्ता, ज्वैलर की अभी पिछले दिनों हत्या हुई। अख़बार में आया, पुलिस का बहुत बड़ा बयान छपा कि पुलिस ने सुरेश हत्याकाण्ड ओपन कर दिया। कौन पकड़ा? सुरेश के बगल में एक गरीब शिकारी के बेटे को पकड़कर बंद कर दिया, जिसको 15 दिन से पुलिस ने अपने कब्जे में ले रखा था। 6-7 महीने पहले उसकी दुकान पर नौकरी करता था, 2-4 हजार का कोई झगड़ा था, उसने नौकरी से निकाल दिया; कहीं और दूसरी जगह काम करने लग गया। चार बार रिमाण्ड लेने के बाद भी, चार बार रिमाण्ड हो गये, पर हथियार नहीं मिला। आखिर में उसके घर के पास ब्रिटेन से बनी हुई एक

(श्री रामहेत सिंह यादव)

रिवाल्वर को जब्त किया। अख़बार में पढ़ा था मैंने। वे कागज आज मेरे पास नहीं हैं, उसकी कीमत 2 लाख 45 हजार है। जिसके घर में दाने नहीं हैं, वह 2 लाख 45 हजार की रिवाल्वर कहां से लाया? अगर उसके पास आई है तो उस मुलजिम को भी पकड़िये जिससे उसने खरीदी है। वह चेन कौनसी है जो अलवर जिले में हथियार सप्लाई करती है? क्या उसको पुलिस ने पकड़ा? आपका केस ओपन हो गया, फ्री हो गया, मुलजिम जेल चला गया, न्यायालय अपना निर्णय करेगा।

गृह मंत्री महोदय, अलवर जिले के सारे वकीलों ने आंदोलन किया और इस मामले में उद्वेलित हैं। मैं पुन: आग्रह करता हूं कि इस केस को स्पेशल सेल में भेजकर इसकी जांच करें, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, चाहे वह पुलिस मर्डर का केस हो, चाहे सुरेश हत्याकाण्ड का केस हो।

एक परम्परा और है, हमारे यहां पर कोई भी जन-आंदोलन हो, मुकदमे हो जाते हैं। पुलिस 3 पी पी टी एक्ट और कई मुकदमों में धारा लगाकर बन्द करने का प्रयास करती है। या दो भाई झगड़े, 8 दिन बाद पुलिस को ध्यान में आता है तो पुलिस कार्यवाही तो बाद में करेंगे, दोनों की एफ.आई.आर. ले लीं, पहले 151 में बन्द कर देते हैं। क्या 151 में दोनों पक्षों को बन्द करने, उसी समय घटना हुई है, घटना के समय, यदि मान लो, पकड़ लिया तो समझ में आता है, लेकिन घटना के 3 दिन बाद, 5 दिन बाद, 7 दिन बाद 151 में बन्द करते हैं दोनों पक्षों को बुलाकर, तो आपकी नीयत पर शक लगता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब एफ.आई.आर. दर्ज है, पर्टिकुलर सेक्शन में एफ.आई.आर. दर्ज है तो फिर 151 की कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब, पुलिस मिलकर, दोनों पर दबाव बनाकर राजीनामा कराना चाहती है, उसकी ग्रीवेंसेज खतम हो जाती हैं। फिर सोचता है कि जब दोनों ही बन्द हों, तो हाथ-की-हाथ, एफ.आई.आर. से पहले ही, वह राजीनामा लिखने का प्रयास करता है।

इसलिए मेरा आग्रह है कि जितने भी ऐसे केस हुए हैं, पुलिस एफ.आई.आर. दर्ज करती है। रास्ता रोकने की घटना हो, चाहे और किसी घटना की बात हो, या कोई लूट हो गई, दुकानदार सड़क पर आ गया, पुलिस पहुंचने में देर हो गई तो उसके खिलाफ एफ.आई.आर. ले ली। तिजारा के हनुमान जी के मन्दिर में चोरी हो गई, वहां का पुजारी व्यापारियों के साथ आमरण अनशन

(श्री रामहेत सिंह यादव)

पर बैठ गया, तीन दिन बैठा रहा। हम लोग गये, हमने आग्रह किया। बाजार बन्द किया। तो जो बाजार बन्द करा रहे हैं, उनके खिलाफ आप कार्यवाही करें, वह तो समझ में आता है लेकिन जो आमरण अनशन पर पुजारी बैठा था और उसका नाम एफ.आई.आर. में होता है, तो आम आदमी चर्चा करता है कि यह ठीक नहीं हो रहा। माननीय गृह मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि ऐसे बहुत सारे प्रकरण हैं।

मैं मेरे हरसोली का बताना चाहता हूं कि एक सैनी का मर्डर हो गया, झगड़ा हो गया, परिजन चाहते थे कि थाना खैरथल में एफ.आई.आर. दर्ज हो; पुलिस चाहती थी रेलवे में एफ.आई.आर. दर्ज हो गयी। 5 घटनाएं हुईं, रेलवे में दर्ज हुईं और पांचों में एफ.आर. लग गई, तो रेलवे पर भरोसा उठ गया।

चौकी सड़क के बीच में है, सड़क के बिलकुल ऊपर चौकी है, जहां रेलवे फाटक पड़ता है, मुण्डावर को रास्ता जाता है। मैं वहां का विधायक था, मुझे जानकारी आई कि मर्डर हो गया तो मैं भी गया। एडिशनल एस.पी. आये, चार थानों की पुलिस आई। समझ में आ गया, एस.पी. साहब से बात हुई, समझ में आया तो एफ.आई.आर. उसमें हो गई, लेकिन बाद में एक एफ.आई.आर. हो गई जिसमें तीन, बाप-बेटा-पोता, तीनों के नाम की एफ.आई.आर. हो गई। किस बात की? रास्ता रोकने की एफ.आई.आर. हो गई। क्यों?

ऐसे केसेज में पुलिस से जो आये दिन किसी बात पर विवाद होता है, किसी बात पर तनातनी होती है; खैरथल में 8 ताले टूटे, एक व्यापारी से तनातनी हो गई; पिछले दिनों 151 में वह सिफारिश करने चला गया तो बाद में उसके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज कर दी कि यह इस मुलजिम को छुड़ाने के लिए, इसने भगाने का प्रयास किया था, इसलिए इसको भी बन्द कर दो। यह जो पुलिस की परम्परा है, अपने कार्य में असक्षमता के कारण जो शिकायत करता है, उसको ध्यान में रखती है। मैं किसी का नाम लेकर यहां सदन में गाली दूंगा, कड़वा बोलूंगा, अपशब्द बोलूंगा, तो उसके मन में बैठ जाती है।

आज मेरे क्षेत्र में छपा है कि एक जैन व्यापारी 8 बजे दुकान बन्द कर रहा था और दुकान से उठकर वह ताला लगाने लगा तो जो थैला था, जिसमें ढाई लाख रुपये थे, उसको लेकर भग गया। एफ.आई.आर. दर्ज हो गई। पूरे बाजार को कल मेरे साथ जाकर पीड़ा के साथ कहना पड़ा कि ऐसी 8 घटनाएं किशनगढ़ में हुई हैं, इस पैसे को बरामद कर दो, मैं इसमें 11 हजार

(श्री रामहेत सिंह यादव)

मिलाकर गौशाला में दे दूंगा। यह जब भाव व्यक्त करता है तो कहीं न कहीं हमारी पुलिसिंग की व्यवस्था में कमी है।

हम पूछते हैं कि आप कार्यवाही क्यों नहीं करते, तो वे कहते हैं कि हमारे पास पुलिस ही नहीं है। पैट्रोलिंग में जाती है; रात को गश्त में रहते हैं; कोर्ट केस में जाना पड़ता है; मुलजिम का गवाह कराने गये हैं। जैसे मैंने आंकड़े पढ़े कि राजस्थान में पुलिस की हालत यह है, पुलिस ही नहीं है, कहीं 20 प्रतिशत कम है, कहीं 30 प्रतिशत कम है। तो ये घटनाएं पुलिस की कमी के कारण, पुलिस को आराम नहीं मिलने के कारण, मानसिक तनाव के कारण, या पुलिस की व्यक्तिगत समस्याओं को नहीं सुनने के कारण होती हैं।

हमारे अलवर में एक अलग से कोबरा टीम बनी है, पुलिस उसको अच्छा मानती है, अच्छा मानना चाहिए। मैं यह कहता हूं कि मेरे जहां बहुत सारे केस हैं, मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर पालपुर में चोरी हुई, लाडपुर में बड़ी चोरी हुई, 20-25 जगह बड़ी चोरियां हुई हैं; रायपुर जाटान में चोरी हुई, फतियाबाद में 25 लाख की चोरी हुई, इसी तरह से अनाज मण्डी में 2-3 बड़ी चोरियां हुई हैं और पिछले 2 साल में 8 बैग पैसे के इसी तरह से व्यापारियों से छीने गये हैं; एक हरसोली सैनी मर्डर केस है जो आज तक नहीं खुला; एक किशनगढ़ में सोनी मर्डर केस है जो आज तक नहीं खुला, तो इन सब केसेज को आप उस कोबरा टीम को दे दो। कोबरा टीम, कई बार ऐसा महसूस होता है, ऐसा लगता है कि पुलिस अच्छा कर रही है लेकिन थाने की पुलिस है वह नकारा-सी लगती है। कोबरा टीम, मदमस्त है, दारू पिये हुए पड़ा है, उनको पकड़ लिया, बन्द कर दिया। गांव में गये, 100-50 लोगों को इकट्ठा किया, अख़बार में फोटो आ गई, फोटो आने के बाद में कह दिया कि इतनी-इतनी गाड़ियां पकड़ी गयीं; चाहे चार दिन बाद पता चलता है कि यह मोटर साइकिल तो कागज वालों की थी और अपने घर से ले गये। यह कोबरा टीम का काम नहीं है। कहीं दंगा हो रहा हो, कहीं रैली हो रही हो, कोई उपद्रव होने की सम्भावना हो, वहां उस टीम को लगाइये, या जो स्पेशल फोर्स आपने बनाई है तो स्पेशल वर्क दीजिये। मैं माननीय गृह मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि जितने भी ट्रांसफार्मर और मोटर साइकिल चोरी हुई हैं, उनकी एक साल में जितनी भी एफ.आई.आर. दर्ज हैं, ये सारी कोबरा टीम को दे दो, ताकि उनकी क्षमताओं का भी पता चल जाएगा कि वे क्या काम करते हैं। आम आदमी के अन्दर भय हो जाए और गुण्डा लोग खुले घूमें, यह बात ठीक नहीं है।

(श्री रामहेत सिंह यादव)

इसलिए अलवर जिले में जो-जो बोर्डर वाले थाने हैं, वहां पर पुलिस फोर्स बढ़नी चाहिए, उनको अति आधुनिक हथियार भी मिलने चाहिए, उनको कुछ और सुविधाएं, चाहे तनख्वाह बढ़ाने की बात हो, चाहे भत्ता देने की बात हो, तो वे देनी चाहिए।

अब आपके पास पुलिस है, एक चौकी पर तीन सिपाही रहते हैं। मेरे यहां बीरणवास चौकी है, मैं एस.पी. से कहता हूं, एस.एच.ओ. से कहता हूं कि पुलिस बढ़ाइये; वहां तीन सिपाही हैं जिनमें एक बूढा सिपाही है जिसके पैर में दर्द रहता है, एक तामील कराता घूमता है। तो रात में वह गौ-तस्कर को पकड़ ही नहीं सकता। वहीं से होकर वे जाती हैं, तो वह क्या करेगा? वहां अगर 20 सिपाही हों, मजबूत सिपाही हों, जो जवान नये भर्ती हुए हों, उनको चौकी पर लगाइये, उनकी ड्यूटी लगाइये कि एक भी गाड़ी यहां से जाएगी और टोल टैक्स पर जो सी.सी. टी.वी. कैमरा है इसमें एक-एक गाड़ी को चैक करके आप निकालेंगे, उसकी मानिटरिंग करेंगे, तो निश्चित रूप से जो गौ-तस्करी है वह रुकेगी।

इसी तरह से जो चोरियां हैं, चाहे ट्रांसफार्मर की चोरी, ट्रांसफार्मर की चोरी को आप चोरी नहीं मानोगे, मोटरसाइकिल की चोरी को चोरी नहीं मानोगे तो जो आज ट्रांसफार्मर या मोटरसाइकिल की छोटी चोरी कर रहा है, वह कल बड़ी चोरी करेगा, उसके बाद वह डकैती पर आएगा। वह किसी छोटे मामले में जेल गया तो वहां उसको और बड़े उस्ताद मिलते हैं और वह ट्रेनिंग लेकर आएगा।

इसलिए, गृह मंत्री महोदय, मेरा आपसे आग्रह है कि अलवर जिले की व्यवस्था एक पुलिस अधीक्षक नहीं सम्भाल सकता। अलवर जिला, मांडण से लेकर परतापुर से शुरू होते हैं तो खेड़ली जाने में हमको सुबह से शाम तक का समय लग जाता है, जिससे पूरी मानिटरिंग नहीं हो सकती। 45 से ज्यादा थाने हैं, आबकारी, बिजली विभाग के सारे थानों को मिलाएं तो 45 थानों से अधिक की संख्या होती है; दुनिया भर की चौकियां हैं। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र का थाना कोटकासिम, थाना किशनगढ़, थाना खैरथल को नीमराणा एडिशनल एस.पी. के बजाय, चूंकि हमारा क्राइम सेम है, हमारा क्षेत्र सेम है, उनको भिवाड़ी में लगायें। एक और बात कहना चाहता हूं कि बहरोड, मुण्डावर, किशनगढ़ बास और तिजारा, चारों विधान सभा क्षेत्र के जितने

(श्री रामहेत सिंह यादव)

भी थाने पड़ते हैं, उनको मिलाकर पुलिस मुख्यालय भिवाड़ी होना अति-आवश्यक है। अगर आप क्राइम को रोकना चाहते हों तो... दो मिनट का समय और चाहता हूं, साहब; इसलिए जब भिवाड़ी का एस.पी. रहेगा, उसके पास पर्टिकुलर होगा तो आपकी गौ-कशी की घटनाएं भी रुक जायेंगी, आपके अवैध खनन का काम भी रुक जायेगा और उसके पास रहेगा कि आप मानिटरिंग भी कर पायेंगे, वरना इतनी सारी फाइल एस.पी. के पास आती हैं, दस्तखत करने के अलावा कोई काम नहीं बचता है।

मेरी विनम्र प्रार्थना है कि वहां पर फोर्स डबल करें और जितने भी पुराने मुकदमे हैं, विशेषकर पुलिस ने जो खुद दर्ज किये हैं जिस किसी के भी खिलाफ पिछले एक-डेढ़ साल में; कांग्रेस की परम्परा थी, तब तो हमारे लोगों के खिलाफ बहुत सारे मुकदमे लगे थे, हम उस बात को कहते थे; आज कहीं चोरी के कारण, चोरी हुई, लोग सड़क पर आये, तुरन्त एफ आई आर हो गई। कोई बिजली का ट्रांसफार्मर लेने आया, उसकी एफ आई आर हो गई। कोई किसान अपनी बात को लेकर आया और कोई 10-20 मिनट पुलिस लेट हो गई, प्रशासन लेट हो गया, एफ आई आर दर्ज हो गई। तो पुलिस तो एफ आई आर दर्ज कर रही है। पुलिस वाले ही उसके गवाह हैं तो वे तो मुलजिम बनेंगे ही बनेंगे। और मुलजिम कौन बनेंगे? जो पुलिस वालों के पास रहते हैं, अपनी जो पुलिस की कमेटी है, उसमें इसी तरह के लोग पुलिस में रोज चक्कर लगाते रहते हैं। उसमें एक-आध लोग होते हैं, एक-दूसरे से बायस्ड होकर नाम लिखवाते हैं। दो-तीन महीने में जब चालान का नम्बर आता है तो सज्जन पुरुष का ध्यान आता है कि थ्री पी पी डी में, या रास्ता रोकने में, या जाम लगाने में, आप भी मुलजिम हो गये। जो वास्तव में जाम लगवाते हैं, वे दूर हो जाते हैं, वे तो स्याणे होते हैं और वैसे लोग जो आम आदमी हैं, जिनका कोई मतलब नहीं होता है, वे सिर्फ अपना रोष प्रकट करने के लिए ही वहां जाते हैं, उस तरह के लोगों के मुकदमे हो जाते हैं। इसलिए मैं माननीय गृह मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि पुलिस का बजट बढ़ायें।

इसी तरह से जेल की व्यवस्था है...(व्यवधान) जेल इसी में है। यह है ना कारागार विभाग। जेलों में जिस तरह से संख्या, हमारे किशनगढ़ बास की जेल में बहुत ज्यादा है, क्षमता से दो गुना तक अपराधी रहते हैं। रसोइया वहां

(श्री रामहेत सिंह यादव)

है नहीं। लांगरी होना चाहिये, लांगरी की पोस्ट होनी चाहिए। वह खाना बनाये। व्यवस्था होनी चाहिये।

महिला पुलिस की वहां व्यवस्था नहीं है। तो जो महिला कैदी आती हैं, उनको अलवर शिफ्ट कर देते हैं।

जिनके परिजन जेल में हैं किसी भी अपराध के कारण से, उनको मिलने के लिए जब आते हैं तो वहां पानी की व्यवस्था हो, उनको बैठने के लिए कमरा या हाल हो और उनको मिलने का एक सिस्टम हो, ताकि सप्ताह में या 15 दिन में जेल मैन्यूअल में मिलने का है, वे मिल सकें, उनको सुविधा मिले। क्या है कि वे सुबह आठ बजे आकर बैठ जाते हैं, छह बजे आकर बैठ जाते हैं लाइन लगाकर धूप में और शाम को चार बजे तक इंतजार करना पड़ता है कि कहीं मेरा नम्बर न निकल जाये।

ऐसा मेरा विनम्र आग्रह है, पुलिस ने अच्छा काम किया है अलवर जिले में, लेकिन बहुत गुंजाइश है सुधारने की। भिवाड़ी में अलग से पुलिस अधीक्षक बैठे। मेरे क्षेत्र को भिवाड़ी एडिशनल एस.पी. के अधीन दें, और बोर्डर एरिया में जितने भी थाने हैं, उनमें पुलिस की पुख्ता इंतजाम करें, नफरी बढ़ायें।

यही कहता हुआ, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, माननीय गृह मंत्रीजी ने तीन तारीख को सदन को यह आश्वासन दिया था कि मैं जांच कमेटी बैठाकर इस लाठी चार्ज की जांच कराऊंगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, पुन: गतिरोध नहीं हो, सदन शांतिपूर्वक, सौहार्दपूर्ण वातावरण में चले, हम यह चाहते हैं क्योंकि किसान के मुद्दे हैं। जिस जनता ने हमें चुनाव जिताकर यहां भेजा हैं सभी 200 एम एल एज को, वे सब अपनी बात रखना चाहते हैं लेकिन यह आसन पर भी निर्भर करता है कि माननीय गृह मंत्रीजी से यह जवाब दिलायें कि उनके ऊपर आप जांच कमेटी बैठाइये। आपके मेम्बर लीजिये, हमारे मेम्बर लीजिये, या कोई रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन से आप जांच कराइये। कम से कम इतनी बड़ी घटना हुई और हम नौ दिन तक बाहर रहे। और कर दीजिये निलम्बन। अगर निलम्बन ही सरकार

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

को करना है, इस गतिरोध को बढ़ाना आगे, तो हम निलम्बन के लिए दुबारा तैयार हैं।

मानीय सभापति महोदय, हम यह चाहते हैं, हम गृह मंत्रीजी को सुनना चाहते हैं; ये बड़ी बेबाकी से जवाब देते हैं और किसी के दबाव में नहीं आते हैं; मैं यह चाहता हूं कि आज वे उस अपनी दबंगई का परिचय देते हुए कम से कम अपने उस स्टैण्ड पर कायम रहें जो इस सदन में तीन तारीख को दिया था कि मैं जांच कमेटी बैठाऊंगा। आप अपने विजुअल्स दीजिये, हमारे नेता प्रतिपक्ष ने इनको विजुअल्स दिये हैं। अगर फिर भी ये कहते हैं गृह मंत्रीजी कि नहीं दिये तो हमारे पास में लाठी चार्ज के विजुअल्स हैं जिनमें हमारे माननीय सदस्य को पीटा गया है। वे लोगों के साथ एस एम एस अस्पताल में भर्ती हुए हैं। आपकी एम्बुलेंस, आपकी पुलिस लेकर गई है। दर्जनों लोगों के हाथ और पैर टूटे हैं। उस बात को बिलकुल नकार रहे हैं और आज कम से कम सदन में यह लाठी चार्ज की जांच नहीं करायें। हम विजुअल्स देने को तैयार हैं ना। हम अभी भी कह रहे हैं, गृह मंत्रीजी, हम विजुअल्स देना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं गृह मंत्रीजी से कि आप पर हमें भरोसा है, आप कम से कम कमेटी तो बैठाइये और उस कमेटी में दूध-का -दूध और पानी-का-पानी हो जायेगा। जो चीज है, वे विजुअल्स हम देने को तैयार हैं। पुलिस के द्वारा अकारण लाठीचार्ज कर, माननीय सदस्य अशोक चांदना को लाठी से बर्बरतापूर्वक पीटा गया, वे विजुअल्स हमारे पास में हैं।

इसलिए सदन चले, इस बात की व्यवस्था आपके ऊपर भी, सरकार के ऊपर भी निर्भर रहती है। तो जवाब दिलवाइये और गृह मंत्रीजी कमेटी बैठायें, तभी जाकर निष्पक्ष न्याय की बात हम कर सकते हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैंने इस सदन में कई बार कह दिया कि आपके पास कोई फुटेज हो तो मुझे दे दीजिये, मैं उसको देखकर करूंगा। लेकिन एक बात समझ लें इस हाउस में, मैं किसी दबाव में आकर कभी भी कोई बात स्वीकार करता नहीं हूं। आप भले ही 25 बार भी इसको रिपीट करोगे तो भी जवाब मेरा वही होगा। मैं देखने के बाद संतुष्ट होऊंगा तो मैं जरूर कार्रवाई करूंगा, यह मैं पहले दिन से कह रहा हूं, आज भी कह रहा हूं, लेकिन आप बार-बार बोलकर के मुझे, आप यह करोगे

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

दबाव में; दबाव में गुलाबचन्द न आज फैसला करता है, न कल करता है, न परसों करता है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नहीं, हम नहीं कह रहे हैं। कहीं सरकार का आप पर दबाव हो...

श्री सभापति: श्रीमती अनीता।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नहीं, माननीय सभापति महोदय, हम कह रहे हैं, हमारे पास विजुअल्स हैं। कब देखोगे? इनके घर जाकर थोड़े ही दिखायेंगे। हम सदन में कह रहे हैं, हम बिल्कुल दावे के साथ कह रहे हैं कि हमारे पास में विजुअल्स हैं। लाठी चार्ज अकारण किया गया है।

श्रीमती अनीता (नगर): सभापति महोदय, आप हाउस को आर्डर में तो लाइये।

श्री सभापति: प्रतिपक्ष के सचेतक महोदय, आसन पांवों पर है। आसन पांवों पर है, आदरणीय प्रतिपक्ष के सचेतक महोदय, आप विराजें। आसन कोई बात कहना चाहता है, वह तो सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे?

जो आपने अपनी बात सदन में रखी और सम्माननीय मंत्री महोदय ने वक्तव्य दिया, आसन मंत्री महोदय को इसके अलावा बाध्य नहीं कर सकता। अगर आपको फिर भी लगता है तो इस सदन के नियम और प्रक्रिया हैं, उनके माध्यम से भी आप आ सकते हैं। उस नियम और प्रक्रिया से आप आयेंगे और आसन को अगर यह ठीक लगेगा कि हां, उस नियम और प्रक्रिया के माध्यम से यह उचित है, तो आसन आपको अवसर देगा। आज इस वक्त इससे ज्यादा मैं मंत्री महोदय को बाध्य नहीं कर सकता।

श्रीमती अनीता।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हमारे पास में विजुअल्स हैं। हम किसको दिखायें? गृह मंत्रीजी के घर जायेंगे क्या दिखाने के लिए?

श्रीमती अनीता (नगर): सभापति महोदय, मांग संख्या 16 और 17 पर अपनी बात कहने के लिए आपने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): जब इस सदन में हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, केवल संख्या बल के आधार पर हमें दबाया जा रहा है। यह क्या बात हुई? इसका मतलब सदन चलाना ही नहीं चाहती है सरकार।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): माननीय सदस्य, आप गृह मंत्रीजी के चैम्बर में दिखा दीजिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): क्यों? क्यों जायें हम चैम्बर में? हम सदन में कह रहे हैं गृह मंत्रीजी को। हम सभापति महोदय के माध्यम से कह रहे हैं कि हमारे पास में विजुअल्स हैं।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): इसलिए कि आपको दिखाने की इच्छा है तो दिखा दीजिये और आपकी यह सोच है तो मत दिखाइये। जबरदस्ती थोड़े ही कर रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ...लाठी चार्ज हुआ है, अकारण हुआ है। पुलिस इसमें दोषी है। क्या बात कर रहे हो! हम सदन में हमारी बात नहीं कह सकते हैं तो हम कहां जायेंगे? अगर सरकार सुनना ही नहीं चाहती। इसी तरीके से तो खानों का मामला था, दो हजार करोड़ रुपये का घोटाला था, उसको आपने दबा दिया। स्थगन प्रस्ताव में अध्यक्षजी को व्यवस्था नहीं देने दी आपने।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप विराज जाओ।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इसी प्रकार लाठी चार्ज हुआ, उसको अकारण दबा रहे हैं। हमारी बात चल रही है और गृह मंत्रीजी सदन से उठकर चले गये, तो यह क्या दर्शाता है? यह यही दर्शाता है कि सत्ता के चूर में, संख्या बल के आधार पर, आप प्रतिपक्ष की आवाज दबाना चाहते हैं। जब हमारे विधायकों की नहीं सुनी जा रही है....

श्री सभापति: आसन की बगैर अनुमति से जो कोई भी बोल रहा है, वह अंकित नहीं हो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्रीमती अनीता (नगर): सभापति महोदय, हाउस को आर्डर में तो लाइये।

श्री सभापति: आप विराजिये। मैं सदन को आर्डर में लाकर ही आपको बोलने दूंगा। आप विराजो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

(15.00 बजे)

श्री सभापति: अब आप आसन की बात सुन लें, आसन ने भी तो इतनी बात सुनी है आपकी। मैं यह उम्मीद करता हूं कि मंत्री महोदय इस मांग के पारित होने के पहले जब अपना वक्तव्य देंगे, उस वक्तव्य में हो सकता है कि किसी हद तक आपकी शंका का वे समाधान कर दें। तब तक तो आप धैर्य से इस बात का इंतजार करें।

श्रीमती अनीताजी।

श्रीमती अनीता (नगर): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 16 और 17 पर अपनी बात कहने का आपने समय दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद।

मैं तो प्रतिपक्ष के लोगों से इतना ही कहना चाहती हूं कि जब पिछली सरकार में सरपंचों के धरने पर आपने पूरे प्रदेश के सरपंचों को बुरी तरह पीटा और उनकी बात नहीं सुनी, और दिल्ली के अन्दर बाबा रामदेव जब धरना दे रहे थे, आपने किस प्रकार उनकी गिरफ्तारी की। उन सब चीजों को भी आप याद करेंगे तो आपको लगेगा कि जो पुलिस विभाग है, वह आज बहुत अच्छी तरह काम कर रहा है।

सभापति महोदय, राज्य में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाये रखने के लिए, राज्य सरकार के दायित्व निर्वहन हेतु, पुलिस विभाग अपना काम करता है और खुशी इस बात की है कि भारत में आज भी राजस्थान शांतिपूर्ण राज्य के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को बनाये हुए है। कहते हैं कि पुलिस का इकबाल बुलंद होता है तो अपने आप सारे अपराधियों में डर रहता है, आमजन में विश्वास रहता है। जिस क्षेत्र से मैं आती हूं, नगर विधान सभा क्षेत्र से, वह मेवात का क्षेत्र है और मेवात का क्षेत्र होने की वजह से, वहां की जो हमारी जिले की बार्डर है, वह बार्डर भी उत्तर प्रदेश और हरियाणा से मिली हुई है। जो बार्डर के आसपास के जो गांव हैं, यू.पी. के गांव हों या वे हरियाणा के गांव हों, वे मेवात इलाक़े के साथ-साथ वहां पर बहुत सारे गांव ऐसे हैं जो पूर्णत: अपराधियों को संरक्षण देते हैं। ऐसा कहते हैं कि हाथिया गांव जो है यू.पी. के अन्दर, पूरे के पूरे अपराधी उसमें रहते हैं और उनका काम जो है, सब एक साथ बने रहते हैं। ऐसी हमारी भरतपुर की भौगोलिक स्थिति है कि वहां पर जो कोई अपराध यू.पी. में करता है तो वह भागकर के भरतपुर में आ जाता

(श्रीमती अनीता)

है। कोई अपराध अगर हरियाणा का होता है, अपराध वहां करता है और वहां से भागकर हमारे क्षेत्र में आ जाता है। जब वे अपराधी हमारे क्षेत्र में आ जाते हैं तो निश्चित रूप से अपराधी का काम है अपराध करना, वे यहां के लोगों को भी अपराध के लिए उकसाते हैं और यहां भी अपराध करते हैं।

मेरे यहां पर मेवात में ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां पर पुलिस की एक या दो गाड़ी जा नहीं सकती। अगर वे चली जाएं तो वहां इतना पथराव हो, इतना डर है उनको कि वहां जा नहीं सकतीं। बहुत सारी जब सौ डेढ़ सौ पुलिस को इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करके गांव में दबिश देने की बात आती है, तो जब थानों में पुलिस इकट्ठी होनी होती है तो अपराधियों को इस बात की जानकारी हो जाती है और पूरे के पूरे गांव उस समय खाली हो जाते हैं। तो जिस प्रकार से दबिश देकर अपराधियों को पकड़ने की जो पुलिस की योजना होती है, वह सफल नहीं हो पाती है।

मेरा आपसे यह निवेदन है कि जो हमारे पुलिस वाले हैं, उनको दबिश देने के वास्ते थ्री-नाट-थ्री के हल्के हथियार उनको दे देते हैं जिससे अपराधियों के पास जो अत्याधुनिक हथियार होते हैं उनका वे मुकाबला नहीं कर पाते हैं। हमारे यहां पर भी जो पुलिस है, विशेषकर मैं कहना चाहती हूं कि जो मेवात क्षेत्र की पुलिस है, उसको अत्याधुनिक हथियार देने चाहिए ताकि जो अपराधी हैं, जिस प्रकार के हथियार अपराधी रखते हैं, उसी प्रकार के हथियार अगर हम पुलिस को देंगे और बराबरी में तो मुकाबला आएगा, कम से कम वहां के अपराधियों के मन में भय आएगा और भय की वजह से, हो सकता है, कुछ अपराध वे कम करें। इस तरह भरतपुर क्षेत्र में अपराध को कम कर सकते हैं।

सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि मेरा जो क्षेत्र है, उसमें जो क्राइम होते हैं, जो सब जगह क्राइम होते हैं उनसे अलग तरह के क्राइम मेरे क्षेत्र में होते हैं। सबसे ज्यादा जो क्राइम है और जिससे जनता उद्वेलित होती है, जो बहुत संवेदनशील हमारे यहां का मुद्दा है, वह गौ-तस्करी है। गौ-तस्करी सब गाड़ियों से जयपुर से निकलकर विभिन्न रास्तों से जाती हैं लेकिन चूंकि मेरा विधान सभा क्षेत्र और हमारा जिला बार्डर पर है और बार्डर पर जो गांव हैं, वहां की सरकारों ने जो स्लाटर हैं, जहां पर कत्लखाने बहुत-बहुत नजदीक बना रखे हैं, तो गौ-तस्कर होता है उसको बहुत ऊंची कीमत मिलती है। कहते

(श्रीमती अनीता)

हैं, टाटा-407 में अगर चार गाय या पांच गायें वह ले जाएं तो वहां पर उसको जाते ही चार-चार, पांच-पांच लाख रुपये उसको पेमेंट मिलती है। पैसे की वजह से उनका जो रास्ता रहता है, वह आसान रास्ता समझते हुए, वे समझते हैं कि इस नगर से और भरतपुर से होकर हम गुजरेंगे। सिर्फ 50 किलोमीटर का ऐसा दायर है जिसमें जनता का आपको विरोध झेलना पड़ेगा, बाकी और कहीं उनको झेलना नहीं पड़ता है। जब जनता सामने आकर के सड़क पर लड़ती है तो पुलिस भी उनके साथ आकर वहां पर खड़ी होती है लेकिन उनके पास इतने आधुनिक हथियार होते हैं कि वे गोली चलाते हैं। मेरे क्षेत्र के डाबर गांव में, गुलपाड़ा गांव में कितनी ही बार कितने ही लोगों को गोली लगी है। बहुत सारे लोगों ने तो एफ.आई.आर. दर्ज कराई और बहुत सारे लोगों ने तफ़तीश और जांच के चक्कर में, परेशान होने के बजाय जो गोली लग गई आंख पर और हाथ पर, तो भी एफ.आई.आर. दर्ज कराने वे नहीं गये।

इस प्रकार, जो गौ हत्या बंद है, हमारे पूरे प्रदेश में गौ मांस नहीं बिक सकता, इस प्रकार का कानून है, उसके बावजूद थानों के आसपास गांवों में मोटरसाइकिलों के ऊपर, टाटा-407 के ऊपर, बोलेरो के अन्दर, इस प्रकार से गौ मांस रख-रखकर के थैलियों के अन्दर गांव-गांव में होम डिलिवरी से पहुंचाया जाता है, जिसका पुलिस को पता तो रहता है लेकिन पुलिस तभी काम करती है जब उनको टार्गेट दिया जाता है। टार्गेट दे देते हैं कि यह काम करना है तो अपने टार्गेट को फुलफिल तो करती है लेकिन जो आवश्यकता रहती है कि सदा, हमेशा इन कानून के नियमों का पालन करे, तो वह नहीं कर पाती है।

मेरा आपसे निवेदन है कि हमारे जिले से बहुत बार प्रस्ताव आये हैं कि हमारे यहां पर गौ रक्षा चौकी बनाई जानी चाहिए, पिछले साल भी आया, कांग्रेस की सरकार के सामने भी हमने बराबर हर साल इस बात को कहा कि गौ रक्षा चौकी अगर हमारे क्षेत्र में बनेगी तो गौ तस्करी रुकेगी, गौ माता जिसको हम कहते हैं उसकी हत्या रुकेगी और उसके लिए जो पुण्य हम कमाना चाहते हैं, लोग कहते हैं कि अगर गाय की सेवा कोई कर लेता है तो उसको पुण्य मिलता है और किसी के अंतिम समय में भी जिसको परेशानी आती है तो यूं कहते हैं कि गाय छोड़ देते हैं तो उसके बाद का समय अच्छा आता है। इस प्रकार की भावना में रहते हैं। हमारे यहां पर गौ रक्षा चौकी होनी चाहिए। मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित

(श्रीमती अनीता)

करना चाहती हूं कि यह प्रस्ताव पहले से पड़े हैं, मैं यह चाहती हूं कि जब गृह मंत्रीजी अपना जवाब दें तो निश्चित रूप से मेरे जिले में जो 11 गौ रक्षा चौकियों का प्रस्ताव है उसको मंजूर करें। उसको मंजूर करने से गौ तस्करी मेरे क्षेत्र में बहुत हद तक रुक सकती है। अगर उसको मंजूर नहीं किया, तो जिस प्रकार से अब परेशानियां आती जा रही हैं वह और बढ़ेंगी, क्योंकि उनके हौसले बुलंद हो जाएंगे कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई; पहले तो कांग्रेस की थी, उनको चिंता ही नहीं थी; कांग्रेस ने तो सीधा-सीधा आदेश कर रखा था कि गौ तस्करी गाड़ी देखो तो सड़क से नीचे उतर कर पुलिस वाले कहीं चले जाओ, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, निश्चित रूप से यह आदेश है कि आप रोकिए और वे रोकने की कोशिश करते हैं। अगर गौ रक्षा चौकी मेरे यहां बनेगी तो एक बहुत बड़ा अपराध जो मेरे क्षेत्र का है, जो संवेदनशील मामला है, जिसके ऊपर जनता और अपराधियों के बीच में, मेरे ख्याल से, कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब आपस में गोली नहीं चलती और लड़ाई नहीं होती और मुक़दमे दर्ज नहीं होते; तो मेरा आपसे निवेदन है कि ये 11 जो गौ रक्षा चौकियां हैं, ये निश्चित रूप से हमारे यहां खुलें।

सभापति महोदय, मेरा जो क्षेत्र है उसमें, मैं कभी अख़बार पढ़ती हूं तो बड़ा आश्चर्य होता है कि बांग्लादेशियों का जो नकली नोटों का धंधा है, उसकी भी जो जड़े हैं, वे मेरे विधान सभा क्षेत्र के मेवात क्षेत्र में हैं। वहां पर नकली नोटों के भी बहुत सारे बण्डल वहां से निकलते हैं। वहां के लोग जो हैं सब जगह उनको फैलाते हैं, हमारे यहां के अलवर में जो नकली नोट पकड़े गये, उसकी जड़ें मेवात क्षेत्र में निकलीं। बांग्लादेश के लोग वहां आकर वहां आराम से रह जाते हैं। लोगों को पता नहीं होता, कौन कब आया। दो-दो, तीन-तीन महीने रहते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इसकी सघन जांच या गश्त होनी चाहिए कि बाहर के देश के लोग यहां आकर क्यों रह रहे हैं। इस बात की जानकारी भी होनी चाहिए।

सभापति महोदय, एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा मैं यहां उठाना चाहती हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो डीग आता है, उसके एक गांव परमेन्द्री की दो महिलाएं अभी सात-आठ दिन पहले किसी काम से बाजार गईं और किसी ने, दो-चार लड़कों ने उनसे कहा कि हम गाड़ी में बिठाकर आपको छोड़ आते हैं और ले जाने के बजाय वे उनको उठाकर लेकर गये। आज आठ-दस दिन हो गये हैं, उन दोनों महिलाओं का, देवरानी-जेठानी हैं, दोनों का कोई पता नहीं।

(श्रीमती अनीता)

पूरा समाज इस बात से उद्वेलित हैं, उनकी ये जो महिलाएं गई हैं उनको वापस लाया जाए। हमने जानकारी करवाई है, एफ.आई.आर. भी दर्ज कराई है, उसके बाद सामाजिक रूप से भी जानकारी की है तो पता लगा कि भरतपुर में ऐसे आठ-दस लड़कों का गिरोह है जो महिलाओं को बहला-फुसला कर, ले जाकर, मुम्बई के रेड लाइट एरिया में बेच देते हैं। उनके मोबाइल, जो पकड़े गये, जिनका नम्बर दिया गया, उन नम्बरों में भी उनकी लोकेशन मुम्बई और आगरा बोली है। तो मैं आपसे कहना चाहती हूं कि इस प्रकार से एक नेटवर्क चल रहा है। क्षेत्र में भोली-भोली महिलाएं हैं, अनपढ़ महिलाएं हैं, वे समझती नहीं, जानती नहीं, उनको बहला-फुसला कर जो इस प्रकार से ले जाते हैं, ह्युमन ट्रैफिकिंग का बहुत बड़ा मामला मेरे क्षेत्र में है। सभापति महोदय, मैं आपसे गुजारिश करना चाहती हूं कि ये जो महिलाएं गई हैं, इनको निश्चित रूप से हर हालत में सरकार वापस लेकर आये, ताकि महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता की जो बात सरकार कहती है वह सरकार की बात पूरी हो।

एक और मेरे यहां पर बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ। एक लड़का कालेज में पढ़ने वाला, भरतपुर से फीस जमा करा कर, मेरे नगर क्षेत्र का था, वापस आ रहा था, उसकी हत्या हो गई और इतने वीभत्स तरीके से उसको मारा गया। आज एक महीना होने को आया, लोग वहां पर धरना देकर बैठे हैं लगातार, लेकिन पुलिस उसमें कार्यवाही नहीं कर रही है। कार्यवाही क्या हो रही है कि वहां के जो एस एच ओ थे, उनको हटा दिया, दूसरे को लगा दिया। दूसरा वाला भी यह कह रहा है कि मैं कहां से करूं कार्यवाही? मैं कहना चाहती हूं, सभापति महोदय, ...(व्यवधान) मेरा कहना आपसे यह है...(व्यवधान) मैं अपनी बात अपने-आप ही कह लूंगी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्रीमती अनीता (नगर): माननीय सदस्य गोविन्द जी डोटासरा, मैं अपनी बात कहना जानती हूं। आप कृपया बीच में न बोलें।

मैं आप सबसे कहना चाहती हूं कि यह एक बहुत संवेदनशील मामला है। एक अच्छा एस पी लगाना, एक अच्छा आई जी लगाना, ईमानदार लगाना, सरकार के हाथ में है लेकिन उसके साथ जो एस एच ओज हैं, जो सी आई हैं, जो वहां पर तफ्तीश करते हैं, वे भी अच्छे और ईमानदार हों, वे पूरी तन्मयता के साथ जनता के भले के लिए काम करें, इसकी भी जिम्मेदारी सरकार को

(श्रीमती अनीता)

लेनी चाहिए। निश्चित रूप से मैं कह सकती हूं, कि हमारे जिले के अधिकारी, आई.जी., एस.पी. बहुत ईमानदार लगाये हैं वे काम करते हैं लेकिन जो नीचे की जो जड़े हैं एस एच ओ, सी आई, उनको भी इस काम को करना चाहिए, सेटिसफेक्शन देना चाहिए। यह जांच होनी चाहिए और तफ्तीश होकर बहुत जल्दी इसका राज खुलना चाहिए, ऐसा मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं।

क्योंकि मेवात क्षेत्र की बात है और यहां पर अगर वाहन चोरी की बात नहीं करें तो एक अलग ही बात हो जाती है। मैं यह समझती हूं कि जयपुर क्षेत्र में भी जो मोटरसाइकिल और बोलेरो चोरी होती हैं, वे सीधे हमारे डीग का जो गांव हैं, मेरे विधान सभा क्षेत्र का चोरगढ़ी, वहां पर जाकर चली आती हैं। कहीं अलवर में मोटरसाइकिल चोरी होती है तो वह भी वहीं चली आती है। आस-पास के क्षेत्रों की सारी की सारी जो वाहन चोरी है, वह वहां से संचालित होती है। चोरगढ़ी के पास हमने एक छोटी-सी पुलिस चौकी खोली है और पुलिस...

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): ×××

श्रीमती अनीता (नगर): मैं बता तो रही हूं, सदस्य महोदय, आपको।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ×××

श्रीमती अनीता (नगर): चोरगढ़ी में कांग्रेस का सरपंच है। मैं आपसे निवेदन करती हूं, सभापति महोदय, एक ऐसा नेटवर्क वहां पर है। निश्चित रूप से मैं यह मानती हूं कि हमारी सरकार जब से आयी है, लगातार दबिश दे रही है, लगातार उन लोगों को पकड़ने की भी कोशिश कर रही है, लेकिन जो संसाधनों की कमी है वह हमेशा हमें भी खलती है और पुलिस को भी खलती है। तो संसाधन पूरे वहां पर हों, वहां पर जो नफरी कम है वह पूरी हो। वहां जो अत्याधुनिक हथियार देने की मैं बात कर रही हूं, वह इसीलिए कर रही हूं कि वहां के अपराधियों के पास बहुत बड़े-बड़े हथियार हैं, उन हथियारों का मुकाबला करने के लिए हमारे जिले की पुलिस को भी हथियार भी और गाड़ियां भी उच्च क्वालिटी की देनी चाहिए, ताकि एक बहुत बड़ा रैकेट जो हमारे यहां वाहन चोरी का चल रहा है वो वाहन चोरी का रैकेट बंद हो। मैं समझती हूं कि हमारी सरकार जिस प्रकार से दबिश की कार्यवाही कर रही है, निश्चित रूप से

(श्रीमती अनीता)

कम हुआ है और आगे भी इसी प्रकार की कार्यवाही करती रही तो निश्चित रूप से ये वाहन चोरी का मामला मेरे क्षेत्र से हट जाएगा।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहती हूं, क्योंकि मेवात का क्षेत्र है, यहां पढ़ाई-लिखाई बहुत कम है। यहां के लोग इस बात को अंडरस्टैंड ही नहीं करते कि मोटरसाइकिल चोरी हो जाए तो उसकी एफ आई आर दर्ज होनी चाहिए। एफ आई आर दर्ज कराने कभी-कभार कोई चला भी जाए और पुलिस में एफ आई आर हमारे कहने पर दर्ज भी करा दे तो वह जो मोटरसाइकिल है वह वापस नहीं आ पाती है। तो ऐसे मुकदमे वाहन चोरी के हमारे यहां कम होते हैं। जब भी हम विधान सभा में प्रश्न लगायें या एस पी से या डीजी साहब से कहें इस बारे में, तो वे कह देते हैं कि आपके वाहन चोरी के मुकदमे ही इतने हैं। चोरी बहुत होती हैं लेकिन लोग मुकदमा दर्ज नहीं करा पाते और उसके वैसे ही पैसे देकर वापस लाने की कोशिश करते हैं। तो मेरा कहना है कि इस प्रकार की जो कार्यवाही है, जो लोग मोटरसाइकिल चोरी करते हैं और चोरी करने के बाद, आठ-दस हजार रुपये लेकर उस मोटरसाइकिल को दुबारा फिरवाने का काम करते हैं; जो फिराई का काम करते हैं, हमारे क्षेत्र में ऐसे लोगों का नाम रखा है, फिराई करने वाले; तो ऐसे फिराई करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस को सख्त एक्शन लेकर उनको पकड़ना चाहिए, जिससे वाहन चोरी की वारदातें कम हों।

मैं एक चीज और कहना चाहती हूं कि हमारे यहां जो चोरियां होती हैं, जैसे हमारे यहां सीकरी क्षेत्र में एक दुकान के अन्दर एक साल में दो बार चोरियां हुयीं वह टीवी, और सामान गये। वह दो साल में लगातार चोरी होने के बाद एक ही दुकान में और वही बार-बार वे जो मलजिम उन्हीं के आये। क्योंकि वे हरियाणा क्षेत्र के थे, तो हमारे क्षेत्र की पुलिस को हरियाणा जाने में बहुत दिक्कत आती है कि हरियाणा से लाना है, पकड़ कर कैसे लायें? हरियाणा में इस तरह का नेटवर्क है कि वहां पर कोई अपराधी हमारे यहां से अपराध करके भाग जाए तो वहां से आ नहीं पाता है। मैं, सभापति महोदय, आपके द्वारा कहना चाहती हूं कि हमारी सरकार को हरियाणा सरकार से और यू पी सरकार से इस प्रकार का कोई सामंजस्य करना चाहिए कि हमारे क्षेत्र में जो अपराध करके गया है, उस अपराधी को अगर हरियाणा और यूपी में शरण मिल रही है, तो उन लोगों के द्वारा उसको पकड़ कर वापस लाना चाहिए जिससे कि हमारे क्षेत्र के अपराध कम हो सकें।

(श्रीमती अनीता)

हमारे क्षेत्र में, चूंकि मेवात क्षेत्र है, मैं यह मांग भी रखना चाहती हूं कि जो हमारे जालूकी में ए एस आई की जो छोटी-सी चौकी है, चूंकि उसका रीजन बहुत बड़ा है, तो वहां थाने में उसको क्रमोन्नत करना चाहिए। जब वहां पर नफरी बढ़ेगी तो निश्चित रूप से अच्छा काम होगा। जो सीकरी थाना है, जो कि मेवात क्षेत्र का बहुत बड़ा बीच का सेन्टर है, वहां पर एस एच ओ है, तो मैं चाहती हूं कि वहां पर कोतवाली बनाई जाए और मेवात क्षेत्र की वजह से अगर नगर विधान सभा क्षेत्र में अलग से सी ओ बैठायेंगे तो निश्चित रूप से अपराधों पर बहुत रोक लगेगी।

अपराधों पर रोक लगाने का सबसे पहला काम हमारे क्षेत्र में रहता है। पुलिस का काम है, राज्य सरकार का काम है। अगर क्षेत्र में विकास की बात हम करते हैं तो फिर सबसे पहले, विकास से पहले बात आती है कि क्षेत्र में शांति-व्यवस्था बने जिस प्रकार का हमारा क्षेत्र है, उस क्षेत्र में विचित्र बात है यह मैं इसलिए कह रही हूं, सभापति महोदय, वहां पर एक क्राइम और होता है जिसको टटलू कहते हैं। टटलू उसको कहते हैं कि कोई व्यक्ति किसी को धोखे से सोने की ईंट दिखाता है कि यह सोने की ईंट है, आप ले लीजिये। तो वह पूछेगा कि कहां से आई तो वह कहेगा कि मैं तो गांव में काम कर रहा था, नीचे खुदाई में ईंट मिल गयी मुझे। मैं अब बीमार हूं या मेरा बच्चा बीमार है और मेरे पास पैसे नहीं हैं। आपको ईंट लेनी है? जब उसकी जांच करायी जाती है, तब वो ईंट सोने की सही रहती है लेकिन जब पैसे ले लिये जाते हैं और ईंट थमा दी जाती है, तब वह बिलकुल नकली निकलती है। इस प्रकार के बहुत सारे धोखाधड़ी के केस हमारे क्षेत्र में होते हैं।

मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि इस प्रकार की, धोखेबाजी की, इस प्रकार से गौ तस्करी की और जितने हमारे यहां वाहन चोरी, पशु चोरी, इतने सारे अपराध विभिन्न-विभिन्न तरीके के हमारे क्षेत्र में होते हैं और हमारे क्षेत्र में नफरी की कमी है। हमारे क्षेत्र में हमारे पुलिस वालों के पास हथियारों की कमी है। मैं सभापति महोदय से निवेदन करना चाहती हूं कि आप मेरी बात को सरकार तक पहुंचायें और हमारे क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा अत्याधुनिक हथियार देकर पुलिस नफरी बढ़ाई जाए। राम-राम सा।

श्री सभापति: श्री निर्मल कुमावत।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): सभापति महोदय, किसी भी राज्य की तरक्की में उस प्रदेश की कानून-व्यवस्था का बहुत ही अहम हिस्सा होता है

(श्री निर्मल कुमावत)

और मैं समझता हूं कि राजस्थान उस ओर तेजी से, मजबूती से आगे बढ़ रहा है, परन्तु कुछ बिन्दुओं पर मैं प्रकाश डालना चाहूंगा।

सबसे पहले तो मैं निवेदन करना चाहूंगा सरकार से कि जिस प्रकार से अपराधी आधुनिक हथियारों से और साइबर क्राइम से लेकर मोबाइल क्राइम तक, आज तेजी से बढ़ रहा है, उस प्रकार से हमारी पुलिस को भी आवश्यक है कि आधुनिक टेक्नोलोजी से उसको लैस किया जाए।

उसी के साथ, जिस प्रकार कुछ ही समय पूर्व पिछली सरकार ने जयपुर और जोधपुर में कमिश्नरेट प्रणाली लागू की थी, सरकार को उसकी समीक्षा करने की भी आवश्यकता है कि इस प्रणाली के कारगर परिणाम सामने आये हैं, या जो पूर्व में व्यवस्थाएं थीं, उसी प्रकार से ढर्रा चल रहा है। यदि सार्थक हुआ है तो इसका विस्तार करने की आवश्यकता है और यदि सार्थक नहीं हुआ है तो यह सोचने की बात है कि भारी-भरकम लवाजमा और बहुत ही भारी पुलिस बल हमने इन केवल दो शहरों में दे रखा है। मैं निवेदन कहना चाहूंगा, जयपुर ग्रामीण की जब कभी भी आई जी, एस पी, या उच्चाधिकारियों से, या माननीय मंत्रीजी से बात की जाती है नफरी को लेकर, या स्टाफ को लेकर, तो भारी कमी का हवाला दिया जाता है; परन्तु कमिश्नरेट के बारे में कहा जाता है कि यह वन-वे है जो एक बार इसमें चला गया उससे वापस बाहर नहीं आता। तो यह भी एक सोचने की बात है कि वहां इतने लोगों की आवश्यकता है भी, या नहीं है। अगर है तो उनकी एफिशिएंसी किस प्रकार से सामने आ रही है, यह भी एक समीक्षा का विषय है।

एक मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से अपराध को रोकने में मोबाइल एक बहुत ही कारगर कदम होता जा रहा है, परन्तु कई बार देखने को मिला है कि कोई भी अप्रिय घटना घटती है, कोई डकैती होती है, या कोई किडनेपिंग होती है, उसमें पुलिस अपनी तत्परता दिखाती भी है, परन्तु स्थानीय स्तर पर टेक्नोलोजी नहीं होने की वजह से कई बार एस पी आफिस से या उनके ऊपर से, मोबाइल कंपनियों से सूचनाएं आने में बहुत समय लग जाता है और वह समय उस पीड़ित पक्ष को बहुत भारी पड़ जाता है। उसको भी हमें देखने की आवश्यकता है। विषय की गम्भीरता को देखते हुए, वे सुविधाएं स्थानीय पुलिस को, चाहे छोटे थाने हों, या जो भी अनुसंधान अधिकारी हों, उनको तुरन्त वे मिलें ताकि आमजन को इससे राहत मिल सके।

(श्री निर्मल कुमावत)

सबसे बड़ी बात मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि बजट बढ़ाने की बात भी होती है, सभी माननीय सदस्य अपने-अपने क्षेत्र में जो अपराध हुए उनकी बातें भी करते हैं, पुलिस की एफिशिएंसी कैसे बढे, इसके लिए हम क्या सोच विचार रखते हैं? पुलिस मात्र एक वह महकमा है जो 24 घंटे काम करता है। क्या पुलिस में ऐसा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आ सकता है कि जो अनुसंधान अधिकारी है वहां तक तो वह ही रहे, उसके बाद में थानों की शिफ्ट के रूप में दो थाने, पांच थाने, या पायलट के रूप में लिया जाये? दिन-रात गश्त में भी काम करते हैं, दिन में कोर्ट से लेकर पब्लिक का सारा काम पुलिस करती है। सही तरीके से कार्य का बंटवारा है, या नहीं है, यह भी उच्च स्तर पर देखने की बात है। आदमी अंडर प्रेशर काम कर रहा है, या उसको आराम के लिए उचित समय मिलता है, या नहीं मिलता, या किसी एक व्यक्ति से ज्यादा काम लिया जाता है और पांच व्यक्तियों से कम काम लिया जाता है, यह एक बैलेंसिंग का काम है। अगर सरकार इस ओर गम्भीरता से देखे और पांच थानों या दो थानों को एक बार पायलट के रूप में ले; 12-12 घंटे की ड्यूटी में अगर अन्य स्टाफ को लिया जाता है तो उनकी एफिशिएंसी और लोगों के बराबर आती है, या नहीं आती।

एक विशेष बात मैं जेल से सम्बन्धित कहना चाहूंगा। जिस प्रकार जेल के अपराध बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, जेल से कैदियों के भागने की वारदातें भी बढ़ रही हैं, हमें उनको भी पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने होंगे। क्या उनके पास पर्याप्त नफरी है, या नहीं है; जिस प्रकार के अपराधी उनमें हैं, उनको लेकर वहां पर गम्भीरता है, या नहीं है। मैं मेरे यहां का निवेदन करना चाहूंगा, सांभर में जेल है परन्तु उसमें नफरी की बहुत ही कमी है। चारदीवारी भी पूरी नहीं हो रखी और यहां तक कि वहां वाहन भी उपलब्ध नहीं हैं। कई बार उनको पेशी पर ले कर जाते हैं तो दो-तीन किलोमीटर पैदल लेकर जाना पड़ता है; फिर वापस आते हैं तो इस बीच में अपराधियों के भागने की सम्भावना भी पूरी-पूरी रहती है। मैं समझता हूं, सरकार इस ओर पूरा कारगर रुख अपनायेगी और वर्तमान परिस्थितियों में हम जो भी बेस्ट कर सकते हैं, हमारी पुलिस क्या कर सकती है, सरकार क्या कर सकती है, उसको वह पूरा करने की कोशिश करेंगे।

एक निवेदन मैं पूरे सदन की ओर से रखना चाहूंगा कि पिछली सरकार ने सभी माननीय सदस्यों को एक-एक सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराये थे,

(श्री निर्मल कुमावत)

चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष। हमेशा जनता के बीच में जाना पड़ता है, जनता की बात को कठोरता से पालन करने के लिए भी कहना पड़ता है और राजनीतिक कारणों से मानें, चाहे आपराधिक कारणों से मानें, कम से कम एक-एक सुरक्षा गार्ड सभी माननीय सदस्यों को होने चाहिये। यह मेरा सरकार से निवेदन है और मैं समझता हूं कि सभी माननीय सदस्य भी इस बात से सहमत होंगे । मैं कोई वी आई पी कल्चर की बात नहीं कर रहा; कांफिडेंस के नाते, जनता को फेस करने के नाते, कम से कम एक व्यक्ति उनके साथ रहना चाहिये।

इन्हीं बातों को कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रमेश।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय सभापति महोदय, आज गृह विभाग पर चर्चा हो रही है, उसमें मुझे आपने बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

राज्य में आज अपराधों की संख्या निरन्तर बढ़ रही है और अपराधी बेलगाम हो रहे हैं। जान-माल की सुरक्षा का दायित्व पुलिस का है लेकिन, सभापति महोदय, आज हम देखते हैं कि न जान सुरक्षित है, न माल सुरक्षित है; न मंदिरों में भगवान सुरक्षित हैं; न गलियों में महिलाएं सुरक्षित हैं, न बच्चे सुरक्षित हैं, न दुकानदार सुरक्षित हैं, न दुकान सुरक्षित है; सडकों पर वाहन भी सुरक्षित नहीं है। पूरे प्रदेश में एक अराजकता का माहौल है। हमारे माननीय गृह मंत्रीजी से जब पूछा गया कि अपराधों का ग्राफ क्यों बढ़ रहा है? तो माननीय गृह मंत्रीजी का जवाब था कि जब से एन्काउंटर हुआ है, उसके बाद हालात से पुलिस में हताशा आ गई है। कभी कहते हैं कि 44 हजार गांव है, 70 हजार पुलिस हैं, कहां-कहां लगाऊं? कहां-कहां पुलिस जाये? कहां-कहां ध्यान रखे? ऐसा क्यों? पुलिस स्वयं एन्काउंटर की दोषी है, या स्वयं गृह मंत्री इन आरोपों से हताशा में थे और पुलिस को आगे ऐसी कार्यवाही नहीं करने के आदेश भी दिये? लेकिन अब तो आप स्वतंत्र हैं, कोई दवाब नहीं है अब तो आप पुलिस का हौंसला बढ़ा सकते हैं। आखिर अपराधी खुले में क्यों घूम रहे हैं?

आज कोई भी आदमी बैंक में जब पैसे लेने जाता है और जब बैंक से वापस घर तक आता है तो उस बीच में वह अपने आपको असुरक्षित महसूस करता है। महिलाओं ने सोना पहनना ही छोड़ दिया। हमारे सामने चिकित्सा

(श्री रमेश)

मंत्री बैठे हैं, इनके खास जो रोल्ड गोल्ड का काम करते हैं, उनकी दुकान खूब जोरों से चल रही है। रोल्ड गोल्ड की सोने की जो दुकान हैं, वे जोर से चल रही हैं क्योंकि लोगों ने अब असली सोना पहनना बंद कर दिया है।

प्रदेश में इन डेढ़ साल में वाहन चोरी, मारपीट, लूटपाट, हत्या, दुष्कर्म, ह्यूमन ट्रैफिकिंग सारे अपराध बहुत तेजी से बढ़े हैं। थानों में हिरासत में मौते हो रही हैं। जेलों में गिरोहों का संचालन, गोली चलवाना, हत्याएं करवाना, अपने प्रकरणों में गवाहों को डराना-धमकाना, एक आम बात है। हमारे जयपुर के वैशाली नगर में जो शर्मनाक घटना घटित हुई, जो बंगाली अपराधी थे उन्होंने घर में घुस कर हमला किया और हमला करने के बाद महिला के साथ दुष्कर्म किया और वे अपने देश भागने में सफल हो गये। पुलिस हाथ मारती रही। किस्मत की बात है, पुलिस के हाथ कहो, या उन परिजन के स्मार्ट फोन के कारण अपराधी पकडे गये, अन्यथा हमारे शहर की पुलिस तो घटना के दो दिन बाद भी अपराधियों को ढूंढ नहीं, पाई और हमारे चिकित्सा मंत्रीजी का जो चार्ली कुत्ता था, उसको ढूंढने में व्यस्त थी। कितने शर्म की बात है। जिस अपराध ने पुलिस के मुंह पर तमाचा मारा और अपराधियों को पकड़ने के स्थान पर हमारी पुलिस कुत्ता ढूंढती रही।

राज्य में एक नकली घी बनाने का अपराधी, सिंघल साहब आये और पुलिस महकमे को चलाने लगे। कई सालों से काम कर रहे, कई पुलिस के बड़े अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त था। उनके इशारे पर पोस्टिंग, स्थानांतरण, आदि, सब हुआ करते थे। जब इस प्रकरण के जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट अपने इमीडिएट बास को दी तो उन्होंने उलटा उस अधिकारी से स्पष्टीकरण मांग लिया, उसके बाद जांच किसी अन्य अधिकारी को दे दी। उस अधिकारी ने उस फाइल पर हाथ भी नहीं लगाया। ऐसा बिना उच्च अधिकारियों की शह और बिना उनकी इच्छा नहीं हो सकता। जब राज्य के बड़े पुलिस अधिकारी इस प्रकार अपराधियों को संरक्षण देंगे तो राज्य की कानून-व्यवस्था का क्या हाल होगा, इसको आप लोग समझ सकते हैं।

अभी एक बात आई कि आमेर में आप रात्रिकालीन पर्यटन प्रारम्भ करने जा रहे हैं, और पूरी तैयारी भी है। रात को 11 बजे एक युवती की मावठे की छतरी पर गला दबा कर हत्या कर दी जाती है और उसकी लाश मावठे में

(श्री रमेश)

डाल दी जाती है। उसका किसी को पता नहीं चलता। ऐसी परिस्थिति में कौनसा पर्यटक आयेगा? और ऐसी असुरक्षित जगहों पर कौन आना चाहेगा?

अभी 15 मार्च तक जयपुर शहर में 5 हत्याएं हो चुकी हैं 15 दिन के अन्दर-अन्दर, जिसमें एक बच्ची भी शामिल है, जिसकी दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई। अभी आये-दिन पढ़ ही रहे हैं कि कोई शार्प-शूटर सीकर में आये वे एक बड़े नेता को मारना चाहते थे। जेलों से माफिया बेनूड़ा, आनंदपाल, इस तरह के अपराध खुले आम हो रहे हैं, पुलिस कुछ कर नहीं पा रही है।

अभी हमारा भूमि अवाप्ति को लेकर एक आंदोलन था, उसमें एक विधायक के साथ बर्बरतापूर्वक मारपीट की जाती है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो दूर खड़े हैं, उन पर भी लाठी से प्रहार किया जाता है और वह भी महिला पुलिस के द्वारा। उसके बाद हमारे गृह मंत्रीजी जवाब देते हैं

कि ऐसा कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ, मेरे पास ऐसे कोई प्रमाण नहीं हैं। मैं मीडिया से भी कहना चाहता हूं, क्योंकि विधान सभा में मीडिया की कार्यवाही को नहीं माना जाता, मीडिया में जो छपा और सबने देखा कि लाठी चार्ज हुआ, तो मीडिया भी अगर गलत छापती है तो उसके लिए भी चैलेंज है, सही छापती है तो उसके लिए भी चैलेंज है। यदि आसन का मुझे आदेश हो तो मैं यहीं अभी गृह मंत्री और राजेन्द्रजी को, मेरे पास मोबाइल है उसमें 'वाटसएप' में वह सारी दिखा सकता हूं लेकिन यह आसन के लिए और मेरे लिए भी ठीक नहीं है। हमारे पास सी डी है।

हमारा सरकार से निवेदन है, माननीया सदन की नेता से, इसमें न्याय करें और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करें। हम चाहते हैं, सौहार्दपूर्ण वातावरण में हमारा सदन चले; हमारे क्षेत्र की जो प्राब्लम्स हैं, पूरे राजस्थान की, हम जनता की समस्याएं हैं, उनको सदन में रख सकें, लेकिन सरकार चाहती है सदन से भागना। बजट बहस हुई, हम बजट में भाग लेना चाहते हैं, तो इन्होंने सोचा, एक्चुअल सवा साल में हमने कुछ किया नहीं है, हमारी बात इसमें रिकार्ड होगी, मेसेज ठीक नहीं जाएगा। तो सरकार इस तरह के जो प्रयास कर रही है, वह ठीक नहीं है। जनता सब जानती है।

राजस्थान की क्राइम रिपोर्ट आई है, मंथली है, उसको मैं आपको बताना चाहता हूं, वैसे अधिकारी और सभी विधायक हैं, सबको पता है कि दिसम्बर तक, 2014 में 2013 के मुकाबले जो अपराध हुए प्रदेश में, 1,637 हत्याएं, 4.07 परसेंट अधिक; 1,301 लूट, 22.16 परसेंट अधिक; 5,671 अपहरण, 13.74 %

(श्री रमेश)

अधिक; 3,759 दुष्कर्म, 14.43 परसेंट अधिक; 6,379 नकबजनी, 10.31 परसेंट अधिक हैं। इस तरह एवरेज आपने अपने रिकार्ड के अनुसार दिया है 7.23 परसेंट अधिक हैं । जून में जो दुष्कर्म के मामले हुए, वे 33.02 परसेंट; जून में हुए 18.84 परसेंट दुष्कर्म। बड़ी चिंता का विषय है। इस राजस्थान पुलिस के लिए बड़ी चिंता की स्थिति है।

आपके पुलिस अपराध रिकार्ड के अनुसार सितम्बर, 2014 में 18,372 अपराध, अक्टूबर 2014 में 18,064 अपराध, नवम्बर 2014 में 17,498 अपराध, जैसे ही दिसम्बर का महीना आता है, दिसम्बर 2014 में 12,709, जनवरी 2015 में 13,431 अपराध। आपका सितम्बर, अक्टूबर और नवम्बर का औसत एवरेज 17,978 है, दिसम्बर-जनवरी का औसत 13,070 है। तो इस प्रकार नवम्बर, 2013 के बाद प्रतिमाह 4,908 अपराध, लमसम 5,000 अपराध कम हो जाते हैं तो यह गृहमंत्रीजी की या पुलिस अधिकारियों की क्या कोई जादुई छड़ी है, या ऐसा कौनसा कमाल है, या ऐसी पुलिस की कौनसी सजगता है, या जादुई आंकड़ों के साथ में इस तरह की हेराफेरी की है? वैसे भी जनता जानती है और हम भी जानते हैं, हमारे विधायक भी जानते हैं कि पहले ही पुलिस क्राइम रिकार्ड मंथली आता है, उसको कम दिखाती है; एनलिस्ट ज्यादा होते हैं, दिखाया कम जाता है। प्रति माह आंकड़े दिखाये जाते हैं और उनमें भी जनता को दिखाने, या सदन को दिखाने के लिए आपने इस तरह का प्रयास किया है कि 5 हजार अपराध एक महीने में घट गये, तो ऐसा असम्भव है। मैं गृह मंत्रीजी से कहना चाहूंगा, यदि उनके ध्यान में नहीं है तो यह एक बड़ा जांच का विषय है। इसका भौतिक सत्यापन होना चाहिए। या फिर गृह मंत्री या हमारे पुलिस के अधिकारियों ने, जैसे हमारे फाइनेंशल सिस्टम में एक पी डी अकाउंट होता है, एक साइलेंट जोन, साइलेंट सिस्टम, सारे अपराधों को उसमें डाल दिया; 5 हजार अपराध थे, उनको छुपा लिया।

मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार राजस्थान में अपराध बढ़ रहे हैं, राजस्थान की पुलिस उसको रोकने में नाकाम रही। मैं आपको जयपुर का एक उदाहरण और देना चाहूंगा।जयपुर शहर में मिनी बस यूनियन के अध्यक्ष से बात हुई, उससे पूछा गया कि खटारा बसें हैं, ओवरलोड बसें हैं, ये कैसे चलती हैं? तो उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि हम पुलिस को रिश्वत देते हैं और खटारा, ओवरलोड बसों को चलाते हैं। पुलिस पर एक तरह से खुला इल्जाम लगने के बाद भी ऐसी बसें आज तक चल रही हैं। पुलिस ने इनके प्रति ठोस या स्थायी कदम क्यों नहीं उठाये?

(श्री रमेश)

आर टी ओ में भी दलाल के माध्यम से लाइसेंस से लेकर फिटनेस तक के काम होते हैं। हमारे सारे अधिकारी भी इस बात को जानते हैं। हमारे ए सी बी के अधिकारी हैं, बड़ी मेहनत से अधिकारी/कर्मचारी जो भ्रष्टाचार करते हैं, उनको पकड़ते हैं और बड़ी कोशिशों के बावजूद यह सिस्टम सेट हो पाता है। सरकार काफी केसों में अभियोजन स्वीकृति देने से मना ही कर देती है, या एच ओ डी से वहां तक नहीं आ पाते हैं। तो यह बड़ी विडम्बना है कि हमारे अधिकारी जो ए सी बी के हैं, वे बड़ी मेहनत के साथ पकड़ते हैं और सरकार उनको छोड़ देती है। वर्ष 2014 में भ्रष्टाचार के प्रकरणों में सबसे कम कार्यवाही हुई मात्र 267; जबकि वर्ष 2013 में यह संख्या 362 थी। अभी भी 392 के लगभग प्रकरण लम्बित हैं। शिकायतें आई थीं 449, आय से अधिक सम्पत्ति के केस, इन्होंने उन्हीं लोगों को ट्रैप किया, उन्हीं में से ढूंढे, वह मात्र 26 केस हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि राज्य में जिस प्रकार अपराध बढ़ा है, पुलिस रोक नहीं पा रही है, पुलिस असमर्थ है। राज्य में बाहर के अन्तरराज्यीय गिरोह आते हैं, अपराध करने के बाद अपने राज्य में चले जाते हैं, या अपने देश में चले जाते हैं। उनके राज्य के निवासी नहीं होने के कारण न तो उनकी पहचान है, उनको पकड़ना मुश्किल है। ऐसी स्थिति में पुलिस को आने वालों पर, जो आवक आ रही है, उसमें सख्त रोक लगाई जाए। इसमें ज्यादातर बांग्लादेशी, पाक नागरिक हैं। एक रिपोर्ट है, केन्द्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों को देखें तो प्रदेश में वर्तमान में सबसे अधिक लगभग 8,500 पाकिस्तानी अवैध रूप से रह रहे हैं। पूरे देश में अवैध रहने वालो की कुल संख्या 15,179 है। अपन मान सकते हैं कि आधे से अधिक इस राजस्थान राज्य में पाकिस्तानी रह रहे हैं। हमारे राज्य की पुलिस और गुप्तचर व्यवस्था, अवैध रूप से रह रहे विदेशी, खासकर पाकिस्तानी व बांग्लादेशियों की आवक और बसावट रोकने में असमर्थ सिद्ध हो रही है। बांग्लादेशियों की संख्या है वह तो कई गुणा अधिक है लेकिन यहां से उनको निकालना तो दूर, जो आ रहे हैं, उनको रोकना भी एक बड़ी समस्या हो गई है। सिस्टम में कमी है।

राजस्थान पुलिस की हालत इतनी खराब है कि राज्य से लगती हुई पाकिस्तानी सीमा पर दो बांग्लादेशियों को पाकिस्तान जाते हुए पकड़ लिया जाता है, आई बी के अधिकारी उनको पकड़ लेते हैं, उनको हिरासत में देने के लिए गड़रा रोड पुलिस को सूचना करते हैं कि इनको हिरासत में लें। लेकिन

(श्री रमेश)

गड़रा रोड पुलिस कहती है कि हम इनको हिरासत में नहीं रखेंगे। आइ बी के अधिकारियों को उनको छोड़ना पड़ता है। यदि सरकार के नियमों में प्राबलम्स हैं, तो इसमें सरकार सरलीकरण करे, क्योंकि हमें भी पता है कि पुलिस रखेगी, महीने-दो महीने तक उसका आएगा; सिस्टम में आएगा-जाएगा, उसमें टाइम लगेगा। व्यवस्था करें। कहीं ऐसा नहीं हो कि कोई आतंकवादी हो उनको छोड़ दें और हमारे प्रदेश और देश की सुरक्षा के लिए बड़ा अहम सवाल बन जाए, कोई बड़ी घटना हो जाए।

राजस्थान प्रदेश में अफीम तस्करी की बात करें तो भारतवर्ष में राजस्थान सबसे पहले, नम्बर वन पर है। सबसे ज्यादा अफीम तस्करी कहां होती है, वह झालावाड़ और प्रतापगढ़ के जिलों में सबसे ज्यादा होती है और वहीं से तस्करी होती है। मध्यप्रदेश दूसरे नम्बर पर है। आदमी जो नशा करता है, वह एक अपराध की जड़ है। इस पर नियंत्रण की आवश्यकता है। कोई भी अपराध हों, चाहे दुष्कर्म हो, अन्य हों, वह आदमी शराब के नशे में, या चरस, गांजा, स्मैक, अन्य नशीली दवाइयों का सेवन करने के बाद कोई भी व्यक्ति मात्र सौ रुपये के लिए भी हत्या कर सकता है। इनका जो सिस्टम है, इस पर सरकार रोक लगावे। मैं कहना चाहता हूं कि गुजरात में जिस प्रकार शराब पर बैन है, आप भी हिम्मत का काम कीजिये, हिम्मत करिये, राजस्व का जरिया अन्य रास्तों से ढूंढिये और इस शराब को बंद करो। इस राजस्थान को बचाओ, गरीब की मदद करो।

वर्तमान में एक अपराध, जिसको अपन मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के माध्यम से जो बच्चों, युवतियों और महिलाओं का अपहरण, बहला-फुसला कर, बेहोशी की दवा देकर उनको बेचा जा रहा है, उनको खरीदा जा रहा है; छोटे बच्चों से बेगारी, भिक्षा मंगवाई जा रही है; युवतियों को वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया जा रहा है। राज्य से हजारों की संख्या में बच्चे, युवतियां हर साल गायब हो जाते हैं। उनकी कोई खबर नहीं लगती। राज्य सरकार को इस विषय को बहुत ही गम्भीरता से लेना चाहिए। इसको रोकने हेतु सख्त कार्यवाही करनी चाहिए।

आज जेलों में अपराधी अधिक हैं। हमें भी पता है, प्रहरी कम हैं। उसके बावजूद, हमारे पास जो संसाधन हैं, उन संसाधनों के हिसाब से भी जेलों में जिस प्रकार...

(श्री रमेश)

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

बस शार्ट में, दो मिनट। मैं पहला ही हूं मेरी तरफ से, इसलिए मैं ज्यादा...। हम तीन ही बोलेंगे। थोड़ा हमें समय दें। आपका प्रथम वक्ता जो बोला, उस हिसाब से ही हमें समय दें।

श्री सभापति: आपको दे दिया।

श्री रमेश (सपोटरा): प्रहरी कम हैं। जेलों में अपराध गिरोह, जेलों के माध्यम से अन्दर से ही संचालित हो रहे हैं। जेलों के अन्दर मोबाइल, खाने-पीने के वस्तुएं, हथियार पहुंच रहे हैं, शराब पहुंच रही है। एक फाइवस्टार होटल की सुविधा जेल के अन्दर मिल रही है। जेल के अन्दर ही गोली मार दी जाती है। यह बड़ी शर्मनाक बात है राजस्थान के इतिहास में पुलिस और जेल के अधिकारियों के लिए, राजस्थान के मंत्रियों के लिए कि जेल के अन्दर एक आदमी को मार दिया जाता है और पुलिस हाथ पर हाथ धरे हुए बैठी रहती है। जेल के अन्दर से गुर्गों के माध्यम से चौथ-वसूली, मारपीट करना, गाड़ियों की चोरियां, अपहरण, फिरौती, इस तरह के कार्यक्रम किये जाते हैं। जब जेल के अन्दर कोई व्यवसायी या कोई निर्दोष कोई आदमी फंस जावे, जिसको कहते हैं कोई अच्छे स्टेटस का, वह जब फंस जाता है तो जेल के अन्दर उसको प्रताड़ित किया जाता है, मारपीट की जाती है, मिर्ची पिसवाई जाती है, सीवर लाइन जो रहती है, लैट्रिन्स वगैरह, उनको साफ करवाया जाता है। जब तक वह पैसा नहीं दे दे, तब तक उसको परेशान किया जाता है। यहां तक उसको पीटते हैं, सोने तक भी नहीं दिया जाता है। ऐसी जेलों में व्यवस्था है। इसमें हजारों से लेकर लाखों रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उन विचाराधीन कैदियों से वसूल किया जाता है और जेल का जो प्रशासन है, उसको सब पता होते हुए भी अनदेखा करता है।

तो मैं सरकार से आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जेलों में जो अव्यवस्था है, उसको सुधारा जाए; जेलों में सी.सी. कैमरे की सुदृढ़ व्यवस्था हो; जेलों में पुराने स्टाफ को बदला जाए; अत्याधुनिक साधनों का उपयोग किया जाए।

अब मेरे थोड़े-बहुत सुझाव हैं, ज्यादा नहीं कहूंगा। हमारे समय में माइनिंग में पुलिस के एग्जाम में जो पास हुए, उनको सरकार ने आश्वासन

(श्री रमेश)

दिया और उसके बाद उनको अभी तक नहीं लगाया। हमारा जो पुलिस कांस्टेबल का स्टाइपेंड दिया था, उसको भी सरकार ने नहीं दिया।

इन सवा साल में पुलिस स्टाफ भी सुरक्षित नहीं रहा। इन सवा सालों में सबसे ज्यादा एनकाउंटर या असामाजिक तत्वों द्वारा पुलिस के थानेदार, अधिकारी या पुलिस कांस्टेबल्स की मृत्यु हुई।

राजस्थान में पुलिस का जो मुखबिर तंत्र था, वह पूरी तरह से समाप्त हो गया है। राज्य सरकार के सबसे अच्छे मुखबिर तंत्र रखने वाले अधिकारी, उनको भी पुलिस ने नजरअंदाज किया। ऐसे अधिकारियों को सरकार प्रोत्साहन दे, सम्मानित करे।

मेरा एक सुझाव और है कि मोटर व्हिकल एक्ट के तहत जो पैसा वसूल किया जाता है, वह पैसा राजकोष में जमा होता है। मोटर व्हिकल एक्ट का पैसा यदि सारे कामों में आ जाए, जो थाने का खर्चा है, डीजल है, भवन का रिनोवेशन है, मुखबिर को देना है, खेल प्रतियोगिताएं हैं, स्टेशनरी है, निरीक्षण है, अन्य छोटे-बड़े जो खर्चे हैं, उनसे बचाया जा सकता है। इसकी जिला लेवल पर या स्टेट लेवल पर एक कमेटी बने, उन अधिकारियों की देखरेख में इनका काम हो।

पुलिसकर्मियों की जो कमी है, अभी जो आपके इसमें बताया गया, 12,175 कांस्टेबल के पद खाली हैं; काम के घण्टे अधिक हैं; अवकाश नहीं मिलता है; त्यौहार, त्यौहारों से अलग मनाते हैं; संसाधनों की कमी है। तो इस तरह जो आज का युवा है, पुलिस में भर्ती होता है, लेकिन जब पुलिस की कार्यप्रणाली को देखता है तो वह असहज हो जाता है। इस प्रकार हमारे जो 72 सब-इंस्पेक्टर थे, वे जोइनिंग देने गये, थोड़े दिन रहे और जोइनिंग देने से मना कर दिया।

पुरुष पुलिस थानों के भरोसे हमारे महिला थाने हैं। राज्य में पुलिस व्यवस्था के अनुसार राजस्थान में 14 जिले हैं। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): जोइनिंग करके 15 दिन रहे और फिर जोइन नहीं किया, यह कैसे हो सकता है? (व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): इनमें से 14 जिलों में बड़े महिला थाने हैं, जबकि 22 जिलों में महिला सेल हैं। महिला पुलिस इंस्पेक्टर केवल 10 हैं; केवल 200

(श्री रमेश)

महिला उप-निरीक्षक हैं। कुल मिलाकर, साढ़े तीन करोड़ जो महिलाओं की आबादी है, उसकी सुरक्षा हेतु केवल मात्र 6629 महिला पुलिसकर्मी हैं।

हत्या से ज्यादा प्रकरण दुर्घटना-मृत्यु के दर्ज होते हैं। इस पर भी, क्योंकि कभी-कभी पूरा परिवार समाप्त हो जाता है, इस पर सरकार को ट्रौमा हास्पिटल, अन्य व्यवस्था पर विचार करना चाहिए। पुलिस की जो व्यवस्था है, वेश्यावृत्ति पर रोक नहीं लगा पाई है। इसमें पुलिस कानून में परिवर्तन करे, जिससे दोषियों को दण्ड मिले आगे नहीं जा पाये। एक मेरा थोड़ा-सा निवेदन है, छोटा-सा है, छोटा लगेगा, लेकिन काम की चीज है। जब राजस्थान में पुलिस के अधिकारी, जिसको कहते हैं कि थानों पर एस.एच.ओ. रहता है और एस.एच.ओ. के जाते ही प्राब्लम्सक क्रीएट होती हैं, प्राब्लम्स क्या होती हैं कि कोई जाति-विशेष, कई अच्छे अधिकारियों की नहीं कह सकता, लेकिन मैक्जिमम जो पुलिस अधिकारी, जो एस.एच.ओ. हैं, वहां पर या तो जाति-विशेष का स्टाफ होता है, या फिर कुछ कमाऊ पूत होते हैं। उनके सिस्टम में वे नजदीक आ जाते हैं। बाकी का जो स्टाफ है, वह उपेक्षित-सा रहता है, आइसोलेटेड रहता है। इस वजह से थानों में जो हमारी क्षमता होनी चाहिए, अपराध निस्तारण की, वह समय पर नहीं हो पाती है। जो हमारा सिस्टम बना हुआ है, पुलिस का, कि जिस इलाके में एस.एच.ओ. जाएगा, उसमें उसका बीट का इंचार्ज जाए, पुलिस कांस्टेबल है, चाहे हैड कांस्टेबल है, उसका जाना जरूरी होता है, लेकिन एस.एच.ओ. करता क्या है कि अपने नजदीकी या कमाऊ पूत को साथ ले जाता है, क्योंकि उसको गड़बड़ करनी होती है। जो आई.ओ. होते हैं, जिनको एस.एच.ओ. नियुक्त करता है, चोरी हुई, तामील हुई तो अपेक्षित जो महसूस करते हैं, उन लोगों को इस तरह के केसेज दे दिये जाते हैं। जो मलाइदार केस हैं, जिनमें खास केस हैं, वह अपने नजदीकी आदमी को दिया जाता है। जो अपेक्षित रहता है, जो स्टाफ है, वह परेशान रहता है। इस वजह से थानों में कभी लड़ाई-झगड़ा होना, कभी मारपीट होना, कभी शराब पीना और यहां तक कि हत्याएं तक हो जाती हैं।

(15.40 बजे)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी, सभापति, पदासीन)

मैं कहना चाहूंगा, माननीय सभापति महोदय, सरकार के गृह मंत्री और सरकार को कि इस व्यवस्था में भी सरकार सुधार करे।

एक-दो और मेरे बिन्दु हैं, ज्यादा नहीं हैं।

श्री सभापति: आप विराजिये।

श्री रमेश (सपोटरा): दो मिनट, साहब। अब ज्यादा नहीं है, लम्बा। आप आ गये हैं तो मैं भी थोड़ा-सा देख रहा हूं।

श्री सभापति: दो बार घण्टी बज गई आपकी।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): इनकी घण्टी तो रोज बजती है।

श्री रमेश (सपोटरा): राज्य में हजारों बच्चों को जबरन बंधक बनाकर मजदूरी कराई जाती है। पुलिस को भी थोड़ा-बहुत मालूम रहता हैं। राजस्थान के बाहर से लोग, या बंधुआ मजदूरों से जो इस तरह का काम करवाया जाता है, फैक्टरियों में चूड़ी बनवाई जाती है; उनकी पिटाई की जाती है; उन्हें परेशान किया जाता है। तो इस बारे में पुलिस की एक सुदृढ़ व्यवस्था हो, इसके लिए एक अलग से सेल बना हुआ है तो वह भी बने और इसमें कार्यवाही हो। एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री रमेश (सपोटरा): पुलिस सुधार की व्यवस्था बताई गयी, जो राज्य को, स्वयं को अपने सम्बन्ध में कानून बनाने के निर्देश दिये लेकिन इस संदर्भ में आज तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई।

आपने मुझे बोलने का समय दिया, माननीय सभापति महोदय, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद, माननीय सदस्य। श्री मानसिंह गुर्जर।

श्री मान सिंह (गंगापुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 16 एवं 17 पर हम चर्चा कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से हमारी पुलिस की व्यवस्था है, उस व्यवस्था में सबसे पहले आम जन को जो फेस करना पड़ता है, जब वह थाने के अन्दर एफ.आई.आर. दर्ज करवाने जाता है तो उसके साथ में जिस प्रकार का व्यवहार होता है, जिस रूखेपन से पुलिस वाले उसके साथ में बोलते हैं, तो ऐसा लगता है कि वह कहां पर आ गया। आम आदमी यह शिकायत करता रहता है कि मेरे साथ में अन्याय हुआ है, मेरे परिवार के साथ में अन्याय हुआ है, मैं मेरी एफ.आई.आर. दर्ज करवाना चाहता हूं, लेकिन उसको एफ.आई.आर. दर्ज कराने में बहुत दिक्कत होती है। मैं इसमें कहना चाहता हूं कि आज इस पवित्र सदन के अन्दर हम साफ मन से इस बात को तय करें कि आम जन को राहत देने के

(श्री मान सिंह)

लिए उसकी एफ.आई.आर. तुरन्त दर्ज होनी चाहिए और वह आन-लाइन होनी चाहिए। एफ.आई.आर. के लिए किसी आदमी को वापस नहीं जाना पड़े। जो पुलिस के अन्दर एक व्यवस्था हो गयी है कि कोई पेंडेंसी नहीं रहनी चाहिए, अगर मेरे थाने में ज्यादा केस आ जाएंगे, पेंडेंसी होगी तो रिकार्ड खराब होगा; मैं कहता हूं कि जिस थाने में जितनी एफ.आई.आर. दर्ज होंगी, हम यह मानने का काम करें कि उन्होंने आम जन को सुनने का काम किया है, आम जन को सुनने का काम किया है। इस प्रकार की भावना पुलिस को रखनी पड़ेगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहूंगा, आज जिस प्रकार से हमारी पुलिस की व्यवस्था है। उस पुलिस की व्यवस्था का मैं आपको उदाहरण बताना चाहता हूं, मेरे गंगापुर क्षेत्र में एक व्यक्ति अनधिकृत रूप से अतिक्रमण करके रहता था और वह गंगापुर का सबसे सुंदर जो कुशाल लेक का एरिया है, उसमें वह रहता था। हम लोगों ने काफी प्रयास किया, प्रशासन ने किया, वह वहां से नहीं हटा। पिछले साल उसकी मृत्यु हो गयी और जब मृत्यु हो गयी और प्रशासन को पता नहीं लगा, पुलिस को पता नहीं लगा, तो उसको घर में दफना दिया। घर में दफनाने के बाद में पूरे शहर के अन्दर जब इस बात की हलचल हुई तो पुलिस का यह कहना था कि साहब, बवाल हो जाएगा, हम क्या करें? इसको तो यहां से हटा नहीं सकते। अब तो इसको दफना दिया। हम लोगों ने रास्ता निकालकर उनके उस परिवार को अलग से पट्टा दे दिया, जमीन दे दी, लेकिन आज तक भी वहां पर कुशाल लेक के लिए पुलिस व्यवस्था कोई इसलिए नहीं करवा पायी, एक जाति विशेष के कारण पुलिस कहती है कि बलवा हो जाएगा।

एक आम आदमी एफ.आई.आर. करवाने में दु:ख पाता है, एक आम आदमी अपनी बात कहने में हिचकता है और जब वह इस प्रकार की व्यवस्थाओं को देखता है तो निश्चित रूप से पुलिस पर से विश्वास उठता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि गंगापुर शहर की कुशाल लेक, जो गंगापुर शहर की सुन्दरता की एक मात्र जगह है, जहां पर माननीया मुख्य मंत्रीजी ने साढ़े तीन करोड़ रुपये देकर उसकी सुन्दरता के लिए व्यवस्था की है, मैं कहना चाहूंगा कि उस जगह से, वहां से पुलिस की चौकी को हटाकर उस जगह में अगर कब्र रखनी है तो कब्र रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां पर इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए

(श्री मान सिंह)

और पुलिस को सच्चे मन से काम करना चाहिए। इस प्रकार की भावना पुलिस को लानी पड़ेगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि आज जिस प्रकार से पुलिस के अन्दर भर्ती हो रही है, उस भर्ती के अन्दर जो दौड़ को बंद किया गया है, उस दौड़ को बंद करने के बाद में कोई भी जवान जो आता है, वह उस तरह का जवान नहीं आ रहा है पुलिस के अन्दर जो होना चाहिए। मैं कहना चाहूंगा कि पुलिस भर्ती के अन्दर इस दौड़ की व्यवस्था को पुन: चालू किया जाए। पुलिस को चुस्त-दुरुस्त करने के लिए आज थानों के अन्दर इस बात के लिए कोई व्यवस्था नहीं है; न कोई पी टी होती है और न कोई परेड होती है। केवल अपने जिस प्रकार से थानों का ढर्रा चला है, मैं यह कहना चाहूंगा, माफ करना, आज पुलिस की व्यवस्था जिस प्रकार से थानों के अन्दर चल रही है, उससे आम आदमी में विश्वास नहीं है।

अगर हम आंकड़ों के आधार पर विश्वास करेंगे तो कुछ आंकड़े हो सकते हैं लेकिन सही मायने में अगर हमको चर्चा करनी है तो इस पुलिस की व्यवस्था में सुधार करना पड़ेगा और हमारी जो, चाहे भर्ती की प्रक्रिया हो, चाहे आम आदमी को एफ.आई.आर. के अन्दर न्याय देने की बात हो, अगर हमको इसके लिए आई.पी.सी., सीआर.पी.सी. में भी बदलाव करना पड़े, माननीया मुख्य मंत्रीजी ने अपने पिछले कार्यकाल में जिस माडल एक्ट को लागू करने की बात की थी, जिसको अन्य राज्यों ने भी लागू किया था, उस माडल एक्ट की अगर पालना हो और हमारे केस के पीछे जो एक आफिसर को लगाने की, जो ड्यूटी लगाया करते थे, उसमें हमारी जो केस आफिसर स्कीम है, उस केस आफिसर स्कीम को लागू किया जाए। अगर केस आफिसर को लगाया जाए तो उस केस का पता रहता है कि इस केस में यह हुआ है। आई.ओ. अपनी मनमर्जी करता है। आई.ओ. ने अगर कोई चीज कह दी तो उसको बदला नहीं जा सकता। चार्ज उसका, उसका उस तरह से बयान हो जाता है।

इस प्रकार से मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, माननीय सभापति महोदय, आज हमारी इस व्यवस्था के अन्दर आम आदमी जिस प्रकार से चल रहा है, उसको चाहिए कि उसको न्याय मिले, उसके लिए हमको हमारे इसमें बदलाव करना पड़े तो बदलाव भी करना चाहिए।

(श्री मान सिंह)

आज ट्रैफिक की व्यवस्था जब हम देखते हैं तो ट्रैफिक की व्यवस्था में ट्रैफिक वाले बजाय ट्रैफिक को सुधारने के, अपनी व्यवस्था में लगे रहते हैं। अगर कहीं पर एक्सिडेंट हो गया तो हमारी व्यवस्था इतनी पुरानी है कि हमको पता ही नहीं चलता; बाद में पता चलता है, आगे चल कर एक्सिडेंट हो गया। क्यों नहीं हम इस ट्रैफिक व्यवस्था के अन्दर इस सिस्टम को अपनाने का काम करें? क्यों नहीं इसके अन्दर इस प्रकार की व्यवस्था हो कि हमको पहले से पता लग जाए कि वहां पर एक्सिडेंट है, आप रास्ता बदलने का काम करें? लेकिन इस व्यवस्था में सुधार के बावजूद भी केवल वही ढर्रा चल रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से हमारी इस व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है।

कुछ आंकड़े ऐसे हो सकते हैं जहां पर हम संतुष्टि कर सकते हैं, लेकिन उस संतुष्टि की जगह, साथ-साथ में, हम यह भी कहना चाहेंगे कि हमारी, चाहे थाने की जो नफरी है, उसको बढ़ाया जाना चाहिए; थानों की जो दशा है उसको सुधारना चाहिए। आज गंगापुर का थाना 1962 का बना हुआ है, उसके बाद में उसमें कहीं कोई रिपेयर नहीं हुआ। एक अच्छा अधिकारी उसमें बैठ नहीं सकता। निश्चित रूप से वह उसका माइनस पहलू है। उस पहलू के ऊपर सरकार से चाहेंगे कि पुलिस की व्यवस्था में जहां नफरी का सवाल है, जहां पर सुविधा का सवाल है, जहां उनको गाड़ी-घोड़े का सवाल है, वे दिया जाने चाहिए लेकिन इसके साथ-साथ में पुलिस की कार्य प्रणाली में बदलाव लाने की आवश्यकता है। आज आम आदमी यह महसूस करना चाहता है कि किस प्रकार से हमारे राजस्थान की पुलिस से आम जन सुरक्षित अपने आपको महसूस करता है। व्यापारी जब व्यापार के लिए निकलता है, जब आपका दुकानदार दुकान से निकले तो निर्भीक होकर यह महसूस करे कि मेरे साथ में मेरा प्रशासन, मेरी पुलिस है।

इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय, यह सरकार से अनुरोध करेंगे कि आज जिस प्रकार से करप्शन का मामला है, उस करप्शन के साथ-साथ में इस न्याय व्यवस्था में इस पुलिस के, हमारी जो व्यवस्था है, इसके साथ-साथ में चार चीजें जुडी हुई हैं। उन चार चीजों के अन्दर हैं- हमारे अपराध को रोकने के लिए पुलिस, न्यायालय, हमारे जो विधि विज्ञान प्रयोगशालाएं हैं और इसके साथ-साथ में अब दो चीजें और जुड गई हैं, एक हमारा साइबर सिस्टम और एक हमारा सिविल डिफेंस। पुलिस के अन्दर

(श्री मान सिंह)

पहले जिस प्रकार से उसका एक सूचना देने वाला तंत्र होता था, अपन को मुखबिर जिसको कहते हैं, वह मुखबिर प्रणाली को हम हमारी क्यों नहीं सिविल डिफेंस के माध्यम से मजबूत करें? आज सिविल डिफेंस के लोगों को, जो सिविल डिफेंस के कार्यकर्ता हैं, उनको जिस प्रकार से सुविधा देकर, उनके तंत्र को मजबूत करके, उनके मनोबल के बढ़ाकर, अगर उस तंत्र को मजबूत करेंगे तो निश्चित रूप से हमको अपराध नियंत्रण में सहायता मिलेगी। मैंने पिछले टाइम कभी भी यह नहीं देखा कि सिविल डिफेंस के लोगों को पारितोषिक दिया जाता है। एक हैड कांस्टेबल, कांस्टेबल का जगह-जगह पर नाम आता है कि साहब, उसने फलां काम को किया। उन सिविल डिफेंस के लोगों को भी, चाहे वह अग्नि-शमन का मामला हो, चाहे हमारे कोई अपराध का मामला हो, उसमें सिविल डिफेंस को भी काम में लेना चाहिए। उस तंत्र को भी मजबूत करना चाहिए।

यह हमारा जो साइबर क्राइम है, इस साइबर क्राइम को, साइबर सिस्टम को डवलप करने के माध्यम से ही हमारी जो विधि विज्ञान की प्रयोगशाला है, एक मुकदमे में अगर किसी की जांच को उसमें भेज दिया जाता है तो सालों लग जाते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि गंगापुर के अन्दर एक व्यक्ति पिछले पांच साल से यह कह रहा है कि मैं मुरली हूं, और उसको कोई मानने को तैयार नहीं है। कहते हैं कि मुरली तो मर गया। वह जिंदा है। आपकी फोरेंसिक रिपोर्ट हैदराबाद से आयेगी। वह कब रिपोर्ट आयेगी? आज तक तो आयी नहीं है। इस प्रकार के वाकये जब देखने को मिलते हैं तो लगता है कि कहां उसको न्याय मिलेगा?

तो हमारा जो यह तंत्र है, इस तंत्र को विकसित करके हमारी पुलिस की व्यवस्था में निश्चित रूप से सुधार की आवश्यकता है, जो उस ... (व्यवधान)

श्री सभापति: मुरली क्या है?

श्री मान सिंह (गंगापुर): एक व्यक्ति है, साहब।

श्री सभापति: अच्छा।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मतलब, वह व्यक्ति जिंदा है, वह बार-बार चिल्ला रहा है कि मैं जिंदा हूं, जिंदा हूं, लेकिन दुनिया कहती है कि वह मर गया।

श्री मान सिंह (गंगापुर): उसके पांच भाई थे, माननीय सभापति महोदय। (व्यवधान)

श्री सभापति: इसमें पुलिस क्या करेगी? जिंदा है या मुर्दा है, वह तो डाक्टर बताएगा।

श्री मान सिंह (गंगापुर): उसकी जमीन को बेच दिया न। मतलब, पुलिस यह साबित कर रही है कि तू मर गया।

(16.00 बजे)

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): सभापति महोदय, मुरली तो निराकार है।

श्री मान सिंह (गंगापुर): इसी के साथ में, सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हम लोगों को पुलिस की व्यवस्था में, सहयोग करना चाहिये। मैं कहना चाहता हूं, मैंने जब इस बात को पढ़ा कि हमारे युवक कांग्रेस के लोगों ने इस बात पर हाय-तौबा कर दी कि पुलिस राहुल के घर पर चली गयी। राहुल गांधी के घर पर पुलिस चली जाय, कौनसी तौबा हो गयी? कौनसी तौबा हो गयी? कौनसी बात हो गयी? आज मेरे घर पर पुलिस जांच के लिए आ सकती है। (व्यवधान) आप सुनने का माद्दा रखिये। आप अपने ... (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप अपने सत्ता के लोगों की मुखबरी करा रहे हों। (व्यवधान) उनकी जासूसी करा रहे हों।

श्री मान सिंह (गंगापुर): जब तक आप बोलेंगे नहीं, ...(व्यवधान) राहुल के घर पर पुलिस जाती है तो उनको सहयोग करना चाहिये। वह अपने डाटा देना चाहिये और यह कहना चाहिये कि मैं वहां छिपा हुआ हूं, वहां छिपा हुआ हूं। पुलिस को चिन्ता है कि राहुल गांधी ...(व्यवधान) कहीं पर बदनामी हो जाये।

एक माननीय सदस्य: मुखबरी करना ही रह गया है। (व्यवधान)

श्री मान सिंह (गंगापुर): सभापति महोदय, मैं मेरे विपक्षी साथियों से कहना चाहूंगा ...(व्यवधान)

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): राहुल गांधी का नाम नहीं ले सकते आप। (व्यवधान)

श्री घनश्याम (टोडाभीम): आपको राहुल गांधी का नाम नहीं लेना चाहिये। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आम तौर पर हमारे यहां पर दूसरे सदन के माननीय सदस्यों की चर्चा इस सदन में नहीं होती है। इसलिए उस पर आप ज्यादा ध्यान न देकर, आप तो राजस्थान की पुलिस पर ही ध्यान कर लो। उतनी दूर क्यों जाते हैं आप?

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): इन्होंने राहुल गांधी नहीं कहा। इनको क्यों चिढ़ लगी है, यह समझ में नहीं आया।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): ये क्या कर रहे थे? किसकी जासूसी करवा रहे थे?

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): राहुल कहते ही आप ...(व्यवधान)

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): सब कच्चे चिट्ठे खुल जाएंगे आपके। +++

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): सभापति महोदय, इन्होंने राहुल गांधी नहीं कहा।

श्री सभापति: विराजें। विराजें।

श्री मान सिंह (गंगापुर): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करना चाहूंगा...

श्री सभापति: थोड़ी रोचकता लेकर आयें इसमें।

श्री मान सिंह (गंगापुर): जब हमारे देश में बांग्लादेशी घुसपैठिये की बात होती है, इसमें बदलाव होना चाहिये कि हमारी पुलिस को उनके खिलाफ मुक़दमे करने का अधिकार हो। उस पारदर्शी कानून के तहत वे मुकदमा कर नहीं सकते, अरेस्ट कर नहीं सकते और वे इस इंतजार में रहते हैं कि कौनसी धारा में अरेस्ट करें। इसमें बदलाव होना चाहिये और बांग्लादेशी हों, चाहे पाकिस्तानी हों, उनको तुरन्त अरेस्ट करने का कानून करके, इसके अन्दर बदलाव होना चाहिये, क्योंकि पारदर्शी जो कानून है, उसके तहत उसकी लम्बी प्रक्रिया हो जाती है और उनके खिलाफ चालान नहीं हो पाते और वे सजा से बच जाते हैं, या सज़ा उनको देरी से मिलती है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस मामले में सदन इस पर विचार करे कि इस प्रकार का कानून हो कि कोई भी बांग्लादेशी हो, चाहे पाकिस्तानी घुसपैठिया हो, अगर हमारे प्रदेश में प्रवेश करता है तो उस पर सख्ती से अमल होना चाहिये।

(श्री मान सिंह)

इसी के साथ-साथ में, मैं यह अनुरोध करना चाहूंगा कि आज मेरे क्षेत्र में जो जिला कारागार है, सवाई माधोपुर जिले का जो जिला कारागृह है, वह गंगापुर सिटी में स्थित है और वह उस शहर के बीचों-बीच स्थित है, जहां पर घनी आबादी है। जिला कारागार विभाग भी यह मानता है और वर्तमान माननीय गृह मंत्रीजी ने अपने पिछले कार्यकाल में उसको हटाने के आदेश दिये थे कि यहां से स्थानान्तरित किया जाये। पिछले पांच साल के कार्यकाल में कांग्रेस सरकार ने उसको वहां से स्थानान्तरित नहीं किया। मैं यह कहना चाहूंगा कि अब उसके लिए जमीन अलाट हो चुकी है और जिला कलक्टर के स्तर पर उसके लिए 7.45 हैक्टेयर जमीन डिवस्या गांव में खसरा नम्बर 1693 में अलाट हो चुकी है। इसी के साथ-साथ में, नगर परिषद, जो जेल भवन का तखमीना पी.डब्ल्यू.डी. ने तैयार किया है, डेढ़ करोड़ रुपया उसका देने के लिये तैयार है, सहमत हो गयी है। इसलिए मैं सरकार से चाहूंगा कि वह शहर के बीचों-बीच स्थित है, शहर का जो पानी का निकासी का सिस्टम है, उसमें दिक्कत आती है। जेल के अन्दर पानी भर जाता है। जेल जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। उसको स्थानान्तरित करने के लिए जमीन अलाट हो चुकी है, पैसा नगर परिषद देने को तैयार है और सरकार का उस पर आदेश भी है तो उसको स्थानान्तरित किया जाना चाहिये। मैं माननीय गृह मंत्रीजी से आपके माध्यम से यह अनुरोध करूंगा।

इसी के साथ-साथ में, पिछले साल मेरे एक अस्पताल में हमारा जो दलित है, ..(व्यवधान) उस दलित के बेटे का अपहरण हुआ।

श्री सभापति: आप आराम से बोलें। आप आराम से बोलें। पसीना क्यों पोंछ रहे हैं? आराम से बोलें। सीधे खड़े हो जाएं। प्रेम से बोलें।

श्री मान सिंह (गंगापुर): मेरे अस्पताल के अन्दर एक नवजात शिशु चोरी हुआ था। उस चोरी के मामले में पूरे प्रशासन, पूरी सरकार की ओर से यह कहा गया था कि वहां पुलिस चौकी खोल दी जाएगी। प्रशासन इस बात से सहमत था कि आये दिन अस्पताल में घटना होती है। मैं आपके माध्यम से, सभापति महोदय, सरकार से अनुरोध करूंगा कि वहां अस्पताल में पुलिस चौकी खोली जावे।

जिस प्रकार की हालत हमारे गंगापुर के सदर थाने की है, परसों के रोज वहां एक छोटी-सी डकैती हुई, बड़ी डकैती नहीं थी, छोटी डकैती थी। जब

(श्री मान सिंह)

मैंने एस.एच.ओ. से कहा, तो एस.एच.ओ. कहने लगा, मेरी पुलिस की जो जीप है, वह इतनी अच्छी नहीं है कि वहां जाकर मैं उनके बीच में से आ जाऊं। इसलिए घटना होने के बाद में वह गया। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार की नफरी, किस प्रकार के साधनों की आवश्यकता है।

निश्चित रूप से हमारे पुलिस महकमे को चुस्त-दुरुस्त किया जाना चाहिये, साधन-सम्पन्न किया जाना चाहिये, लेकिन इसी के साथ-साथ में उस माडल एक्ट को लागू करते हुए आमजन को न्याय मिल सके, आमजन यह महसूस कर सकें कि राजस्थान की पुलिस हिन्दुस्तान की नम्बर वन पुलिस है, ऐसी कामना हम करते हैं और आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि हमारे सब लोगों को इस मामले में पहल करनी चाहिये।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्री सुन्दरलालजी।

श्री सुन्दरलाल (पिलानी): कानून तो एक बार ही बनता है, पर हमेशा व्यवस्था बदलती रहती है। मैं जब पहली बार एम एल ए बना 1972 में, तब एक आई.जी. हुआ करते थे। 1972 में एक आई.जी. हुआ करता था।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आप 9 बार बन गये।

श्री सभापति: विराजें। सुनो। सबसे वरिष्ठ सदस्यों में हैं।

श्री सुन्दरलाल (पिलानी): आप ज्यादा बोलते हों। ज्यादा होशियार बनते हों क्या?

इसलिए मैं आज आपसे कहना चाहता हूं...

श्री सभापति: मेरे से बहुत वर्षों से कह रहे हों आप।

श्री सुन्दरलाल (पिलानी): अब पता नहीं, कितने आई.जी. हैं, 70 हैं, 100 हैं। एक आई.जी. हुआ करते थे तब। वे साल में एक बार थानों का मुआयना करने जाते थे। पुलिस चार दिन तक तैयार रहती कि हमारे यहां आई.जी. आयेंगे। अब कभी थानों में कोई जाता ही नहीं है।

बंदूकों की तो यह हालत है कि हमारे पिछले साल मेरे क्षेत्र में एक शहीद हो गया; फौज वालों की तो गोली चली, इनकी तो गोली ही नहीं चली। यूं ही दबाकर रह गये। मैंने कहा, आठ बोर की चलाओ। उन्होंने कहा कि हमारे तीन साल से आठ बोर की है ही नहीं। इनकी व्यवस्था देखो आप।

(श्री सुन्दरलाल)

फिर वहां हमारे यहां दो-तीन बार डाका पड़ा, ठुलानियां में डाका पड़ा तो इनको जाना चाहिये लुहारू की तरफ पिलानी से, और ये राजगढ़ की तरफ गये। मैंने कहा, इधर कहां जा रहे हो? बोले, इधर से ही तो आये हैं, इधर ही जायेंगे। एक बार सूरतगढ़ में डाका पड़ा तो सूरतगढ़ में तो गांव वालों ने ही पकड़ा। ठुलानियां में भी गांव वालों ने ही पकड़ा, पुलिस बाद में आई। यह व्यवस्था है।

फिर उसके बाद एक सिस्टम लगा दिया कि रिटन टैस्ट में ज्यादा पास होंगे तो उसको सिपाही बनायेंगे। यह सबसे बड़ी गलती है। पहले अच्छे मजबूत लड़के आते थे, तो वे पुलिस में ठीक रहते थे। अब रिटन टैस्ट वाले चश्मे लगाते हैं। भागने की जरूरत पड़े तो भागा जाये नहीं, चश्मा गिर जाये, तो वह खड़ा रह जाता है।

उसके बाद इनके ऊपर जिम्मेदारी है। मैं चार दिन पहले थाने में गया तो मैंने पूछा कि सिपाही कहां गया? बोले, 12वीं की परीक्षा चल रही है, सिपाही तो वहां गया है। परीक्षा चलती है, वहां ये जायें, और गांव में पंचायतों में बनाये हैं, इनमें एक-दो सिपाही की ड्यूटी लगा दी। इसलिए इनकी व्यवस्था वह गड़बड़ा रही है।

एक बार मैं सीकर से निकला तो छह-सात सिपाही खड़े और जोर-जोर से लाठी पीट रहे थे। मैं गया और मैंने पूछा कि क्या बात है? वे बोले कि डाका पड़ गया। मैंने कहा कि यहां लाठी क्यों पीट रहे हो? वे बोले, जो आ रहे हैं, उनको चैक कर रहे हैं। क्या चैक कर रहे हो? हमको चैक किया कि आपके पास क्या है? बोले यह पुरानी-सी गाड़ी चैक की, तो 70 रुपये; तो उलटा ही भगा दिया। बोले, नालायकों, इस जमाने में 70 रुपये ही हैं। इनकी व्यवस्था यह देखो, क्या व्यवस्था है इनकी! यह जो व्यवस्था है, इसमें इनको सुधार करना चाहिये।

मेरे 124 तो हैड कांस्टेबल कम हैं और 72 थानेदार कम हैं। मैंने कहा तो बताया कि भरेंगे।

पुलिस में औरतों को लगा दिया पर यह ड्यूटी पर बंदूक लेकर नहीं खड़ी होतीं। तो मैंने कहा कि क्या करोगी? माला फेरोगी क्या?

इसलिए व्यवस्था को सुधारने में इनको बहुत जोर आयेगा।

सीकर, झुन्झुनूं, अलवर, इनमें इनको अच्छी गाड़ी दी जायें। एक दिन हमारे यहां गाड़ी को धक्का मार रहे थे, मैंने पूछा कि क्या कर रहे हो? बोले,

(श्री सुन्दरलाल)

स्टार्ट नहीं हो रही है। मैंने पूछा कि कब होगी यह? गाड़ियां 8-8, 9-9 साल पुरानी हैं। खेतड़ी थाने में ठिकाने के टाइम के थाने बने हुए हैं और सारे में बारिश के दिनों में पानी गिरता है। मैंने दो थाने पहले सरकार में बनवाये थे, सिंघाना बनवाया, बुहाना बनवाया उस सरकार में।

अब उसके बाद में पिलानी थाने की, खेतड़ी थाने की यह हालत है, मेरे यहां पांच साल के कांग्रेस के कार्यकाल में अकेले पिलानी में 13 बार गोलियां चलीं। इसलिए व्यवस्था कैसे हो? वहां गाड़ी चलने लायक ही नहीं है। फिर कहेंगे, अब के बदलेंगे, अब के बदलेंगे।

सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह जो कह देते हैं न कि अब बैन लग गया; थानेदार गड़बड़ करे, फिर कहते हैं कि यह बैन हटने पर बदलेंगे। इतने में पता नहीं, कितने का नुकसान कर देगा। पुलिस में कभी बैन नहीं होना चाहिए। जब भी गड़बड़ हो जाए, उसी वक्त हटा दो। उसमें बैन क्या कहता है? क्या वह मास्टर है कि जो यहां परीक्षा दिलायेगा? इसलिए बैन वाले मामले में इनको बिलकुल जाब्ते से रहना चाहिए। अब पुलिस का बैन लग गया, बैन लग गया, कितने दिन हो गये। जरख घुस गया और किसी को खा जायेगा बैन में ही तो? इसलिए इसकी अपनी व्यवस्था होनी चाहिए।

एक तो हमारे नरहड़ में चौकी होनी चाहिए। नरहड़ में विदेश के आदमी जात देने आते हैं, बहुत बड़ी दरगाह है, वहां चौकी नहीं है। मैंने कई बार कह दिया। एक चौकी हमारे पीपली में होनी चाहिए; एक चौकी पिलोद में होनी चाहिए; एक चौकी उरिका में होनी चाहिए; एक बख्तावर सिंह की ढाणी में चौकी होनी चाहिए; एक बालोठ में चौकी होनी चाहिए। कहीं तो सिर्फ दो-दो सिपाही बैठा रखे हैं, पर पक्की चौकी नहीं हैं। इसलिए झुन्झुनूं जिला, सीकर जिला, अलवर में अलग व्यवस्था होनी चाहिए।

यह बंदूक आदम के जमाने की पड़ी है, एक से ही खुड़का नहीं होता। एक दिन एक सिपाही मिला, बाप साथ में था, मैंने कहा, यह छोरा ऐसे कैसे हो रहा है? बोला, बंदूक में बहुत वजन है, छोरे से उठती ही नहीं है। बंदूक इतनी भारी है और चलती नहीं है। इनकी एक भी बंदूक नहीं चलती है। इसलिए इसमें व्यवस्था करनी चाहिए।

श्री सभापति: गृह मंत्रीजी आ गये हैं, अब बताओ आप।

श्री सुन्दरलाल (पिलानी): इसके बाद मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि जहां भी पुलिस की आवश्यकता है, वहां काम कम होता है। जो पहले बोलें, उस तरह तो मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि इनका सुझाव लेना चाहिए। अब कितने आई.जी. हैं? एक आई.जी. को तो कोई जानता ही नहीं है। आई.जी. का नाम नहीं जानता कोई। पहले एक आई.जी. होता था, अब 100 होते हैं। कितने ही बैठे हैं। न इनको पता है। नक्शा देखते हैं, थाना कहां है। पता नहीं होता है कि थाना कहां है, कहां थानेदार रहेगा। इसलिए इस पुलिस के मामले में यह सबसे बड़ा काम है। आपको इसको देखना चाहिए।

कटारियाजी पहले होम मिनिस्टर थे, तब इन्होंने यह काम तय करा था। हमारे को सब को बार्डर पर ले गये। छह-सात दिन बार्डर-बार्डर घुमाया। घुमा कर दिखाया, कहां क्या हो रहा है, बांग्लादेश का, पाकिस्तान का है। अब कोई लेना-देना नहीं। एक कमेटी थी, उसमें पांच-सात एम.एल.ए. रखते थे; आई.जी. को, होम कमिश्नर को बुला कर के, डी.जी. को बुला कर के बात करते थे कि कहां क्या व्यवस्था है। अब डेढ़ साल में अपन ने यह व्यवस्था की ही नहीं। आपको यह व्यवस्था करनी चाहिए, सिपाही लगाने चाहिए।

थाने पड़ने जैसे हो रहे हैं। रात को जैसे ओलों से दब कर आदमी कई जगह मरे, अब थाना गिर जायेगा तो कई दबेंगे। तो उसका क्या होगा? हमारे खेजड़ी थाने का पूछ लो, पिलानी थाने का हिसाब देख लो, वे बिलकुल जर्जर हो रहे हैं। उसकी थाने की मन्जूरी होनी चाहिए। तीन साल से, चार साल से कह कर के मण्डरेला में थाना करवाया था, आज तक उसमें थाना नहीं बना है। एक पुराना-सा मकान है, उसमें पड़े हैं। इसलिए उसका मकान बनाना चाहिए। आपको यह जरूर करना चाहिए।

पुलिस पर बैन वाली बात मैं दोबारा कह रहा हूं, यह बैन पुलिस में कभी नहीं लगना चाहिए। सरकार को यह होना चाहिए कि जब चाहो, तब ही हटा दें। अब रोजाना बैन लग जाए तो आप कहो, बैन लग गया। तो बैन लग गया तो यह हटेगा नहीं? यहां ही रहेगा क्या यह? इसलिए कभी भी इस पर बैन मत लगाओ। जब भी जरूरत पड़े, तब ही सरकार उसको हटा सकती है।

पुलिस में हमारे ही 200 सिपाही कम हैं, तो सिपाहियों को लगाओगे कब? और भर्ती तो मत करो, पुलिस की व्यवस्था तो पूरी रखो। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस व्यवस्था को आप सुधारो।

(श्री सुन्दरलाल)

हमारी जिन चौकियों का मैंने नाम लिया, ये सब चौकियां होनी चाहिए। नरहड़ की चौकी तो अभी घोषणा करो, आज ही, कि नरहड़ में चौकी होगी, क्योंकि वहां विदेश के लोग आते हैं। बड़ी जरूरी है। कोई बड़ी घटना हो जायेगी। साल में लाखों आदमी नरहड़ में वहां पीर बाबा के आते हैं। इसलिए वहां...

श्री सभापति: आपको चौकी चाहिए कि चौकीदार चाहिए?

श्री सुन्दरलाल (पिलानी): चौकीदार चाहिए। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस मामले में व्यवस्था होनी चाहिए।

आज दोबारा यह तय करो कि पुलिस के थानों में जाकर मुआयना करना चाहिए। कभी करते ही नहीं हैं। कोई जाता ही नहीं है। मेरे जिले में तीन साल से आर.आई. नहीं है, बंदूकों को चैक करने वाला। तीन साल से नहीं है। इसलिए यह व्यवस्था सुधारो। जमाना कितना आगे चला गया, वह आदम के जमाने की बंदूक पड़ी हैं। उनको सुधरवा कर, और अच्छी बंदूक हो। और किसी में पैसा खर्च करते हो, इन बंदूकों के लिए खर्च कर दो। अच्छी ए.के. 47 मंगवा कर के दो, जो मजा आवे।

इसलिए सुधार कर के जाना चाहिए। मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूं।

आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्रीमान् राव राजेन्द्र सिंहजी।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): धन्यवाद, सभापति महोदय।

आदरणीय, मैं आपसे एक बात निवेदन करना चाहता हूं। व्यक्तिश: भाषा और किस प्रकार की भाषा का उपयोग इस सदन में होना चाहिए और कौनसी भाषा इस राष्ट्र को मान्यता प्रदान करती है, उस पर आपका एक व्यक्तिगत भी विचार है। अब, आदरणीय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं ...

श्री सभापति: आसन से प्रश्न नहीं पूछते हैं, माननीय सदस्य।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): मैं माफी चाहता हूं। आदरणीय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जिस विभाग के सम्बन्ध में हम विचार कर रहे हैं, इस विभाग के नाम का अलंकरण कौनसी भाषा से है? यह सदन जिस विषय को लेकर, जिस विभाग का मन्थन कर रहा है, जिसको हम बजट कहते हैं, वह किस भाषा से है? पुलिस और बजट, दोनों ही कम से कम इस राष्ट्र में

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

पायी जाने वाली किसी भाषा के कोई भी सम्पर्क सूत्र नहीं हैं, और दोनों ही शब्द फ्रांस से आये हुए हैं। अब जिस शब्द का उच्चारण करने के उपरान्त आपको पाश्चात्य सभ्यता के उन व्यवस्थाओं के बारे में याद दिलाएं, तो आप तो व्यक्तिशः इस बात का ज्ञान रखते हैं, हमारे शास्त्रों में भी यह लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा अनैतिक कार्य करता है लेकिन अगर ईश्वर के नाम का उच्चारण कर लेता है तो उसको भी मुक्ति मिल जाती है। यहां तो नाम ही पाश्चात्य का है। इसलिए यह जितनी बार उच्चारण करेंगे, मुक्ति तो इनको कम से कम आलोचना से नहीं मिल सकती।

श्री सभापति: जी।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): यह नाम के अलंकरण का दोष है। जितना दुष्प्रभाव खाकी वर्दी के नाम पर और इसके ओहदे पर बैठने वालों का मानव जीव के, इस प्रदेश के और राष्ट्र के मानव जीव के पटल पर है, उतना शायद किसी और विभाग का नहीं है।

सभापति महोदय, किसी भी देश और प्रदेश के विकास के लिए, सुरक्षा के लिए, आंतरिक सुरक्षा के नाम से जो यह विभाग है, यह उस देश का और प्रदेश का एक अभिन्न, अपरिहार्य अंग है। यह वह सारी व्यवस्था और वातावरण को सुनिश्चित करता है जिससे आम नागरिक..., अभी हमारी सदन की नेता ने जब अपने बजट के पहले फेज के भाषण का समापन किया तो उन्होंने कहा कि सपने खूब देखो, और देखने भी चाहिए; जब हमारे राष्ट्रपति थे सम्माननीय अब्दुल कलामजी, उन्होंने भी सपनों के बारे में बात की; लेकिन जब सुनिश्चितता की नींद आयेगी, सुरक्षा से नींद आयेगी, आराम से नींद आयेगी तो संपने तो जो नींद में देखे जाते हैं, वे तो ठीक हैं और जो जागृत अवस्था में देखे जाते हैं, वे ठीक नहीं हैं। आपको और हम को सुरक्षित नींद आये, सुनिश्चित नींद आये, बगैर कोई खलल की नींद आये, उसके लिए एक प्रहरी है जिसको हम कांस्टेबल के नाम से जानते हैं, जो 24 घंटे ड्यूटी पर रहता है। जब वह ड्यूटी पर आता है, जब वह इस सेवा काल में आता है तो उससे यह अपेक्षा की जाती है, डाक्टर बनने के समय आप एक ओथ लेते हैं ह्यूमेनिटीज के सम्बन्ध में, इससे भी यह अपेक्षा की जाती है कि जिस विभाग में तू जा रहा है, जिस कार्य को करने के लिए तुमने स्वीकृति प्रदान की है, या स्वीकृति ली है, हर वक्त हर समय आप ड्यूटी पर होंगे।

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

अब, आदरणीय, यह बताइये कि जिसकी बेसिक सैलेरी एल.डी.सी. के बराबर हो, उस एल.डी.सी. को तो आठ घंटे के उपरान्त अगर आप बैठा लेते हो तो वह कहता है, मुझे ओवर-टाइम दे दीजिए। पटवारी की और इनकी सैलेरी भी एक जैसी है, बेसिक सैलेरी इनकी है। पटवारी तो 27 साल, 18 साल के उपरान्त गजटेड आफिसर बन जाता है नायब तहसीलदार की हैसियत लेकर; एल.डी.सी. आफिस सुपरिंटेंडेंट के लिए जाता है; और विसंगति देखिये, वे आठ घंटे ड्यूटी कर के उतना ही पैसा ले रहे हैं, यह 24 घंटे ड्यूटी कर के उतना ही पैसा ले रहा है। श्रम मंत्री महोदय विराजे हुए हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपके श्रम कानून का उल्लंघन नहीं होता यहां? इस विभाग के इस श्रेणी के कर्मचारियों का अपना मानवाधिकार नहीं है? उनका कोई मौलिक अधिकार नहीं है? क्या इस वेतन विसंगति को हम नहीं मिटाना चाहते, हम सुरक्षा प्रहरी अपने लिए भी रखना चाहते हैं, हम सुरक्षा प्रहरी इस सदन के लिए भी रखना चाहते हैं, हम सुरक्षा प्रहरी उस आम आदमी के लिए भी रखना चाहते हैं लेकिन सुरक्षा प्रहरी की मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट कहीं और थोड़े ही है; वह आपके और हमारे परिवार में से निकलकर जाता है। आपके और हमारे जैसे हाड-मांस का व्यक्ति है। आखिर उसके परिश्रम के उपरांत उसको मिलता क्या है?

माननीय सभापति महोदय, 10 प्रकार के प्रश्न-चिह्न लगे हुए हैं। यह सदन भी खाकी वर्दी पहनकर लोगों को आने की इजाजत नहीं देता। यहां भी आने के पहले उनको अपना लिबास बदलना पड़ता है। जिस वर्दी से आप और हम सुरक्षा जैसी व्यवस्था को अंजाम देने की कल्पना करते हैं और सुनिश्चित करते हैं, मैं गृह मंत्री महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं, आपका ध्यान सबसे पहले तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सैक्शन 197 के सब-सैक्शन (3) पर लाना चाहता हूं, जहां यह कहा गया है-, "The State Govternment may, by notification, direct that the provisions of sub-section (2) shall apply to such class or category of the members of the Forces charged with the maintenance of public order.."

अब, आदरणीय, मैं यहां कहता हूं, we are talking about the public order. एक छोटा-सा रेजर थिन डिफरेंस है पब्लिक आर्डर एंड लॉ एंड आर्डर में, यह डिफाइन करने की आवश्यकता है। "… as may be specified therein, wherever they may be serving and there upon the provision of that sub-section will apply

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

as if for the expression 'Central Govt.' occurring therein, the expression 'State Govt.' were substituted." यह इनको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है।

आपने इसके आधार पर 1974 में एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया, 389 पर आपने कहा, 31 जुलाई, 1974 में, "In exercise of the powers conferred upon it under sub-section (3) of Section 197….", जिसका मैंने अभी जिक्र किया, "..of the Code of Criminal Procedure 1973, the State Government hereby direct that the provisions of sub-section (2) of the said Section shall apply to police officials, of all ranks, charged with the maintenance of….." लेकिन यहां भी इन्होंने शब्द क्या इस्तेमाल कर लिया, 'पब्लिक आर्डर'। पब्लिक ऑर्डर एक किसी भी सिचुएशन का बहुत भयावह स्वरूप है और रैंक एंड फाइल में, right from the constabulary to the Director General, is the rank-and-file of the police department, जब यह इम्यूनिटी एक पर्टिकुलर सेक्शन के लोगों को है तो यह इंस्पेक्टर्स एंड डाउन-बिलो तक को क्यों नहीं है? यह बात आपको सुनिश्चित करनी पड़ेगी।

कई बार इन्फोर्मेशन इसलिए नहीं आती है क्योंकि उनको मालूम है कि हम कटघरे में खड़े हो जाएंगे और इसका जीता-जागता उदाहरण है, मैं उदाहरण इसिलए दे रहा हूं क्योंकि हाल ही में एक हाई कोर्ट का जजमेंट आया है, उन्होंने जजमेंट में 197 की वापस व्यापक व्याख्या की है। इस व्याख्या में आपके इस नोटिफिकेशन को मान्यता नहीं दी है और यह मानते हैं कि अगर इनसे अपने काम करने के समय किसी प्रकार का कोई भी आरोप लग जाए, तो अदालत इनको बुलाकर कटघरे में खड़ा कर सकती है। यह हाल ही का आर्डर है और इस आर्डर का नम्बर है पिटिशन नम्बर 3566/2014 ।

माननीय सभापति महोदय, अगर इस प्रकार की प्रक्रिया के अन्दर, मैं कहना तो यह चाहता था कि जिस वक्त गृह विभाग की ग्रांट पर बहस हो, उस दिन विधि विभाग की भी होना अनिवार्य है। ये दोनों ही अपने आप में पूरक हैं। आखिर हमारे परिश्रम के उपरांत जब हम किसी बड़े क्रिमिनल को पकड़ लेते हैं, मैं उदाहरण देना चाहता हूं, इस सदन के भीतर भी यह बात आई है और पिछले कार्यकाल में भी जब आदरणीय गृह मंत्री थे तो मूर्ति तस्करी के अन्दर 'टाइम्स' ने आपकी पुलिस के बारे में छापा था। अभियोजन पक्ष ने क्या किया? आज जिस व्यक्ति को आपने उस वक्त सबसे बड़े तस्कर के रूप में माना था, आज अभियोजन पक्ष के सामने जाकर वह बाइज्जत बरी हो गया।

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

अगर आपका अभियोजन पक्ष कमजोर है, वह व्यवस्था कमजोर है, तो यह चाहे पुलिस कितना ही परिश्रम क्यों ना कर ले, जब उसका अंतिम प्रतिफल मिलने की बात होती है और अपराधी को जहां दोष देकर उसको दंडित किये जाने की व्यवस्था होती है, वहां हमारा अभियोजन पक्ष इतना कमजोर हो जाता है कि इनके सारे परिश्रम पर पानी फेर देता है।

श्री सभापति: लेकिन विधि का विधान यह है कि विधि मंत्री राजेन्द्र सिंहजी हैं और गृह मंत्री गुलाबजी हैं। अब यह विधि का विधान है।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): अब आप जैसे विद्वान सभापति अगर इसकी व्याख्या करें, तो मैं तो सिर्फ यही निवेदन कर सकता हूं कि अगर विधि का यही विधान है तो आशा सिर्फ इस बात की है कि इस विधान में गृह मंत्री अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर लें।

श्री सभापति: कर सकते हैं।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि डायरेक्टरेट आफ वायरलेस है, जो दूरसंचार विभाग है आपका, बाकी सारे विभागों में, चाहे आपके सब-इंस्पेक्टर्स का जो प्रमोशन इंस्पेक्टर्स पर होता है, वह 100 परसेंट है, यहां आपने 75:25 कर रखा है। यह बात जब सामने लाई गई तो आपके यहां से 7.9.2013 की एक मिनिट्स हैं मीटिंग्स की, उसके बारे में आदेश जारी हुआ, उसका नोट तैयार हुआ और यह हुआ कि इनका भी 100 परसेंट प्रमोशन से हो। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, अभी तक भी नहीं हुआ। यह विचाराधीन है और शायद अब 25 परसेंट की सीधी भर्ती करने के लिए भी आपने कोई योजना बना रखी है। यहां डिपार्टमेंट आफ पुलिस के अन्दर एक ही काडर के लोगों के बीच में यह विसंगतियां क्यों हैं?

दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपके सीधे आर पी एस सी से परीक्षा पास करके सब-इंस्पेक्टर आता है। जब सब-इंस्पेक्टर सीधा परीक्षा पास करके आता है तो उसको सर्किल इंस्पेक्टर बनने के लिए आपकी विभागीय परीक्षा में दोबारा जाना पड़ता है। आदरणीय, मुझे एक आई पी एस आफिसर बता दीजिए जो यू पी एस सी से आया हो और उसको डी.जी. तक जाने के लिए वापस कोई और परीक्षा पास करने की आवश्यकता पड़ी हो। यह आपका फील्ड आफिसर है, जिसके काम पर पूरा वातावरण आपके या तो अनुकूल

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

बनता है, या प्रतिकूल। विभागीय परीक्षा के अन्दर होता यह है कि किसी न किसी कारण से कोई विसंगति रह जाती है और वह मामला कोर्ट में चला जाता है। आपके बड़े-बड़े अधिकारी हैं, इन सब-इंस्पेक्टर्स की, इंस्पेक्टर्स की वे खुद ए सी आर देखते हैं। आप उस ए सी आर के माध्यम से उस व्यक्ति के काम का अवलोकन करके प्रमोशन दीजिए।

हम कहीं भी बात कर लें, डिफेंस फोर्सेज में कैंटीन की व्यवस्था है, वे अगर कोई भी चीज लेना चाहते हैं तो उसमें एक्साइज का रिबेट है। उनके पास में उनके परिवारों के रहने के लिए हम व्यवस्था करते हैं। यह क्या डिफेंस से कम काम करते हैं? जब आपका राष्ट्र युद्ध में जाता है तो मिलिटरी बैरक से निकलती है, वरना सारी बोर्डर की सुरक्षा या तो पैरा-मिलिटरी फोर्सेज करती हैं या अर्द्ध सैनिक बल करते हैं। वहां के बाद में आपका पुलिस बल करता है। क्या हर जिले में इनके लिए, इनके बच्चों के लिए एक विद्यालय अलग से नहीं होना चाहिए? आवासीय विद्यालय रखिए। क्या कांस्टेबल नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा पढ़कर अच्छा अफसर बने, अच्छा व्यक्ति बने? आप उसके अवसर क्यों सृजित नहीं कर पाते? इनके परिवार हैं, उनके जीवन-यापन करने के लिए अगर आप उनको रिबेट में, सब्सिडाइज्ड कैंटीन का इस्तेमाल करा दें, तो कोई अतिशयोक्ति हो जाएगी क्या?

माननीय सभापति महोदय, अब निवेदन यह है कि आखिर इनका भी तो सामाजिक दायित्व है। यह समाज को सुधारने का, समाज को संरक्षण प्रदान करने का ही तो काम कर रहे हैं, लेकिन ये समाज के अंग हैं और इनका सामाजिक दायित्व है, उसका निर्वाह ये किस प्रकार से कर सकें, उसके बारे में सदन चिंतित नहीं है।

सदन से यह तो अपेक्षा करते हैं, हम भी सामाजिक जीव हैं और हमारा भी एक सामाजिक दायित्व है, उसको पूरा करने के लिए इतना पारितोषिक तो दीजिए कि हम सम्मानपूर्वक अपने परिवार का जीवन-यापन करने का, स्वाभाभिमानपूर्वक जीने का मार्ग प्रशस्त करा सकें।

माननीय सभापति महोदय, आपके एक्स-काडर पोस्ट कितनी हैं और इन-काडर पोस्ट कितनी हैं? सबसे बड़ी विडम्बना है, अगर पूरे राष्ट्र में सबसे ज्यादा एक्स-काडर पोस्ट हैं तो राजस्थान में हैं। जब वे व्यक्ति तनख्वाह ले रहे हैं, या वेतन ले रहे हैं, या पारितोषिक ले रहे हैं तो उनका इनकाडरमेंट क्यों

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

नहीं हो रहा है? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की व्यवस्था के अन्दर आपके 205 पोस्ट हैं। जब आपका काडर स्ट्रेंथ बढ़ता है, मेरे पास एक तखमीना है जो 2013 तक का है, राजस्थान के अन्दर जो इन्क्रीज हुई वह 11.4 परसेंट हुई। उसकी तुलना में आन्ध्र में हुई 23.44, बिहार में हुई 19.6, मध्य प्रदेश में हुई 25.9, महाराष्ट्र में हुई 27.9, तमिलनाडु में हुई 25.1, उत्तर प्रदेश में हुई 18.5, वेस्ट बंगाल में हुई 24.8, आज आपकी 62 पोस्ट तो ऐसी हैं, डी जी (प्रिजन) से लेकर, डी जी (प्रिजन) भी आपके एक्स-काडर पोस्ट है, इन्काडर पोस्ट नहीं है। आपके पास 67 ऐसी पोस्ट हैं जो कुछ-कुछ पोस्टें तो आपके 1994 से हैं, जिनका अभी भी एन-काडरमेंट नहीं हुई, 14-14, 15-15, 20-20 साल से यही स्थिति है। आखिर हमको इस व्यवस्था को केन्द्र सरकार से बात करनी पड़े तो कम से कम भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए, राजस्थान को और राजस्थान की पुलिस सेवा को एन-काडरमेंट के लिए एक निश्चित अवधि के अन्दर इस प्रतिशत को बढ़ाने का हम सबको प्रयत्न करना चाहिए। कहीं सदन की आवश्यकता हो तो सदन भी इस बात को स्वीकार करेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो आपका बजट है उस बजट का आप किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं। आपके पास कितना बजट है? मैं एक छोटा-सा उदाहरण देना चाहूंगा। 2013-14 के आखिर में आपको बजट मिला 2864.2 करोड़; 94.81 परसेंट तो सिर्फ कर्मचारियों के वेतन-भत्ते में चला गया, 1.02 परसेंट वर्दी का हो गया, 1.12 परसेंट कार्यालय व्यय में हो गया, 1.71 परसेंट आपने वाहनों के रखरखाव के लिए लिया। अभी जो बात माननीय सदस्य फरमा रहे थे, आधुनिकीकरण के अन्दर जिस प्रकार का, आपने इसलिए कहा कि आन्तरिक व्यवस्था में जो अपराधियों को पकड़ने के लिए आवश्यक है, उसमें मोटर वाहन और ईंधन की उपलब्धता बहुत बड़ी चीज है। आदरणीय, आप यह बताइए कि जिस प्रकार का आपने 100 लीटर, 75 लीटर और 5 लीटर वाला कर रखा है, इसमें चल सकता है क्या?

श्री सभापति: माननीय मंत्रियों के लिए गति अवरोधक का काम भी करते हैं। एक्सिडेंट नहीं हों, इसलिए पुलिस की गाड़ी आगे चलती है, माननीय मंत्री पीछे चलते हैं। तो स्पीड लिमिट रहती है। (व्यवधान) स्पीड कंट्रोल रहती है उसमें, सुरक्षा रहती है, माननीय सदस्य।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): माननीय सभापति महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि 2005 में पुलिस परफोर्मेंस एंड पब्लिक पर्सेप्शन पर एक रिसर्च वर्किंग पेपर के लिए मेसाच्यूसेट्स यूनिवर्सिटी से आपने काम करवाया। यह 2005 में था और इसमें तीन प्रमुख काम थे, परफोर्मेंस कैसे इन्क्रीज हो; आम पुलिसकर्मी, कांस्टेबल से लेकर फील्ड आफिसर तक का आत्मबल कैसे बने; सामाजिक स्वरूप में वे अपना सामाजिक दायित्व कैसे निभाएं। यह तीन आब्जेक्टिव पर किया था। ''Enhancement of the police performance, improve public opinion…'', बहुत बड़ा माध्यम है, ''...and gather objective information.''

यह रिपोर्ट तैयार होकर, 4 इन्होंने इस चीज को फिल्टर करने के लिए इन-सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम, थर्ड आब्जर्वर को कुछ सलेक्टेड पुलिस स्टेशंस पर लगाया, उनसे उनके बिहेवियर के बारे में पूछा, ड्यूटी का रोस्टर सिस्टम बनाया और हर सप्ताह इनको भी अवकाश के लिए व्यवस्था की, ट्रांसफर आर्डर को फ्रीज किया।

इन सारी चीजों का परीक्षण करके उसमें आपने जो पुलिस स्टेशंस लिये, उनमें जयपुर नोर्थ, जयपुर ईस्ट, जयपुर रूरल, कोटा, अलवर, बाडमेर, ऐसे करके पूरे प्रदेश के लिये।

इसकी रिपोर्ट 8 लेवल्स पर इन्होंने तैयार की, impact in control over criminals and crime, impact on response non-registration of crime, change in public opinion, change in police morale, रजिस्टर नहीं करते कई बार एफ आई आर, change in knowledge duty.

अब इसकी बात, आपके एक जमाना था, माननीय सभापति महोदय, आपने देखा होगा, जब इनका एक ला-हैण्ड प्रोसीक्यूटर इंसपेक्टर हुआ करता था और वह इन केसों के सम्बन्ध में उन अदालतों में ध्यान रखता था कि कहीं पैरवी के अभाव में, जानकारी के अभाव में, नालेज के अभाव में, कहीं अभियोजन पक्ष हमारा इतना वीक नहीं पड़ जाए, कहीं क्रिमिनल छूट नहीं जाए, वह सिस्टम हमारा खतम हो गया, हमारे ए पी पी और ए पी डी है अब।

उसके बाद में, आपके क्वालिटी आफ इंवेस्टिगेशन के बारे में आपने किया; रिलेशन में पब्लिक के बारे में किया; और स्ट्रेस लेवल, पुलिस का स्ट्रेस लेवल जिसके बारे में मैंने निवेदन किया कि पुलिस 24 घण्टे ड्यूटी पर रहती है। आखिर इन लोगों की भी जिन्दगी होती है।

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

इसकी रिपोर्ट 2008 को आपके सामने विभाग के सामने पेश हो गई। उसके बाद में क्या हुआ? इस पर कोई मन्थन हुआ? इसके बाद में इस पर कोई कार्यवाही हुई, या नहीं हुई? यह जरूर, क्योंकि आपके कार्यकाल में आपने जरूर इस चीज को करवाया था।

उसके बाद में, आदरणीय, एक और हुआ, इसी के माध्यम से एक Experimental Evidence on Incentives on Managerial Autonomy and Training में National Bureau of Economics का और आया राजस्थान के बारे में, यह सारा रिसर्च राजस्थान के पर्सपेक्टिव पर हो रहा है, उनकी रिपोर्ट आई मार्च 2012 में। इसमें इस पूरे के परे आस्पेक्ट में अभिजीत बनर्जी थे; डिपार्टमेंट आफ इकोनोमिक्स के, जो मेसाच्यूसेट्स यूनिवर्सिटी के थे; डेनियल किंग्सल थे, जो येल यूनिवर्सिटी के थे, राघवेन्द्र चट्टोपाध्याय, जो इण्डियन इंन्स्टिट्यूट ऑफ कैलकटा के थे; नीना सिंहजी थीं जो आपके ही यहां से आई पी एस काडर की आफिसर थीं; और एस्ट्रो डेफ्लो थे, जो डिपार्टमेंट आफ इकोनोमिक्स के थे। इन्होंने 33 पेज की विस्तृत रिपोर्ट, इन सारों को और विस्तृत व्याख्या करके आपके सामने प्रस्तुत की। यह अपने आप में किसी स्टेट की गहन चिन्तन की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट का अगर सार निकाल लिया जाए, तो यह बाहर खड़े हुए कांस्टेबल से लगाकर और इंस्पेक्टर जनरल तक के और डी जी तक की कार्य क्षमता और कुशलता के अन्दर, यह नहीं कि सिर्फ एफिशिएंसी आएगी, उसका स्वाभिमान और आत्म बल भी बढ़ेगा।

यह आपके द्वारा किया हुआ एक कार्यक्रम था। मैंने सोचा, आपको याद दिला दूं कि इसका आखिर हश्र क्या हुआ और क्या नहीं हुआ।

श्री सभापति: हनुमानजी को जब कोई चीज याद दिला देते थे तो वह उस काम को पूरा कर देते थे। आपने याद दिला दिया अब।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): वह आपके याद दिला देने के बाद तो जरूर पूरा होगा।

श्री सभापति: नहीं, माननीय सदस्य ने याद दिला दिया।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): माननीय सभापति महोदय, अब बड़े आदर के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि युग-युग का फर्क है। (व्यवधान) निवेदन करूंगा कि युग-युग का फर्क है।

श्री सभापति: युग-युग का फर्क है।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): उस युग में वे हनुमानजी थे, इस युग में वानर हैं।

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा था कि अभियोजन पक्ष हमारा कहां कमजोर पड़ता है। आपके मुन्सिफ कोर्ट में और सी जे एम कोर्ट में आपके परमानेंट अपाइंटेड जुडिशियल आफिसर हैं जिनको आप ए पी पी-वन या ए पी पी-टू कहते हैं, उनको 50 हजार रुपये का वेतनमान मिलता है। यह आपका जो लीगल और ला का काम है, वह देखते हैं। आपका ए डी पी है, ए डी पी का 50 हजार है; मुंसिफ कोर्ट में 30 हजार है; सी जी एम में 40 हजार है, लेकिन सेशन कोर्ट में हम जो ए पी पी अपाइंट करते हैं, जो हम पोलेटिकली गवर्नमेंट के करते हैं, उनका वेतनमान क्या है, या उनको मानदेय क्या मिलता है? सबकुछ मिला ले तो भी 18 हजार से ऊपर नहीं मिलता। आखिर ये विसंगतियां ही तो है जो इस प्रकार के रिजल्ट आते हैं, चाहे मूर्ति तस्करी के सम्बन्ध में हो या और कोई हो। आपका ए डी पी लेवल का, जिसको आप असिस्टेंट डायरेक्टर, प्रोसीक्यूशन कहते हैं वह सिर्फ गंगानगर में बैठता है, एक व्यक्ति; जयपुर में भी आपने जरूर चालू किया है, लेकिन राजस्थान के इतने न्यायालयों में जो सेशन न्यायालय हैं, वहां आपके काम को जो देख रहा है, उसमें अपने आप में हीन भावना आना स्वाभाविक है कि जो नीचे की अदालत में केस देख रहा है, वह उससे ज्यादा...। दूसरी बात, उसके पास बैठने को जगह तक नहीं है। स्टाफ भी वह पुलिस लाइन से मांग कर ले लेता है। ऐसे वातावरण में आप कैसे यह उम्मीद करते हो कि वह न्याय दिला देगा? यह मैं निवेदन करना चाह रहा था।

गृह मंत्री महोदय, अभी कुछ दिन पहले मुझे जानकारी मिली, एक सर्कुलर इश्यू हुआ है कि .38 रिवाल्वरों के कारतूसों की कमी है, इसलिए चांदमारी नहीं करवायी जाये। पुलिस बल में अगर कारतूसों की कमी रही तो फिर रह क्या जाता है? वैसे ही आपका जो पुलिस बल है इसको जिस प्रकार का, आपके स्नाइपर्स हैं, स्नाइपर्स को अगर आप विधिवत तरीके से कंटीनुअल इंटरवेल में, Continuous means continuity, अगर आप उनको ट्रेंड नहीं करोगे, तो स्नाइपर्स लगायेगा तो कहां, और जायेगी कहां। जहां तक मेरी जानकारी है, 2014 तक टोटल आपके 52 हैं; उसके बाद बढ़ गये हों, तो मालूम नहीं। 50 परसेंट लोगों को आप देते हैं। 50 परसेंट में 20 राउंड उनको फायर करने हैं। जैसा अभी निवेदन हो रहा था कि कुछ एम्यूनिशन का तो यही नहीं पता कि कौनसी तारीख का है, और यह और लिखा हुआ आता है कि पहले पुराने वाला फायर करना।

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

आपको स्वयं को मालूम है कि आधुनिकीकरण के नाम पर हमने क्राइम एण्ड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क के बारे में जिक्र किया था। वह एक मोइर्नाइजेशन में हमारे पास आया उसका पैसा हम नहीं लगा पाये, वह अब तीव्रता से आप लगा रहे हैं। इस प्रकार का डाटा बेस तैयार करना, क्राइम और क्रिमिनल कहीं भी हों, वह वहां आइडेंटिफाई हो जाये, वह चीज हो जाये। अब दुर्भाग्य तो यह है कि क्रिमिनल भी है, क्राइम किया हुआ भी है, उसका डाटा नहीं है। इसलिए वह चला जाता है। मैं उदाहरण इसलिए नहीं देना चाहूंगा कि अगर मैं उदाहरण पेश कर दूंगा तो इंगित हो जाऊंगा कि शायद मैंने कोई द्वेषता के कारण किया। वरना उदाहरण तो ऐसे हैं कि क्रिमिनल भी आ गया, क्राइम भी हुआ हुआ है, वारंट भी है, पर फिर भी छोड़ दिया जाता है।

श्री सभापति: राज को राज रहने दें।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): एक मेरा निवेदन था, कई प्रकार के क्राइम, जो आये-दिन हमारे सामने फैमिली या डोमेस्टिक क्राइम होते हैं, इनको अगर हम अंडर-ट्रायल के समय जेल भेज देते हैं, यह हमारे लिए गलत है। उसका एक वर्किंग पेपर है। मैंने आदरणीय सी एम ओ के यहां मय-नक्शे के किया था, कि कम से कम यह डोमेस्टिक क्राइम वाले जब तक अंडर-ट्रायल रहें, उनको किसी डिस्ट्रिक्ट जेल में हार्डकोर क्रिमिनल के पास न भेज कर आपकी जो पुलिस जेल वहीं एक अलग से व्यवस्था की जाये। वहां महिला जेल अलग हो जाये, जुवेनाइल बच्चों के लिये अलग हो जाये और जरूरी नहीं है कि उनकी ट्रायल के लिए उनको मुंसिफ कोर्ट ले जायें। आप आन-वीडियो क्रांफ्रेसिंग करा सकते हैं।

यह एक वर्किंग पेपर है मय नक्शे के साथ, अगर आप उचित समझेंगे तो मैं आपको भी कर दूंगा। इस वर्किंग पेपर के माध्यम से पुलिस स्टेशन, बाल सुधार गृह और कोर्ट, तीनों को संचालित करने का, जिससे कि आपके पास में मेनपावर की कमी है, यह मेनपावर की कमी भी पूरी हो जायेगी। इन छोटे से क्राइम वाले, जो आगे जाकर आपका विश्लेषण आया है, 90 परसेंट डोमेस्टिक क्राइम में एक्विटल मिलता है, एटलीस्ट जितना टाइम-पीरियड इन कांस्टेबल या हैड कांस्टेबल का लगता है, उसमें न लगे।

आदरणीय, मैं जानता हूं कि मैंने तकरीबन समय से ज्यादा समय ले लिया, लेकिन मेरा समय भी कभी-कभी ही आता है।

श्री सभापति: आयेगा आपका समय। चिंता मत करो।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): आशान्वित रहो, जरूर समय आयेगा आपका।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): मैं तो इतना आशान्वित हूं कि कइयों का समय डांवाडोल हो जाता है, मेरा नहीं होता। मेरा समय तो आया हुआ है। मेरे समय को रोक नहीं सकता। समय मेरा आया हुआ है। उसको आप सदुपयोग कर लें, या दुरुपयोग कर लें, यह आप पर निर्भर करता है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): जिनका समय आया ना, सभापति महोदय, वह भी केवल पशु आहार की चोरी करवा रहे हैं अपने घर पर। कम से कम ऐसा तो नहीं आये।

श्री सभापति: विराजिए, माननीय सदस्य।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): पशु आहार की चोरी आप लोग करते हो। हमने तो किसी ने नहीं की।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपको कैसे पता? आप पर थोडे ही कही है मैंने।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): आपने मेरे लिये कहा, इसलिए।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): हमने 2007 का जब यह बिल बनाया तो आपकी कल्पना थी कि स्टेट पुलिस कमीशन और पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड भी होगा, यह बोर्ड हमें मदद करेगा। अब इसको दुर्भाग्य न कहें, दो महीने, तीन महीने, छह महीने पहले से मालूम था कि आपका डी जी का पद, अमुक समय सेवानिवृत्त होंगे। यह नया कानून इसलिए बनाया था कि इस प्रकार से पेनेलमेंट करके, जिनको भी बनाना है, आप बनायें; समय पर तो बनायें। उस डी जी का भी अगर आपने रिटायरमेंट किया तो डिग्निफाइड तो करते, कि वह किसी को अपना कार्यभार संभलाते, इससे मोरल पर फर्क पड़ता है। यह नहीं कि कोई व्यवस्था की खामी है, एक मोरल पर फर्क पड़ता है। इस चीज को कम से कम हमको देखना चाहिये।

इसके अलावा, हमने यह कहा था कि हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी गठन करेंगे। उसके पहले तो हमने क्राइम के लिए स्पेशल पुलिसिंग के प्रोविजन की बात की चेप्टर 6 में और उसके साथ में हमने ग्राम में विलेज गार्ड की भी बात की। कोई भी क्राइम घटित हो जाये, जरूरी नहीं है कि वह

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

वहां आकर कराये; वह उस विलेज गार्ड का काम होगा कि वह आकर उसकी एफ आई आर लाज कराये। लेकिन इन चीजों पर काम नहीं हुआ।

इसलिए मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि इन सारी चीजों का हमने अगर इतने विस्तृत तरीके से ब्योरा दिया, तो आखिर ऐसे क्या कारण रहे कि हम ....

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटे के लिए और बढ़ाया जाये।

श्री सभापति: 7 बजे तक के लिए कहा था ना?

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): मंत्री का जवाब पूर्ण होने तक बढ़ाया जाये।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि सदन का समय माननीय मंत्री महोदय के जवाब और मांगों के पारित होने तक बढ़ाया जाये?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 16 व 17 पर विचार

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): मैं एक निवेदन करके अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। आदरणीय, पिछली बार यह बात आपने भी अपने श्रीमुख से फरमाई थी, हम 54 वर्ष के बाद आर पी एस के जो आफिसर हैं उनके प्रमोशन को हम रोक देते हैं। यह एक विसंगति है जो केन्द्र को भेजकर आपको करानी है। 60 वर्ष तक वह व्यक्ति काम करता है। अगर किसी भी वजह से आपकी डी पी सी समय पर नहीं हुई, या और कोई कारण हो, अगर वह 54 वर्ष का हो जाता है तो वह आगे प्रमोशन के लिए नहीं जा सकता और उसके नीचे वाला व्यक्ति उसको सुपरसीड कर जाता है और वह आई पी एस बन जाता है। इस विसंगति को दूर करना, और उसमें हम क्या कह सकते हैं।

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

यह बार-बार बात कही जाती है कि विधायकों को अंगरक्षक की आवश्यकता है। मेरा यह मानना है कि अगर विधायक को ही अंगरक्षक की आवश्यकता पड़ गई तो फिर आम जन को क्या आवश्यकता पड़ेगी? यह अलग बात है कि मंत्रियों के अंगरक्षक रहें या न रहें, यह तो एक वैधानिक व्यवस्था है...

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): विधायक से बड़े तो मंत्री हैं।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): लेकिन ऐसे जिले या ऐसे भूभाग, जहां जन-प्रतिनिधि पर इसलिए आक्रमण हो जाय क्योंकि वह जनता के प्रति संवेदनशील होकर काम कर रहा है, वहां अंगरक्षक की आवश्यकता हो तो आप पूर्ति जरूर कराएं।

मैं इतना ही निवेदन करके एक बात कहना चाहूंगा कि हमने कांस्टेबुलरी और फील्ड आफिसर्स के प्रति उदासीनता बरती, इनके प्रति अपनी संवेदनशीलता जाहिर नहीं की, तो आप और हम सपने नहीं देख पाएंगे। यह आम आदमी भी, आम जन भी और प्रदेश भी खुशहाल बने, इसके लिए हमें, इनके सामाजिक दायित्व ये पूरे कर सकें, उसको भी व्यवस्थित करने की कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी।

सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री गोविन्द सिंह डोटासरा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सभापति महोदय, पुलिस और कारागार की मांग पर आज चर्चा चल रही है। माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये, जितने सदस्य अपना अभिभाषण कर रहे थे, उन सब में पुलिस के प्रति, कानून-व्यवस्था के प्रति, सरकार की कार्यशैली के प्रति, आक्रोश झलक रहा था।

(16.52 बजे)

(श्री ज्ञानचन्द पारख, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, जो इस सरकार की 12 महीने की स्थिति रही, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी को बताना चाहता हूं कि राजस्थान में 2014, मैं केवल 2014 की बात कर रहा हूं, 1 अप्रैल से अपहरण और व्यपहरण में राजस्थान पूरे देश में, जिसमें केन्द्र शासित प्रदेश भी शामिल हैं, चौथे स्थान पर है। हम अपहरण और व्यपहरण के मामले में चौथे स्थान पर हैं। अवयस्क

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

बच्चों के प्रति अपराध के मामले में पूरे भारत में राजस्थान दूसरे स्थान पर है, इस एक साल का मैं निवेदन कर रहा हूं। कुल पंजीकृत अपराध, अपराधों का जो पंजीकरण होता है, उसमें राजस्थान सातवें स्थान पर है। सबसे ज्यादा छह और स्टेट हैं, लेकिन अखिल भारतीय, जिसमें केन्द्र शासित प्रदेश भी हैं, पूरे राज्य आ गये, उसमें हम सातवें स्थान पर हैं। जो लम्बित प्रकरण हैं, उनमें हम पांचवें स्थान पर हैं। इस प्रदेश का दुर्भाग्य कहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, हम रेप के मामले में अखिल भारतवर्ष में तीसरे स्थान के ऊपर हैं। इससे बड़ी शर्म की बात कोई हो नहीं सकती। किडनेपिंग में हम तीसरे स्थान पर हैं। पति के द्वारा पत्नी को जो क्रुअल्टी दी जाती हैं उसके या उसके रिश्तेदारों द्वारा, उसमें हम पूरे भारतवर्ष में पहले स्थान पर हैं। इन 12 महीनों का आंकड़ा, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): यह क्राइम रिपोर्ट 2014 आ गयी है क्या? क्राइम रिपोर्ट 2014 पब्लिश हो गयी क्या?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सभापति महोदय, मैं गृह मंत्रीजी से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की लोक सभा में प्रश्न के जवाब में जो आंकड़े आपके प्रदेश ने भिजवाये हैं, वे मैं लेकर आया हूं। आप कहोगे तो मैं टेबल कर दूंगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैं रिपोर्ट की पूछ रहा हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): दूसरा, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि महिलाओं के प्रति असुरक्षा का जो ग्राफ है...(व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई): ये पिछली सरकार के हैं। (व्यवधान) हट, क्या होता है? यह संसदीय भाषा नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): महिलाओं के प्रति अत्याचार में राजस्थान तीसरे स्थान पर है। बलात्कार में, दहेज हत्या में हम चौथे स्थान पर हैं। घरेलू हिंसा में राजस्थान दूसरे नम्बर पर है।

यह मैं ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा हूं।आपको नोलेज नहीं हो तो ध्यान से पढ़ लो और मैं गृह मंत्रीजी को टेबल कर दूंगा। (व्यवधान) करूंगा ना। ये मांगेंगे तो करेंगे; लेकर आया हूं।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अपराधों में बढ़ोतरी हुई है, वह 12 से लेकर 18 व 20 प्रतिशत तक इन 12 महीनों में हुई है और

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

खुद गृह मंत्रीजी यह कह चुके हैं कि हां, सही बात है, मेरे पास गृह मंत्रालय नहीं था, इसलिए अपराधों में वृद्धि हुई है। सीधा-सीधा सवाल है कि इनसे पहले किसके पास गृह मंत्रालय था? मैं इस विषय में ज्यादा नहीं जाना चाहता।

अब जो स्थिति है, मैं कोई अच्छी बात कहूं तो ध्यान से सुन लो, जो इन्होंने किया 12 महीने में, थाने में महिला सुरक्षित नहीं, स्कूल में बच्ची सुरक्षित नहीं, स्कूल में अध्यापिका सुरक्षित नहीं, बस में महिला सुरक्षित नहीं, हास्पिटल में महिला मरीज सुरक्षित नहीं। सारा का सारा बंटाढार 12 महीने में करने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक आदमी की भर्ती नहीं की। इनकी रिक्त स्थान की जो स्थिति है, वह भी मैं बता देता हूं। निरीक्षक में अखिल भारतीय में जो हमारा रेशो है, 570 पद रिक्त हैं, पूरे हिन्दुस्तान में 5,411 रिक्त हैं जिसमें निरीक्षक के रिक्त स्थानों में राजस्थान का पहला नम्बर है। उप निरीक्षकों में हम पांचवें स्थान पर हैं, 43,866 में से 2,494 हमारे पास में रिक्त हैं। सहायक उप निरीक्षक में हम तीसरे स्थान पर हैं। पूरे, हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा वैकेंसी में ऊपर से हमारा नम्बर है। हैड कांस्टेबल में हम पूरे, अखिल भारतीय में तीसरे नम्बर पर हैं, 6,514 हैं। कांस्टेबल में हम आठवें स्थान पर हैं, 14,617 हमारे रिक्त हैं। एक की भर्ती भी इन्होंने बारह महीने-डेढ़ साल में की? एक महिला कांस्टेबल की भर्ती नहीं, एक कांस्टेबल की भर्ती नहीं, एक थानेदार की भर्ती नहीं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, करना-धरना कुछ नहीं है।

कारागार में जो इनकी स्थिति बन रही है, बंदी क्षमता से दुगने बंदी वहां हैं। इन्होंने एक शब्द भी दोनों बजट में कोई छोटा-मोटा दे दिया हो, तो अलग है। झालावाड़ जो माननीया सदन की नेता का खुद का गृह जिला है, 336 की क्षमता है, 532 बंदी वहां बैठे हैं; धौलपुर जो इनका होम जिला है, 240 के अगेंस्ट में 369 बैठे हैं; बारां में 160 की बजाय 222 बैठे हैं; भरतपुर में 751 की बजाय 831 बैठे हैं; सीकर में 113 की क्षमता में 242 बंदी बैठे हैं; उदयपुर में 597 की बजाय 1,088 बैठे हैं; जयपुर में 1,173 की क्षमता में 1896 बैठे हैं, लेकिन करना-धरना कुछ नहीं; लेना एक, न देना दो। 1,379 के लगभग जेलों में पद खाली पड़े हैं। क्या किया?

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

पहले हम सदन में आये थे तो आज जो गृह मंत्री हैं, इन्होंने गृह मंत्री की हैसियत से जवाब दिया था कि जो सीकर में गोली काण्ड जेल में हुआ है, उसकी रिपोर्ट सदन के पटल पर रख देंगे। वह पटल आज तक तो आया नहीं। उसके बाद में, शायद तीसरे में दो-दो गैंगवार में बीकानेर जेल के अन्दर, सरकार के बड़े पदों पर बैठे हुए लोगों के इशारे पर, वहां गोलीकाण्ड हुआ, आज तक कोई सुध नहीं ली। आज तक कोई व्यवस्था नहीं हुई।

एक बहुत बड़ा गम्भीर विषय जो मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि 26.2.2015 से 5.3.2015 तक जो बाड़मेर की सीमा है, जिसमें किसी विदेशी को, पाकिस्तानी को वीजा नहीं मिलता है; एक पीर जिलानी, जिसका नाम तज हुसैन है, वह पीर भी नहीं है, उग्रवादी गिरोह का सदस्य है, सिंध पाकिस्तान में जिलानी पीर पर नूर मोहम्मद शाह है, बाड़मेर जिले की सीमा पर रहा। भारतीय जनता पार्टी का प्रचार किया और लोगों से 38 करोड़ रुपये इकट्ठे किये। वे 38 करोड़ रुपये किस रास्ते से पाकिस्तान गये, आज तक किसी को पता नहीं है। करने का कुछ काम नहीं है।

आज मैं निवेदन करना चाहता हूं, क्या हाल है? किशनगढ़ बास से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, अलवर में किस प्रकार का ताण्डव नृत्य चल रहा है। जो वहां का पुलिस अधीक्षक है, वह सीकर भी रहकर आया था, मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक-दूसरे माननीय सदस्यों को लड़ाकर, जो एम एल ए होते हैं, उनको लड़ाकर वहां अपनी मोनोपोली और दादागिरी करता है। करे भी क्यों नहीं? जब यहां से गृह मंत्री की हैसियत से यह कहा जाय कि अलवर का एस.पी. बहुत बढ़िया है। मंत्री के बेटे के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ, उसमें एफ.आर. लगा दी, उससे बढ़िया कोई एस.पी. हो नहीं सकता। तो फिर वह एस.पी. दुबारा दादागीरी क्यों नहीं करेगा? वह करेगा।

(17.00 बजे)

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो पुलिस सरकार के इशारे पर एक एम.एल.ए. को पीट सकती है, एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, जो पूर्व में केन्द्रीय मंत्री रहा है, उसको पीट सकती है और फिर भी किसी तरह का कोई जवाब नहीं, कोई जांच नहीं। पूरे मीडिया ने दिखाया था कि लाठी चार्ज हुआ। अन्दर हल्ला हुआ तो बहुमत के जोर पर 8-8 सदस्यों को निकाल दिया। आज भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

आपके पास बहुमत है, हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता, तो पूरे सत्र के लिए ही नहीं, चार साल के लिए भी कर सकते हो। लेकिन जब तक हमारे शरीर में खून की एक भी बूंद है, हम हमारी न्याय की आवाज उठायेंगे, हम अपनी बात रखेंगे, न्याय के लिए संघर्ष करेंगे, चाहे हमारा सदन हो, या बाहर की बात हो।

कल-परसों सीकर में 4-5 लोगों को पकड़ा। भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता की हत्या करने आये थे। क्या कर रही है पुलिस? पहले भी आप गृह मंत्री थे, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि तब गोपाल फोगावट की हत्या हुई थी। वह गिरोह आज एक-दूसरे के खून के प्यासे हैं। आज भी सीकर में कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस पुलिस को अलर्ट कीजिए। मैं किसी अधिकारी के खिलाफ कोई बात नहीं करता लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाने की हमें आवश्यकता है और यह सरकार का पहला धर्म है। यह हमारे सब के लिए शर्म की बात है।

जब हम फील्ड में गये तो लोगों ने पूछा कि अखबारों में पढ़ा है, आपके गृह मंत्री को थानेदार से ऊपर ट्रांसफर करने का अधिकार नहीं है क्या? मैंने कहा कि मुझे तो पता नहीं। हमारे गृह मंत्रीजी तो जोरदार हैं, अब क्या उनको अधिकार हैं, क्या नहीं हैं; मुख्य मंत्री कौन से अधिकार देगी, कौन से नहीं देगी, हमें पता नहीं। इस प्रकार की न्यूज नहीं बननी चाहिए। गृह मंत्रीजी को हमारा सदन के माध्यम से निवेदन है, सदन की नेता से भी निवेदन है कि गृह मंत्री को पूरे अधिकार दिये जाने चाहिए और अधिकार देकर लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति नहीं बिगड़े, इस बात की व्यवस्था की जानी चाहिए।

अब मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस ठीक काम करे, इसके लिए, माननीय गृह मंत्रीजी, हमें कुछ करना पड़ेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी मुख्य मंत्रीजी जो आज हैं, उन्होंने सुराज संकल्प यात्रा में बड़ी-बड़ी घोषणाएं की थीं। एक तो उन्होंने यह कहा था कि जो महिला कांस्टेबल है उसके डिलीवरी होगी, बच्चा होगा, तो दो साल तक बच्चे की सुरक्षा के लिए उसको छुट्टी दे देंगे। दे दी क्या छुट्टी? एक दिन की भी दे दी क्या? जो भत्ता हमने कांग्रेस के शासन में बढ़ाया था, उसके बाद में एक रुपये का भत्ता भी आपने बढ़ाया क्या? मुख्य मंत्री के जो स्टाफ लगता है, आई.बी. में जो स्टाफ लगता है, उसको तो हार्ड ड्यूटी का 25 परसेंट और एक जो अपराधियों को

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

पकड़ने के लिए जाता है, जो गोलियों का शिकार हो जाता है। उसको आप एक परसेंट भी भत्ता नहीं दो; वह छुट्‌टी मांगे तो उसको छुट्‌टी नहीं दो। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि साप्ताहिक अवकाश का अधिकार इस भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को है, तो पुलिस के जवानों को क्यों नहीं मिल सकता? उनको भी मिलना चाहिए।

आपके सुराज संकल्प पत्र, जिसको आपने घोषणा पत्र का भाग बनाया था, उसमें कहा था कि राजस्थान पुलिस कल्याण बोर्ड का गठन हो जाएगा। कब हो जाएगा? आपने 12 महीने में पुलिस के लिए किया क्या है? एक जवान को आपने एक सुविधा नहीं दी। उसके आवास के लिए एक मकान तक नहीं बनाया, एक पुलिस वाले की भर्ती की नहीं और उलटे सुबह से शाम हमको सुनने को मिलता है, अपराध हो रहे हैं, मां-बहनें सुरक्षित नहीं हैं, जेल में गुण्डागर्दी हो रही है, आये-दिन दूसरे राज्यों के जो शूटर आते हैं वे हमारे नेताओं को धमकाते हैं। चाहे कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी का, चाहे कांग्रेस का हो या कोई भी व्यक्ति हो, चाहे राजनीति में नहीं रहने वाला भी हो पर उसको इस प्रदेश में सुरक्षा मिलनी चाहिए। यह उसका मूलभूत अधिकार है। लेकिन, सभापति महोदय, अफसोस है कि इस बजट में दो-तीन लाइन के अलावा, पुलिस पर किसी प्रकार की नजर सरकार की जाती नहीं है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। उन सिपाहियों को, कांस्टेबलों को छुट्‌टी भी मिलनी चाहिए, उनको हार्ड वर्क का भत्ता भी मिलना चाहिए, उनका मैस भत्ता भी बढ़ाया जाना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, गृह मंत्रीजी से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि यह पुलिस की परम्परा है कि अगर वह कांस्टेबल मेडिकल लेता है तो एस.पी. की मर्जी है कि उसका मेडिकल स्वीकार करे या नहीं करे। उसके सी.एल. लगा दे, उसके पी.एल. लगा दे और जब वो कहीं कहती है, तो यह पुलिस का नियम है कि एक तो गाली निकाल कर बात करेंगे और एक मर्जी आए तब छुट्‌टी देंगे, मर्जी आये तब नहीं देंगे। अगर वह छुट्‌टी पर हो गई तो किसमें तब्दील करेंगे, यह उनका पता नहीं है।

हथियारों की बात आयी। अभी माननीय सदस्य सुन्दर लाल जी कह रहे थे कि क्या हथियार हैं उनके पास। कोई ए.के. 47, ए.के. 56, कोई ढंग के हथियार दिलाओ, गाड़ियां ढंग की दिलाओ, इनको थोड़ी सुख-सुविधाएं दो, इनका

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

भत्ता बढ़ाओ, इनकी थोड़ी-बहुत तनख्वाह बढ़ाओ। कुछ करो तो सही, पर हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं; करने-धरने को कुछ है नहीं।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस पुलिस की व्यवस्था को सुधारना पड़ेगा। एक दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। एस.ओ.जी. का गठन तो किस उद्देश्य के लिए हुआ था और काम दूसरे उद्देश्य का कर रहे हैं। एस.ओ.जी. में आधे से ज्यादा पद खाली पड़े हैं और इस डेढ़ साल में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। उलटे हमारे सीकर में एक सरपंच को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने जान-बूझकर हेरेस किया। उसके जमीन के सौदे में वह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक इन्वाल्व था, उसको पैसे नहीं लेने दिये। दोनों पक्षों में राजीनामा करा दिया। जान-बूझकर सरपंच होते हुए भी, उसको झूठा केस लगाकर गिरफ्तार किया। एडिशनल एस.पी. साहब घोषणा क्या करते हैं कि इसके पास बुलेट-प्रूफ शीशे लगी हुई कार थी और इसने गंगानगर से, पता नहीं, कब हथियार का लाइसेंस, दूसरे आर्म्स का ले लिया था। वह तो, पता नहीं, कब की बातें हो गईं, 10-15 साल पुरानी बातें हो गईं; वे लाइसेंस भी निरस्त हो गये। भूपेन्दरजी हुड्डा, जो हरियाणा के मुख्य मंत्री थे, वे आये थे तो इसी एडिशनल एस.पी. ने वह गाड़ी मंगवाई थी, उनको सुरक्षा के लिए बुलवाया था। परन्तु आज समय परिवर्तित हो गया, एक जमीन के बंटवारे का झगड़ा पड़ गया, उस सरपंच ने उनको पैसे नहीं लेने दिये, तो उसने जान-बूझकर केस लगाया कि देखो, एक-एक करोड़ के शीशे लगी हुई गाड़ियां इन अपराधियों के पास मिलती हैं।

इसके अलावा, एक और धमकी देते हैं अखबारों में कि हम जांच करायेंगे कि कौन से राजनैतिक व्यक्ति का इनको संरक्षण है। मैं खुली चुनौती देता हूं, किसी भी पार्टी का हो, अगर किसी अपराधी को बचाने के लिए कोई काम करता है, तो उसके खिलाफ आप मुकदमा कीजिये, कार्यवाही कीजिये, लेकिन अपने निजी स्वार्थ के लिए, किसी व्यक्ति को हेरेस करने के लिए, टेरर पैदा करने के लिए इस प्रकार की कार्यवाही नहीं होनी चाहिए।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अपराध कम हों, इस बात की व्यवस्था की जानी चाहिए।

अभी कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि सुरक्षा गार्ड नहीं मिलने चाहिए; किसी ने कहा, मिलने चाहिए। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग थे,

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

जो माननीय सदस्य थे और इन्होंने मांग की थी, तब अशोकजी गहलोत साहब ने सब को एक-एक दिया था। अब आज क्या हुआ, सभापति महोदय? एक लाइन में आर्डर निरस्त कर दिया। जो इनके, सरकार के चहेते हैं, उनको तो सुरक्षा गार्ड उपलब्ध हैं, वे उनके घर पर नाश्ते की प्लेट पकड़ाते हैं और बाकी के नहीं हैं। यह नहीं होना चाहिए। सबके साथ समान व्यवहार करो। अगर दो तो सबको दो और नहीं दो तो किसी को मत दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई गलत काम करेगा, वह मरेगा सो मरेगा, अपने आप भरेगा, लेकिन आप कम से कम इस बात की तो व्यवस्था करो।

इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं, माननीय गृह मंत्रीजी, जो लाठी चार्ज अकारण पुलिस ने किया, उन दोषी अधिकारियों की जांच कीजिये, उनको चिन्हित कीजिये, उनको आप सज़ा दिलाइये, तब तो आपका रुतबा बढ़ेगा, हमारे पूरे प्रदेश का मान-सम्मान बढ़ेगा। यह समय आते देर नहीं लगेगी, आपका भी समय था, जब आप धरना देते थे और हम राज में थे, और साढ़े तीन साल बाद में, आने वाले समय में हम राज में होंगे और आप धरने दोगे। इसलिए गलत परिपाटी मत डालिये। आप लाठी चार्ज की जांच कराइये, हाउस की कमेटी बनाइये। एक प्रदेश अध्यक्ष को पीट दें और अगर वो अपना हाथ दिखाये, अपनी चोट दिखाये तो, मैं कहना चाहूंगा, यहां संसदीय कार्य मंत्री मजाक बनायें कि कोमल शरीर था। यह शोभा नहीं देता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात का आपको समय मिला है, आपका राज है, आप हमसे अच्छा करके जाइये। जाना तो तय है, लेकिन आप हमसे अच्छा करके जायेंगे तो दुनिया आपको याद करेगी।

इसलिए, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस का आप मनोबल बढ़ाइये। हम गिराना नहीं चाहते हैं। पुलिस हमारी भी सुरक्षा करती है। क्या भारतीय जनता पार्टी के मेम्बरों की, या उनको वोट देने वालों की ही सुरक्षा थोड़े ही करती है। हमारी भी करती है। आम जन की करती है, राह चलते की भी करती है;रात को भी करती है, दिन में भी करती है। आप उसका मनोबल बढ़ाइये; आप उसके लिए सुविधाएं दीजिये; उनके भत्ते बढ़ाइये; उनके लिए आवास की सुविधा दीजिये; अच्छे संसाधन दीजिये।

एक, अगर कोई आदमी यह कहे कि साहब, इस मोबाइल से मुझे धमकी मिली तो सात दिन तक तो ऐसी व्यवस्था है पुलिस में कि उसकी काल डिटेल नहीं आती कि कौन था, क्या था, क्या नहीं था। इसको तुरन्त थोड़ा ठीक

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

किया जाना चाहिये। आधुनिकीकरण इसका किया जाना चाहिये। जिस टाइम यह पता लग गया, किसी की लड़की को कोई भगाकर ले गया, हम कहते हैं कि इसकी काल डिटेल यह आ रही है; कि आज तो शनिवार है, कल सनडे है, फिर हम परसों भेजेंगे, फिर कम्पनी वाले भेजेंगे। इतने में, पता नहीं, उसके साथ में, जिस किसी की बहन-बेटी है, उसके साथ में किस तरह की वारदात हो जाती है। इसलिए सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और इस सदन में एकमत बनाना पड़ेगा।

आज भी मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, सरकार के उच्च पदों पर बैठे लोग इस गैंगवार को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। उनको सोचना चाहिये कि हमें जिम्मेदारी मिली है, जनता ने चुनाव जिताकर सरकार में

(17.11 बजे)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

भेजा है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा उनकी जिम्मेदारी बनती है, लोगों की सुरक्षा करें, सुविधा प्रदान करें। लॉ एण्ड आर्डर की आज जो स्थिति है, वह बहुत ही गम्भीर है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें कमी किस प्रकार से आये; किस प्रकार से आपने जो थोथे वायदे किये थे सुराज संकल्प यात्रा के दौरान, उन वादों को पूरा कीजिये।

श्री अध्यक्ष: करेंगे। विराजिये। विराजिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सदन की नेता जब जाती थीं तो कहती थीं कि मां-बहन-बेटी कोई सुरक्षित हैं क्या? मुकदमे हो रहे हैं? तो जवाब मिलता कि हो रहे हैं। तो अब नहीं हो रहे हैं क्या? अब 20 प्रतिशत बढ़ गये। इसलिए भाषण देना अलग बात है, जिम्मेदारी आने के बाद में काम करना अलग बात है।

इसलिए, अध्यक्ष महोदय, आप पधार गये, आपकी बड़ी मेहरबानी है। आज आप सदन की एक कमेटी बनाकर, जो अकारण लाठी चार्ज किया गया, उसमें भी आप अपनी व्यवस्था देकर मंत्रीजी को निर्देशित करें और कानून-व्यवस्था प्रदेश की किस प्रकार से सुधरे, इस बात की व्यवस्था की जानी चाहिये। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। विराजिये। श्री कालूलाल गुर्जर, सरकारी मुख्य सचेतक, कार्य सलाहकार समिति के 13वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे। सरकारी मुख्य सचेतक।

समिति प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति (क्रम संख्या 13)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से, कार्य सलाहकार समिति के 13वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

कार्य सलाहकार समिति की एक बैठक दिनांक 16 मार्च, 2015 को मध्याह्न पश्चात् 4.25 बजे माननीय अध्यक्ष के वेश्म (चैम्बर) में हुई।

सदन में आज दिनांक 16 मार्च, 2015 को प्रदेश में गत दिनों हुई बेमौसम की अतिवृष्टि/ओलावृष्टि से किसानों की नष्ट हुई फसल का मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में प्रश्न काल को स्थगित कर चर्चा की गई, जिसमें कतिपय सदस्यों ने सुझाव दिया कि सदन की बैठक अगले दो दिनों के लिए स्थगित कर दी जाये, ताकि माननीय सदस्य अपने विधान सभा क्षेत्रों में जाकर फसलों के खराबे की तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त कर सकें व किसानों को सम्बल दिला सकें।

इसको दृष्टिगत रखते हुए माननीय अध्यक्ष के वेश्म (चैम्बर) में सदन की नेता माननीय मुख्य मंत्री महोदया, नेता प्रतिपक्ष, संसदीय कार्य मंत्री, श्री कालूलाल गुर्जर, मुख्य सचेतक व श्री प्रद्युम्न सिंह, सदस्य, विधान सभा की उपस्थिति में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि कार्य सलाहकार समिति के 11वें प्रतिवेदन में आंशिक संशोधन की सिफारिश करते हुए मंगलवार, दिनांक 17 मार्च, 2015 एवं बुधवार, दिनांक 18 मार्च, 2015 को सदन की बैठकें नहीं रखी जायें तथा सदन में लिये जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाये:-

शनिवार, दिनांक 21 मार्च 2015	अनुदान की मांग संख्या- 1. 37 – कृषि, 2. 39 – पशुपालन एवं चिकित्सा, एवं 3. 36 – सहकारिता पर विचार एवं पारण।
रविवार, दिनांक 22 मार्च 2015	अनुदान की मांग संख्या- 1. 29 – नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास, एवं 2. 20 – आवास -- पर विचार एवं पारण।

(श्री कालू लाल गुर्जर)

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 13वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 13वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गई।

श्री रामलाल शर्मा।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, सनडे को कभी नहीं चला सदन। नहीं, ऐसे तो फिर आप चाहे जो कर लो। फिर तो और कहीं करवा लो। यहीं भी क्यों करवाते हो? बी जे पी कार्यालय में करवा लो ना विधान सभा।

श्री अध्यक्ष: अब विराजिये। कार्य सलाहकार समिति में तय हुआ है। विराजिये आप। कार्य सलाहकार समिति का निर्णय है। विराजिये। विराजिये आप। हो गई बात, प्रतिवेदन स्वीकार हो गया। बैठिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन पर कभी चर्चा सदन में होती नहीं। सभी लोगों ने मिलकर बात की है।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। विराजिये।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 16 और 17 पर विचार

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 16 और 17 पर आपने मुझे विचार रखने का समय दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सुबह से पुलिस और कारागार विभाग पर चर्चा हो रही है और इस चर्चा में मैं अपने आपको शामिल करते हुए, इस बात को भी मैं स्वीकार करता हूं कि आम जनता में और आम लोगों में जो चर्चा का विषय है, वह पुलिस के प्रति ज्यादा बढ़िया और ज्यादा अच्छा नजरिया नहीं है। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, आखिर उन कारणों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा जिनकी वजह से समाज में पुलिस के प्रति यह छवि बनी है। उसके पीछे आखिर कारण क्या हैं?

(श्री रामलाल शर्मा)

अध्यक्ष महोदय, एक पटवारी का काम अपनी ग्राम पंचायत के अन्दर नामान्तरण को तस्दीक करना, सीमाज्ञान करना या तहसीलदार जो रिपोर्ट मांगे, उस तक ही सीमित है। अगर एक सचिव का काम देखें, तो वह ग्राम पंचायत में ग्राम सभा को आयोजित कराना, या ग्राम पंचायत की जो सरकार की योजनाएं हैं, उनको क्रियान्वित करना होता है। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, एक पुलिस का काम इतना है कि शायद ही अन्य किसी विभाग में इतना काम होगा। किसी की भैंस चोरी हो गई तो पुलिस को जाना पड़ेगा; कहीं पर झगड़ा हो गया तो पुलिस को जाना पड़ेगा; कहीं पर नोजल चोरी हो गई तो पुलिस को जाना पड़ेगा; कहीं पर सींव का झगड़ा हो गया तो पुलिस को जाना पड़ेगा; कहीं किसी ने रास्ता बंद कर दिया तो पुलिस को जाना पड़ेगा। आज, अध्यक्ष महोदय, वास्तविक स्थिति यह है कि आप किसी भी पुलिस के कांस्टेबल या उसके अधिकारी से बात करके देखो, वह मानसिक अवसाद के अन्दर आपको नजर आयेगा।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पुलिस के दोनों पहलुओं के ऊपर चर्चा करना नितान्त आवश्यक है। आज जिस तरीके से नफरी कम है, काम का दबाव अधिक है।

अभी लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य जिस प्रकार से बातें कर रहे थे, सी सी टीवी कैमरे आप लगाओ, काल डिटेल जल्दी आये उसके लिए व्यवस्था करो, गाड़ियां नई खरीदो, शस्त्र नये खरीदो। अध्यक्ष महोदय, सवा साल पहले तो इन्हीं का राज था और ये बातें ऐसी कर रहे थे जैसे इन्होंने अपने राज के अन्दर तो सारी सुव्यवस्थित तरीके से ये व्यवस्था करके गये थे; सारी जो अव्यवस्था हुई, वह एक-डेढ़-सवा साल के अन्दर हुई है।

अध्यक्ष महोदय, आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि हम बात करें, अगर वास्तविकता की बात हम करें तो आज पुलिस के कांस्टेबल की 24 घंटे की ड्यूटी होती है और 24 घंटे की ड्यूटी के अन्दर, अगर परिवार के अन्दर कोई इमरजेंसी है तो भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उसको छुट्टी मिलेगी। इस वर्कलोड को कम करने का कौनसा तरीका अपना सकते हैं, उस बात के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है।

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा, जिस तरीके से आज माननीय सदस्य रामहेतजी कह रहे थे, जितनी पोस्टें आज

(श्री रामलाल शर्मा)

वैकेंट हैं, अगर उन सभी पोस्टों को भर दिया जाये तो मैं समझता हूं कि प्रदेश के अन्दर काम का बंटवारा ठीक प्रकार से हो पायेगा।

अध्यक्ष महोदय, आज आवश्यकता इस बात की भी है कि पुलिस का व्यवहार कैसा रहे। हो सकता है कि काम के दबाव की वजह से पुलिस का व्यवहार बिगड़ रहा है, या हो सकता है कि उनका स्वभाव ही इस प्रकार का बन गया है। अध्यक्ष महोदय, आज इस बात की भी आवश्यकता है, एक पढ़े-लिखे व्यक्ति के साथ अगर कोई घटना घट जाती है तो जिस तरीके से उसका इन्वेस्टिगेशन करने वाला जो अधिकारी है, अगर उसकी योग्यता देखें तो, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि अगर किसी चिकित्सक के साथ घटना घट गई और वह थाने में जाकर बात करता है, तो उसको आई.ओ. यह कहेगा कि वहां जाकर बैठ जा, समय होगा, तब मैं बात करूंगा।

अध्यक्ष महोदय, आवश्यकता इस बात की है कि पुलिस थाने, जिसका एक स्लोगन है, जिसका एक नारा है, जो एक संदेश यह देना चाहता है कि आमजन के अन्दर विश्वास बने, अपराधियों के अन्दर डर बने; आज इस बात की आवश्यकता है कि पुलिस थानों के अन्दर भी पुलिस के अधिकारी और जो बीट अधिकारी होते हैं उनका व्यवहार संतोषप्रद रहे ताकि वे आम जनता के प्रति ठीक रहें।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक और निवेदन करना चाहूंगा, जिस तरीके से माननीय सदस्य सुन्दरजी ने भी इस बात का जिक्र किया है, आज वास्तव में आवश्यकता इस बात की है कि पुलिस के पास जितने संसाधन होने चाहिए, उतने संसाधन नहीं हैं। जिस तरीके से पुलिस के थाने संचालित हैं आज मैं इस बात को भी स्वीकार करता हूं कि बिना जन सहयोग के पुलिस के थाने नहीं चल सकते। स्टेशनरी से लेकर वहां की वैकल्पिक जो व्यवस्था है, चाहे वह रसोई की व्यवस्था हो, चाहे मेज की व्यवस्था हो, उनके अन्दर जिस प्रकार का जन सहयोग रहता है, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं एक सुझाव देना चाहूंगा कि आप सी एल जी के सदस्य उन व्यक्तियों को जरूर बनायें जो आपके थानों में सहयोग करते हैं, लेकिन, कृपा करके, जो आपके सी एल जी के सदस्य हैं उनकी एक बार पुन: समीक्षा करने की आवश्यकता है कि वे सी एल जी के सदस्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति

(श्री रामलाल शर्मा)

करने तक सीमित हैं, या थाने की आवश्यकताओं की पूर्ति करने तक वे सीमित हैं। सी एल जी के वे भी सदस्य होने चाहिए कि जब कोई घटना घट जाए, वह घटना कोई विकराल रूप नहीं ले ले। उन सी एल एजी के सदस्यों की ऐसी भूमिका होनी चाहिए कि उस घटना को रोकने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहे। इसलिए आपके माध्यम से मैं माननीय गृह मंत्रीजी से यह निवेदन करूंगा कि पूरे प्रदेश के अन्दर सी एल जी सदस्यों की एक बार पुन: समीक्षा करें; ऐसे व्यक्तियों को वे सी एल जी के सदस्य बनायें जिनकी सामाजिक प्रतिष्ठा हो, चाहे उस कस्बे में हो, चाहे उस शहर के अन्दर उनकी प्रतिष्ठा हो।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक और निवेदन करना चाहूंगा कि आज पुलिस का काम जिस तरीके से, मैं जयपुर जिले की बात कर रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, जमीनों के भाव आसमान छूने की वजह से जिस तरीके से जमीन से जुड़े हुए विवाद बढ़ रहे हैं, पुलिस मौके की स्थिति के आधार पर चलती है और प्रशासन टाइटल के आधार पर चलता है। इन मुद्दों को निपटाने के लिए इस प्रकार की एक टीम का जिला स्तर के ऊपर गठन हो ताकि जमीन से जुड़े हुए, सारे मुकदमों के जो विशेषज्ञ हों, वे ही उनकी जांच करके और उनका इन्वेस्टिगेशन करें ताकि किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं हो। अध्यक्ष महोदय, आज जिस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं, अधिकांशत: ज़मीनों से जुड़े हुए मुकदमों के अन्दर वे फौजदारी मुक़दमे बढ़ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक और निवेदन करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: एक ही कीजिए, बस, आप।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): अध्यक्ष महोदय, अभी छह बजे तक है और कोई बोलने वाला भी नहीं है।

श्री अध्यक्ष: हैं बोलने वाले।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान तीन धाराओं की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा, धारा 498-ए और धारा 304-बी। अध्यक्ष महोदय, आपका जो यह वार्षिक प्रतिवेदन है, इस वार्षिक प्रतिवेदन के अन्दर भी आपने इस बात को स्वीकार किया है कि जो मुक़दमे दर्ज हुए हैं दहेज मृत्यु के, 408 मुकदमे दर्ज हुए, 99 मुक़दमों में एफ आर लगी

(श्री रामलाल शर्मा)

है और 27.65 ये गलत पाये गये। इसी तरीके से, महिला उत्पीड़न की धारा 498 में जो कुल मुकदमे दर्ज हुए, वे 15,905 और इनमें से भी 6,939 के ऊपर एफ आर लगी है, 46.60 मुकदमे गलत पाये गये हैं। इसी प्रकार, अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि दहेज मृत्यु धारा 304-बी। इन धाराओं की समीक्षा की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं भी यह चाहता हूं कि जो गुनहगार है उस गुनहगार को सज़ा मिले, लेकिन कभी-कभी जो व्यक्ति अपने परिवार से दस वर्ष से दूर रह रहा है, अपनी पत्नी और बच्चों के साथ दस वर्ष से दूर रह रहा है उसके माता-पिता से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है, उसके बावजूद भी अगर कोई अप्रिय घटना घटती है और एफ आई आर के अन्दर उस लड़के के माता-पिता का भी नाम अगर दिया जाता है तो जिस प्रकार से उसका कोई वास्ता नहीं है, उसके बावजूद भी उनको मुलजिम बनाया जाता है। इसलिए इन तीन धाराओं के लिए सदन के अन्दर चर्चा करना चाहूंगा कि कम से कम धारा 304-बी, धारा 498-ए और धारा-3 एस.सी., एस.टी. एक्ट है। इन धाराओं की समीक्षा करें। जो वास्तव में जुल्म होता है, उसके ऊपर अगर कार्यवाही करें तो कहीं पर भी वह नहीं होगा, लेकिन, अध्यक्ष महोदय, कई बार देखने को मिलता है कि मानसिक प्रताड़ना देने के लिए यदि, उसको हम कह सकते हैं कि ब्लैकमेल करने के लिए इन धाराओं का जो उपयोग किया जाता है, वह नितान्त गलत है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से पुलिस टार्गेट बनाकर कार्रवाई करती है, कई कार्रवाइयां ऐसी हैं कि निर्दोष के साथ में गलत कार्यवाही होती है। अध्यक्ष महोदय, एक कार्रवाई के लिए आज इस सदन के अन्दर कहना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर पिछले दो महीने से एक अभियान चला कि जुआ खेलने वालों को हम पकड़ेंगे। अध्यक्ष महोदय, इस सदन के अन्दर, मैं सदन छोड़कर जाने के लिए तैयार हूं, एक भी जुआरी, जो ईमानदारी से यह बता दे कि जुआ खेलने वालों के खिलाफ कार्यवाही की हो तो। वह कार्रवाई किसके खिलाफ करते हैं, जिसकी उम्र हो गई हो, जो साठ-पैंसठ साल का हो गया, जो दिनचर्या व्यतीत करने के लिए ताश खेलते हैं। जुआ मुकदमा बनाने के लिए जेब में 200 रुपये होने चाहिए और एक ताश की पत्ती होनी चाहिए, यही पर्याप्त है, लेकिन यह कहां का न्याय है कि जिस व्यक्ति की उम्र हो चुकी और वह टाइम पास करने के लिए अगर ताश खेलता है, उसको जुआरियों की धारा के अन्दर मुकदमा दर्ज

(श्री रामलाल शर्मा)

करके, उसको बंद किया जाए? यह मेरे ख्याल से न्यायसंगत नहीं है। आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें जो वास्तव में जुआरी हैं, हम उनका पक्ष कभी नहीं लेंगे।

अध्यक्ष महोदय, ट्रैफिक की बात जो अभी एक माननीय सदस्य भी कर रहे थे, निश्चित रूप से यातायात को सुव्यवस्थित करना ट्रैफिक पुलिस का धर्म है, या चालान करना ट्रैफिक पुलिस का धर्म है। उनकी प्राथमिकता चालान करने में रहेगी। आज कहीं पर भी आप रास्तों पर जाकर के देख लें, अगर कहीं पर जाम लग रहा है तो ट्रैफिक पुलिस का यह धर्म नहीं है कि उसका जाम खुलवाने का काम करें। उनका धर्म यह है कि हम चालान कितना बनायें ताकि हमारे टार्गेट पूरे हो सकें।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा कि पुलिस में जिस प्रकार से मानसिक तनाव बढ़ रहे हैं, जिस प्रकार से नफ़री कम हो रही है, उनके ऊपर भी हमारे को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। एक, एफ एस एल की रिपोर्टें जिस तरीके से विलम्ब से आती हैं, जिस तरीके से काल डिटेल विलम्ब से पहुंचती हैं इनकी समुचित व्यवस्था करके, आधुनिक यंत्रों से सुसज्जित करके, सी सी टी वी कैमरे भी विभिन्न कस्बों के अन्दर लगें ताकि वारदात का पता लग सके।

आपने समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। श्री मोहन लाल गुप्ता।

(अनुपस्थित)

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): अध्यक्ष महोदय, पहले मुझे दो मिनट दे दीजिए।

श्री अध्यक्ष: ठीक है। शंकर सिंहजी, इनके बाद। आप पांच मिनट बोलें। आप हमारी बुजुर्ग महिला हैं।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जब पुलिस की डिमाण्ड आती है और उस पर नहीं बोलूं तो मेरे को अपने आपको बहुत गिला महसूस होता है। इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया है कि मेरे को पांच मिनट या दो मिनट बोलने को दिये जाएं।

श्री अध्यक्ष: बोलिये। बोलिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहली बात तो यह है कि एक जमाना वह था, वह जमाना तो अब नहीं रहा है मगर लोग तो हैं। पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में मैं निंदा नहीं करूंगी, मगर मेरे सुझाव जरूर दूंगी। क्योंकि वह जमाना था जब बख्तावर सिंहजी जैसे आई.जी. थे, बलदेवरामजी जैसे थे, उदय नारायणजी जैसे सर्किल इंस्पेक्टर थे, मगर अब वह जमाना नहीं। अब उस जमाने को देखते हुए...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप आपके पिता श्री का भी नाम ले लो।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): मेरे पिताजी उस जमाने में थानेदार थे, वह थानेदार भी एक एस पी के बराबर होते थे मगर अब आज का जमाना अलग हो गया है।

मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि मैं जिस सूरसागर विधान क्षेत्र से आती हूं, वहां पर जो थाने हैं और महिला थाने हैं वे क्वार्टरों के अन्दर चल रहे हैं। विशेष तौर पर मुझे यह बात कहनी है कि वे थाने अगर क्वार्टर में चलेंगे तो कैसे काम होगा? सूरसागर क्षेत्र जमीनों का सागर है, कहीं पर भी सरकार चाहे जमीन ले सकती है। पिछली सरकार के बारे में माननीय सदस्य कुछ बहुत बढ़ा-चढ़ाकर के बोल रहे थे। अभी मैं उनकी बात विचार मानकर के कहूं तो उसका अंत नहीं है। मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगी, मगर मैं यह बात जरूर कहूंगी कि एक थाना, पुलिस चौकी बग़ीचे के अन्दर चल रही है। यह सारा पूर्व सरकार ने किया हुआ है। मैं यह चाहूंगी इस सरकार से और मुख्य मंत्री महिला हैं, उनके होते हुए, और वे बहुत संवेदनशील हैं और बहुत उच्च विचारों की हैं, इसलिए मैं यह चाहूंगी कि इसके बारे में जरूर विचार करें।

पुलिस की नफ़री बढ़ायें और मैं तो यहां तक भी चाहूंगी कि इधर वाले और इधर वाले, सभी एक होकर के पुलिस के लिए ऐसा विचार करें कि पुलिस को ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज दी जाएं, ज्यादा से ज्यादा भत्ते दिये जाएं, ज्यादा से ज्यादा उनको सुविधाएं दी जाएं। सुविधाएं देने का माध्यम क्या होगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सूरसागर से आती हूं, सूरसागर के अन्दर सबसे ज्यादा चोरियां हो जाती हैं। वे क्यों होती हैं? नफ़री कम होने से होती हैं। मैं यह चाहूंगी कि नफ़री बढ़ाई जाए और थानों का विस्तार किया जाए। माननीय, देवनगर के अन्दर थाना प्रस्तावित है मगर वह आज तक खुला नहीं है। मैं यह चाहूंगी माननीय गृह मंत्रीजी से कि उस थाने की पूर्ति करें और थाने का विस्तार करें।

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

सूरसागर बहुत फैला हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक दिन तो ऐसा हुआ कि जब, मैं रोज कम से कम तीस-चालीस किलोमीटर घूमती हूं, तो देखने गये तो मेरे को पुलिस चौकी नहीं मिली। मैंने कहा कि मसूरिया पुलिस चौकी कहां गयी? मैंने एस पी साहब को फोन किया तो पता लगा, पुलिस चौकी तो मसूरिया के मंदिर के अन्दर चल रही है। अब यह ऐसे हम कैसे बरदाश्त करेंगे कि पुलिस चौकी अगर मंदिर में चले? तो मैं यह चाहूंगी, यह पिछली सरकार की बात बता रही हूं, इस तरीके से ये हाल चल रहे हैं, इसकी व्यवस्था के लिए मैं चाहूंगी सरकार से।

एक मेरा और निवेदन था आपसे कि ट्रैफिक व्यवस्था नाम मात्र की नहीं है। मैं यह चाहूंगी, ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के लिए जालौरी गेट चौराहा तोड़ दिया, पिछली सरकार ने आगे का आसोपा सर्किल तोड़ दिया। सारे सर्किलों को तोड़ दिया, मथुरादास माथुर का सर्किल तोड़ दिया। तो ट्रैफिक की ऐसी अव्यवस्था हुई है जिसका कोई जवाब नहीं है। जालौरी गेट जैसा, जहां पर नौ रास्ते आते हैं, मगर वहां ट्रैफिक व्यवस्था इतनी गन्दी है। यह तो कोई जोधपुर में देवी की और महाराजा साहब की कृपा है कि वहां रोज के दो-चार आदमी मरते नहीं हैं, मगर ऐसी अव्यवस्था है। मैं यह चाहूंगी आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कि इसके अन्दर सुधार लाने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रयास किये जाएं; जालौरी गेट और जैसे सनेसर जी का थान इन सब के सुधार के लिए तुरन्त व्यवस्था करें; जो चौराहे तोड़े हैं उनको वापस बनवायें; ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारें; और जो चौकियां व महिला थाने हैं, जो चल रहे हैं वे किराये में चल रहे हैं, क्वार्टर में चल रहे हैं तो उनके लिए कहीं जमीन लेकर व्यवस्था करें। हम भी हमारा फंड देंगे। मैं मेरा दूंगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे ज्यादा पुलिस विभाग में मैं मेरा फंड देती हूं और काम करवाती हूं। इनका बजट जो आता है वह क्या मालूम, कहां जाता है, मेरे को पता नहीं, मगर मैं सबसे ज्यादा देती हूं क्योंकि मेरे को पुलिस के प्रति बहुत प्रेम है, क्योंकि मैं उनकी लड़की हूं।

धन्यवाद, आपने मेरे को समय दिया।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिये। श्री शंकर सिंह राजपुरोहित। इनके बाद आप, श्री पूरणमलजी, बहुजन समाज पार्टी।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी पार्टी के हिसाब से एक मौका तो दीजिये।

श्री अध्यक्ष: पूरणमलजी के बाद देखता हूं। एक इधर से, फिर इधर से। मैं पूरा न्याय करूंगा। न्यांगली जी, आपका नम्बर नहीं आएगा। दो मैम्बर हों, दोनों ही बोलोगे तो कैसे होगा? नहीं आएगा, मैं अभी कह रहा हूं। नहीं, यह नहीं होगा। आप मत बोलो, उनको बुलवा देता हूं। क्या मतलब है यह?

श्री शंकर सिंह जी।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज गृह और कारागार की मांग पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। आज मेरी पर्ची लगी थी, दुर्भाग्य से पर्ची पर आपका आदेश हो गया कि नहीं बोलना है। वह बहुत ही मजबूत विषय था। गौ तस्करी वाला विषय था, एक चिन्ता का विषय था, लेकिन अब जब भी आपका आदेश होगा तब हम कहेंगे।

श्री अध्यक्ष: अब बोल लीजिये। गौ तस्करी भी पुलिस विभाग में आता है।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): नहीं, कृषि मंत्री महोदय उसका जवाब दे रहे थे।

श्री अध्यक्ष: बोलिये आप।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): ऐसा है, हमने गौ तस्करी के विषय में एक निवेदन किया था कि आखिर यह एक धार्मिक विषय भी है, इसको रोकना भी जरूरी है। नहीं तो क्या होता है, कि पुलिस की कहीं न कहीं लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन बिगड़ती है। इसके लिए मैं सबसे पहले तो महाराष्ट्र और हरियाणा सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भी ये गौ हत्या पर प्रतिबंध का कानून बनाया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे मादक पदार्थों की जो तस्करी होती है और उसके अन्दर वाहन को जब्त कर लिया जाता है, उसी प्रकार वह का वह कानून इस गौ वंश की तस्करी में यूज में आने वाले वाहन को अगर जब्त कर लिया जाए तो तस्करी पर थोड़ी रोक हो जाएगी। ऐसा एक मेरा सुझाव था। अब आगे जब भी आपका आदेश होगा, तब कहेंगे। आज गृह विभाग वाला विषय है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के विकास में हर विभाग और उसका पुलिस विभाग से नाता, अगर प्रदेश में हम यह चाहते हैं कि उद्योग-धंधे आयें,

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

अगर पुलिस मजबूत होगी, शांति होगी, तो उद्योगपति आएंगे। यहां पर अगर पर्यटन विकास हो, निश्चित रूप से पुलिस का दबदबा होगा और शांति-व्यवस्था होगी तो पर्यटक भी आएंगे, व्यापार-धंधे भी आएंगे और आम जन के अन्दर शांति-सुरक्षा का माहौल होगा तो निश्चित रूप से राजस्थान चहुंमुखी विकास की ओर बढ़ेगा।

अब इसको मजबूत करने के लिए, पुलिस को मोरली सपोर्ट देने के लिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बजट के भाषण में कहा था कि पूर्ववर्ती सरकार में सिर्फ एक-दूसरे की होड़ा-होड़ी के अन्दर समय बीतता गया, एक-दूसरे के ऊपर केस उलझाते गये और बात यहीं नहीं, इनकी मंशा यहीं तक पूरी नहीं हुई, उन्होंने केन्द्र सरकार का सहारा लेकर, सी बी आई का सहारा लेकर, हमारे गृह मंत्री के ऊपर भी उन्होंने एक उलझन का अड़ंगा डाला। मैं आज इस सदन में गृह मंत्री महोदय को बहुत-बहुत बधाई देता हूं कि इस कांग्रेस के मायाजाल, सी बी आई के मायाजाल से एकदम स्वछंद होकर और माननीय न्यायालय ने निर्दोष साबित किया। इसके लिए मैं माननीय गृह मंत्री महोदय को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। ये इस प्रकार के ऐसे...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): थोड़ी-सी मेरे को भी दे दो।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): आपको भी।

श्री अध्यक्ष: आप चालू रखिये। बहुत जल्दी खतम करना है आपको।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि पुलिस को मजबूत यहां पर करना बहुत जरूरी है। मैं एक और धन्यवाद देता हूं गृह मंत्री महोदय को। यह शायद राजस्थान के इतिहास में पहली बार हुआ। इस प्रकार से सी बी आई के हथकंडे ये, केन्द्र में सरकार कांग्रेस की थी, डाल रहे थे। उसी केस में एक आई पी एस अधिकारी, जो राजस्थान का ईमानदार अफसर और उस अफसर के ऊपर जब सी बी आई की जांच का अंदेशा हुआ तो गृह मंत्री महोदय ने कहा कि नहीं; हां, मेरे पुलिस विभाग का ईमानदार अफसर है और अगर इसके लिए जरूरत पड़ी तो यह पुलिस विभाग उनकी तरफदारी भी करेगा, दिनेश एम.एन. के लिए। तो मैं गृह मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने पुलिस विभाग का मोरल सपोर्ट देने में कोई कमी नहीं की है।

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

अब इस पुलिस तंत्र को सुधारने के लिए या मजबूत करने के लिए नीचे थाने से नफरी बढ़ानी चाहिए। वह सारा कुछ करना चाहिए। एक, माननीय गृह मंत्री महोदय, पुलिस लाइन को और मजबूत करने के लिए यहां के पुलिस लाइन में जो ट्रेनर हैं, वह आर ए सी के अधिकारी यहां पर लगाओ, जिससे इनकी ट्रेनिंग भी एक बहुत अच्छी हो जाएगी।

अब आप नफरी बढ़ाने के लिए, बहुत बड़ी कमी तो है लेकिन आपके पास...

श्री अध्यक्ष: आ चुका है यह विषय।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): इतने ट्रेनिंग सेन्टर नहीं हैं। उसके लिए क्या व्यवस्था करोगे? अब एक साथ ट्रेनिंग देने के लिए आपके पास में 4 से 5 हजार की व्यवस्था है। अब आपके यहां भर्ती के लिए 15-17 हजार पोस्टें खाली हैं, कांस्टेबल, वगैरह की। तो उनकी ट्रेनिंग कहां करोगे? उसकी चिन्ता भी आपको करनी होगी।

माननीय गृह मंत्री महोदय, मैं आपके माध्यम से ..., एक मिनट। देखिये, मुझे विषय तो रखने दीजिये आप। मेरा पर्ची वाला भी आपने टाइम नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष: हां, एक मिनट। एक मिनट नहीं, दो मिनट। चलिये।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): एक नीचे के लेवल पर आई ओ जो होता है, अब आपके इस भर्ती में, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से गृह मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि आपको कम्प्यूटर ट्रेनिंग वाले ऐसे कांस्टेबलों की भर्ती भी करनी पड़ेगी। मैं बताना चाहता हूं कि काल डिटेल वाले मामले में, अब जैसे कोई लड़की लापता हो गई अपहरण हो गया, तो काले डिटेल के लिए ही सात-सात दिन इंतजार करना पड़ता है। अगर आपके पुलिस थाने में ऐसा मास्टरमाइंड आदमी हो, तो उस केस को तुरन्त गति से निस्तारित किया जा सकता है।

एक, गृह मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक बहुत बड़ी टेक्निकल कमी है। आज एक आई ओ, एक थाने में कोई केस का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और उस आई ओ का ट्रांसफर हो गया, जैसे वह आई ओ जैसलमेर में है और उस आई ओ का अगर जैसलमेर से चित्तौड़ ट्रांसफर हो गया, अब उसको सात-आठ वर्ष बाद कोर्ट में उस केस के लिए हाजिर होने के

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

लिए जैसलमेर जाना पड़ता है। तब तक उस केस की भूमिका भी वह भूल जाता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज केन्द्र सरकार हमारी है, सी आर पी सी एक्ट में ऐसा कोई बदलाव लाना पड़ेगा। या तो हमें वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये कोर्ट को ऐसे अवेलेबिलिटी करनी पड़ेगी, या फिर जो दो वर्ष या तीन वर्ष से कम के अपराध के मामले हैं उन मामलों में आई ओ के बयान चालान के साथ ही हो जाएं तो उस आई ओ को बाद में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिये। स्थान ग्रहण कीजिये। बस हो गया अब। तीन मिनट ले लिये आपने।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से...। अब आप इस प्रकार से कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: कर नहीं रहा हूं, आपका समय हो गया।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): एक तो मानवाधिकार का जो फंडा है, वह आज पुलिस का मोरल डाउन कर रहा है। आज छोटे-मोटे मामले में, मैं कहना चाहूंगा, पिछली सरकार के समय गुढाइंडला का एक केस; अब एक आदतन अपराधी, अब आदतन अपराधी को थर्ड डिग्री नहीं देंगे तो वह सच कैसे कबूलेगा? वह करते-करते, एक गुडाइंडला का भरत देवासी अपराधी मारा गया। वह हरिजन जिसके ऊपर 7-7 बलात्कार के केस थे, 10-10, 12-12 डकैतियों के केस थे, उसकी पूछताछ करते-करते...

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): एक मिनट। वह मर गया और मरने के बाद ...

श्री अध्यक्ष: श्री पूरणमल सैनी। स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): कौन उसकी तरफदारी करेगा? पुलिस विभाग में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिये। आपका पाइंट आ गया।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): आपके जो भी कर्मचारी, अधिकारी शांति व्यवस्था के लिए काम करते हैं...

श्री अध्यक्ष: विराजिये। पूरणमल सैनी।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): उनकी तरफदारी विभाग नहीं करें...

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): अध्यक्ष महोदय, ...

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): अध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 16 व 17 पर आपने मुझे....

श्री अध्यक्ष: पहले, शंकर सिंह जी, विराजो।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): अध्यक्ष महोदय, मेरे एरिये की...

श्री अध्यक्ष: नहीं, विराजिये।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय सदस्य, एक मिनट। मेरे एरिये की जालौर जिले की जो कमी है, वह तो बता दूं।

श्री अध्यक्ष: एक के बाद एक, पांच मिनट आगे बढ़ गये।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): एक मिनट। जालौर जिले में, गृह मंत्री महोदय, आजादी से दो सी ओ थे, एक भीनमाल और एक जालौर। भीनमाल के पास सांचौर, रानीवाड़ा और भीनमाल; जालौर के पास खाली जालौर और आहौर वाला है। उसके बाद एडिशनल एस पी आपने एक जालौर लगा दिया, एक भीनमाल लगा दिया। एडिशनल एस पी, आपके भीनमाल के पास सांचौर है, सी ओ सांचौर, सी ओ रानीवाड़ा और सी ओ भीनमाल; तीन-तीन सी ओ। जालौर में एडिशनल एस पी के पास एक सी ओ। आहोर से स्टेट हाइवे पर 100 किलोमीटर की दूरी पर एक भी थाना नहीं है। इसलिए भादराजोन चौकी को आप थाना क्रमोन्नत करिये और आहोर को सीओ सर्किल कर लीजिए; जालौर में कोतवाली का वर्णन है, उसमें एक सीओ सेपरेट हो जाएगा। कोतवाली और सदर थाना, महिला थाना, उसके बाद साइला थाना, चार थाने वहां हो जाएंगे। चार थाने आहौर में हो जाएंगे। आहौर को सी ओ सर्किल करें।

श्री अध्यक्ष: गृह मंत्रीजी से मिलकर सुझाव दे दीजिये।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): एडिशनल एस पी भीनमाल का केन्द्र, मुख्यालय, जो सांचौर में सबसे ज्यादा क्राइम है, आप वहां करिये।

श्री अध्यक्ष: शंकरसिंह जी, अब स्थान ग्रहण कीजिए। आप और सुझाव दे दीजिए, आप व्यक्तिगत सुझाव दे दीजिये गृह मंत्रीजी को। हां, पूरणमलजी। विराजिये।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष: नहीं, अब, शंकरसिंहजी विराजिये। स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 16 और 17 पर अपने विचार रखने की अनुमति दी, इसके लिए आपका आभार व्यक्त करते हुए, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि पुलिस की व्यवस्था इस राजस्थान प्रदेश में...

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): पुलिस को मजबूत करने के लिए जो कुछ भी हम कर सकते हैं, वह करना चाहिए। पुलिस मजबूत होगी तो राजस्थान मजबूत होगा; राजस्थान मजबूत होगा तो यहां का आमजन मजबूत होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: माननीय पूरणमलजी सैनी।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में दो बजे के बाद मांग संख्या 16 व 17 पर चर्चा के लिए आपने बारी-बारी से हम सब सदस्यों को अनुमति दी। उसमें आपने मुझे भी अनुमति दी। उसके लिए आपका आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद दूंगा।

मैं निवेदन करना चाहूंगा, वैसे सदन के वरिष्ठ सदस्य माननीय सुंदरलालजी ने बताया था कि विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में एक थाना है जिसका भवन काफी जर्जर स्थिति में है। सीधे-सीधे मैं अपनी बात रखूं, चार-पांच मांग हैं।

श्री अध्यक्ष: बस, वह रख लीजिये। बहुत अच्छे।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): वह ही रख रहा हूं। विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में एक थाना खेतड़ी में है, जिसका भवन रजवाड़े के समय से बना हुआ है, जो बहुत ही जर्जर स्थिति में है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि उस थाने के भवन को इस बजट में प्रोविजन करके बनवाया जाए।

दूसरा, विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी हरियाणा सीमा से लगता हुआ है, जो बदमाश इलाका है। वहां खनन क्षेत्र खेतड़ी में है। खनन के लिए और हरियाणा खनिज के मामले में बंद हो जाने से, खेतड़ी में उन लोगों का आवागमन ज्यादा बढ़ गया। इसलिए पुलिस ओवरलोड वाहनों को बढ़ावा दे रही है। बार-बार कलेक्ट्रेट सभागार में मीटिंग करके फैसला कर लेने के बाद, कि रात में ही वाहन आएंगे-जाएंगे, उनको दिन में भी, पुलिस के मिल जाने से, प्रवेश दिया जाता है। इससे हमारे क्षेत्र की सड़कें भी पिछले डेढ़ वर्ष में जर्जर स्थिति में हो

(श्री पूरणमल सैनी)

गई हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 2010 में जब आज की तरह आपदा आई, उस समय पानी के बहुत बड़े बहाव से पुल और नदियां टूटीं, वे तो आज दिन तक ठीक नहीं हो पाईं। कांग्रेस सरकार भी चली गई और बी जे पी सरकार भी डेढ़ वर्ष अपना बिता चुकी है। इन खनिज सम्पदा के दोहन के लिए, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से अपील करना चाहूंगा कि जब खेतड़ी का राजस्व खनिज के माध्यम से इकट्ठा करके सरकार चलाने के काम लिया जा रहा है, तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि पुलिस के साथ-साथ वहां की टूटी सड़कों को भी, जो खनिज की वजह से टूट रही हैं, यातायात की वजह से, उनको ठीक फरमाया जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि पुलिस अगर अच्छा काम करना भी चाहे, तो उसके लिए प्रभावशाली राजनेता और प्रशासनिक अधिकारियों का बड़ा प्रेशर होता है। कम से कम हमारे खेतड़ी में यह देखने को मिल सकता है। आठ-आठ सौ व्हिकल्स एक-एक आदमी के चले हैं और उन पर नाम इंडिकेट किया हुआ है। अगर उनके प्रभाव से, चाहे किसी के मकान टूटें, चाहे कुछ भी हो, किसी गरीब का गाड़ी डायवर्जन से अगर मकान टूटा, वह गरीब अगर थाने पर मुकदमा दर्ज कराने पहुंचता है, तो पुलिस का दोष नहीं, लेकिन पुलिस पर इतना बड़ा प्रभाव उन प्रभावशाली व्यक्तियों की वजह से है कि आम आदमी का मुकदमा भी दर्ज नहीं होता। हम जैसे लोग जब थानाधिकारी से, डीवाई एस पी साहब से बात करते हैं तो जवाब में मिलता है कि अभी प्रार्थना पत्र रख लिया गया है, उसकी जांच करवाई जाएगी, अगर सही पाया जाएगा तो मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि एक आदमी, जब उसका घर टूट रहा है और उसको दिखवाएंगे, उसके बाद उसका मुकदमा दर्ज करवाएंगे। या फिर उनके घरों में इतना निर्मम, उनको मार दिया जाता है, उसके बाद भी पिटाई की जाती है। जैसे मेलों के माध्यम से, जब वह थाने पर पहुंचता है तो भय की वजह से पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं कर पाती है।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में जब एक अधिकारी एक बार रहकर चला गया, 2006-07 के बाद ऐसा देखने में प्रतीत हो रहा है, एक बार जब एक अधिकारी और कर्मचारी वहां रहकर चला गया, विशेषकर उस जिले में इधर-उधर घूमते हुए, दोबारा वह एस पी साहब के यहां मिलकर, या उससे भी कहीं ऊपर मिलना पड़ता होगा तो मिलकर, खेतड़ी

(श्री पूरणमल सैनी)

में ही अपनी पोस्टिंग चाह रहा है। बार-बार वही रिपीट होता रहता है। मैं चाहूंगा कि विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के थाने और चौकियों में जितने भी अधिकारी और कर्मचारी लगे हुए हैं, दो वर्ष तो पहले ही पालिसी में ही है, मैं चाहूंगा कि दो वर्ष से ज्यादा जिन लोगों को हो गये, उन सबको अविलम्ब वहां से हटाया जाए और नये अधिकारी-कर्मचारियों को वहां लगाया जाए।

तीसरा मैं निवेदन करना चाहूंगा, पूर्व में भी निवेदन कर चुका हूं, विधान सभा क्षेत्र हरियाणा सीमा से लगता हुआ क्षेत्र है। हरियाणा सीमा से बिलकुल एडजोइनिंग गांव बसई है, जहां एक चौकी होती थी, उसको थाने में क्रमोन्नत करने की मांग करना चाहूंगा। इधर विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में ही ग्राम पंचायत बबई में एक चौकी बनी हुई है, जिसका भवन पिछले चार वर्षों से बनकर तैयार है। अब तक जर्जर भवन में पुलिस चौकी चल रही है, लेकिन उसको अविलम्ब पुलिस के नये भवन में शिफ्ट फरमाने के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा। तीसरा, ग्राम पंचायत जसरापुर, वह भी हरियाणा सीमा से ही लगता है, वहां एक नई चौकी खुलवाने की मांग करना चाहूंगा।

इसके साथ-साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जब किसी एक बेरोजगार को चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने की जरूरत होती है तो पहले वह अपना प्रार्थना पत्र थाने में निवेदन करता है। उसके बाद थानेदार के द्वारा या किसी दूसरे अधिकारी कर्मचारी द्वारा बताया जाता है कि एस पी आफिस में आपका प्रार्थना पत्र लगेगा। एस पी आफिस की 70-80 किलोमीटर हमारे यहां हर विधान सभा क्षेत्र से नीयर-अबाउट लगती है, झुन्झुनूं को छोड़कर। वे लोग 70-80 किलोमीटर जाएंगे, बेरोजगार तो पहले से ही है; वहां प्रार्थना पत्र लगाने के बाद एस पी साहब के आफिस से लैटर के द्वारा सम्बन्धित थाने को कागज जाएगा; उसका वेरिफिकेशन वहां से होकर आएगा; उसके बाद एस पी साहब के आदेश-निर्देश के बाद उस बेरोजगार का चरित्र प्रमाण पत्र, जो सम्बन्धित थाने से ही होता है। उसको इधर-उधर चक्कर कटवाने के बजाय, मेरे ख्याल में, सम्बन्धित थानाधिकारी को ही ये पावर दिये जाने चाहिए। यह मेरी मांग है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अध्यक्ष महोदय, वैसे ही काफी कम समय देते हो, आज तो दो मिनट और दे दो।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट और है।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): तीसरी मांग मेरी यह है कि बहुजन समाज पार्टी का विधायक दल का नेता होने के नाते मैं सुनता हूं, सदन में हमारे बहुजन समाज पार्टी के माननीय विधायक मनोज न्यांगली पर इतना बड़ा हंगामा हुआ, इतना बड़ा झगडा हुआ। उन्होंने बार-बार, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से भी 'वाई' श्रेणी के लिए मांग की। माननीय सदन की नेता मुख्य मंत्री महोदया से भी की, गृह मंत्रीजी के माध्यम से भी की, डी जी साहब के यहां भी इन्होंने प्रार्थना पत्र लगाया लेकिन आज तक, इतना बड़ा झगड़ा इस राजस्थान प्रदेश के किसी भी माननीय सदस्य पर हुआ हो और उनको यह श्रेणियां नहीं उपलब्ध करवाई हुई हों तो फिर हमारे माननीय सदस्य को भी नहीं करवाई जाए; नहीं तो, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे माननीय सदस्य मनोजजी न्यांगली की जान खतरे में समझते हुए उनको 'वाई' श्रेणी की सुरक्षा उपलब्ध करवाये जाने का श्रम फरमाएं।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। श्री पिलानिया। (व्यवधान) बस, हो गया।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): एक मिनट और, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट और।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): तीसरा, मैं निवेदन करना चाहूंगा, अभी हमारे माननीय सदस्य गैलेरी तक भी पहुंचे थे...

श्री अध्यक्ष: गैलेरी तक नहीं पहुंचना चाहिए।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): उसके लिए माफी चाहते हुए, निवेदन करना चाहेंगे कि यह मुकदमा संख्या 38/2015, धारा 447, 307, 326, 147, 149, 302 ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: केस रेफर मत कीजिये। (व्यवधान) केस रेफर मत कीजिये। मैं आपसे निवेदन करूं, अनुसंधान होता है ...(व्यवधान) विराजिये। मिस्टर पिलानिया।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): जी, सर। (व्यवधान) इस मुकदमे में, मान्यवर, 15 फरवरी को यह मुकदमा दर्ज हुआ और आज तक इस मुकदमे में...

श्री अध्यक्ष: मैंने कहा, तफतीश की बातें यहां नहीं करनी चाहिए। मेरा आपसे निवेदन है।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): सुनें तो सही, सर, मेरा।

श्री अध्यक्ष: नहीं, सुनने का नहीं। मैं सुनूंगा नहीं।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): आज तक उस मुकदमे में कोई कार्यवाही नहीं फरमाई गई।

श्री अध्यक्ष: मिस्टर पिलानिया, नेशनल पीपुल्स पार्टी, छह बजे तक आपको करना है। बस, छह, बजे तक। विराजो आप।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): एक मिनट और, साहब।

श्री अध्यक्ष: नहीं, विराजो। पिलानियाजी को बुला लिया मैंने। (व्यवधान) नहीं, पिलानियाजी को बुला लिया।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): एक मिनट, सर। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस मुकदमे में पीड़ित पक्ष के द्वारा ...(व्यवधान)

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत कम समय है।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): वह भी नहीं मांगा गया है, उसके बाद भी उसको चेंज कर दिया गया।

श्री अध्यक्ष: गृह मंत्रीजी से मिल लेना, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। (व्यवधान) आप ठीक छह बजे खतम करेंगे।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, चार हमारे मेम्बर हैं राजपा के, और कितना सा समय दे रहे हैं। एकाध मिनट और फालतू दीजियेगा।

श्री अध्यक्ष: आप बोलिये ना। छह बजे उत्तर चालू होगा।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): बहुत कम मौका मिलता है। थोड़ा विपक्ष को मौका दीजिये, अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय, जो पुलिस विभाग है, यह एक ऐसा विभाग है जिससे सभी वर्गों का, चाहे वह अमीर हो, गरीब हो, किसी भी जात का हो, किसी पात का हो, हर व्यक्ति का इस विभाग से काम पड़ता है, इस विभाग के कार्य से उस पर असर पड़ता है।

मैं बिलकुल संक्षेप में कुछ बिन्दु बताना चाहूंगा। जो राजस्थान की आधी आबादी है, महिलाओं की, उनके बारे में मुझे विशेष चिंता है। अभी 8 मार्च को महिला दिवस मनाया गया। 1913 में, आज से 102 साल पहले, इस धरती की औरतों को वोट देने का अधिकार मिला था। उस दिन से

(श्री नवीन पिलानिया)

अन्तरराष्ट्रीय महिला दिवस मना। लेकिन आज हालात ये हैं कि महिलाओं का सरे आम, सरे राह चीरहरण हो रहा है परन्तु सरकार और समाज धृतराष्ट्र की तरह आँख मूंदे बैठे हुए हैं और बेचारा कोई कृष्ण भी उसकी इज्जत बचाने के लिये अवतरित नहीं होता हुआ दिखता है। जो आंकड़े बताते हैं, मेरे पास जो आंकड़े हैं, अध्यक्ष महोदय, महिला अत्याचार से सम्बन्धित आंकड़े हैं। वह इस वक्त 2014 में कुल जो आंकड़े हैं, 32,152 । जो रेप के, बलात्कार के आंकड़े हैं, 2014 के 3,759, अपहरण के जो मामले हैं, 4,425। अभी होम मिनिस्टर महोदय ने टोका था, एन.सी.आर.बी. की जो रिपोर्ट है, वह 2014 की नहीं आई है। वह आप बिलकुल सही फरमा रहे हैं। लेकिन जो 2013 की रिपोर्ट है, उसमें राजस्थान, वे जो टोटल मामले हैं महिलाओं के खिलाफ, उसमें 9.75%, of the total population of India, उसका स्टेटिस्टिक्स 9.75 प्रतिशत केवल राजस्थान का है। और हमारी जो महिलाओं का प्रतिशत है, पूरे हिन्दुस्तान में, वह 5.7 प्रतिशत ही है। यह एक सोचने वाला बिन्दु है।

एक और बिन्दु, जो बहुत महत्वपूर्ण बिन्दु है, जो अभी तक नहीं आया। ये जो आंकड़े, अभी इस साल के बताये मैंने आपको, उनके निस्तारण की स्थिति है, अध्यक्ष महोदय। मैं माननीय गृह मंत्री महोदय का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, बलात्कार के मामलों में 44.8 परसेंट अदम वकू। 44.8 प्रतिशत रेप के मामले अदम वकू में दर्ज हैं, प्रतिशत में। अध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान ऐसा प्रदेश है, बलात्कार हो जाए तो कोई जाहिर नहीं करना चाहता है। जिसके साथ बलात्कार होता है, वह कोशिश करके कुएं में डूबना पसन्द करती है, या फांसी लगा लेती है, या केरोसिन डालकर जलने की स्थिति में हो जाती है। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, माननीय सदन से पूछना चाहता हूं, कौन चाहेगा, कौन बाप चाहेगा कि वह अपना मुकदमा दर्ज कराए कि उसकी बेटी के साथ बलात्कार हुआ; कौन भाई यह चाहेगा, दर्ज कराना, कि उसकी बहन के साथ बलात्कार हुआ; कौन पति यह चाहेगा, अपनी पत्नी के खिलाफ बलात्कार दर्ज कराना? उसके बावजूद, 44 प्रतिशत, 45 प्रतिशत अदम वकू एफ.आई.आर. हैं। मैं आप ही से पूछता हूं। मैं तो नया व्यक्ति हूं, बड़ी मुश्किल से इस विधान सभा में आया हूं, आप सब मेरे से सीनियर हैं। आप दिल पर हाथ रखकर बताइयेगा। यह सम्भव है क्या कि 44 प्रतिशत बलात्कार के मामले झूठे निकलें? यह सम्भव नहीं है, 44 प्रतिशत निकलना। श्रवणजी, यह बिलकुल सम्भव नहीं है। दूसरे छेड़छाड़ के मामले निकल सकते हैं। मैं निवेदन करूंगा...

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): बिकाऊ हो गये लोग। पैसे लेकर दूसरे दिन ...(व्यवधान)

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): मेरी बात सुनने दीजिये। यह गम्भीर विषय है। श्रवणजी, यह गम्भीर विषय है।

छेड़छाड़ का मामला झूठा हो सकता है, उसका प्रतिशत बताता हूं, अदम वकू 41 प्रतिशत; महिला उत्पीड़न 46 प्रतिशत अदम वकू। कुल मिला करके, अपहरण का सुनकर आप दंग रह जाएंगे, अपहरण के 68.46 प्रतिशत अदम वकू हैं। जितने महिलाओं के मामले दर्ज हुए, उनमें केवल 48 प्रतिशत में चालान हुआ है। केवल 48 प्रतिशत में चालान हुआ है। यह रिपोर्ट जो पुलिस विभाग की है, वही मेरे हाथ में है, इसके अलावा कुछ नहीं है।

यह गम्भीर विषय है। गृह मंत्री महोदय, इस पर ध्यान देना चाहिए। एक अबला जो है, वह तो रिपोर्ट ही दर्ज नहीं कराना चाहती है। छेड़छाड़ की, जबरदस्ती की रिपोर्ट कराएगी। इससे कहीं ज्यादा मामले हैं। यह तो tip of the iceberg है। बाकी सब तो अन्दर ढका हुआ है। कम से कम अदम वकू के जो मामले हों, उनको एक सीनियर आई.पी.एस. लेडी आफिसर के पास भिजवाया जाना चाहिए। उन पीड़िताओं को एक और मौका मिलना चाहिए कि वे जाकर अपनी बात वहां रख सकें और उसके बाद में उनका निस्तारण होना चाहिए।

हर रोज 10 रेप हो रहे हैं राजस्थान में। एक रेप की घटना साढ़े चार घण्टे में हो रही है राजस्थान में। आज मैं जब से सदन में बैठा हूं, तब से लेकर अभी तक एक महिला के साथ बलात्कार हो चुका। उत्पीड़न के जो मामले हैं, 46 मामले एक दिन में। हर आधे घण्टे में एक उत्पीड़न का मामला हो रहा है। हम कहां की बात कर रहे हैं? टोटल देखें, 88 मामले दर्ज होते हैं एक दिन में। हमें इसे सुधारना होगा, मेरा निवेदन है, वरना यह प्रदेश पद्मिनी का प्रदेश है। अध्यक्ष महोदय, यहां तो नारियां अपना स्वाभिमान बचाने के लिए जौहर में कूद जाया करती थीं और आज ये हालात आ जाएं कि हम महिला की सुरक्षा नहीं कर पाएं। यह बड़े अफसोस की बात है।

मेरा समय सीमित है, लेकिन दूसरा बिन्दु बहुत ज्यादा, उतना ही जरूरी है। दूसरा बिन्दु यह है, अध्यक्ष महोदय, आज जो हालात बने हुए हैं, भ्रष्टाचार को लेकर के चारों तरफ हर विभाग में, जहां उठा करके देख लीजियेगा, भ्रष्टाचार की कालिख बह रही है। जब से जन्म होता है, बर्थ सर्टिफिकेट लेने के लिए, बर्थ सर्टिफिकेट से भ्रष्टाचार चालू होता है; जब उसका

(श्री नवीन पिलानिया)

राशन कार्ड में नाम जुड़ता है तो भ्रष्टाचार होता है; स्कूल के दाखिले में भ्रष्टाचार होता है; मूल निवास प्रमाण-पत्र लेने में भ्रष्टाचार होता है; जाति प्रमाण पत्र लेने में भ्रष्टाचार होता है; नौकरी में दाखिला लेता है तो भ्रष्टाचार होता है। आखिरकार, जब तक मरता नहीं है, जब मर जाता है, तब मृत्यु प्रमाण पत्र लेने पर इसका खतम होता है।

(18.00 बजे)

श्री अध्यक्ष: एक मिनट और है अब आपकी।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे मत करिए। मुझे आप बोलने नहीं दें, यह बहुत ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: व्यवस्था है। मैंने आपको कहा दो मिनट, दो मिनट।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, दो मिनट दीजिए। जरा आंकड़े हैं, आंकड़े। जरा आंकड़ों पर आएं।

श्री अध्यक्ष: दो मिनट।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा गर्व है राजस्थान के एंटी करप्शन ब्यूरो पर। अभी दो दिन पहले मैं देख कर दंग रह गया, माननीय अध्यक्ष महोदय, हनुमानगढ़ जिले में एक ए.डी.एम., जो आर.ए.एस. की सबसे ऊंची पोस्ट होती है, ए.सी.बी. ने छापा मारा, 75 लाख की सौदेबाजी की तैयारी थी। धन्यवाद देता हूं ए.सी.बी. को। मैं ए.सी.बी. के आंकड़ों पर आना चाहता हूं, लेकिन बात यह है कि डर नहीं है, भय नहीं है; बिलकुल भी भय नहीं है कर्मचारियों में।

मैं ए.सी.बी. की बात करना चाहता हूं। ए.सी.बी. में 2012 में 307 ट्रैप, 2013 में 362, 2014 में थोड़े से घट गये, लेकिन मुख्य बात मैं यह बताना चाहता हूं कि जो चालान प्रतिशत है, जिनका निस्तारण हुआ, डिस्पोजल हुआ, वह इतना कम है। टोटल विचाराधीन मामले थे 2012 में 1,696, जिनका निस्तारण हुआ 19.5 परसेंट; 2013 में निस्तारण हुआ 20 परसेंट; 2014 में निस्तारण हुआ 25 परसेंट। यही स्थिति अगर हम देखें अभियोजन की, बड़ी मुश्किल से ट्रैप होते हैं, बड़ी मुश्किल से अधिकारी इस काम को करते हैं और सरकार के पास 41 परसेंट पेंडेंसी है। अभियोजन नहीं करती सरकार और विभाग के अध्यक्ष जो हैं, हर साल का आंकड़ा बढ़ता ही बढ़ता जा रहा है। अभी भी 282 स्वीकृतियां बाकी हैं सरकार के स्तर पर।

(श्री नवीन पिलानिया)

जब तक इस विभाग को हम मजबूत नहीं करेंगे, माननीय गृह मंत्री महोदय, क्योंकि यही एक महकमा है जो इस भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा सकता है।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए। स्थान ग्रहण कीजिए अब कृपया। (व्यवधान)

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): मुझे समाप्त करने दीजिए। मुझे एक मिनट समाप्त करने के लिए दीजिए। महोदय, एक मिनट समाप्त करने के लिए।

श्री अध्यक्ष: आपने तो एक-एक मिनट करके तीन मिनट ले लिये हैं।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): ऐसे जुल्म मत करिए। आप बड़े हर-दिल अजीज हैं।

श्री अध्यक्ष: अच्छा, नहीं, एक मिनट में आप समाप्त करिए।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): मैं सिर्फ समाप्त कर रहा हूं, एक सेकण्ड।

मैं तुलनात्मक स्थिति, जो न्यायालय में है ए.सी.बी. की, सज़ा के प्रकरणों में 3 साल में 164 को सज़ा हुई, 164 केवल और जो बरी हो गये, वह तीन साल में, वे हैं 150 । साहब, कमाल हो गया। और जो ड्राप हो गये, वह 37 थे। मतलब, कितने कम लोगों को सज़ा हो पाती है। इस पर थोड़ा-सा गौर करिएगा।

इस विभाग की हालत खराब है। जरा मैं बताऊं तो आप दंग रह जाएंगे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की जो वैकेंट पोस्ट्स हैं, वे 40 परसेंट है; उप अधीक्षक के जो हैं, वह 60 परसेंट आर वैकेंट, उप अधीक्षक; पुलिस निरीक्षक के जो पद हैं, वे 40.8 परसेंट खाली पड़े हुए हैं; और उप निरीक्षक जो पद हैं, 82 परसेंट खाली पड़े हुए हैं। क्या करेगी यह ए.सी.बी., साहब? कम से कम इस विभाग को तो सशक्त करिए।

प्रधान मंत्री खुद बोल चुके हैं, लद्दाख की ऊंचाई से उन्होंने कहा कि मैं यह बरदाशत नहीं करूंगा कि हिन्दुस्तान के अन्दर भ्रष्टाचार हो। तो मैं आज यहां पर निवेदन करता हूं इनकी सरकार से, माननीया मुख्य मंत्री महोदया ने भी करप्शन मिटाने के लिए एक हेल्पलाइन...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बस। नहीं, अब नहीं। अब एक मिनट नहीं।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक हेल्पलाइन नम्बर चालू किया।

श्री अध्यक्ष: आप कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। अब गृह मंत्रीजी का भाषण एवं उत्तर होगा। (व्यवधान)

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): हेल्पलाइन, सिर्फ हेल्पलाइन। मैं जानना चाहता हूं कि यहां पर कितने सदस्य हैं जिनको हैल्पलाइन नम्बर पता है?

श्री अध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय विधायक, मैंने आपसे...। माननीय विधायक, आप स्थान ग्रहण कीजिए, और लिखकर दे दीजिए आप।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): सिर्फ हेल्पलाइन। सिर्फ एक मिनट। एक ही, आधा, थर्ड। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: लिख कर दे दीजिए। एक-एक मिनट करके पांच मिनट बढ़ गए। नहीं, आप स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): 20 सैकण्ड, सर।

श्री अध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): 20 सैकण्ड, सर।

माननीय गृह मंत्री महोदय, माननीया मुख्य मंत्रीजी ने एंटी करप्शन हेल्पलाइन नम्बर जारी किया। यहां पर जितने मेरे साथी भाई बैठे हैं, किसी को उस हेल्पलाइन नम्बर के बारे में जानकारी है क्या? मैं नहीं जानता। अधिकारीगण भी बैठे हैं शायद उनको नम्बर पता हो। मैं नम्बर पढ़कर बताता हूं- 1800 180 6127. इसको प्रकाशित करिए; हर विभाग के सामने इसको टांगियें कि यह सरकार का एंटी करप्शन हेल्पलाइन नम्बर है। किसी को भी हो, उसको तुरन्त शिकायत करें। यह हर विभाग में टांगना चाहिए।

बहुत-बहुत मेहरबानी। बोलना तो बहुत कुछ था, इनके भले के बारे में, नहीं बोल पाया।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। आप लिखकर दे दीजिए सुझाव।

माननीय गृह मंत्रीजी, अब सारी बहस का उत्तर देंगे। माननीय गृह मंत्री गुलाब चन्दजी कटारिया।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अब एक मिनट आपसे निवेदन करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय गृह मंत्रीजी, एक मिनट।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय गृह मंत्रीजी, आप जब आसन पर नहीं थे, उस टाइम सभापतिजी थे, तो हमने यह मांग रखी थी कि हमारा जो यूथ कांग्रेस का धरना चल रहा था, उस शांति प्रिय प्रदर्शन पर पुलिस के द्वारा लाठी चार्ज किया गया। तो माननीय सभापतिजी ने यह कहा था कि माननीय गृह मंत्रीजी जब जवाब देंगे तो उससे पहले आपका जवाब देंगे। इसलिए हम हाथ जोड़कर यह निवेदन करना चाह रहे हैं, गृह मंत्रीजी, इस पर जो है न जवाब, तीन दफा हम बोल चुके हैं लेकिन आप उसके बाद में हाउस छोड़ कर चले गये थे, अब आप उस पर जवाब दो। हमारा यह निवेदन है और हमारी यह मांग है कि ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सारे गृह मंत्रालय से सम्बन्धित हैं, वह भी। सारे गृह मंत्रालय का जवाब आ रहा है। विराजो, माननीय नेता प्रतिपक्ष।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अलग से किसी ...(व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि आप एक कमेटी बनाकर इसकी जांच करवा लें। हमारे पास में विजुअल्डस पड़े हैं, हमारे पास में फोटोज पड़ी हैं, एक कमेटी बनाने की बात है। तो कमेटी, हाउस की ही कमेटी बना दें। एक निष्पक्ष कमेटी बनाकर, उसमें सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों को रख लें, हमारे जो विपक्ष के सदस्य हैं उनको रख लें और हमारे विजुअल्स जो हैं, उस कमेटी को दे देंगे। फोटोज दे देंगे। उसमें कमेटी बनाने में कहां दिक्कत आ रही है?

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): आप निष्पक्ष जांच कराएं और जांच के बाद में दूध का दूध और पानी का पानी आप करवाएं। यह हमें आशा ही नहीं, हमें पूरा विश्वास है कि आप करोगे, लेकिन जो हमारा गतिरोध रहा, वह गतिरोध इसी बात पर रहा। इस बात पर मुझे जो है, मुझे दु:ख होता है, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कहते हुए कि सदन के अन्दर यह कहा गया माननीय गृह मंत्रीजी द्वारा, संसदीय कार्य मंत्रीजी के द्वारा और आपके प्रदेश

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

अध्यक्ष, बी.जे.पी. के और इस हाउस के जो माननीय सदस्य हैं, उनके द्वारा कि वहां पर लाठी चार्ज नहीं हुआ।

इसलिए हम निवेदन कर रहे हैं कि आप कमेटी बनाकर, हम हमारे विजुअल्स आपको पेश करेंगे, कमेटी को, फोटोज हम देंगे और कमेटी उसके बाद में निर्णय कर दे। इसका जवाब दिलवाओ, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। माननीय गृह मंत्रीजी।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ...(व्यवधान)...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: नहीं, अभी आप बैठिए। नहीं, बैठिए। नो, नो। एक मिनट।

(माननीय अध्यक्ष द्वारा अंकित नहीं करने के निर्देश)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। आप जितनी देर बोले हैं ...(व्यवधान) माननीय सदस्य, आप निर्दलीय सदस्य हैं, जितनी आपकी पात्रता होगी उतना आपको समय मिलेगा, लेकिन हर बार आप बोलें, यह जरूरी नहीं है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए। आप बैठिए। (व्यवधान) बैठिए आप। पहले आप बैठिए। सवाल-जवाब नहीं कर सकते। सवाल-जवाब नहीं कर सकते आसन से। बैठिए नहीं तो आपका नाम लेना पड़ेगा। अंकित नहीं हो।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो। माननीय गृह मंत्रीजी।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता ने जो बात कही, मैं प्रारम्भ से कह रहा हूं कि मैं सच को छुपाने के

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

लिए यहां पर नहीं बैठा। मैं हमेशा इस पक्ष का हूं। मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जो फुटेज मेरे पास हैं, जो इनके पास हैं, आप स्वयं देख लें और देखने के बाद आप जो निर्णय करेंगे, उसको स्वीकार करने को तैयार हूं। लेकिन, मैंने जो कुछ देखा, मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहता हूं, पर इस विषय को बार-बार जिंदा रखने का नहीं है। मैंने पहले दिन से कहा है कि मैं किसी भी फुटेज को देखकर 'ना' कहने वाले व्यक्तियों में से नहीं हूं। मैं हमेशा ... (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): कमेटी बनाओ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): कमेटी क्या करेगी? माननीय अध्यक्ष महोदय को बता दो आप और मैं आ जाऊंगा, देख लेंगे और देखने के बाद, आपको लगता है कि यहां पर गलती है तो समझ लेंगे। उसमें क्या, कमेटी क्या करेगी? यह कोई दबाव के आधार पर आप और किसी को मनाओ। यह कोई बात हुई क्या। क्या करेगी कमेटी?

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी पर कोई दबाव नहीं है। हम कोई यहां पर दबाव नहीं डाल रहे हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): ऐसे लोग कमेटियां बनाएंगे क्या हर प्रदर्शन पर?

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): गृह मंत्रीजी, हम तो न्याय चाह रहे हैं, हम कोई दबाव नहीं बना रहे हैं। हमारे जो निहत्थों पर, यूथ कांग्रेस पर जो है, जहां पुलिस के द्वारा लाठी चार्ज किया गया, हम कोई यहां पर दबाव बना रहे हैं? हम यह निवेदन कर रहे हैं आपसे, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत से कि आप एक कमेटी बनाकर और सत्ता पक्ष के सदस्य ले लो, आप विपक्ष के सदस्य ले लो, वह बैठकर, हम उनको विजुअल्स दे देंगे। हम आपके रूम के अन्दर विजुअल्स लेकर आये थे और वह आपने देखे थे और देखने के बाद में आपने कोई निर्णय नहीं किया। यह कोई बात नहीं हुई।

आप इस सदन के अन्दर, यह पवित्र सदन है। इस पवित्र के अन्दर असत्य भाषा का प्रयोग कर और आप असत्य बोलकर हमें उस बात में दबाना चाह रहे हों। आप यह कह रहे हों कि हमें दबा रहे हों। हम कोई नहीं दबा रहे हैं। हम तो यह निवेदन करना चाह रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, आपकी तरफ से,

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

आपके माध्यम से, आप एक कमेटी बनाकर, उसमें हम हमारे विजुअल्स देंगे, हम हमारे फोटोज देंगे और फोटोज देखकर वह कमेटी तय करे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इस सदन के अन्दर जिस आसन पर आप विराजे हैं, यह सर्वोच्च आसन है। यह आसन निष्पक्ष भी है। इस आसन के लिए हम सब समान भी हैं।

अध्यक्ष महोदय, जब गृह मंत्री महोदय ने यह कह दिया कि आपके चैम्बर में जाकर आपको, जो फोटोज इनके पास हैं, वह आप देखकर और आप जिस आसन पर विराजे हैं, आप ही निर्णय कर दें तो बात खतम हुई। आपसे बड़ी क्या कोई विधायकों की कमेटी होगी? हम यहां से यहां तक बैठे हैं, अध्यक्ष महोदय, हमारी सबकी अगर आशा के प्रतीक और सम्मान के प्रतीक हो, तो आप हो। जब आपका नाम इंगित करके गृह मंत्रीजी यह कह दें कि आप जो फैसला करेंगे फोटोज को देखने के बाद, अगर इनके पास हैं तो, अध्यक्ष महोदय, बात मंजूर है। इस एक चीज को बार-बार कहने की आवश्यकता क्या है?

प्रतिपक्ष के नेता, मैं आपसे निवेदन करूंगा, आपको भी आसन की निष्पक्षता पर संदेह नहीं करना चाहिये। आप इस बात को यहीं छोड़ें। माननीय गृह मंत्रीजी अपनी बात कह दें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपकी वजह से कर रहे हैं हम तो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मेरी वजह से। मेरे जैसे सज्जन और सीधे आदमी पर शंका! अध्यक्ष महोदय, मेरे जैसे आदमी पर।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अन्दर हमने निवेदन किया था और हमने माननीय अध्यक्षजी को यह निवेदन किया कि आप फुटेज और फोटोज मंगवाकर देख लो, तो अध्यक्ष महोदय द्वारा यह कहा गया कि मैं इस पचड़े में नहीं पड़ता। आप बैठे हैं आसन पर। तब हमने पहले यह बात रखी थी। हमने यह निवेदन किया था पहले। पहले हमने निवेदन किया कि अध्यक्ष महोदय, हम आपको फुटेज और फोटोज दे देंगे और आप निर्णय कर देना।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, प्रार्थना इतनी-सी है कि जब प्रतिपक्ष के नेता आपसे आग्रह कर रहे हैं तो हम

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

भी आपसे आग्रह कर रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, आपका समय तो जरूर थोड़ा जाया होगा पर आप इसकी अनुमति प्रदान कर दें कि आसन सारी चीजों को देख ले, ताकि सौहार्दपूर्ण तरीके से माननीय गृह मंत्रीजी का जवाब हो जाए। हमें कोई चीज छुपानी थोड़े ही है और गृह मंत्री महोदय जैसा स्ट्रेट-फार्वड आदमी, ऐसा स्टेट्समैन कोई छुपा सकता है क्या?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): जब यही है,, लाठी चार्ज हुआ ही नहीं बता रहे हैं, सदन में बता रहे हैं, रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन को बना दीजिये, उनसे जांच करा लीजिये। (व्यवधान) आप माननीय सदस्यों की कमेटी बना लीजिये। दिक्कत कहां आ रही है?

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): यह हठधर्मिता की बात क्या है? (व्यवधान) कटारियाजी तो हमेशा उदारता की बातें करते थे। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): एक माननीय सदस्य के साथ लाठी चार्ज हो गया और गृह मंत्रीजी ने यहां बयान दे दिया, उसके बावजूद कमेटी बनाने में कहां दिक्कत आ रही है? हम संख्या में कम हैं, इसका मतलब यह नहीं कि डांट खायेंगे। लट्ठ खाने के लिए नहीं हैं। हम यहां पर जनता की आवाज उठाने के लिए आये हैं। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): कटारियाजी, इतनी उदारता की बातें करते थे, आज ...(व्यवधान) केवल एक कमेटी बनाने में ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हम जायज बात के लिए अंतिम समय तक लड़ेंगे। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): कटारियाजी, इतनी उदारता की बातें करते थे ...(व्यवधान) एक कमेटी बनाने में उदारता नहीं दिखा रहे। क्या फर्क पड़ता है? अगर यह सदस्य करेंगे और वह सदस्य करेंगे तो फर्क क्या पड़ता है? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: इतनी आवाजें एक साथ आ रही हैं।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): एक कमेटी बन जाये पक्ष और विपक्ष की, वह सी.डी. देख लेगी।

श्री अध्यक्ष: माननीय गृह मंत्रीजी।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज महत्वपूर्ण मांग 16 और 17, पुलिस और कारागार में उन सभी माननीय सदस्यों ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): पहले हमारी कमेटी का जवाब आयेगा, उसके बाद में हम माननीय गृह मंत्रीजी को सुनेंगे; शांति से सुनेंगे। लेकिन पहले हमारी मांग, एक कमेटी बनाकर जांच कराई जाये। जो लाठी चार्ज हुआ है, तो दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जाये। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): सभी खड़े हो जाना। (व्यवधान) खड़े हो जाओ। (व्यवधान) आप सब जने खड़े हो जाओ। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सदस्यों के साथ लाठी चार्ज हो रहा है और कमेटी नहीं बना रहे हैं। दिक्कत कहां आ रही है आपको? आपने खुद ने घोषणा की थी, गृह मंत्रीजी। (व्यवधान) आपने खुद ने घोषणा की थी। आपने स्वयं ने यह घोषणा की थी कि मैं कमेटी बना लूंगा, माननीय सदस्यों की बना लूंगा। राजेन्द्रजी राठौड़ साहब के दबाव में आप मना कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): जो मैंने कहा है, उससे एक कदम आगे नहीं चलूंगा, चाहे आप सब खड़े हो जाओ, चाहे कुछ भी कर लो। चलो बोलो, आ जाओ। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): बाहर चले जाओ। (व्यवधान) बहिष्कार कर लो।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): खड़े हो जाओ। (व्यवधान) खड़े हो जाओ न।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): आप धमकाओ मत। हम कमेटी की मांग कर रहे हैं, आप कमेटी का निर्णय करें। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): No, No, No, No Committee at all. बोलो क्या चाहते हो? आप खड़े हो जाओ। (व्यवधान) हो जाओ। हो जाओ तैयार। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): कमेटी बनेगी, निर्णय होगा। कमेटी बनाने के नाम पर ये धमका रहे हैं। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): सब खड़े हो जाओ न। मुझे क्या दिक्कत है?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी की भाषा धमकाने वाली है। एक तरफा ...(व्यवधान) हम केवल इतना ही कह रहे हैं कि जांच कमेटी बन जाये। जांच कमेटी में हमारी तरफ से आ जाएं, आपकी तरफ से आ जाएं; जो निर्णय होगा, हो जाएगा। (व्यवधान) तो कोई बात नहीं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): ×××

श्री रमेश (सपोटरा): ×××

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मैं एक बात पर अफसोस जाहिर करता हूं कि प्रतिपक्ष और पक्ष, यह पहली बार राजस्थान में नहीं है, हमारे यहां लोकतांत्रिक इतिहास बहुत पुराना है; लोक सभा का भी है, विधान सभा का भी है, और यह आज तक नहीं देखा कि प्रतिपक्ष जो कहे, वही जवाब आये। प्रतिपक्ष जो कहे, वही माना जाये, यह आज तक मैंने कहीं नहीं देखा। इन्होंने अपनी बात रखी है, गृह मंत्रीजी अपनी बात रखेंगे। ये चाहें कि आज का आज कुछ न कुछ हो, वह नहीं हो सकता। मैंने देखा ही नहीं आज तक। लोक सभा में भी नहीं देखा। वहां होता है प्रतिपक्ष बड़ी-बड़ी मांगें रखता है, बहुत जोरदार तरीके से रखता है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में रखना भी चाहिये। लेकिन, नहीं, यह जवाब दोगे, तब ही हम सुनेंगे; यह आज तक मैंने नहीं देखा।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गृह मंत्रीजी को भाषण करने दीजिये और उसको आप सुनिये। (व्यवधान) आप बैठिये। नहीं, नो, नो, अब आप बैठिये। नहीं, अब आप बैठिये। अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो। यह ज्यादती है।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री अध्यक्ष: यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: मुझे मालूम है, आप बाहर जाना चाह रहे हों। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ×××

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ×××

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आपको आसन पर विश्वास नहीं है। (व्यवधान) यह सर्वोच्च आसन, यह निष्पक्ष आसन... (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री अध्यक्ष: बैठिये आप। (व्यवधान) मैंने आज तक ऐसा दुराग्रह नहीं देखा कहीं। यह हठधर्मिता है। आप अपनी बात कह चुके। नहीं, आप बैठिये। (व्यवधान) आप अपनी बात कह चुके। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि वे कमेटी नहीं बनायेंगे। अब आप क्या चाहते हैं? (व्यवधान) उन्होंने कह दिया कि कमेटी नहीं बनायेंगे।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री अध्यक्ष: सुना दिया आपने। जितनी सुनानी थी, सुना दी। आपके एतराज से सरकार एक्शन ले, यह नहीं हो सकता। सरकार अपने हिसाब से एक्शन लेगी। (व्यवधान) इसलिए आप पधारना चाहो तो पधारो। मुझे मालूम है, आप वाक-आउट करोगे। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री अध्यक्ष: नहीं, मैं नहीं दे रहा हूं। मैं सरकार के जवाब को औचित्य और लोकतांत्रिक परम्पराओं का उदाहरण दे रहा हूं। यह आपको भी पालना करनी चाहिये। यह आपने कहां देखा? आप पार्लियामेंट में थे। यदि यह जवाब

(श्री अध्यक्ष)

दोगे...(व्यवधान) जब उन्होंने कह दिया कि मैं नहीं दूंगा, Chapter ends. उनका भाषण सुनिये चुपचाप।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): ×××

श्री भंवरलाल (सरदारशहर): ×××

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री अध्यक्ष: मैं नहीं दूंगा। भाषण सुनिये। (व्यवधान) श्वास नहीं फूलता, जोर से बोलता हूं। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): सारा राजस्थान आज इस सदन की ओर देख रहा है और मैं आज सदन के सभी माननीय सदस्यों का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री घनश्याम (टोडाभीम): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: कोई अंकित नहीं हो। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ×××

श्री रमेश (सपोटरा): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

श्री रमेश (सपोटरा): ×××

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): ×××

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): ×××

श्री अध्यक्ष: देखिये, मैं एक बार फिर निवेदन कर रहा हूं, सरकार अपना पक्ष रख चुकी है और साफ तौर से रख चुकी। इसको आपको स्वीकार करना होगा, चाहे आप सहमत हों, या असहमत हों।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: बार-बार नहीं। (व्यवधान) मैं बार-बार एक बात कह रहा हूं कि सरकार अपना पक्ष रख चुकी और किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह नहीं होता है कि प्रतिपक्ष दबा कर के कोई जवाब ले। उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि वे नहीं बनायेंगे। इसके बाद कोई विषय नहीं रहता है बोलने को। कुछ भी बोलने को नहीं रहता है। सरकार ने जब अपना पक्ष रख दिया, उस पक्ष के बाद, बार-बार, सात दिन से, यह बात पहले भी चली, अभी भी चल रही है। सरकार ने साफ पक्ष रखा है, गृह मंत्री ने कहा, वे कमेटी नहीं बनायेंगे. Matter ends, so far as Assembly is concerned. इसलिए आप उनका भाषण सुनिये।

माननीय गृह मंत्रीजी।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री अध्यक्ष: मैंने कहा, मैंने अपना पक्ष रख दिया। नहीं, नहीं, यह बार-बार नहीं। विराजिये, प्रतिपक्ष के नेता, मेरा विनम्र निवेदन है। जब उन्होंने मना कर दिया, मैं नहीं होता हूं अथोरिटी।सरकार उनको चलानी है, एक्शन उनको लेना है और उन्होंने जब स्पष्ट कर दिया कि वे नहीं बनायेंगे, मैं उस पर नहीं कह सकता। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक नियम है कि जब सरकार का अपना पक्ष है, रख दिया; आपने अपना पक्ष है रख दिया; इसके बाद सदन चलने दीजिए।कोई दिक्कत नहीं है। अगर सुनना चाहें तो मैं उनसे कहता हूं, नहीं तो मैं भी बैठा हूं, आप भी बैठे रहिये।

माननीय गृह मंत्रीजी।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या16 और 17 ...(व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): ×××

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): जो आप कहोगे वो मैं अपने मुंह से नहीं बोलूंगा। नहीं बोलूंगा। नहीं बोलूंगा। बोलो, क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? ऐसे दबाव में मैं कुछ काम नहीं करता हूं। यह कोई तरीका नहीं है।

श्री अध्यक्ष: आपकी मांग को वे अनुचित मान रहे हैं।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री अध्यक्ष: वाकआउट करना चाह रहे हैं?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): मेरे से दबाव में कोई कुछ काम नहीं करा सकता।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री अध्यक्ष: केवल गृह मंत्रीजी का भाषण नोट होगा। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): आपका उपदेश सुनते हुए बहुत साल हो गये मेरे को।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री अध्यक्ष: नहीं, आप निवेदन मत कीजिए। नोट नहीं हो इनका निवेदन। यह क्या है बार-बार? हर बार एक बात रिपीट कर दी। एक फैसला हो गया, डेमोक्रेटिक तरीके से हो गया। सत्ता पक्ष आपकी मांग को अनुचित मान रहा है, स्वीकार नहीं कर सकता और आप कह रहे हो (व्यवधान) नहीं, कोई फैसला नहीं होगा। आपको उनका भाषण सुनना पड़ेगा।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री अध्यक्ष: वे मान रहे हैं। वे मान रहे हैं। तो फैसला क्या है? मैं क्यों दूं? मैं निर्देश नहीं दूंगा। सरकारी पक्ष को मैं दबा नहीं सकता। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री अध्यक्ष: मैं आपको भी नहीं दबा सकता, उनको भी नहीं दबा सकता। गृह मंत्रीजी, अपना भाषण जारी रखिये। केवल गृह मंत्रीजी का भाषण नोट होगा, अन्य किसी का नहीं होगा।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: गृह मंत्रीजी, आप अपना भाषण जारी रखिये। एक शब्द का जवाब देने की जरूरत नहीं है। ऐसा है, एक शब्द का जवाब देने की जरूरत नहीं है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों को मांग संख्या 16 और 17 पर, जो आपके 49 सदस्यों ने कटौती प्रस्ताव गृह विभाग पर दिये और 28 सदस्यों ने कारागार पर दिये और 234 ...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष: माननीय गृह मंत्रीजी, यह कानाफूसी तो चालू हो गयी थी कि अपने को इस बात को उभार कर और फिर वाकआउट करना है। तो यह भी, वाकआउट भी, इनका एक षड्यंत्र था, जो मैं यहां से देख रहा हूं। अब आप अपना भाषण दीजिए। ...(व्यवधान) आप बाहर जाइये। आप बाहर जाइये। एक शब्द नहीं सुनूंगा। बैठ जाइये। बैठ जाइये। (व्यवधान) इनका एक शब्द नहीं आना चाहिए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: आप बाहर जाइये। आपके बहुत मुकदमे चल रहे हैं, आप धमकियां दे चुके हो। मेरे स्टाफ को भी धमकियां दे चुके हो। बाहर जाओ।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

(माननीय सदस्य श्री हनुमान बेनीवाल, द्वारा बहिर्गमन)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आज सम्पूर्ण राजस्थान की जनता इस बात का एहसास कर रही है कि वास्तव में प्रतिपक्ष का क्या धर्म होता है। राजस्थान की जनता इस बात का इन्तजार करती है, लेकिन यह दुर्भाग्य है कि छोटी-मोटी बात, जिस पर मैंने सब प्रकार के अधिकार पहले दिन से दे दिये थे कि आप फुटेज देख लो, देखने के बाद आप जैसा निर्णय करोगे, और मैंने तो यहां तक कहा कि आसन, और प्रतिपक्ष और मैं, दोनों भी साथ बैठ जाते हैं और देखकर के आपको कहीं लगता है कि यहां गलती है तो मानने को तैयार हैं। कोई जिद थोड़ी है। लेकिन इस बात पर कि वे मेरे गले में ही उतारें और मैं वे चाहें वह ही बोलूं, वे और कहीं कल्पना कर सकते हैं, गुलाबचन्द कटारिया से यह उम्मीद कोई नहीं कर सकता है कि वे जो चाहें वह ही बोले। ऐसा सम्भव नहीं है।

श्री अध्यक्ष: लोकतांत्रिक व्यवस्था भी यही है। जो आप कह रहे हों, वह ही है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): हां। इसलिए मैं सदन के माध्यम से राजस्थान की जनता को यह आश्वस्त करता हूं कि कानून-व्यवस्था की दृष्टि से ...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, लोकतांत्रिक व्यवस्था के तो प्रतीक ही हैं हमारे गृह मंत्रीजी।

श्री अध्यक्ष: आपने मेरी अनुमति नहीं ली है। विराज जाइये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आपकी अनुमति ली है मैंने।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं ली है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ली है। हां, ली है।

श्री अध्यक्ष: बैठिये। बैठिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): कोई भी प्रदेश अगर तरक्की के रास्ते पर जायेगा तो उसमें कानून-व्यवस्था अच्छी हो, यह उसके मापदण्ड की पहली सीढ़ी है।

मैं माननीय सदस्यों को जिन्होंने भी अपने कटमोशंस के माध्यम से मेरा ध्यान आकर्षित किया और आज 13 सदस्यों ने बोल कर भी इस विषय को मेरी जानकारी में लाये, मैं उनके प्रति बहुत आभार और धन्यवाद देता हूं और मैं यह विश्वास करता हूं कि आपके इन अच्छे सुझावों से मैं अपने इस विभाग में और कुछ परिवर्तन कर राजस्थान की जनता की आशा के अनुसार खरा उतरने का प्रयास करूं, ताकि मैं सर्व-साधारण व्यक्ति को न्याय उपलब्ध करा सकूं।

इसके लिए मैं अपने आपको बहुत ही भाग्यशाली समझता हूं कि आपके सुझावों का लाभ लेकर, जहां-जहां भी डिपार्टमेंट में कहीं कमियां-खामियां हैं, कई माननीय सदस्यों ने अपने क्षेत्र की जो कुछ भी पीड़ाएं बतायी हैं, या मेरे विभाग की जो कमियां उन्होंने गिनाई हैं, मैं उन सब को आश्वस्त करता हूं कि आपका एक-एक शब्द, जो आपने कटमोशंस के माध्यम से दिया, या जो आपने आज हाउस में अपने विचार रखें, मैं उन एक-एक शब्द को स्वयं देखकर के जहां-जहां मुझे लगेगा इस विभाग में ये-ये कमियां निकाली जा सकती हैं, मैं निश्चित रूप से उनको दूर करने का प्रयत्न करूंगा क्योंकि मैं भी जनता का

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

एक सेवक हूं और मेरा धर्म है, इस राजस्थान की कानून-व्यवस्था अच्छी बने, सर्व-साधारण को न्याय मिले, हर व्यक्ति को उसका न्याय मिले।

दुर्भाग्य हमारा यह है कि न्याय को सबसे ज्यादा अगर कोई गड़बड़ करने का प्रयास करता है तो सक्षम व्यक्ति करता है। मैं उससे जितना अपने आपको दूर निकाल सकूं, या बाहर निकाल कर के न्याय कर सकूं, वह करने का आपके माध्यम से राजस्थान की सात करोड़ जनता को आश्वासन देता हूं। करूंगा वही जो सच होगा और सच के अलावा, किसी बात के दबाव में मैं कोई काम करने को तैयार नहीं हूं। मैं इस बात का राजस्थान की सात करोड़ जनता को आश्वस्त करता हूं।

मुख्य मंत्रीजी को भी मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस विभाग को, जिस ढंग से मेरे पर विश्वास कर के इस राजस्थान की कानून-व्यवस्था को मेरे हाथ में दिया है, कुछ भी सम्भव हो सकता है, मैंने मेरे सारे साथियों के साथ इसको जितना ठीक किया जा सकता है, उसको करने का प्रयत्न किया।

ये सुन भी नहीं सकते। कारण क्या है, कि इनके पाप इतने हैं जिनका मैं आज पूरा चिट्ठा लेकर के आया हूं। (व्यवधान) मैं इस कारण से आपको बताता हूं, वास्तव में ये केवल बातें करते हैं और भाषण देते हैं। हकीकत से कितनी दूर हैं, यह मैं आपको बताता हूं।

पिछले पांच सालों में जब हम 2004 से लेकर के 2008-09 तक थे, तब हमको 5,408 करोड़ रुपया मिला था, हमने सारा पैसा खर्च कर दिया, 5,386 करोड़ खर्च कर दिया, मात्र 22 करोड़ रुपये का माइनस रहा, जो हमको बजट मिला, उसको हमने खर्च किया।

ये तो आंकड़े देखना नहीं चाहते हैं, ये तो गप्प-गजट मार कर, कहीं से भी कुछ कहना है। मैं यह कहता हूं, तर्क के साथ आओ, कि वास्तव में हमने 14 महीने में कानून-व्यवस्था ठीक की कि नहीं की। आप तर्क के आधार पर, अपने आंकड़ों के आधार पर आओ, मैं उसको सिद्ध करके बताऊंगा। वास्तव में आपका जो कार्यकाल रहा और यह जो 14 महीनों में कार्यकाल रहा, वे सारे आंकड़े आपके सामने हैं। इनको जो बजट था, वह 12,474 करोड़ का मिला था 5 साल में, जब इनकी सरकार पिछली बार थी, जब हमने सुपुर्द की, उसमें से ये खर्च कर पाए केवल 12,079 करोड़; माइनस 385 करोड़ रहा। 385 करोड़ रुपया

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

इनका बच गया, ये खर्च नहीं कर पाए, पैसा होने के बाद भी। पहले तो यह डिपार्टमेंट तकलीफों में रहता है और उसके बाद भी ये खर्च नहीं हो। अभी मुझे 2014-15 में मिला था 3,985 करोड़ रुपया, मैंने उसमें से 3,635 करोड़ रुपया इस 12 तारीख तक खर्च कर लिया और 31 मार्च तक, मेरा विश्वास है, 95, 98 परसेंट तक खर्चा बुक हो जाएगा। कोई नहीं बचेगा।

मैं मुख्य मंत्रीजी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि राजस्थान की भले ही आर्थिक स्थिति ऐसी रही हो कि केन्द्र से हमको सहायता कम मिली हो, लेकिन आपने 4,131 करोड़ हर बार जो पुलिस को पैसा दिया है, उसके लिए मैं मेरी फोर्स की ओर से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

राजस्थान में कानून-व्यवस्था की स्थिति कैसी है, राजस्थान को हिन्दुस्तान के नक्शे में लगाकर के देखिये। यह सबसे बड़ा राज्य है हिन्दुस्तान का; लगभग 1 हजार से अधिक किलोमीटर हमारी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से मिलता है; हम जिन लोगों के बीच में हैं, एक तरफ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा हमारी सीमा पर लगे हैं, दिल्ली है। वहां जिस प्रकार के अपराध हैं, उसके बाद भी जो कुछ भी हम कर सकते थे, उसको करने का प्रयास किया है।

हमारे पास फोर्स कितनी है? हिन्दुस्तान का 100 वर्ग किलोमीटर के अन्दर 52 राष्ट्रीय एवरेज है। अगर सारे प्रदेशों का एवरेज पुलिस का जोड़ लें तो 100 किलोमीटर में 52 आते हैं। राजस्थान में केवल 23 पुलिस है। अगर हिन्दुस्तान के नक्शे पर इसको फिट करें तो हम इस दृष्टि से, अपनी पुलिस फोर्स के हिसाब से, जो 28 राज्य हैं, उनमें 27वें पायदान पर हैं। सबसे कम अगर कहीं हिन्दुस्तान में पुलिस है किसी राज्य में 100 वर्ग किलोमीटर पर, तो वह राजस्थान में है। उसके बाद भी जो कुछ स्थिति बनी, वह मैं आपको आगे बताऊंगा।

1 लाख की आबादी के आधार पर अगर देश के नक्शे में राजस्थान को फिट करें तो जहां देश का एवरेज 136 पुलिस स्ट्रेन्थ है, वहां राजस्थान में केवल 115 है। अगर इसको सीनियरिटी के हिसाब से बढ़ाऊं, तो मैं राजस्थान को 24वें स्थान पर पाता हूं।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

जनसंख्या के आधार पर हमारे पास पुलिस बल कम, क्षेत्रफल के आधार पर हमारे पास पुलिस बल कम, उसके बाद भी राजस्थान अग्रणी है।

अब यह जिस बात को कह रहे हैं, मैं उसी बात को इनको कहना चाहता हूं कि जब आपकी सरकार थी, 2012-13 के बीच में जो अपराध बढ़े वह 14.7 हैं और हम 2013-14 में इसको घटाकर 7.3 पर लाये हैं। अपराध जरूर हैं 2013 से, लेकिन जिस गति से अपराध आपके टाइम में बढ़ा, उस अपराध को हमने कम करने का प्रयास किया है।

यही नहीं, आपने देखा होगा कि यह जो 1.1.2015 तक की स्थिति है, जो स्वीकृत हमारी नफरी है, उसकी दृष्टि से ये जिस बात को कह रहे हैं कि इतनी रिक्त हैं, इतनी रिक्त हैं, आपने जितने रिक्त पद छोड़े उनको हमने भरने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी यह बात सत्य है कि आज की तारीख में भी मेरी टोटल फोर्स में 21 प्रतिशत पदों की कमी है; जो मेरे पास स्वीकृत स्ट्रेन्थ है, उसमें; लेकिन उसके बावजूद भी काम हुआ है।

हिन्दुस्तान में क्राइम की दृष्टि से, अब यह क्राइम रिपोर्ट तो देखना नहीं चाहते हैं, केवल यों ही कह देते हैं कि इतना यहां बढ़ गया, इतना यहां बढ़ गया। कहां उन आंकड़ों को ढूंढूं? कोई किताब का रेफरेंस दें तो मैं ढूंढकर बताऊं। मैंने हिन्दुस्तान की क्राइम रिपोर्ट 2013 के आधार पर निकाला तो देश में क्राइम की दृष्टि से नम्बर 1 पर महाराष्ट्र, 2 पर मध्य प्रदेश, 3 पर उत्तर प्रदेश, 4 पर आंध्र प्रदेश, 5 पर तमिलनाडु और 6 पर राजस्थान है। इसमें क्राइम की संख्या है 1,96,224 ।

यही नहीं, आपने देखा होगा कि जिस बात को लेकर के यह बहुत कह रहे हैं कि महिला अत्याचार, महिला अत्याचार; इनके समय में महिला अत्याचार में हिन्दुस्तान में नम्बर 2 पर राजस्थान था, आज की तारीख में महिला अत्याचार की दृष्टि से राजस्थान चौथे स्थान पर गया है। अर्थात्, हमने क्राइम को कम किया है।

माननीय सभापति महोदय, यह जो मैंने आपको कहा है कि अपराध हमारे यहां हैं, उसके कई रीजंस बताये और जो अपराध घटा है वह भी मैंने आपके सामने रखा है। आपराधिक स्थिति में जो सुधार हुआ, मैं आपको बताऊं, 2004 से लेकर 2008 तक जो हमारी सरकार रही और इनकी जो 2009 से लेकर 2013 तक रही; अब ये सुनना नहीं चाहते हैं इसलिए चले गये हैं; यह

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

जो अपहरण की घटनाएं हैं, हमारे टाइम पर 10,882 थीं पूरे के पूरे 5 साल में, इनके टाइम में यह 27,288 हुईं; यानी, 58 परसेंट की बढ़ोत्तरी थी इनके टाइम पर। हमारे 5 साल के कार्यकाल में जितने महिलाओं के अपहरण के केस दर्ज हुए थे, उसकी तुलना में 58 परसेंट ज्यादा क्राइम, इनका जो 5 साल का कार्यकाल था, उसमें था।

बलात्कार में, जो यह गिन रहे हैं कि हर मिनट में होता है, अब ये आंकड़े हैं, अगर इसको घंटे में, मिनट में निकालोगे तो निश्चित रूप से निकल जाएगा। ऐसा तो कोई स्वर्णिम युग नहीं आया, जब यह कहो कि कुछ हुआ ही नहीं हो। मैं सोचता हूं कि ऐसा अभिमान ना मैं कर सकता हूं और ना मुझे करना चाहिए। लेकिन बलात्कार की घटनाएं, जो पिछला 5 साल वसुंधराजी का मुख्य मंत्री काल था, उसमें 5,709 थीं और जो इनके 5 साल के कार्यकाल में थीं, वे 10,224 बलात्कार हैं। इसमें 41 परसेंट की बढ़ोत्तरी थी, हमारे से इनके अन्दर।

चोरी की दृष्टि से, हमारे 94,385 केस दर्ज हुए और इनके टाइम पर 1,17,809 केस दर्ज हुए। इसमें 25 परसेंट की बढ़ोत्तरी हुई थी।

इनको तो सुनना ही नहीं था। इन्होंने सोचा कि गुलाबजी बात करेंगे तो हवा में ही बात नहीं करेंगे। किसी धरातली आधार पर बात करता हूं और मैं इसीलिए इनको बार-बार निमंत्रण देता हूं कि मेरा भाषण पढ़ लेने के बाद अगर आपको मिल जाए कि मैंने इसमें से एक भी आंकड़ा कहीं से गलत दिया है तो मैं उसके लिए जिम्मेदार हूं, इस सदन के प्रति भी और राजस्थान की जनता के प्रति भी। आपने देखा होगा कि यह जो अपराध संहिता के अपराध हुए हैं, वे मैंने सारे गिनकर बताये हैं।

इसके बाद भी, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि कह सकता हूं मैं राजस्थान पुलिस की, आपने देखा होगा, चालानी परसेंट में तो हमारे और इनमें ज्यादा अंतर नहीं आया, हम केवल 1-सवा परसेंट बढ़ा सके, लेकिन जो बरामदगी परसेंटेज है, 2013 में इनका बरामदगी परसेंटेज था डकैती का 48 परसेंट, हमारा रहा 79.59 परसेंट। लूट की दृष्टि से, इनके टाइम पर 53 परसेंट बरामदगी थी, आज की तारीख में बरामदगी है 71.54 प्रतिशत। यह सामान्य वृद्धि नहीं है। बरामदगी कोई ऐसा खेल, तमाशा नहीं है कि जाकर के खड़े हो गये और ले आये। मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर के बरामदगी होती है।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

नकबजनी की बरामदगी जो इनके टाइम में 30.78 थी, आज के टाइम में 35.54 है। चोरी की दृष्टि से, इनका 52 परसेंट था, वह आज हमारा 55 परसेंट है। सारी जितनी भी प्रकार की चोरी, लूट या नकबजनी की घटनाएं हुईं, इस बरामदगी का परसेंटेज जो इनके टाइम में 50 था, वह आज की तारीख में सभी प्रकार के अपराधों को मिलाकर के हमारा 54 परसेंट है। बरामदगी बिना प्रयास के और बिना पुलिस की मेहनत के नहीं हो सकती है।

अब इसमें माह फरवरी का देखें, 2013, 2014 और 2015, ये जो 2 महीने निकले हैं, यह तो वास्तव में राजस्थान पुलिस ने जिस प्रकार की अपनी एफिशिएंसी दिखाई और जिस तरह से अपराध घटा है, वह वास्तव में मैं कह सकता हूं कि 2 महीने में 2013 में जो अपराध हुए थे वे 30,305 थे; फिर उसके बाद 2014 में हम आये ही थे, उस समय का अपराध का आंकड़ा 33,637 और अभी यह जो फरवरी है, हमारा पिछला वह जनवरी और फरवरी, जब सरकार बदलते ही आया; और आज जो जनवरी और फरवरी है, इसमें केवल 28,919 रह गया। इसका मतलब 2013 से हमने 4.17 कमी की है और 2014 से 14 प्रतिशत इन केवल 2 महीनों में अपराध घटे हैं, पिछले 2 महीनों की तुलना में जो इनके शासन के समय था।

माननीय अध्यक्ष महोदय, महिला अत्याचार की दृष्टि से भी इनके 2012, 2013 और 2014, वह आप देखें, 2012-13 में महिला अपराध इनका बढ़ा था 32.65 परसेंट और हमारे इस 2013 से 2014 में बढ़ा है 10.03 । कहां 32 परसेंट अपराध बढ़ा एक साल से दूसरे साल में इनके राज में और हम इस अपराध को कम करके 10.03 पर लाये हैं। यह फरवरी का अगर हिसाब लगाएं 2013, 2014 का और 2015 का, तो आपको सुनकर बहुत सुखद अनुभव होगा कि 2013 से 2015 में यह 2 महीने का, वह 7.84 प्रतिशत कम हुआ है और 2014 से 2015 में 22.49 प्रतिशत महिला अपराध घटा है। उस फरवरी, 2014 में जो हमें दिया था और आते ही हमारे जो 2 महीने थे, आज के 2 महीनों में इतना बड़ा अंतर है।

वास्तव में किसी बात को समझे बिना, कमियां हैं, इसमे कोई दो राय नहीं है; मैं इन बातों को कहकर यह नहीं कहना चाहता हूं कि सब काम बहुत अच्छा है। कमी है, उस कमी को सुधारना मेरा फर्ज है और मेरी फोर्स का भी फर्ज है, मैं उसके लिए तैयार हूं, लेकिन इस तरह से हमने कोशिश की, महिला सुरक्षा को कैसे मजबूत किया जाए।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

आपने देखा होगा कि हमने महिला सुरक्षा देने के लिए जयपुर में, जोधपुर में और कोटा में एक ऐसी हेल्पलाइन तैयार की है पुलिस के पास कि कोई भी महिला कहीं से भी उस हेल्पलाइन को दबाएगी तो उसकी लोकेशन, उसका स्थान और उसका समय आएगा। पांच मिनट में मेरी पुलिस उस स्थान तक पहुंच जाएगी। यह हमने तीनों में शुरू किया है। बाकी जो सभी बड़े शहर हैं, उनमें हम शुरू करने जा रहे हैं। उदयपुर में हमने प्रारम्भ कर दिया है। इससे महिला को यह लगे, हो सकता है कि वह कहीं उलझ गई हो तो केवल उस हेल्पलाइन का, उसका बटन भी दब गया, तो हमारी पुलिस उस लोकेशन को ढूंढ कर वहां पहुंच जाएगी। यह व्यवस्था हम राजस्थान के कम से कम जिला हेडक्वार्टर्स पर पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। यही नहीं, हमने राजकीय कालेजों और स्कूलों की जो बच्चियां हैं उनमें आत्मविश्वास कैसे पैदा हो इसके लिए हम फिजिकली, कराटे के माध्यम से, तैयार करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमने हमारी पुलिस की हर जिले में चार-चार हमारी कांस्टेबल या अधिकारी हैं, उनको ट्रेन किया है और लगभग 150 लोगों को ट्रेंड करके हम राजस्थान के विभिन्न जिलों में भेज रहे हैं। आपको यह सुनकर सुखद अनुभव होगा कि हमने राजस्थान के 259 कालेजों और स्कूलों में अब तक 39,847 बच्चियों को यह आत्म-रक्षा का, एक उनको तैयार हो सकते हैं, वह हमने तैयार किया है। कोशिश करेंगे कि इस कैडर की सारी बच्चियों को यह हमारी ट्रेनिंग के द्वारा यह आत्मविश्वास आए कि वह समय पर किसी भी प्रकार से मुकाबला भी कर सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस अनुसूचित जनजाति के बारे में इनका आग्रह है, मैंने 12-13-14 के जो आंकड़े लिये हैं; हमने 2012-13 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, दोनों को मिला दिया; इनके टाइम पर 17.45 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी अपराध में, मेरे टाइम पर 13 से 14 में केवल 3.68 परसेंट बढ़ोतरी है। मतलब, ये सुनना ही नहीं चाहते हैं कि हमने कुछ प्रयत्न किया है, या काम किया है। यह भी आप फरवरी के अन्दर देखेंगे तो फरवरी के अन्दर 2013 से लेकर अब तक 23 परसेंट की इन दो महीनों में गिरावट आई है। इस प्रकार के जनजाति के, शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइबस के हैं, यह सारे फिगर इसलिए बता रहा हूं कि कोशिश की है, कि इसको हम किस तरह से कण्ट्रोल करें।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

निरोधात्मक कार्यवाही भी हम लोगों ने की है। निरोधात्मक कार्यवाही में भी 107, 151 के केस, जो 2013 में 1,77,741 लोगों को इन्होंने राउण्ड-अप किया था, हमने 2,01,715, यानी 13 परसेंट अधिक लोगों को 107 और 151 में पकड़ कर पाबन्द किया। 110 के अन्दर हमने 26 परसेंट की बढ़ोत्तरी की है उनको किसी प्रकार से पाबन्द किया जाए। 122, जिन्होंने 107 और 151 का उल्लंघन कर दिया, उनको भी हमने 115 प्रतिशत, उसमें बढ़ोत्तरी करके दुबारा इस दृष्टि से राउण्ड अप किया है।

मैं सोचता हूं, आपने देखा होगा कि 'पासा' एक्ट हमने बनाया था मुख्य मंत्रीजी की उस समय उपस्थिति में; जो हार्ड-कोर क्रिमिनल हैं, जो बार-बार रिपीट करते हैं, अपने कुछ न कुछ कामों से समाज को परेशान करते हैं, तो यह समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम जो अपन ने बनाया था, उस अधिनियम के तहत इन्होंने उसकी कार्यवाही को ठण्डे बस्ते में डाल दिया। हमने पहले भी किया था कि ऐसे लोगों को कोई पूछने की जरूरत नहीं है, एक साल तक बिना कोई कारण बताये उनको जेल में डाला जा सकता है। अगर इस कानून का ठीक प्रकार से उपयोग करें, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि किसी से बदला लेने के लिए चाहे जिसको कैद में डाल दिया जाए। वह लगातार कई अपराध कर रहा हो, कई साल से अपराध कर रहा हो, उसके लिए केवल यह कानून है। उस कानून के तहत इन्होंने 2011 में केवल 9 लोगों के खिलाफ कार्यवाही की और उसके बाद 2012 में केवल 18 और उसके बाद 2013 में जीरो, निल, कोई कार्यवाही इस कानून के तहत नहीं की। हमने केवल 2014 में 20 लोग, केवल अभी तो, केवल, चार और पांच जिलों में छांटे हैं। मैं प्रयत्न कर रहा हूं कि कोई भी जिला ऐसा बाकी नहीं हो जहां इस प्रकार का हार्ड क्रिमिनल रहता हो, उसके कारण से जनता परेशान होती है और बार-बार रिपीट करता है, उसको इस कानून के तहत जेल में एक साल तक डालने का अधिकार इस कानून ने मुझे दिया है, उसका मैं उपयोग करूंगा।

जिस बात के लिए बात कहते हैं, साम्प्रदायिक आंदोलन, साम्प्रदायिक तनाव, वस्तुस्थिति को देखें तो इनका चेहरा दिख जाए। आपके राज में 2012 में 6 साम्प्रदायिक घटनाएं हुईं, 15 साम्प्रदायिक तनाव हुए। उसके बाद 2013 में 3 साम्प्रदायिक घटनाएं हुईं और 12 तनाव हुए। हमारे टाइम पर पूरे वर्ष में केवल 2 साम्प्रदायिक घटनाएं हुईं और 8, केवल, तनाव हुए। इसमें भी कमी आई है, जो सामान्यत: किसी भी प्रदेश को एक तरह से देख सकते हैं।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

एक जो विषय, जिसके बारे में हम कहते-कहते बहुत थक गये, मैं सदन के माध्यम से आदरणीया मुख्य मंत्रीजी से भी निवेदन करना चाहता हूं कि जब कभी भी इन आंकड़ों को देखता हूं तो मन को बहुत पीड़ा होती है; पूरे राजस्थान का हत्या का जो आंकड़ा है वह 1,500 है, साल भर में जिनका मर्डर होता है वह केवल 1,500 है, लेकिन लगातार यह जो एक्सिडेंट के कारण से जिनकी मौत होती है वे कितने परिवार बरबाद होते हैं। उसकी कहानी जिसके साथ बीतती है वही जानता है। यह लगातार तीनों सालों में 2012 में भी 9,500 थीं, उसके बाद 2013 में भी 9,700 थीं और अभी 2014 में 10,279 घटनाएं हुई हैं, सारी, ये तो मृतक हैं; जो घटनाएं हुई हैं, वह तो लगभग समान है। इतने लोग, 10 हजार लोगों की राजस्थान में एक्सिडेंट से मौत होती है और लगभग 27,453 लोग घायल हुए हैं।

मैं सोचता हूं कि यह जो 40 हजार परिवार हमारी छोटी-सी भूल, या हमारी एफिशिएंसी में कमजोरी के कारण से होती हैं, मैंने इसके लिए पी डब्ल्यू डी और बाकी सारे विभाग के अधिकारियों को भी साथ बैठाया है। मैंने कहा है कि इसकी कुछ कमियां कैसे निकाली जा सकती हैं और कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। मुख्य मंत्रीजी से भी मैंने इसको फाइल पर निवेदन किया है कि कहीं न कहीं कानून में भी कुछ सख्ती करनी पड़ेगी कि बार-बार एक्सिडेंट करे और केवल जमानती होने के कारण से किसी को डर ही नहीं है कि उसके किसी व्हिकल से कोई मर भी गया तो मर गया। इसको अपन यहां तो कानून नहीं बना सकते पर कानून बनाकर केन्द्र सरकार को अगर अपन भेजें। एक बार घटना किसी से हो जाए तो समझ में आ सकता है, दूसरी बार घटना हो जाए तो फिर वह उसके लिए बेलेबल नहीं होकर, सीधा जेल की हवा खाए तब तो ड्राइवरी करते समय भी उसको ध्यान रहेगा, नहीं तो आये-दिन इसका एक तरह से उल्लंघन होता है।

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि अपने-अपने क्षेत्रों में सामान्य कमियों को निकालने का प्रयत्न करे तो हम थोड़ा-बहुत एक्सिडेंट को कम कर सकते हैं। अब यह जो बैलगाड़ी है, आपका ट्रैक्टर है, ऊंट गाड़ी है, इनके पीछे कोई रिफ्लेक्टर नहीं है। इसके कारण से खड़ी बैलगाड़ी में जाकर गाड़ी ठुक जाती है और एक साथ कई लोगों की मौत हो जाती है। क्योंकि रोडें इतनी अच्छी बन गई हैं, स्पीड इतनी अच्छी है कि एक साथ सारे के सारे लोग मर जाते हैं। लेन में चलने का भी अभ्यास नहीं है। थ्री-लेन और सिक्स-लेन

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

भी बन गईं लेकिन कौन किस लेन में कब जाता है और कब आता है, यह उसकी इच्छा पर है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि सारे के सारे कैमरे लगाकर उन सबको आइडेंटिफाई करके, एक तरह से दिल्ली से लेकर ठेठ अहमदाबाद की फोर-लेन पर और सिक्स-लेन पर कोई न कोई, चाहे इसमें कितना ही खर्चा क्यों न आएगा, लेकिन कम से कम टोल नाकों पर इन सबको, पहले जहां कहीं भी हुआ, उसके बाद टोल नाकों पर रोक कर, इनको कैसे ठीक किया जा सकता है, उसके लिए भी प्रयत्न किया जाएगा।

डिवाइडर पर भी छोटी-मोटी असावधानियों के कारण से हो जाता है। तो जो दुर्घटना वाले स्थान चिन्हित हैं, उन स्थानों पर कोई डिफेक्ट है निर्माण में, तो उस डिफेक्ट को निकालने में पी डब्ल्यू डी और हम बैठ कर, यातायात विभाग बैठकर, प्रयत्न करें, यह जो शराब पीकर चलते हैं, लगभग बीस, पच्चीस परसेंट तो केवल शराब के कारण से होते हैं और इसीलिए हम ब्रैथ एनेलाइजर सभी थानों में उपलब्ध कराने का प्रयत्न कर रहे हैं और दो महीनों में सभी में उपलब्ध करा दूंगा ताकि कोई भी गाड़ी चलाने वाला शराब पीकर गाड़ी चला रहा है तो उसका तुरन्त निस्तारण हो जाए।

नवाचार की दृष्टि से भी, केवल अच्छाइयां और आंकड़े गिनाने से काम नहीं चलेगा; सिस्टम में भी जहां कमियां हैं उनको सुधारने का प्रयत्न करेंगे। उस नवाचार की दृष्टि से, मैं जब पिछली बार भी गृह मंत्री का काम देखता था तो हमने केस आफिसर स्कीम चलाई थी। किसी भी थाने का कोई संगीन केस बनता है, चाहे वह रेप का है, चाहे वह मर्डर का है, चाहे कोई बहुत बड़ी लूट हो गई है, उस केस को जब कोर्ट में हम पेश कर देते हैं, उसके बाद भी उसकी कोई देखभाल नहीं करता। इसीलिए अधिकांश जो गवाह हैं वे पक्षद्रोही हो जाते हैं और सामान्यत: उसमें जो सजा होनी चाहिए वह उस केस में नहीं होती। हमने पिछली बार भी प्रयत्न किया कि ऐसे सारे केसेज को आइडेंटिफाई करें; उस थाने पर जो भी स्टाफ है उसमें से किसी एक व्यक्ति को उस केस के लिए केस आफिसर बनाकर उसकी पूरी मानिटरिंग करें; जब तक सजा नहीं मिल जाए, केस का फैसला नहीं हो जाए, तब तक उसकी जिम्मेदारी रहेगी और उसके रिकार्ड में भी लिखूंगा कि यह केस आपको दिया था, इस केस का फैसला पक्ष में हुआ सरकार के या उसके खिलाफ हुआ। उसके कारण से भी उस पर काबू आएगा। यह मैं, केस आफिसर में 4,047 केस राजस्थान के आइडेंटिफाई करके केस आफिसर के नाम लिख दिये हैं कि जब कभी भी कोर्ट में होगा तो इन केसों का देखेंगे।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

बीट प्रणाली इस पुलिस की सबसे सशक्त प्रणाली है। एक तरह से जनता के बीच में और थाने के बीच में बीट आफिसर एक पुल का काम करता है। हमारा बीट सिस्टम, हमने पिछली बार जो कानून बनाया था पुलिस एक्ट, उसमें भी उसको डाला था और इसको हमने स्ट्रेंथन करने का प्रयास किया लेकिन बीच के 5 साल ऐसे आये जिनमें कौन बीट आफिसर है और कौन नहीं, उसका सारा का सारा खात्मा ही हो गया। हमने फिर से कोशिश की है और 22,845 बीट एरिया उसके कौनसे हैं, यह उस कांस्टेबल को मुकर्रर करके, उसका आइडेंटिफिकेशन करके, उसके बोर्ड जगह-जगह लगाये कि इस बीट का बीट आफिसर कौन है, ताकि उसके कारण से उस क्षेत्र की सब प्रकार की हलचल को देखने का कोई जिम्मेदार व्यक्ति बनकर उतरे।

अब यह जो कावेंट्री पुलिस आफिसर है, एक बहुत अच्छी स्कीम हमने निकाली थी कि समाज स्वयं अपनी सुरक्षा के लिए भी कुछ करे। विशेषकर जितने भी मार्केट हैं, इन मार्केट में जो बाजार हैं, उनमें कम से कम पुरुष तो गश्त करते हैं, लेकिन सी पी ओ के माध्यम से एक व्यक्ति पुलिस का लगाते हैं, दूसरा उसके सपोर्ट में पुलिस की मदद करके गाड़ियों के लिए या उनकी रखवाली के लिए इसको हमने प्रारम्भ किया है। मैं सोचता हूं कि सी पी ओ के माध्यम से राजस्थान के 42 थानों में, अभी जितना हम बना पाये, 2,246 जगह पर हमने इस प्रकार के सी पी ओ लगा दिये हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि अगली बार जब मिलेंगे तो 10 हजार सी पी ओ राजस्थान के विभिन्न थानों के माध्यम से क्षेत्र की रखवाली के लिए, जिसका पेमेंट वहां की सोसाइटी करेगी, वहां के लोग करेंगे, उनके आधार पर लगाएंगे। इससे एक ओर बच्चों को रोजगार मिलेगा और दूसरी ओर सुरक्षा करने की दृष्टि से हमको मिलेगा।

इसी तरह से सी एल जी, हमने पिछली बार भी कोशिश की थी ताकि समाज के लोग, जब तक हमारे थाने से अच्छे लोग नहीं जुड़ेंगे तब तक हम समाज के उन लोगों की समस्याओं को समझने में सफल नहीं होंगे। इसमें कमी जो रहती है वह यह रहती है कि सी एल जी का सलेक्शन अगर ठीक नहीं हुआ तो सी एल जी भी एक दलाल बनकर खड़ा हो जाता है। कई बार अच्छे के लिए निकलते हैं, लेकिन उसकी एक समस्या आ जाती है। हमने सी एल जी के सारे नाम थाने के बाहर उनके पते सहित लगा दिये ताकि रास्ता चलता आदमी भी उसको पढ़ सके कि यहां का सी एल जी मोहनलाल है,

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

मोहनलाल किस तरह का है। अगर कोई फीडबैक मिलता है कि मोहनलाल का करेक्टर ठीक नहीं है, यह कोई अपराधी टाइप है, तो सी एल जी को बाहर करने का भी अधिकार हमने दिया है। ऐसे 1,05,901 सी एल जी मेम्बर हम बना चुके हैं। ये एक लाख सी एल जी मेम्बर हैं, ये हमारे थानों की देखभाल के लिए काम करेंगे।

सबसे बड़ी चुनौती, जो हमारे माननीय सदस्य किशनगढ़ बास से आये हैं, अलवर से आये हैं, उन माननीय सदस्यों के सामने सबसे बड़ी समस्या गौ तस्करी की है। यह वास्तव में चुनौतीपूर्ण है। इतना प्रयत्न करने के बाद यह कहने की स्थिति में नहीं हैं कि हमने इसको रोक दिया। आज भी, इतना प्रयास करने के बाद भी, मैं सोचता हूं कि कम तो हुई है मुख्य मंत्रीजी ने हमको 39 चौकियां केवल इस गौ निकासी को रोकने के लिए दी हैं, थोड़ा उनके स्ट्रेंथनिंग में कमी है। जितना पुलिस स्टाफ मुझे चाहिए, उतना नहीं लगा। लेकिन मैं निश्चित रूप से इन 39, जितने भी गौ तस्करी के बाहर जाने के पाइंट हैं, उन पर उनको लगाएंगे।

इसी तरह से आपने देखा होगा कि हमने हर पुलिस थाने के ऊपर महिलाओं को पोस्टेड कर दिया। मेरे जो 861 थाने हैं, उनमें से 749 पर मैंने कम से कम दो महिला पुलिस को लगाया है ताकि महिलाओं को भी उस थाने में आने और अपनी बात कहने में किसी प्रकार का भय न लगे। केवल 112 थाने ऐसे बच गये हैं जहां मैं महिलाओं को पोस्टेड नहीं कर सका। कोशिश कर रहा हूं कि हंड्रेट परसेंट थानों पर हों।

मुख्य मंत्रीजी का आभार, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि हाड़ी रानी बटालियन बनायी। आज वे क्षेत्र की आदिवासी बच्चियां आपको दुआ देती हैं जिन्होंने जिंदगी में कभी सोचा ही नहीं कि वह भी हाड़ी रानी में, पुलिस फोर्स में भर्ती होकर अपनी काबिलियत दिखा सकेंगी। मैं आपको कह रहा हूं, आप जहां-जहां भी परेड में जाते हैं, हाड़ी रानी की बच्चियां जिस प्रकार से परेड में निकलती हैं, कई बार आपको लगता है कि पुरुष टुकड़ी को भी उसके सामने मुकाबला करने में तकलीफ आती है। इतनी अच्छी तैयार की है, वह बनी है।

अबकी बार आपको इस बात के लिए धन्यवाद कि आपने प्रतापगढ़ में महाराणा प्रताप आर्म्स बटालियन बनाने की घोषणा की है और उसका स्थान

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

भी चयन करके 20 हेक्टेयर जमीन हमको मिल गई है। हम उसका बहुत जल्दी करेंगे।

इसी तरह से आपने एक आर ए सी बटालियन, वह भी कहां, ठेठ पहाड़ी में। इसी प्रकार का जो क्रिमिनल्स का अड्डा बना हुआ है, जहां तस्करी और बाकी सब काम हो रहे हैं, वहां उस बटालियन का हैडक्वार्टर और 24.12 को जाकर उस भवन का भूमि पूजन भी कर दिया। मैं सोचता हूं कि इस क्षेत्र में अपराधों पर काबू पाने के लिए हमको निश्चित रूप से, क्योंकि प्रतापगढ़ में जिस प्रकार की घटनाएं पठानों के द्वारा होती हैं, वहां एक प्रकार से उस पर भी काबू हो गया, इस पर भी हो गया।

हमने इस बात की कोशिश की कि हमारी पुलिस का, जिस बात को बार-बार आप और हम सब दोहरा रहे हैं कि हमारी फोर्स कम है, हमारी फोर्स कम है, लेकिन इस बात को भी स्वीकार करिये कि पिछली बार कांग्रेस ने 10 हजार कांस्टेबल भर्ती कर दिये, लेकिन हमारी ट्रेनिंग देने की कैपेसिटी राजस्थान की नहीं है, हमारे पास अधिक से अधिक ट्रेनिंग देने की कैपेसिटी 5 हजार है। हमने 10 हजार लोगों को भर्ती करके, उनको पूरे साल भर तक बिठाकर, हमको लाइन में उनको केवल वेतन देना पड़ा। यह भार तो राजस्थान की जनता पर न्याय नहीं होगा। या तो हम अपनी कैपेसिटी बढाएं या फिर जितनी हमारी ट्रेनिंग देने की क्षमता है उतने ही लोगों को नौकरी में लें। उसके बाद फिर उन्होंने 12 हजार की भर्ती निकाली। हमारे आने के बाद उसकी परीक्षा हुई और अभी उसका फिजिकल टेस्ट हो रहा है। ये 12 हजार भी आ जाएंगे, लेकिन ये 12 हजार सलेक्ट करने के बाद भी मेरी ट्रेनिंग की कैपेसिटी कैसे बढ़े? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं कोशिश करूंगा कि जितनी भी, मेरी आर ए सी की जितनी जगह है वहां कितनी सम्भव हो सकती है, मेरी ऐसी कौनसी पुलिस लाइन है जिसमें इस प्रकार की कैपेसिटी हो कि ट्रेन कर सकें। ऐसा नहीं है कि मैं उनको ट्रेन करने के लिए भीड़ बढ़ा रहा हूं। अगर उनकी ट्रेनिंग ठीक नहीं हुई तो पुलिस का काम ही नहीं कर सकेगा। ट्रेनिंग ही उसका पुलिस बनने का सबसे बड़ा एक तरह से उसका सर्टिफिकेट है। ट्रेनिंग कमजोर न पड़े, लेकिन अधिक से अधिक लोगों को कैसे ट्रेनिंग करा सकें, रिफ्रेशर कोर्स में भी ट्रेनिंग करायी है, प्रमोशन कैडर में भी हम ट्रेनिंग कराते हैं, लगभग पिछले साल इन सब प्रकार के लगाकर 11 हजार लोगों को हमने साल भर में विभिन्न तरह के कोर्स कराकर ट्रेन किया है।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

यही नहीं, आपने देखा होगा, पुलिस की जो उपलब्धि है, आपको भी आज लगेगा, उस सपना ने अभी एशियाड में जाकर 20 किलोमीटर में एशिया में चौथा स्थान बनाया और वह वर्ल्ड कप में जाने के लिए क्वालीफाई हो गई; ओलम्पिक में जाने के लिए, चीन में जो ओलम्पिक होगा, उसमें भी उस बच्ची का सलेक्शन हो गया। आपने उसको हैड कांस्टेबल से ए एस आई के पद पर वहीं उस फंक्शन में ही उसको प्रमोट किया। वास्तव में इस बच्ची को जितना भी अपन और मदद कर सकें, क्योंकि इसके पास जिस प्रकार के जूते, जिस प्रकार के साधन चाहिए, इसको उतना ट्रेन अपन नहीं कर पाये। उसके बाद भी इस बच्ची ने बहुत अच्छी उपलब्धता हासिल की है।

यही नहीं, आपने देखा होगा, जो घुड़सवारी की अभी हमारी फरवरी 11 से लेकर 20 तक हुई, मैं सोचता हूं, 17 विभिन्न टीमें इसमें आयीं, 700 जवान इसमें आये, 300 लगभग घोड़े आये, उनके विभिन्न कार्यक्रम हुए। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि उसमें राजस्थान का हमारा जो बैच है, वह तीसरे स्थान पर रहकर उसने एक तरह से 6 स्वर्ण पदक, 5 रजत पदक और 4 कांस्य पदक उन्होंने जीते हैं।

इसी तरह से आपने देखा होगा कि पुलिस की 57वीं अखिल भारतीय मीट हुई थी, यह फोरेंसिक साइंस के बारे में थी। श्रीमती कविता शर्मा, उप निरीक्षक, पुलिस ने प्रथम स्थान प्राप्त करके, हिन्दुस्तान में प्रथम स्थान प्राप्त करके स्वर्ण पदक अर्जित किया। मेडिको लीगल में चौथा स्थान भी इसी ने प्राप्त किया।

शूटिंग में, राजस्थान में जो हिन्दुस्तान 15वीं शूटिंग की प्रतियोगिता हुई, उस शूटिंग में 6 से 10 नवम्बर, 2014 तक, उक्त प्रतियोगिता में राजस्थान शूटिंग टीम के ओमप्रकाश, हैड कांस्टेबल, जिला अजमेर ने 300 मीटर में स्वर्ण पदक अर्जित किया। इसी तरह से शिवराज सिंह ने, जो 100 मीटर का, 100 गज की राइफल में कांस्य पदक अर्जित किया।

राजस्थान का जो बैण्ड है, वह हर साल प्रतियोगिता में जाता है। 2014 की प्रतियोगिता में जो हमारा बैण्ड था यह गुवाहाटी गया था, जहां सम्पूर्ण देश के सारे जितने लाइन के बैण्ड हैं वे आते हैं। उसमें अखिल भारतीय में, ब्रास बैण्ड में, हमारा बैण्ड सेकण्ड स्थान लेकर ट्राफी लेकर आया। अभी जो प्रतियोगिता हुई है पुलिस बैण्ड की, वह दिल्ली में हुई है, उसमें भी हमारा दूसरा स्थान रहा है।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

मैं सोचता हूं, क्षमता है, इस क्षमता को उभारने की आवश्यकता है। हम लोगों ने कोशिश की कि जो अच्छा काम करते हैं, उनको हम प्रोत्साहित कैसे करें। 1 जनवरी, 2014 से 4 मार्च, 2015 तक पुलिस अधिकारी, कर्मचारी को उत्कृष्ट सराहनीय कार्य में हमने 37 कांस्टेबल को हैड कांस्टेबल बनाया, उनके अच्छे कामों के कारण; 4 हैड कांस्टेबल को उप निरीक्षक बनाया; एक सहायक उप निरीक्षक को हमने निरीक्षक बनाया। राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक विजेता सपना को विशेष उप निरीक्षक हमने बनाया। नकद पुरस्कार की दृष्टि से भी हमने 49 खिलाड़ियों को 2,24,500 रुपये उनको व्यक्तिगत पुरस्कार के रूप में

(19.00 बजे)

दिये। पुलिस पदक से भी हम लोगों ने हमारे कर्मचारियों को सम्मानित किया है। उसमें राष्ट्रपति पुलिस पदक से 32 अधिकारी और कर्मचारियों को पुरस्कृत किया है। मतलब, पुलिस में क्षमता है, केवल क्षमता को सही समय पर उभारने की जरूरत है।

आज मैं बहुत आत्मविश्वास से कह रहा हूं कि पिछले एक साल में राजस्थान में जितनी भी गम्भीर घटनाएं हुई हैं, जितने भी केस हुए हैं उनमें से 90 परसेंट, सारे के सारे केस खुल गये हैं और इसके लिए पुलिस को धन्यवाद देना चाहिए। एक भी ऐसा हार्टबर्निंग केस नहीं होगा जो आज की तारीख में पेण्डिंग है, उसका इन्वेस्टिगेशन। कुछ मैं बताता हूं। चित्रकूट में ज्वैलर्स के घर डकैती पड़ी थी, उस केस में बांग्लादेश से जाकर हम अभियुक्तों को पकड़ कर लाये हैं। कोटा का रुद्राक्ष हत्याकाण्ड है, इस केस को भी पुलिस ने खोला और अभियुक्त तक पहुंच गये। इसी तरह से, फर्जी डिग्री का जो कमल का बड़ा प्रकरण है, इतना बड़ा स्कैंडल जाकर निकला। उसको भी हमारी एस.ओ.जी. की टीम पकड़ने में सफल हुई। इसी तरह से, विद्याधर नगर में गोल्ड लोन देने वाली जो कम्पनी है, जेवरात, डकैती, मुलजिम, दो करोड़ का सोना और एक करोड़ नकद पैसा लेकर जो लोग भाग गये थे, उनको भी हमारी पुलिस पकड़ कर लाई और उसमें उन्होंने सफलता अर्जित की।

यह जो नकली नोट का इस राजस्थान में बहुत बड़ा गिरोह चलता है और विशेषकर बाड़मेर की तरफ से, इस नकली नोट गिरोह में सरगना नादिया खां को गिरफ्तार किया बाड़मेर की उस टीम ने।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

यही नहीं, इस पुलिस के कारण से आपने, क्योंकि काम करती है लेकिन उसको शाबासी देने वाला भी कोई चाहिए, जिस रिंग रोड के बारे में आप इतने अधिक चिंतित थे, पुलिस ने जिस हिम्मत के साथ वहां खड़े रहकर अपना प्रेशर बिल्ड-अप किया कि किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं हुई। केवल उपस्थिति के कारण से ही हमको सफलता मिल गई, नहीं तो इतनी बड़ी घटना में कभी भी कोई घटना हो सकती थी।

वकीलों की इतनी बड़ी प्रांतव्यापी हड़ताल रही लेकिन किस तरह से राजस्थान में उन्होंने अपनी तरफ से डील करने का प्रयास किया।

ए टी एस और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल द्वारा इण्डियन मुजाहिदीन का जो पूरा आतंकी गिरोह था, जिसमें माहरूफ और मोहम्मद अजहर को गिरफ्तार कर उनसे भारी मात्रा में हथियार, विस्फोटक बरामद किये। बाद में अनुसंधान में छह अन्य लोगों को गिरफ्तार किया। इस तरह सम्भावित आतंकी घटनाओं को रोकने का एक महत्वपूर्ण काम किया।

आर.ए.एस. परीक्षा के बारे में, अभी आपने देखा होगा कि जिस प्रकार आर.ए.एस. के पेपर आउट हुए और उस सारे केस को एस.ओ.जी. ने खोलकर, अभियुक्त तक पहुंच कर, उन सबको जो जेल में भेजा है, यह सब वास्तव में प्रशंसनीय है।

यह जो कारागृह है, आज भी जितने लोग बोले, उनमें से कई लोगों की जो नाराजगी थी, या गुस्सा था, वह कारागृह के काम पर है। मैं आपके माध्यम से राजस्थान को विश्वास दिलाता हूं कि पिछले इस एक साल में हमने कई प्रयोग किये हैं और उन प्रयोगों के कारण से हमें कई कामों में सफलता मिली है। हंड्रेड परसेंट तो हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सके लेकिन जितना हम कर सकते थे, उतना हमने, अपनी जितनी क्षमता है, उसके अनुसार करने का प्रयास किया है।

अब आपको लगेगा, कारापाल और जेल की हालत इसलिए खराब है क्योंकि इसमें वैकेंसीज बहुत जबरदस्त हैं। पिछले साल, जो 2013 इनका साल था उस समय वैकेंसीज थीं 49 प्रतिशत। मेरे पास 3,762 कुल फोर्स है, उसमें 2013 में काम करने वाली 1,831 रही। 49 प्रतिशत मेरे पास खाली जगह थी। लेकिन दिसम्बर में हमने इसको अलग-अलग तरीकों से भरने का प्रयास किया और आज की तारीख में भी 36 प्रतिशत हमारे पास वैकेंसी हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत जल्दी इस आंकड़े को भी नीचे लाने के लिए, मुख्य मंत्रीजी ने हमको हर प्रकार से सहयोग किया और मेरा विश्वास है कि आने वाले कुछ समय में इस वैकेंसी को हम करेंगे।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

आपने देखा होगा, आल इण्डिया का जो एवरेज है कि जेल में बन्द व्यक्ति है उसका 6 और 1 का अनुपात चाहिए; अगर कैदी 6 हैं तो एक नौकर चाहिए, या हमारा काम करने वाला वहां का अधिकारी चाहिए, पर 2012 में हमारा एवरेज 13:1 का था। वह 2013 में 11:1 का हुआ और अभी 2014 में हम इसे 9:1 पर लाये और आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि हम 7:1 पर ले आये हैं। जो देश का एवरेज 6:1 का है, उसके नजदीक आकर हमने जितने भी जेल में बंद बंदी हैं, उनकी तुलना में स्टाफ को लाने का प्रयत्न किया है।

इस काम में सुरक्षा व्यवस्था के लिए आपने जो हमें स्वीकृति दी, यह जो आपने 13वीं बटालियन पूरी की पूरी जेल सुरक्षा के लिए दी और उसके कारण से हमको 676 लोग, जेल के अन्दर तो नहीं लेकिन बाहर रहकर, जेल में जाने वाला जितना भी इल्लीगल सामान है और जिसके कारण से आये-दिन कुछ न कुछ घटना-दुर्घटना होती है, उसको उन्होंने रोकने में काफी कामयाबी हासिल की है। उसके कारण से एन डी पी एस एक्ट के प्रकरण चार बने, मोबाइल सिम के 34 बने, नकद राशि ले जाते हुए जो पकड़े हैं वे 26 हैं और अन्य निषिद्ध नशीले पदार्थ ले जाने वाले 56 लोगों के खिलाफ हम इनके कारण से कार्यवाही करने में सफल हुए।

यह वास्तव में सच है, जो यह बात बोले थे कि आपकी जेलों में क्षमता से अधिक बंदी हैं, यह बात सच है कि हम इसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से इसको रेग्यूलेट करें। हमारे पास जो स्थान उपलब्ध हैं, इधर-उधर करके, हमने कैदियों को इधर से उधर शिफ्ट करने का भी प्रयास किया, कुछ नई बनाने का भी प्रयास किया। वास्तव में जो हमारी क्षमता है, वह तो 17,191 की है लेकिन हमारे पास 20,539 हैं; यानी, 3,348 हमारे पास एक्सेस हैं। कुछ जगह पर ज्यादा हैं, कुछ जगह पर कम हैं। ये सारे के सारे सेण्ट्रल जेल के मैं बता रहा हूं। इसलिए हमने कोशिश की कि यह जो बिलाड़ा है, भादरा है, फलौदी है, वहां पर हमारी बैरक है, जो पड़ी हुई है; किसी ने चिंता ही नहीं की कि उनको ठीक करके भी हम कुछ स्ट्रेंथ को वहां पर शिफ्ट कर सकते हैं। हमने इनको ठीक करा लिया और 7.10.2014 को बिलाड़ा को शुरू कर दिया है, 15.2.2015 को भादरा शुरू कर दिया और 12.3.2015 के दिन फलौदी की जेल को वापस शुरू करके कैदियों को रखने का प्रयत्न किया है।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

इसी तरह से अब उच्च कारागृह, अजमेर का जो है हमारा, उसको हमने जो भी नोटिफाई करना है, नोटिफाई करके, लगभग 300 लोगों की एक तरह से यह जो जेल है, यह उच्च सुरक्षा की जेल है, जिसमें बहुत ही हार्ड क्रिमिनल जितने भी हैं, उनको; इसमें पाल है, आनंदपाल और पता नहीं, कौन-कौन से पाल हैं, जिनसे आये-दिन कुछ न कुछ होता है; इनको हम सारे को छांटकर इस अजमेर जेल में, जो एक उच्च सुरक्षा की जेल है, जिसको हमने नोटिफाई कर दिया और 11.2.2015 को कम्पलीट भी हो गयी, उसमें डालकर इन सब लोगों को हम कोशिश करेंगे कि किसी प्रकार की हलचल अन्दर से रहकर नहीं करें। नहीं, तो आये दिन यह घटना है कि उनका टेलीफोन भी कोई थर्ड आदमी कर दे आनंदपाल के नाम से और कहे कि मुझे इतना पैसा चाहिये, तो उसकी हिम्मत नहीं कि वह दो घंटा मना कर सके।

मैं सोचता हूं, ऐसा जंगल राज तो कहीं नहीं होगा। इन दो बड़ी गैंगों के बीच में राजस्थान की जेल और राजस्थान का क्राइम, वास्तव में, अपने आप में बहुत ही, एक तरह से, शर्मिन्दा महसूस करता है कि आदमी जेल में रहकर भी इतना बड़ा एक तरह से गिरोह चला सकता है। अभी आपने देखा होगा, सीकर में जो चार लोग पकड़े गये हैं, वे हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष को टार्गेट बनाकर के, जेब में फोटो लेकर आये थे। यह तो उनका भाग्य ठीक था, और पुलिस पहले से सक्रिय थी, उन चारों को हमने दबोच लिया; नहीं तो कोई न कोई इस प्रकार की घटना घटती। अभी कुछ दिन पहले चूरू में भी इसी प्रकार की एक घटना हुई और एक व्यक्ति का मर्डर हुआ।

मैं मुख्य मंत्रीजी को इस बात के लिए भी धन्यवाद देता हूं कि आपने 12 करोड़ 20 लाख रुपये हमको इन बैरकों को सुधारने के लिए दिये हैं। यह पुलिस के लिए शायद सबसे बड़ी सौगात होगी जिसके कारण से, 12 करोड़ 20 लाख रुपयों की जो सौगात दी, मैं 36 नई बैरकें बनाने में सक्षम हो जाऊंगा और 1,560 की स्ट्रेंथ, यह जो 3,300 जो मेरे पास एक्स्ट्रा है, इसको मैं वहां शिफ्ट करने में सफल हो जाऊंगा।

इसी तरह से आपने देखा कि अभी हमने कार्य पूरा कराया है, काम तो बहुत समय से चल रहा है, जयपुर में 500 की क्षमता का कार्य पूर्ण हो गया; बीकानेर में 400 की क्षमता का कार्य पूर्ण हो गया; कोटा में एक हजार का कार्य प्रगति पर है। फिर कोटा में एक और जेल है, जिसमें एक हजार की कार्य

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

की प्रगति है और दौसा में भी एक हजार कैदी रखने का कार्य प्रगति पर है। साल भर के अन्दर-अन्दर, यह सारा मिलाकर, आपके लगभग 4 हजार की स्ट्रेंथ रखने के लिए बनाऊं तो उसके बाद यह जो एक बार-बार आता है कि आपके पास रखने की जगह नहीं है, इतना ओवर-क्राउडेड है, उसको हम पूरा कर लेंगे।

मैं सोचता हूं कि जेली, जेल के अन्दर जो बंद कैदी होता है, वह समय पूर्व रिहाई की आशा लगाकर बैठता है। हो सकता है, वह किसी कारण से अन्दर आया हो। कांग्रेस राज में 2012 में केवल 83 लोगों को रिहाई दी समय के पूर्व; 2013 में केवल तीन और हमने 174 लोगों को समय के पूर्व रिहाई देकर के, उनको एक अच्छा जीवन जीने के लिए हम जो भी सहयोग कर सकते थे, वह किया है।

इससे भी बड़ा प्रयोग एक जो राजस्थान कर रहा है, खुला बंदी शिविर। हर व्यक्ति, जो अन्दर सोचता है, वह सोचता है कि मुझे भी अगर खुला बंदी शिविर में भेज दें तो मैं अपने परिवार के साथ रहकर अपना गुजारा भी चलाऊंगा और परिवार के साथ भी रह जाऊंगा। इसीलिए हमारे यहां नियम है कि जितनी सजा उसको मिलती है, उसकी एक-तिहाई सजा अगर वह काट ले और उसका आचरण ठीक हो, तो हम उसको खुली जेल में रख सकते हैं।

मैं सोचता हूं कि हमने एक नया प्रयोग और किया है। यह खुली जेल में कुछ गौशालाओं का भी चयन किया गया है और गौशालाओं के लोगों के साथ टाई-अप करके हमने हमारे कैदियों को खुली जेल में रखने के लिए किया है। आपको यह कहते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता है कि अब तक नारसिंहपुरा बिराणी, तहसील पदमपुर, श्रीगंगानगर में; रैवासा सीकर में; खाटूश्यामजी, सीकर में, गौशाला में हमारे खुले बंदी शिविर रखे हैं जिनको अब हमने 23 से 26 कर दिया। अभी पथमेड़ा भी इस लाइन में लगा हुआ है। और भी राजस्थान की जो गौशालाएं हैं, अपने-अपने कार्य के लिए इस प्रकार के कैदी हैं, उनका अगर उपयोग करना चाहें तो हम उनको भेजेंगे।

कांग्रेस के टाइम में 651 लोग इन खुली जेल में थे। आज की तारीख में हमारे पास 1,260 लोग खुली जेल में हैं। तो मैं सोचता हूं कि एक अच्छा जीवन वे जी सकें।

वास्तव में मैं यह सोचता हूं कि इस सारे डिपार्टमेंट में जितना जेल को आपने स्ट्रेंथन करने का प्रयास किया है, वह मुझे बहुत प्रसन्नता है कि

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

जेल को जितना पैसा आप दे सकते थे विभिन्न तरीकों से, वह दिया है। यानी, स्नानागार निर्माण के लिए जेलों में मूलभूत सुविधाओं हेतु 10 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए और हमने 689 स्नानागार, 747 टायलेट निर्मित किये हैं।

जैमर लगाने की बात आई। सबसे बड़ी आज जो शिकायत आई है, इसलिए कि अन्दर से अभियुक्त, अपराधी बाहर आपरेट करता है और अपराध कराता है। उसके लिए जैमर लगाने की दृष्टि से, जितने भी केन्द्रीय कारागृह हैं, जयपुर, बीकानेर, कोटा, भरतपुर, उदयपुर, अजमेर, गंगानगर, उच्च सुरक्षा का अजमेर, इनमें आपने 20 करोड़ रुपये दिये हैं और 4-जी का हम इन सब में जैमर लगाकर इस बीमारी का अंत करेंगे, जिसके कारण से यह जो हार्डकोर क्रिमिनल हैं, जो इन जेलों में रहकर आपरेट करते हैं, ये नहीं कर पायेंगे।

सी सी टी वी कैमरों की दृष्टि से भी आपने दो करोड़ रुपये हमको दिये हैं और हम लगभग ये जितनी भी हमारी कोटा, उदयपुर, बीकानेर, भरतपुर, अजमेर, गंगानगर; इसी तरह से अजमेर कारागृह, धौलपुर, नवीन कारागृह जयपुर में दो करोड़ रुपये की लागत से सी सी टी वी कैमरे हम सारों में लगा रहे हैं ताकि हम अपराध को नियंत्रित कर सकें।

सबसे बड़ी खुशी यह है कि हमने सारा रिकार्ड कम्प्यूटराइज करने का प्रयास किया है। आज की तारीख में कुछ समय के बाद हम यह कह सकेंगे कि जेल में कौन कैदी आया, कहां है, क्या इसकी आउटपुट है, इसका पुराना इतिहास क्या रहा है। इन सारों को कम्प्यूटराइज करने का काम हम कर रहे हैं। उसमें भी हमको इस द्वितीय चरण में 7.22 करोड़ रुपये मिला है।

अगर इस जेल को ही अपन सोचें तो मैं सोचता हूं, इस दृष्टि से जेल को स्ट्रेंथन करने के लिए मुख्य मंत्रीजी ने पूरे मनोयोग से मजबूत करने का प्रयास किया है।

बंदियों की चिकित्सा के बारे में जब समस्या आई कि हमारे पास डाक्टर रुकता ही नहीं है, कोई जेल में रहना ही नहीं चाहता है; 108 पद हैं लेकिन हमारे पास केवल 68 पद भरे हुए हैं। हमने चिकित्सा मंत्रीजी से, इनके डिपार्टमेंट के सारे अधिकारियों के साथ मेरे अधिकारी बैठे। उन्होंने कहा कि हमें अगर यह सुविधा नहीं मिले, तो कोई बात नहीं, लेकिन जो आपकी नजदीक की डिस्पेंसरी या अस्पताल है, वह हमारी जेल में जाकर किसी तरह से इस कमी की पूर्ति करे। तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगभग इस

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

डिपार्टमेंट ने सब जगह हमको अपनी जेलों में इनके डाक्टर्स को समय के बाद शाम को भेजकर उनको मेडिकल-एड दिलाना शुरू कर दिया है। अधिकांश ने काम शुरू कर दिया है।

हमने एक अभियान चलाया कि वास्तव में हमारे जेल में जो कैदी हैं, उनका स्वास्थ्य कैसा है, तो 40 तो टीबी के पेशेंट निकले और सबसे बड़ा संकट है, वह चर्म रोग का है। अधिकांश जेलों में अधिकांश जितने भी हमारे कैदी हैं, उनमें से 953 लोगों को चर्म रोग निकला और इसमें हमने अभियान चलाकर, अब लगभग 200-225 लोग रह गये, जिनको चर्म रोग रहा, बाकी सबका इलाज हो गया है। एच आई वी के 41 मरीज हैं और 176 अन्य बीमारियों के हैं।

मृत्यु की दृष्टि से, सामान्यत: जेल में जब मृत्यु होती है तो एक बहुत बड़ा दु:ख भी होता है कि कोई हमारी मेडिकल-एड नहीं मिलने के कारण से या और किसी कारण से उसकी डैथ हुई है। तो उसको भी हमने घटाने का प्रयत्न किया है। 2012 में 82 था, 2013 में 74 था और अब की बार केवल 62 लोगों की जेल के अन्दर मृत्यु हुई है। इस आंकड़े को भी घटाने का प्रयास किया है।

फरारी की जो घटनाएं हैं, उस दृष्टि से भी हमने कंट्रोल किया है। 2005 में फरारी की घटनाएं सात हुईं और बंदी हुए थे 21 फरार; 2013 में पांच घटनाएं हुईं और आठ फरारी हुईं; 2014 में तीन घटनाएं हुईं और पांच फरारी हुईं; और अभी यह 2015 जब से लगा है, तब से लेकर आज तक कोई फरारी नहीं है, जीरो फरारी है। तो इस तरह से इसको भी रोकने का प्रयत्न किया है।

बस एक ही इस डिपार्टमेंट में जो हार्ट-बर्निंग है, जो मैं हमेशा कहता रहता हूं, मुख्य मंत्रीजी, चौथे वेतन आयोग तक पुलिस और हमारा जो जेल के अन्दर प्रहरी है, दोनों का वेतन-स्केल एक था। लेकिन बाद में क्या कारण और किसके कारण से इनके वेतन में इतना गैप आ गया। उसके कारण से लगभग, जो सबसे लोएस्ट नौकरी करता है, उसके वेतन में चार हजार रुपये का अंतर है। इसके कारण से हम जिसको भी सलेक्ट करते हैं, अभी प्रहरियों को सलेक्ट किया, आपने जो हमको परमिशन दी तो हमने काफी लोगों को उसमें से, 600 से ज्यादा लोग सलेक्ट किये, लेकिन इनको जैसे-जैसे दूसरी जगह नौकरी

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

मिलती है, ये सब लोग वापस चले जाते हैं। इस वेतन विसंगति को कैसे कंट्रोल करें? केवल यही नहीं, अगर आप आसपास के राज्यों से भी जब मंगवायेंगे तो आपको लगेगा कि वहां के जो हमारे बराबर के लोग हैं, उनका वेतन इतना कम नहीं है। इसके बारे में जरूर आप कोई न कोई ध्यान देंगे तो मैं सोचता हूं कि जेल के अन्दर काम करने वाले लोग काम कर सकेंगे।

एक और दुर्भाग्य है कि मेरे जेल में हरेक के कोई न कोई चार्जशीट है। कारण क्या है, कि कभी कोई न कोई भाग जाता है, कभी कोई न कोई सिम लेकर चला जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो एक भी अधिकारी मेरा ऐसा नहीं बचता है जो प्रमोशन करने लायक रहे। कोई न कोई चार्जशीट उसके लगी रहती है। उसके कारण से मेरे कई पद योग्य होते हुए भी रिक्त रहते हैं। वह इतना मायूस और इतना निराश रहता है कि वह उसकी शक्ल देखते ही आपको लगता है कि यह अगर पुलिस के अधिकारी के कम्पेरिजन में खड़ा करो तो ऐसा लगता है कि यह अधिकारी ही नहीं है। उसका कारण यह है कि उसमें इतनी घोर निराशा है, पिछले 10-15 सालों से इतनी जांचें और इतना कुछ हो जाता है, क्योंकि यहां कोई न कोई मामला उठ जाता है फरारी का, तो किसी न किसी की हत्या होना तो तय है। अब कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ और उसकी जांच इतनी लम्बी चलती है कि न तो उसकी 16 की कार्रवाई खतम होती है, न उसका कोई रिजल्ट निकलता है। इस कारण से रह जाते हैं।

इस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के बारे में आपने कहा, वास्तव में मुझे भी संतोष है। अगर आप इसको पूरा स्टाफ दें तो वास्तव में हमारा जो यह भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो है, ए सी बी है, इसका काम एक्सीलेंट है। मैं सोचता हूं, आज दिन तक कभी किसी ने हिम्मत नहीं की होगी कि हनुमानगढ़ के ए डी एम को पकड़ें, और पकड़ा ही नहीं, केवल उसको झाड़ा तो 67 लाख रुपये नकद निकले। वास्तव में, हमारे कोटा के एस.पी. को पकड़ा; अजमेर के एस.पी. को पकड़ा; अजमेर के सेशन जज को पकड़ा, जो अभी भी जेल में है। वास्तव में ए सी बी ने इस प्रकार के केस वर्कआउट किये हैं, इनको जरूर पुरस्कृत करना चाहिये। मैं यह कह सकता हूं कि यह हमारा राज्य है जहां राजपत्रित अधिकारी 64 ट्रैप हुए, आय से अधिक सम्पत्ति के मामलों में 14, पद के दुरुपयोग के 102 और कुल पंजीकृत 180 मामले हुए। सामान्यतया इन बड़े अधिकारियों के ऊपर कोई हाथ नहीं डालते। मैं भी जब कोई वहां बैठता था तो बोलता था कि आप ट्रैप करते हो, यह 150 रुपये के कांस्टेबल को ट्रैप करके नौकरी से क्या

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

निकालते हो। उसके बच्चे भूखों मरेंगे। उसके बाप ने थोड़ी गलती कर दी होगी लेकिन उसकी सज़ा इतनी तो नहीं मिले कि आप उसको नौकरी से निकाल दो। तो सारा गुस्सा उस गरीब के ऊपर क्यों उतारते हैं? लेकिन देखने से ऐसा लगता है कि नहीं, इसके बाद में ए सी बी ने हिम्मत के साथ अधिकारियों को भी पकड़ा है। जो छोटे कर्मचारी हैं, ट्रैप में 224, आय से अधिक सम्पत्ति के मामलों में 14, पद के दुरुपयोग में 112 और कुल 350 प्रकरण दर्ज हुए। ये सारे के सारे केस इन्होंने बनाये।

जो आज यहां विषय उठा था, माननीय पिलानियाजी ने जिस विषय को उठाया है, यह बात सच है कि जितने केस हम बनाते हैं, सारे के सारे के ऊपर हमको स्वीकृति मिलती है। वह स्वीकृति मिल भी जाती है तो आदमी लम्बे समय तक केस चलने के बाद अपने गवाह को अपने काबू में कर लेता है और अंत में जाकर उसका निर्णय खतम हो जाता है क्योंकि उसकी नौकरी जा रही है। उसमें जो समय लगता है, ये जितने भी ट्रैप के केस हैं, उनको भी कोई केस आफिसर स्कीम बनाकर करके, कोई टाइम बाउण्ड कोर्ट बनाकर, उसी कोर्ट में सुनें और आया और भड़ीका, तब जाकर राज का नौकर यह काबू होगा। बाकी इसको काबू होने का काम नहीं बनेगा। (व्यवधान) भड़ीका मानी सज़ा। तब जाकर यह कहीं काबू होगा। नहीं तो यह जानता है कि मैं किसी न किसी तरह से, मेरे पास में वह चार बार आयेगा तो मुझे भी दया आयेगी। मैंने पकड़ा तो दिया, इसके बच्चे भूखे मर रहे हैं। कभी पत्नी को ले आता है, कभी बच्चे को ले आता है। तो एक दया का भाव पैदा हो जाता है। सात दिन में अगर इसका फैसला हो जाये ना कि यस और नो, तब तो बिलकुल यह करना वह भूल जाये। तो मैं वही केस गिना रहा था आपको।

वास्तव में, यह लालचन्द असवाल का केस, यानी, मतलब, संगीन केस पकड़े हैं। इसके लिए तो आपको जरूर ए सी बी को बुलाकर अपनी तरफ से पारितोषिक देना चाहिये कि कम से कम ऐसे भी कोई हिम्मतवार आदमी हैं जो इतने बड़े लोगों को पकड़ कर भी अन्दर डाल सकते हैं। (व्यवधान)

विधि विज्ञान प्रयोगशाला की दृष्टि से एक अच्छा एफर्टस हुआ था।कम से कम कोई जांच ऐसी तथ्यपूर्ण हो जिसके कारण से सज़ा दिलाने में बहुत आसानी हो। मुझे यह कहते खुशी है कि जब मैंने इस सरकार का चार्ज सुपुर्द किया था, जब इनसे मैंने लिया था उस समय हमारे यहां पेंडेंसी थी 18 हजार

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

230 केस की। हमने पूरे पांच साल तक प्रयत्न करके इस पेंडेंसी को ले गये थे 10 हजार पर, जिसमें नये केस उससे भी ज्यादा आये। उनको बराबर समय पर वर्क आउट करके निकाला। इनके टाइम पर 2009 से लेकर अब तक, पेंडेंसी वापस 12 हजार 900; इसका मतलब 13 हजार हो गई। जिस पेंडेंसी को घटाकर हमने 10 हजार पर छोड़ा था केसेज की, वह वापस इतनी आ गई। अभी हमने कुछ प्रयोग किये हैं और इस महीने में हम यह जो पेंडेंसी है, यह केवल 11 हजार 106 केस की रह गई। आज की तारीख में, हम इन दो महीनों में हजार से ज्यादा पेंडेंसी को कम करने में सफल हुए हैं।

विधि विज्ञान प्रयोगशाला में हमारे यहां जो खण्ड हैं उसमें भी आपने हमारी मदद की है, लेकिन अभी इस डिपार्टमेंट में और मदद करने की आवश्यकता है। क्योंकि इसमें जितने प्रकार के साइंटिस्ट चाहिए, हमारे द्वारा कोशिश करने के बाद भी हमको उपलब्ध नहीं होते हैं। इस कारण से आपने विशेष छूट देकर के हमने दस जो रिटायर्ड लोग हुए थे, जिनके कारण से हमने किया और कुछ हमने एक ही जगह दूसरी जगह बदला। कहां ज्यादा पेंडेंसी किस तरह की जांच की है, अगर वहां है तो उसको हमने एक दूसरी जगह शिफ्ट करके, इन केसेज की पेंडेंसी कम करने का भी हमने इस विधि विज्ञान प्रयोगशाला में प्रयास किया है।

अभियोजन, जिसके बारे में माननीय पिलानियाजी ने भी कहा, यह बात सही है कि वास्तव में अभियोजन में जितनी हमको सज़ा का परसेंटेज मिलना चाहिए, लेकिन इनको दो टुकड़ों में करिये। मैं आज आपको कड़वा सच कह रहा हूं, मन की दुःख की बात कह रहा हूं, जिन वकीलों को हम अपाइंट करते हैं, उनका सज़ा का परसेंटेज कोई इकट्ठा नहीं करता है कि जितने केस उसके पास दिये, उनमें से उसकी सफलता कितनी है। यह तो हमारा जो सेकण्ड और फर्स्ट वाला है, इसका तो हमारे पास रिकार्ड रहता है और इस रिकार्ड से मैं आपको आज कह रहा हूं, 2014 में हम जो सज़ा का प्रतिशत है वह 74.10 तक लाये हैं। कोशिश की है कि हम इसको किस तरह से, और उसके लिए हमने 114 लोक अभियोजक द्वितीय श्रेणी के ट्रेन करके इनको काम पर अभी लगाया है। यही नहीं, 185 जो लोक अभियोजक हैं उनको लैपटाप दिया है, कानून की पुस्तकें हमने उनको उपलब्ध कराई हैं। इसी तरह से आपने देखा होगा कि पिछले बजट में हमको जोधपुर, कोटा और टोंक वहां भवन बनाने के लिए दिया। हमारा जो लोक अभियोजक वहां रहता है लेकिन कोई आफिस ही नहीं

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

है। वह कहां बैठकर के अपनी गवाह को तैयार करे, कहां उसको फ़ाइल दिखाये? वह एक जगह से उठता है और दूसरी जगह पर बैठता है। लेकिन आपने तीन जगह पहले दिया और तीन जगह का बजट आपने अभी 1 करोड़ रुपया दिया है। वह राजसमन्द, नोखा और सुजानगढ़ में हमको भवन बनाने के लिए दिया है।

रिक्त पदों के बारे में भी मैं आपको कह रहा हूं कि काफी अधिक रिक्त पद हैं; 2,030 की हमारी स्ट्रेंथ है, उसमें से 719 पद आज की तारीख में हमारे पास, विभिन्न प्रकार के जो पद हैं, उनके पद हमारे पास खाली पड़े हैं। सबसे बड़ी जो समस्या है वर्किंग में, वह हमारे रिक्त पद हैं। यह बात जरूर है, सरकार पर उसका वज़न आता है लेकिन जिस काम के लिए आवश्यक होगा, वहां आप करिए और जहां फालतू आपको लगता है...; एक बार बैठकर के विभिन्न डिपार्टमेंट को टटोलने की आवश्यकता है। कई डिपार्टमेंट में भर्ती खाने में बैठे हैं, जिनको पांच कागज भी दिन भर में नहीं निकालने होते हैं, वे वहां बैठे हैं। हमारी कोई टीम लग करके उसको एक बार खंगोले और उसमें से जितनी इधर से उधर पूर्ति की जा सकती हो, उसकी हम पूर्ति करने का अगर प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हमको लाभ मिलेगा।

होम गार्ड को जिसको हम समझते हैं कि इसका कुछ नहीं है, लेकिन राजस्थान की होम गार्ड जहां भी गई है और विशेषकर के चुनावों के समय में, चाहे जम्मू में गई है, चाहे बंगाल में गई है, वहां से एप्रिशिएशन लेकर के आई है। हमारी टीम उत्तर प्रदेश में भी गई तो मतलब, होम गार्ड कोई हमारी कमजोर यूनिट नहीं है। होम गार्ड की सारी स्ट्रेंथ मिलाकर के, जो हमारी स्ट्रेंथ है, वह 30 हजार की स्ट्रेंथ है। इस 30 हजार की स्ट्रेंथ को, आज भी हम लगभग 12 हजार तो नियमित लगा पा रहे हैं और पिछला यह जो चुनाव का साल निकला है, उसमें हमने 22 हजार लोगों को एक तरह से काम दिया है, जिसमें रात्रि गश्त है, यातायात नियंत्रण है, जेल सुरक्षा है, सचिवालय है, विधान सभा भवन है, डाक विभाग है, नगरपालिका है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, विद्युत विभाग है, आबकारी विभाग है, मेला, त्यौहार हैं। इनमें पिछले साल हमने 40 लाख मानव दिवस सृजित किये हैं और इन लोगों को हमने रोजगार से भी और इनकी उपयोगिता के आधार पर काम लेने का भी प्रयास किया है। अभी भी हमारे पुलिस विभाग में 4 हजार 190 लोग हैं, यातायात ड्यूटी में 950 हैं,

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

जेल विभाग में 375 हैं, एक्साइज ड्यूटी में 152 हैं और सचिवालय में 349 लोग हैं, जो इन सब पर लगे हुए हैं।

इससे भी ज्यादा जो हमारा बार्डर होम गार्ड है, उसकी स्ट्रेंथ तो कम है हमारे पास, 2 हजार 664 ही है और इसमें भी पुलिस विभाग में एक तरह से परमानेंट दे रखे हैं 422, जेल विभाग दे रखे हैं 695। यह बार्डर होम गार्ड से भी हमने रिक्त स्थान जेल के भरने का प्रयास किया है और उसका परिणाम हमारे पास अच्छा आया है। खनिज विभाग में भी हमने 465 दे रखे हैं, थर्मल इकाई में भी हमने 180 दे रखे हैं; ये जो एनर्जी है, बाड़मेर और जैसलमेर में भी 260 लोग हमने दे रखे हैं और कोशिश यह है कि प्रत्येक सेवक को, जो हमारा स्वयंसेवक है, उसको तीन महीने का रोजगार मिल जाए और बार्डर जो हमारा होम गार्ड है उसको लगभग नौ महीना साल में काम मिल जाता है। वैसे तो इसमें भी आपने समय पर बढ़ोतरी की है।

पर मैं आज जो सबसे महत्वपूर्ण घोषणा है, मुख्य मंत्रीजी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने आज जो पुलिस को सौगात दी है, यह वास्तव में आपका, एक तरह से इतने सालों बाद किसी का ध्यान इस पर गया है कि इसको किस तरह से करें। सबसे ज्यादा जो लाभ किसी को मिला, वह जेल के उन लोगों को मिला जो वहां सज़ा काट रहे हैं और श्रम कर रहे हैं। उन श्रम करने वाले के लिए किसी का भी यह ध्यान नहीं गया कि इनको श्रम का मिल क्या रहा है। जो कुशल बंदी था श्रमिक, उसको 40 रुपया रोज मिलता था और जो अकुशल बंदी था, उसको मात्र 20 रुपया मिल रहा है। आपने बड़ा मन करते हुए, कुशल बंदी श्रमिक को 150 रुपये दिया है। 40 रुपये से उठाकर के सीधा 150 रुपया कर दिया, और अकुशल को 20 रुपये से उठाकर 130 रुपये दिया और इसके कारण से 2 करोड़ 65 लाख रुपये का अतिरिक्त भार सरकार पर पड़ेगा। इसका लाभ यह मिलेगा कि जो श्रम कर रहा है, उस श्रम का एक परसेंटेज, 25 प्रतिशत, उसके परिवार को जाता है। अब यह जो पैसा उसके पास है, इसमें से काफी कुछ पैसा उसके परिवार को जा सकेगा।

इसी तरह से आपने पुलिस में भी आज, पता नहीं, मेरी उम्मीद से भी ज्यादा दिया है। मुझे इस बात की खुशी है, मतलब, थपथपी लगाने से दौड़ता है आदमी और चौगुना काम करता है, हमारा घाटा तो वह पूरा कर देता है। मैस

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

भत्ता पुलिस विभाग में भी 1,500 रुपये था, नागरिक सुरक्षा में भी 1,500 रुपये था प्रति माह और गृह रक्षा में भी 1,500 रुपये था और कारागार में भी आपने सीधा ही 100 रुपये महीना का बढ़ाकर के, 1,200 रुपया प्रत्येक मैस भत्ते में बढ़ा है। तो 11 करोड़ 38 लाख रुपया इन लोगों को इसके कारण से लाभ मिलेगा।

पुलिस वायरलैस में भी जो इनका प्रतिदिन का जो भत्ता था, वह 50 रुपया था, उसकी जगह 100 रुपये किया। उप निरीक्षक का 30 रुपये था, उसको 40 रुपये किया; सहायक उप निरीक्षक का 25 को 40 रुपये किया, कांस्टेबल को 20 से 40 और कांस्टेबल को 15 से 20 रुपये किया।

इसी तरह से, इमरजेंसी जो रेस्पोंस टीम है, उसको भी आपने 300 रुपये से सीधा ही एक महीने का सीधा 100 रुपया एक्स्ट्रा दिया, पुलिस को दिया। इस सारी फौज को, जो 300 रुपया इसको प्रति माह मिलता था, उसकी जगह आज 400 रुपया मिलेगा।

ए.टी.एफ. में जो पदस्थापित हैं अधिकारी और कर्मचारी, सहायक कमांडेड को 150 मिलता था उसको आपने सीधा ही 300 कर दिया; कंपनी कमाण्डर को 100 मिलता था उसकी जगह 200 किया; प्लाटून कमाण्डर को 60 मिलता था; 120 किया, हैड कांस्टेबल को 50 मिलता था, 100 किया; कांस्टेबल को 40 मिलता था, उसको सीधा ही 80 किया। जस्ट डबल किया। शायद कई सालों के बाद इनको यह लाभ मिला होगा।

स्पोर्टस फण्ड में भी आपने बढ़ोतरी की है। पिछली बार जो हमको मिला, वह 30 लाख था, अब 35 लाख है। उत्सव फण्ड में भी 25 लाख था, उसकी जगह 30 किया है। यह मानदेय ड्यूटी जो है, जो स्वयंसेवक है हमारा, विशेषकर के होम गार्ड का, इसको 300 रुपया रोज मिलता था, अब इसको 325 रुपये रोज मिलेगा। 25 रुपये प्रतिदिन की बढ़ोतरी इसमें आपने की है।

कल्याण निधि में भी 5 लाख के बजाय 6 लाख, उत्सव फण्ड में भी 2.50 लाख से सीधा ही 3 लाख है। हार्डमोर भत्ता भी जो 50 मिलता था, उसकी जगह प्रतिमाह 200 मिलेगा। स्पोर्टस फण्ड में भी जो 6 लाख हमको मिलता था, उसकी जगह साढ़े 7 लाख आपने दिया है।

उत्सव फण्ड में भी, ये कारागार का है, उत्सव फण्ड में भी 6 लाख से 7.50 लाख; बंदी कल्याण कोष में जो हमको डेढ़ करोड़ रुपये मिलते थे, अब पौने दो करोड़ रुपये मिलेंगे, पच्चीस लाख का एक्स्ट्रा दिया है।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

अभियोजन को भी आपने, गत वर्ष में प्रति माह जो दो सौ रुपये मिलते थे, उसकी जगह आपने पांच सौ रुपये किया है। यह वास्तव में अभियोजन अधिकारी और उनको भी...।

विभाग में कुल वित्तीय भार, ये सारी जो घोषणाएं मैंने की हैं, वह 21 करोड़ 90 लाख रुपये पुलिस और हमारी जो फोर्स है, कारागाह, बाकी सबको मिलेगा। इसके लिए मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद और जो कुछ सम्भव हो सकता था, सरकार ने वह सारा दिया है।

माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि मांग संख्या 16-पुलिस और मांग संख्या 17-कारागार को पास किया जाय।

मांग संख्या 16 का पारण

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि मांग संख्या 16-पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 40,23,57,77,000/- (चालीस अरब तेइस करोड़ सतावन लाख सतहत्तर हजार) तक की राशि प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 17 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 17-कारागार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,33,69,01,000/- (एक अरब तैंतीस करोड़ उनहत्तर लाख एक हजार) तक की राशि प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की बैठक गुरुवार, दिनांक 19 मार्च, 2015 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 19.32 बजे गुरुवार, दिनांक 19 मार्च, 2015 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट-1

नियम 295 के तहत विशेष उललेख की सूचनाएं जिन्हें पढ़ा हुआ माना गया

राजस्थान विंग होम गार्डस को अन्य पुलिसकर्मियों की भांति सुविधाएं

मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान विंग होम गार्ड्स की चार बटालियनों के 2,664 जवान पिछले लम्बे अर्से से जेलों की सुरक्षा, कानून व्यवस्था, अवैध खनन रोकने, थर्मल पावर प्लांटों की सुरक्षा एवं उच्च न्यायालयों की सुरक्षा व वन विभाग में आर ए सी पुलिस जेल प्रहरी के शत-प्रतिशत समान सेवायें दे रहे हैं, परन्तु जवानों से 50 वर्ष पुरानी नीति के अनुसार ही न्यूनतम मानदेय पर ही कार्य लिया जा रहा है, जबकि अन्य राज्यों यथा गुजरात, पश्चिम बंगाल, मेघालय व त्रिपुरा की बोर्डर विंग होम गार्ड्स जवानों की भांति राजस्थान बोर्डर विंग होम गार्ड्स जवानों की ये मांग हैं जिन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर पूर्ण करने की मैं मांग करना हूं:-

1. मैस भत्ता पुलिस व आर ए सी के समान दिया जावे;
2. वर्ष भर सेवायें ली जाती हैं परन्तु कोई अवकाश नहीं दिया जाता है। अत: पुलिस व आर ए सी के समान अवकाश स्वीकृत किया जावे;
3. जवानों का प्रति पांच वर्ष बाद नवीनीकरण किया जाता है। बार-बार नवीनीकरण को बन्द किया जाना चाहिए व सेवानिवृति आयु 55 से 60 की जावे;
4. ड्यूटी पर बीमार जवानों को मेडिकल भत्ता लागू किया जावे; एवं
5. जवानों को नियुक्ति तिथि से सेवानिवृत्ति तक एक ही वेतन दिया जाता है। 365 दिवस सेवाएं देने पर एक वेतन वृद्धि स्वीकृत की जावे।

किशनाराम
(डूंगरगढ़)

अकलेरा (मनोहरथाना) में पुलिस चौकी की स्थायी व्यवस्था हेतु पुराने पुलिस थाना भवन का आबंटन

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना में नगरपालिका क्षेत्र अकलेरा में स्थित पुराना पुलिस थाना भवन (वर्तमान

खण्डर) जिसमें सन् 1970 से 2001 तक पुलिस थाना संचालित था, सन् 2001 से सरकार द्वारा आबंटित नये भवन में संचालित है। पुराने पुलिस थाना भवन की बाउंड्री में एक कुआं, एक ट्यूबवेल (चालू हालत में) व एक मन्दिर स्थित हैं। पुराने पुलिस थाने की भूमि पर अतिक्रमण किया जा रहा है और खण्डर भवन में असामाजिक तत्व पनप रहे हैं। अकलेरा कस्बे में वर्ष 2013 से पुलिस चौकी खुली है जिसको कोई भूमि व भवन आबंटित नहीं किया गया है। पुलिस चौकी को अस्थाई रूप से ट्रैफिक एड सेन्टर में संचालित किया जा रहा है।

अत: आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि तत्काल पुलिस चौकी पुराने थाना भवन से संचालित की जावे जिससे आम जनता को राहत मिल सके।

कंवर लाल

(मनोहरथाना)

विद्यार्थी मित्र व कुक-कम-हैल्पर के मानदेयों में वृद्धि

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि सरकार द्वारा हटाये गये विद्यार्थी मित्रों के सम्बन्ध में क्या सरकार वर्तमान में कोई कार्य योजना बनाकर इनको रोजगार देने के सम्बन्ध में मंशा रखती है या नहीं? सरकारी विद्यालयों में रिक्त पदों के कारण छात्रों को उचित शिक्षा नहीं मिल पा रही है तथा विद्यार्थी शिक्षा का लाभ भी सही ढ़ंग से नहीं उठा पा रहे हैं, जिसके कारण विद्यार्थियों का भविष्य खतरे में है। सरकारी विद्यालयों में रिक्त पड़े पदों के कारण शिक्षा के अभाव में आम जन अपने बच्चों को शिक्षा के लिए सरकारी विद्यालयों की बजाय निजी विद्यालयों में प्रवेश दिला रहे हैं जिससे उनका आर्थिक शोषण हो रहा है तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि निजी विद्यालयों में ग्रामीण परिवेश में Untrained अध्यापकों द्वारा विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है।

इन विद्यार्थी मित्रों के पास 3 साल का अनुभव है। सुराज संकल्प यात्रा के दौरान इनके स्थायीकरण के लिए हमारी पार्टी ने आश्वासन भी दिया था तथा चुनाव के बाद इनको विद्यालय सहायक घोषित करने की चर्चा चली थी, किन्तु आज दिन तक ऐसा नहीं करने की वजह से ये विद्यार्थी मित्र बेरोजगार हैं तथा आंदोलन को मजबूर हैं।

इसके साथ ही, सरकारी विद्यालयों में मिड-डे मील के लिए नियुक्त कुक-कम-हेल्परों का मानदेय वर्तमान में 1,000 रुपये है, जो इनके भरण-पोषण के लिए पर्याप्त नहीं है। इस परिस्थिति में ये अपने परिवार का खर्चा चलाने

में भी असमर्थ हैं। अत:, अध्यक्ष जी, मैं सदन में आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहूंगा कि इनके मानदेय को बढ़ाया जायेगा जिससे ये अपना भरण-पोषण आसानी से कर सकें।

अत: अध्यक्षजी, सदन में मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि सरकार सरकारी विद्यालयों के विकास के लिए विद्यार्थी मित्रों व कुक-कम-हेल्परों के हितों को ध्यान में रखते हुए, इस दिशा में सकारात्मक प्रयास कर राजस्थान में बेरोजगारी कम करने के लिए कोई ठोस कार्य योजना बनाकर, माननीया मुख्य मंत्री द्वारा सुराज संकल्प यात्रा के दौरान प्रदेश के 15 लाख लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का जो वादा किया गया है, उसको पूरा करने में एक कदम आगे बढ़ाकर मुख्यमंत्री की सोच 'नई दिशा नया राजस्थान' की परिकल्पना को साकार करे एवं कुक-कम- हेल्परों के मानदेय को बढ़ाया जायें और विद्यार्थी मित्रों को विद्यालय सहायक के रूप में नियुक्त किया जाये।

शुभकरण चौधरी

(उदयपुरवाटी)

फतेहपुर-शेखावाटी (सीकर) में वर्षा जल की निकासी का अभाव

राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख द्वारा बरसाती पानी निकासी एवं हवेलियों के संरक्षण के सम्बन्ध में सरकार का ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूं।

पर्यटन, कला एवं संस्कृति का विकास हमारी प्राथमिकता है। वर्ष 2015-16 में पर्यटन कला एवं संस्कृति क्षेत्र के लिए 244 करोड़ 46 लाख रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है जो कि पिछले वर्ष से 68 प्रतिशत अधिक है। इस प्रावधान का लाभ पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हमारे फतेहपुर क्षेत्र को मिले, इसके लिए कुछ आधारभूत सुविधाओं की महती आवश्यकता है।

विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर शेखावाटी का अपनी स्थिति और आस-पास के गांवों के परिवेश में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक स्थान है। कस्बा फतेहपुर-शेखावाटी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 व 65 के मध्य में स्थित है; जयपुर, सीकर, चूरू व बीकानेर से रेल व बस मार्ग से जुडा हुआ है तथा कस्बे फतेहपुर में राजकीय रेफरल अस्पताल व कस्बे फतेहपुर की जनसंख्या एक लाख से अधिक है।

फतेहपुर कस्बे के मुख्य छतरियां बस स्टैण्ड पर बरसाती पानी भराव की समस्या काफी वर्षो से है। पश्चिमी राजस्थान से व बाकी राजस्थान के

लोगों को यात्रा के दौरान फतेहपुर के छतरिया बस स्टैण्ड से होकर गुजरना पड़ता है तो इस समस्या से हर कोई वाकिफ है क्योंकि यह समस्या मुख्य बस स्टैण्ड पर है। बस स्टैण्ड व पास में ही बाजार होने की वजह से यात्रियों, व्यापारियों, शहर व आस-पास के गांवों से आने-जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फतेहपुर में विदेशी पर्यटक भी बहुत आते हैं क्योंकि यहां पर बहुत सुन्दर-सुन्दर हवेलियां हैं और उनमें बहुत ही अच्छी कलाकृतियां, भिति चित्र बने हुए हैं, जो कि ओपन आर्ट गैलरी के नाम से प्रसिद्ध हैं।

शेखावाटी क्षेत्र में हवेलियों का संरक्षण एवं आधारभूत सुविधाओं का योजनाबद्ध विकास कार्य किया जाना अतिआवश्यक है।

माननीया मुख्य मंत्री जी सुराज संकल्प यात्रा के दौरान जब फतेहपुर आई थीं, तब उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि यहां कितनी सुंदर-सुंदर हवेलियां हैं, पर शहर में गन्दगी बहुत ज्यादा है। अब समय आ गया इस गंदगी को फतेहपुर शहर से हटाया जायें, जो नगर फतेहपुर में वर्षों से जमी हुई है। आमजन व पर्यटकों की समस्या को देखते हुए बरसाती पानी निकासी की अलग से योजना बनाकर समाधान करना अतिआवश्यक है।

बरसाती पानी की निकासी का माकूल इंतजाम नहीं होने के कारण शहर के लोगों के लिए आफत खड़ी हो जाती है। बरसात के बाद छतरिया बस स्टैंड, बावडी गेट, पुराने सिनेमा हाल, मंडावा रोड व शहरभर में पानी जमा हो जाता है। छतरिया बस स्टैण्ड के पास दुकानों में पानी भरने से व्यापारी भड़क जाते हैं, नाराज व्यापारी सड़क पर जाम लगा देते हैं व धरना-प्रदर्शन करते रहते हैं। व्यापारियों का आरोप है कि इतना नुकसान होने के बावजूद भी प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता है। नगरपालिका की ओर से पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की जाती है। इससे आमजन को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ता है।

मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं, कि सीकर जिले के फतेहपुर-शेखावाटी में मुख्य छतरियां बस स्टैण्ड पर बरसाती पानी भराव की समस्या मेरे क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण समस्या है। इस समस्या का सही समाधन होने पर ही फतेहपुर-शेखावाटी की हवेलियां सुरक्षित रह सकती है। इससे ज्यादा पर्यटक देखने आयेंगे और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इसलिए इस समस्या को दूर करने हेतु अलग से इस पानी भराव निकासी की योजना बनाने के आदेश

पारित कर व इस बजट सत्र 2015-16 में शामिल कर, इस गम्भीर समस्या से आमजन को राहत दिलायें।

नन्दकिशोर महरिया

(फतेहपुर)

टोंक जिला मुख्यालय स्थित हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र का नगर परिषद को हस्तांतरण

राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया नियम 295 के तहत में एक अत्यन्त ही लोक महत्व के विषय की ओर राज्य सरकार तथा नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री जी ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र टोंक जिला मुख्यालय पर हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं के विकास की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

वर्ष 1990-91 में टोंक जिला मुख्यालय पर राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की योजना को राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा प्रारम्भ किया गया था। उस समय के अनुमान के अनुरूप ही क्षेत्र में सीवरेज लाइन बिछाई गई और सड़क निर्माण कार्य एवं पाकों का विकास भी करवाया गया। यह योजना सफल रही। आज इसमें लगभग दस हजार की आबादी निवास कर रही है; जो कि उस समय के अनुमान से दस गुणा अधिक है। यही कारण है कि उस समय की बिछाई गई सीवरेज लाइन अत्यन्त छोटी साबित हुई और अब प्राय: चौक हो जाती है। रही-सही कसर साफ-सफाई ने पूरी कर दी है क्योंकि हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र की साफ-सफाई एवं अन्य कार्य भी हाउसिंग बोर्ड के ही जिम्मे है। ऐसे में सीवरेज का पानी कहीं-कहीं सड़कों पर आ जाता है।

रोड लाइट का अभाव, सीवरेज का जमा पानी, क्षतिग्रस्त सड़कें और उन पर गड्ढे दुर्घटनाओं का सबब बन रहे हैं। अधिशासी अभियन्ता का कार्यालय भी जयपुर में होने से आमजन की समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाता है।

अत: सरकार से मांग करता हूं कि हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र को नगर परिषद टोंक को हस्तान्तरित किया जावे तथा पर्याप्त बजट का प्रावधान कर, सडकों के निर्माण, सीवरेज, सार्वजनिक पार्कों के विकास हेतु जबट राशि स्वीकृत कर कार्य करवाये जावें। धन्यवाद। जय हिन्द।

अजीत सिंह

(टोंक)

सवाई माधोपुर में शेष सीवरेज कार्य की शीघ्र पूर्णता

मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत सवाई माधोपुर में शेष बचे हुए सीवरेज लाइन कार्य के सम्बन्ध में सदन को अवगत कराना चाहती हूं।

महोदय, सवाई माधोपुर शहर के लिए RUIDP द्वारा सीवरेज लाइन डालने का कार्य करवाया गया है। इसमें विभाग द्वारा पूरे शहर में सीवरेज लाइन नहीं डाली गई; केवल 40 प्रतिशत क्षेत्र ही सीवरेज लाइन में लिया गया, जिसमें भी कई भागों को छोड़ दिया गया है। इससे शहर के 6000 परिवार ही लाभांवित हुए हैं। शेष भाग के 24,000 परिवारों को लाभांवित किया जाना बाकी है। अभी तक इन परिवारों का गंदा पानी, आदि शहर के लटिया नाले में बह रहा है।

RUIDP द्वारा अब तक इस कार्य में लगभग 31.50 करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं। शेष भाग की सीवरेज लाइन के लिए अनुमानित राशि 70.00 करोड़ रुपय व्यय होगी।

सवाई माधोपुर शहर के लिए RUIDP द्वारा पूरे शहर की DPR बनाई गई थी। RUIDP द्वारा प्रथम फेज का कार्य पूरा किया गया, जिसके अनुसार Railway Line के WEST Portion को लिया गया और मुख्य S.T.P. Sewerage Treatment Plant (10 M.L.D.) का निर्माण दोंदरी गांव के पास कर दिया गया है। यह Sewerage Treatment Plant आने वाले समय और आबादी के हिसाब से पर्याप्त है। इसलिए अब सिर्फ शेष रेलवे लाइन के EAST में ही सीवरेज लाइन डालने का काम किया जाना है।

यहां गौरतलब है कि शहर में सड़कें काफी छोटी और सकड़ी हैं। इस कारण Septic Tank बनाने की जगह नहीं है। इस कारण गन्दगी से छुटकारा पाने के लिए और खुले में बह रही गंदगी से बचने के लिए सीवरेज लाइन का शेष बचा कार्य किया जाना अति आवश्यक है। शहर का एक मात्र लटिया नाला, जिसमें बरसाती पानी आता है, वह इस खुले में बह रही गन्दगी के कारण दूषित हो रहा है।

अत:, महोदय, सवाई माधोपुर में रणथम्भौर टाईगर रिजर्व व त्रिनेत्र गणेश मंदिर होने के कारण यह स्थान पर्यटकों की पसंद रहा है। ऐसे में जब पर्यटक यहां आते हैं और शहर की गन्दगी और खस्ता हालत को देखते हैं तो उनके दिल में हमारे देश, राजस्थान और सवाई माधोपुर के बारे में और यहां की सरकार व प्रशासन के बारे में बड़ा बुरा असर पड़ता है। अत: सवाई

माधोपुर में शेष बकाया चल रहे दूसरे फेज के सीवरेज कार्य को अतिशीघ्र करवाया जाना अतिआवश्यक है।

राजकुमारी दियाकुमारी

(सवाई माधोपुर)

किशनगढ़ के वर्तमान रेलवे स्टेशन को उप-नगरीय स्टेशन के रूप में रखे जाने हेतु रेलवे मंत्रालय को प्रस्ताव

मैं, सदन का ध्यान राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से आकर्षित करना चाहूंगा कि किशनगढ़ (अजमेर) स्थित वर्तमान रेलवे स्टेशन नगर के मध्य में स्थित है जहां पर शहरी क्षेत्र के वाशिन्दों, व्यापारियों एवं आने-जाने वाले आस-पास के 60-70 किलोमीटर तक के उपखण्ड-वासियों को काफी सुविधाजनक आवागमन उपलब्ध है। गत वर्षों में केन्द्रीय स्तर पर निर्माणाधीन दिल्ली-मुंबई फ्रैट कारिडोर (दिल्ली-मुबंई माल भाड़ा गलियारा) योजना के निर्माण के चलते वर्तमान रेलवे स्टेशन को आगामी 1-2 वर्षों में यहां से हटाकर उक्त स्टेशन पर नई रेलवे लाइन बिछायी जाना प्रस्तावित है। उक्त रेलवे स्टेशन किशनगढ़ का नवनिर्माण नगर के अन्तिम छोर पर अजमेर रोड पर स्थित फरासिया क्षेत्र में किया जा रहा है। तत्पश्चात् उक्त रेलवे स्टेशन का नाम न्यू किशनगढ़ होगा।

वर्तमान रेलवे स्टेशन को अन्यत्र शिफ्ट किये जाने पर नगरवासियों को कोई आपति नहीं है लेकिन वर्तमान रेलवे स्टेशन परिसर में उपनगरीय रेलवे स्टेशन रखा जाना अति आवश्यक है ताकि पेसेन्जर एवं सवारी गाड़ी यात्रा करने का लाभ आमजन को मिल सके।

मान्यवर, उक्त नवीन निर्माणाधीन रेलवे स्टेशन वर्तमान नगरीय क्षेत्र की मुख्य आबादी क्षेत्र (लगभग 2 लाख 40 हजार की जनसंख्या) से लगभग 8 से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है जहां पर आवागमन के नये मार्गों को विकसित किया जा रहा है। उक्त फरासिया क्षेत्र में लगभग 8-10 हजार की आबादी ही निवासरत है और क्षेत्र पूर्णतया अविकसित एवं अनियोजित है तथा क्षेत्र के विकास में लगभग 10-12 वर्ष लग जायेंगे। इसमें वर्तमान नगरीय क्षेत्र की 90 प्रतिशत आबादी को इस नये रेलवे स्टेशन के निर्माण से काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ेगा। वहीं, दूसरी ओर, किशनगढ़ शहर के दूसरे छोर पर जयपुर रोड पर चिडिया बावड़ी के पास नवीन बस स्टैण्ड का निर्माण

किया जा रहा है जिससे निर्माणाधीन रेलवे स्टेशन की दूरी 9 कि.मी. हो जायेगी, जबकि वर्तमान कार्यरत स्टेशन मात्र 3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। इस प्रकार, निर्माणाधीन रेलवे स्टेशन आने-जाने वाली नगरीय आबादी को भविष्य में अनावश्यकक श्रम, समय एवं टैक्सी भाड़ा का अनावश्यक आर्थिक भार वहन करना पड़ेगा, और दूसरी ओर, उक्त निर्माणाधीन रेलवे स्टेशन पर आने-जाने वाले यात्रियों को यात्रा कर किशनगढ़ नगरीय क्षेत्र में स्थित विभिन्न कालोनियों में जैसे मित्र निवास, इन्द्रानगर, चैनपुरिया, शिवाजी नगर, नया शहर एवं पुराना शहर, आदि स्थानों पर पहुंचने में अत्यन्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही, आस-पास के 40-50 कि.मी. में स्थित ग्रामों के ग्रामवासियों का उक्त स्टेशन पर आवागमन दुश्वर-सा हो जायेगा।

मान्यवर, इस सन्दर्भ में आपसे करबद्ध निवेदन है कि गत वर्षों में किशनगढ़ नगरीय आबादी में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है जिस कारण आज किशनगढ़ की जनसंख्या से राज्य के 20 जिला मुख्यालय पिछड़े हुए हैं और भविष्य में भी जनसंख्या का विस्तार सुनिश्चित है। अतः आप औद्योगिक, मार्बल एवं हाइवे नगरी किशनगढ़ में भी राज्य के महानगरों, जैसे जयपुर में स्थित गांधीनगर, कनकपुरा तथा अजमेर में स्थित मदार, आदर्श नगर, दौराई, आदि स्थित उपनगरीय रेलवे स्टेशन जैसा एक नवीन उपनगरीय रेलवे स्टेशन वर्तमान कार्यरत रेलवे स्टेशन किशनगढ़ परिसर में ही निर्मित किये जाने की विभागीय कार्यवाही कराते हुए, रेल मंत्रालय, भारत सरकार एवं राज्य स्तरीय रेलवे उच्चाधिकारियों से सक्षम स्वीकृति जारी करावें ताकि नगर की मुख्य आबादी एवं आमजन को रेलवे यात्रा का सुगम आवागमन की सुविधा का लाभ मिल सके। ज्ञात रहे कि वर्तमान रेलवे स्टेशन परिसर में उक्त उपनगरीय रेलवे स्टेशन निर्माण हेतु पर्याप्त जगह उपलब्ध है।

भागीरथ चौधरी

(किशनगढ़)

पीपल्दा में सिंचित क्षेत्र विकास विभाग द्वारा पांच लिफ्ट परियोजनाएं बनाये जाना

मेरे विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में सी ए डी के तीन डिविजन पड़ते हैं, आर एम सी-प्रथम कोटा; आर एम सी-द्वितीय अन्ता; एवं सी ए डी खण्ड तृतीय इटावा, जिनका कुल सिंचित क्षेत्र 71,874 हेक्टेयर है। लम्बा नहरी तंत्र होने के कारण टेल क्षेत्र के किसानों को समय पर पानी नहीं मिल पाता, जिसके कारण

यहां न तो समय पर पिलावा होता है, न ही समय पर फसलों को पानी मिलता है एवं किसानों को काफी बड़ी आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। गत वर्षो में सी ए डी द्वारा नहरों में पानी छोड़ने व उसे समय रहते टेल क्षेत्र में पहुंचाने की बात करें तो विभाग को कभी भी सफलता नहीं मिली, जिसके कारण क्षेत्र के किसान लगातार आन्दोलन करते हैं। टेल क्षेत्र के किसानों को समय पर पानी नहीं मिलने के कारण आये दिन समावार पत्रों में समाचार प्रकाशित होते रहते हैं।

मैंने विधायक निर्वाचित होने के बाद तीनों ही डिविजनों पर सम्बन्धित अधिकारियों को साथ लेकर सम्पूर्ण स्थिति का जायजा लिया एवं आ रही परेशानियों के स्थायी समाधान के लिए चर्चा की। इस परेशानी को स्थाई रूप से दूर करने के लिये सी ए डी विभाग द्वारा पांच लिफ्ट परियोजनाएं बनाई जाकर राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भिजवाई गई हैं, जो निम्न प्रकार हैं:-

1. लिफ्ट चैनल खारी नाला से किशनगंज डिस्ट्रिब्यूटरी टेल एरिया बूढादीत के पास,
2. छापोल डिस्ट्रिब्यूटरी पर पार्वती नदी के पास ग्राम जटवाडी,
3. गैंता डिस्ट्रिब्यूटरी पर कालीसिंध नदी के पास ग्राम खेडली,
4. अयाना डिस्ट्रिब्यूटरी पर मैन ड्रेन नाले पर ग्राम लुहावद, एवं
5. लक्ष्मीपुरा डिस्ट्रिब्यूटरी पर मेन ड्रेन नाले पर ग्राम गण्डावद।

इन सभी लिफ्ट परियोजनाओं में हैड के किसानों द्वारा व्यर्थ बहाये गये पानी व पास से गुजर रही नदियों से पानी उठाकर उपयोग लिया गया है।

मैं आपका ध्यान सी ए डी के तीनों डिविजनों में सहायक अभियन्ता, कनिष्ठ अभियन्ता, पटवारी एवं लिपिकों के 70 प्रतिशत पद काफी समय से रिक्त चल रहे हैं, इस ओर दिलाना चाहता हूं। तकनीकी अधिकारियों के पद रिक्त रहने के कारण विभाग द्वारा कराये जा रहे कार्यों की समय पर मोनिटरिंग एवं निरीक्षण नहीं हो पाता, जिससे क्षेत्र में चल रहे कार्यों की गुणवत्ता पर भी प्रभाव पड़ता है।

सम्पूर्ण नहरी तंत्र को जल उपभोक्ता संगमों के माध्यम से देखरेख में दिया हुआ है। ऐसा अनुभव में आया है कि जल उपभोक्ता संगम के निर्वाचित प्रतिनिधि न तो राजस्व एकत्रित करने, न ही कार्य की गुणवत्ता का निरीक्षण करने में और न ही नहरी तंत्र की अन्य व्यवस्थाओं में रुचि ले रहे हैं, जिसके कारण सम्पूर्ण क्षेत्र में अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ता है।

मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी का गत बजट में दायीं मुख्य नहर के जीर्णोद्धार एवं मरम्मत हेतु 75 करोड़ की राशि दिये जाने के लिये आभार व्यक्त करता हूं और इस नहरी तंत्र को आगे मजबूत करने के लिये इस बजट में भी इतनी ही राशि दिये जाने की मांग करता हूं। साथ ही, रिक्त पदों को जल्द ही भरे जाने का आग्रह भी करता हूं।

विद्याशंकर नन्दवाना

(पीपल्दा)

नावां शहर से दूर स्थित 9 ग्राम पंचायतों को कुचामन तहसील के अधीन किया जाना

नावां विधान सभा क्षेत्र में दो तहसील, नावां, कुचामन; दो उपखण्ड कार्यालय, नावां, कुचामन; दो पंचायत समितियां, नावां, कुचामन; तथा चार पुलिस थाने, नावां, कुचामन, मारोठ तथा चितावा का कार्य क्षेत्र लगता है।

दो पुलिस थानों, कुचामन एवं चितावा की सीमा क्षेत्र में लगने वाली ग्राम पंचायतें, तहसील कुचामन, पंचायत समिति कुचामन एवं उपखण्ड कुचामन सिटी कार्यालयों के अधीन आती हैं एवं इसी भांति द्वितीय दो पुलिस थाना, नावां एवं मारोठ की सीमा क्षेत्र में लगने वाली ग्राम पंचायतें, तहसील कार्यालय नावां, पंचायत समिति नावां एवं उपखण्ड नावां कार्यालयों के अधीन आती हैं। प्रशासनिक दृष्टि से यह सर्वोत्तम व्यवस्था है।

चारों पुलिस थानों का कार्य क्षेत्र ग्राम पंचायतवार सही है। इसी भांति दोनों पंचायत समितियों का कार्य क्षेत्र भी ग्राम पंचायतवार सही है एवं दोनों उपखण्ड कार्यालयों का भी कार्य क्षेत्र ग्राम पंचायतवार सही एवं सुगम है, लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से ग्राम पंचायतवार नावां तहसील में लगने वाली नौ ग्राम पंचायतें-भावता, इण्डाली, नगवाडा, नालोट जिजोट, घाटवा, खोरन्डी, लालास, हुडील टोडास, आदि नावां शहर से ज्यादा दूर पड़ती हैं एवं उक्त ग्राम पंचायतों के लिये सीधा सड़क सम्पर्क भी नहीं है। उक्त ग्राम पंचायत के लोगों को तहसील कार्य हेतु नावां शहर में जाने के लिये लगभग 70-80 किमी. कई गाड़ियां व बस रूट बदल-बदल कर जाना पड़ता है। जबकि उक्त ग्राम पंचायतें कुचामन तहसील से 10-30 किमी. की दूरी पर समाहित हैं, जो बेहद सुगम व सुलभ है।

ऐसी अवस्था में क्षेत्र के लोगों की लम्बे समय से मांग चली आ रही है कि नावां शहर से दूर पड़ने वाली सभी नौ ग्राम पंचायतों का तहसील कार्यालय कुचामन ही रखा जावे।

अत: मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध है कि गम्भीर विषय को ध्यान में रखते हुए जन हित में उपरोक्त कार्य में संशोधन जन आकांक्षा के अनुसार करके क्षेत्र के लोगों को लाभान्वित करवाने का कष्ट करावें।

विजय सिंह

(नावां)

चाकसू (जयपुर) में राजकीय महाविद्यालय खोला जाना

राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 295 के तहत मैं विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि चाकसू जयपुर से लगभग 40 किलोमीटर दूर है तथा टोंक चाकसू से लगभग 60 किलोमीटर दूर है। इस 100 किलोमीटर के क्षेत्र में कौथून, चाकसू, फागी, कोटखावदा, गोनेर, मांजी रेनवाल, शिवदासपुरा, निवाई, आदि कई छोटे-बड़े कस्बे बसे हुए हैं जिनकी आबादी लगभग 5-6 लाख है। निजी क्षेत्र द्वारा संचालित महाविद्यालयों की मोटी फीस व कम गुणवत्ता की पढ़ाई के कारण छात्रों को उच्च शिक्षा पाने के लिए जयपुर या टोंक के सरकारी महाविद्यालयों में अध्ययन के लिए जाना पड़ता है। दूरी अधिक होने तथा शिक्षा के अभाव में इस क्षेत्र के अभिभावक अपने बच्चों को 40-50 किलोमीटर दूर नहीं भेज पाते हैं, जिसके कारण अनेक बालक-बालिकाएं उच्च शिक्षा पाने से वंचित रह जाती हैं।

सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रावधानों के तहत करोड़ों की राशि खर्च कर रही है। विधान सभा क्षेत्र चाकसू में राजकीय महाविद्यालय का होना अति आवश्यक है। हमारी माननीया मुख्य मंत्रीजी, जो बालिका शिक्षा के प्रति सदैव उच्च स्तर तक प्रयासरत हैं, उनसे और उच्च शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि चाकसू (जयपुर) में राजकीय महाविद्यालय खोलना आवश्यक है।

अत: मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि विधान सभा क्षेत्र के उपखण्ड चाकसू (जयपुर) में तत्काल प्रभाव से, प्राथमिकता के आधार पर, राजकीय महाविद्यालय खोलने की घोषणा करें। साथ ही मौजूदा सत्र में वित्तीय स्वीकृति जारी करवाकर महाविद्यालय की

स्थापना की जावे। ताकि आगामी सत्र से क्षेत्र के बालक-बालिकाएं लाभान्वित हो सकें।

लक्ष्मीनारायण बैरवा

(चाकसू)

नोहर-पल्लू सड़क (हनुमानगढ़) का राजमार्ग के रूप में विकास

उपरोक्त विषयान्तर्गत मैं आपका ध्यान हनुमानगढ़ जिले की नोहर एवं रावतसर तहसीलों की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क की ओर ले जाना चाहूंगा। यह सड़क नोहर से पल्लू है, जिसकी लम्बाई लगभग 70 किलोमीटर है और यह सड़क हनुमानगढ़ जिले की सबसे पुरानी सड़कों में से एक है। नोहर से पल्लू केवल दो तहसीलों को ही नहीं, अपितु सिरसा से बीकानेर को आपस मे जोड़ती है। यह सड़क इसलिये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पल्लू में एक बहुत ही भव्य माताजी का मंदिर है तथा हर वर्ष पल्लू में लगभग एक माह के लिये श्रदालुओं द्वारा बहुत ही विशालकाय मेले का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें लाखों की तादाद में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश के भक्तजन माता के दरबार में पूजा-अर्चना के लिए आते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन है कि नोहर से पल्लू सड़क को इस वित्तीय वर्ष में हाइवे के रूप में विकसित किया जाये, जिसके तहत सम्पूर्ण 70 किलोमीटर के इस टुकड़े को सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण करके इसकी चौड़ाई भी बढ़ाई जाए। वर्तमान में जिले में काफी सड़कों का राज्य सरकार द्वारा अलग-अलग मद से भिन्न-भिन्न योजना के माध्यम से विकास हुआ है, परन्तु इस सड़क को अभी तक कोई विशेष बजट सरकार द्वारा प्राप्त नहीं हो सका।

अत:, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय से निवेदन है कि अतिशीघ्र ही वे नोहर-पल्लू सड़क को अपने विभाग द्वारा जल्द से जल्द सर्वे करवाकर इसको हाइवे बनाने की घोषणा करके, इस सड़क पर पड़ने वाले दो दर्जन से अधिक गांवों तथा चार प्रदेशों के श्रद्धालुओं को लाभान्वित करें।

अभिषेक मटोरिया

(नोहर)

राज्य में मकान मालिकों द्वारा किरायेदारों व घरेलू नौकरों सम्बन्धी सूचना की पुलिस को प्रदायगी

निवेदन है कि राजस्थान के सभी जिलों में मकान मालिकों, द्वारा उनके मकानों में किरायेदार व नौकर रखे जाते हैं, जिनकी सूचना मकान मालिक

सम्बन्धित पुलिस थानों को नहीं देते हैं। राज्य सरकार के पुलिस विभाग द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से इस आशय के निर्देश जारी किये गये हैं कि मकान मालिक आवश्यक रूप से उनके मकान में रह रहे किरायेदारों की जानकारी नजदीक के थाने में आवश्यक रूप से दें। जयपुर शहर में हजारों की संख्या में किरायेदार अवैध रूप से निवास कर रहे हैं, जिनकी जानकारी सम्बन्धित पुलिस थानों को नहीं मिल पाती। मकान मालिकों द्वारा थानों में सूचना नहीं दिये जाने के अभाव में ऐसे हजारों लोग अवैध रूप से जयपुर सहित सभी जिलों में भारी संख्या में निवास कर रहे हैं। इनमें से कुछ अपराधी प्रवृत्ति के हैं, जो अपराध कर फरार हो जाते हैं। पुलिस ऐसे प्रकरणों में अपनी जांच पूरी नहीं कर पाती है क्योंकि अपराधी की सूचना सम्बन्धित थानों में नहीं हो पाती। इसके चलते राज्य में आये-दिन चेन स्नैचिंग, चोरी, हत्या, लूट, डकैती की घटनाओं में अभिवृद्धि हुई है, वहीं दूसरी ओर जयपुर सहित अनेक जिलों में ड्रग माफिया बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कारण युवा पीढ़ी में ड्रग्स की लत बढ़ती जा रही है। जयपुर शहर में एक ही मकान में कई लोग निवास कर रहे हैं, जिसकी जानकारी सम्बन्धित पुलिस थानों को नहीं मिल पाती।

यही नहीं, कुछ स्थानों पर अवैध रूप से पेईंग गेस्ट भी चल रहे हैं, जिसमें छात्र एवं काम करने वाले रह रहे हैं, जिसकी सूचना भी थानों में नहीं दी जाती है। इनमें भी कुछ लोग अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं।

अत: इनमें रह रहे लोगों की सूचना भी सम्बन्धित थानों को मिले, इस सम्बन्ध में भी दिशा-निर्देश एवं नियम बनाये जाएं।

मैं माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे राज्य में गृह विभाग के माध्यम से समस्त पुलिस थाना एवं पुलिस चौकियों में इस आशय के कड़ाई से निवेदन प्रदान करें एवं पुलिस स्वयं अपने स्तर पर भी ऐसे मकान मालिक, जो अपने मकान में किरायेदार रखते हैं, की जानकारी प्राप्त करें। मकान मालिक द्वारा अपने किरायेदारों/नौकरों की सूचना आवश्यक रूप से सम्बन्धित पुलिस थानों को दी जावे, ताकि राज्य में बढ़ रहे अपराधों पर अंकुश लगाया जा सके।

सुरेन्द्र पारीक

(हवामहल)

परिशिष्ट-2

मांग संख्या 16 – पुलिस पर प्राप्त कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-16 मुख्य शीर्षक पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये:-

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर) :

1. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में बढ़ रही लूट व चोरी की घटनाओं पर रोक नहीं लगाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
2. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में स्थित राजकीय हरिदेव जोशी सामान्य चिकित्सालय डूंगरपुर में सुरक्षा की व्यवस्था की दृष्टि से एक हैड कांस्टेबल व 6 कांस्टेबल की नियुक्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
3. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर के गांव गडा मोरैया, गामड़ी अहाडा, आमझरा, मोदर, शिवाजी नगर में पुलिस चौकी की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
4. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में पुलिस अधीक्षक, उप अधीक्षक, अतिरिक्त अधीक्षक सी.आई., थानेदारों के तथा गस्ती वाहनों के ड्राइवर एवं आफिसों में वर्षों से दफ्तरी का काम कर रहे कर्मचारियों का स्थानान्तरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
5. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में कांस्टेबल, हैड कांस्टेबल, सहायक उपनिरीक्षक आदि कर्मचारियों की वर्ष 2002 से अब तक पदोन्नति नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) :

6. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में पुलिस को नये वाहन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।
7. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के सभी थानों व पुलिस चौकियों में आवासीय भवन बनवाने के लिए विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
8. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के सभी थानों व पुलिस चौकियों में पूरा स्टाफ लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

9. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के ग्राम बडेदि, जैनपुर बास, डूमरोली, परतापूर, रायसराना, तसीग, नागलीयां गडाला में पुलिस चौकी स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

10. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में ट्राफिक व्यवस्था को सुचारु करने के लिए ट्राफिक पुलिस थाने की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर) :

11. जिला जालौर के समस्त थानों को विडियो कांन्फ्रेसिंग से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

12. विधान सभा क्षेत्र आहौर की पुलिस चौकी भाद्रजून को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़) :

13. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के पुलिस थाना बालेसर में पुलिस निरीक्षक का नवीन पद सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

14. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ की पंचायत समिति सेखाला मुख्यालय पर पुलिस थाना खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

15. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के थाना इलाकों में हो रही अवैध शराब, डोडा, अफीम, हथियार आदि की तस्करी व बिक्री रोकने में असमर्थ एस.एच.ओ. की जिम्मेदारी तय करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

16. जोधपुर जिले में पुलिस कर्मियों द्वारा प्राथमिकी अभिलिखित करने से मना करने, विलम्ब करने एवं परिवादों की जांच के नाम पर लम्बित रख कर प्राथमिक संधारित नहीं करने की बढ़ती प्रवृति से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

17. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में 54 मील जवाहरनगर में नवीन पुलिस चौकी स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास) :

18. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में विद्युत ट्रांसफार्मरों की चोरी को रोकने के लिए पुलिस नफरी बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

19. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में पुलिस की मिलीभगत से हो रहे अवैध खनन के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

20. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास के हरसौली ग्राम में नया पुलिस थाना खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

21. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में अवैध खनन व गौ तस्करी रोकने के लिये पुलिस का अलग से सेल बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

22. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में कोट कासिम, किशनगढ़ बास व खैरथल थाने का अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय नीमराणा के स्थान पर भिवाड़ी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा-आबू) :

23. विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा में सी. ओ. सर्कल बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :

24. राज्य की पुलिस को आधुनिक संसाधनों-युक्त व साइबर क्राइम रोकने हेतु प्रशिक्षित किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी)

25. जोधपुर कमिशनरेट के अन्तर्गत आने वाले भवन विहिन पुलिस थानों/चौकियों के आधुनिक सुविधानुसार भवनों का निर्माण कराने एवं पुलिस थाना झंवर व पुलिस के पुराने भवनों की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

26. प्रदेश में पुलिस कर्मियों को विभिन्न आयोगों व उच्च अधिकारियों से भयमुक्त होकर कार्य करने एवं उनके परिवार को भारतीय सेना के समान सुविधा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

27. प्रदेश में बढ़ते साइबर क्राइम को ध्यान में रखते हुए उप निरीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारियों को साइबर क्राइम, क्रिमिनोलोजी, फोरेन्सिक साइन्स इत्यादि की विशेष ट्रेनिंग देकर संसाधन उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

28. पुलिस कमिशनरेट जोधपुर के क्षेत्राधिकार में स्थित पुलिस थानों व पुलिस चौकियों में पुलिस निरीक्षक से कांस्टेबल तक के समस्त रिक्त पदों पर नियुक्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

29. विधान सभा क्षेत्र लूणी स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग पाली जोधपुर के ग्राम काकाणी, दुन्दाडा, भाण्डू कला, पोपावास एवं केरूबरू में भवन सहित पुलिस चौकियों की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुन्दरलाल (पिलानी) :

30. विधान सभा क्षेत्र पिलानी के मंडेला के पुलिस थानों के भवन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

31. विधान सभा क्षेत्र पिलानी के नरहड़ दरगाह में विदेशी जायरीनों की यात्रा के मद्देनजर पुलिस चौकी बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

32. विधान सभा क्षेत्र पिलानी के पुलिस थानों में कम्प्यूटर लगवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

33. झुन्झूनूं जिले में हरियाणा राज्य की सीमा पर स्थित थानों को नए वाहन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण) :

34. विधान सभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण में अकबरपुर में पुलिस थाना खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

35. विधान सभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण में मालाखेड़ा में पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :

36. पाली जिले के बांकली ग्राम में स्थाई पुलिस चौकी स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

37. पाली जिले के गुड़ा एन्दला थाना को गुन्दोज पुलिस चौकी के स्थान पर पारस्परिक स्थानान्तरित करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

38. पाली जिले की पुलिस चौकी चाणोद को थाने में क्रमोन्नत करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अमृतलाल (सलूम्बर) :

39. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में पुलिस थाना सराडा के आवासीय क्वार्टर की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

40. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के गींगला में पुलिस थाना खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

41. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के ग्राम ईटाली खेड़ा, टोकर में नई पुलिस चौकियां खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

42. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के सल्लाडा में पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

43. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के ग्राम सेमारी के पुलिस थाना भवन एवं आवासीय क्वार्टर बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) :

44. प्रदेश में हो रहे बच्चों के अपहरण की रोकथाम की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

45. पाली जिले में बढ़ रही चोरियों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

46. प्रदेश में पुलिस को द्रुत गति वाहन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

47. प्रदेश में कांस्टेबलों के वेतन भत्ते बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

48. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में मारवाड़ जंक्शन पुलिस थाना के भवन का नवीनीकरण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर) :

49. प्रदेश में पुलिस विभाग के सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों का हार्ड ड्यूटी भत्ता बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

50. प्रदेश में पुलिस विभाग के सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों का मैस भत्ता बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

51. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर की पुलिस लाइनों में आवास निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

52. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर वृत्ताधिकारी क्षेत्र में वृत्त क्षेत्र के पुलिस कांस्टेबल लगाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना) :

53. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में बालोतरा मुख्यालय पर महिला पुलिस थाना खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) :

54. गोरिया पुलिस चौकी अन्तर्गत थाना राणोली सीकर के जीणमाता, शाकम्भरी माता, रेवाजा, लोहारगल परिक्रमा में प्रतिदिन आने वाले यात्रियों की सुरक्षा एवं व्यवस्था बनाये रखने के लिए चौकी को क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) :

55. प्रदेश के बालकों के अपहरण एवं ठगी की घटनाओं में हो रही वृद्धि को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

56. प्रदेश में पुलिस थानों में पड़े हुए स्कूटर, मोटर साइकिलों आदि का विवरण थानेवार बनाकर जनता की जानकारी हेतु पुलिस की वेबसाइट पर डालने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

57. प्रदेश में योग्य पुलिस कार्मिकों का उपनिरीक्षक पुलिस की सीधी भर्ती में आरक्षण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी) :

58. पुलिस थाना बड़ी सादड़ी के जर्जर भवन की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

59. पुलिस थाना बड़ी सादड़ी, मंगलवाड़, डूंगला निकुम्भ (जिला चितौड़गढ़) एवं पुलिस थाना धमोतर, देवगढ़, रठाजना (जिला प्रतापगढ़) में रात्रि गश्त के लिए होमगार्ड की भर्ती करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

60. देलवास थाना डूंगला जिला चित्तौड़गढ़ में स्वीकृत पुलिस चौकी के भवन निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

61. थाना डूंगला जिला चित्तौड़गढ़ एवं थाना देवगढ़ जिला प्रतापगढ़ की चारदीवारी बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री प्रताप सिंह (छबडा) :

62. प्रदेश में ए.सी.बी. में दर्ज पूर्व विधायकों के मुकदमों पर कोई कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

63. विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में पाली व सारथिल को थाना बनाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

64. छबड़ा से छीपाबड़ौद तहसील क्षेत्र से लगी हुयी मध्य प्रदेश सीमा पर पुलिस गश्त करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर)

65. प्रदेश के पुलिस थानों में सी.एल.जी. (कम्युनिटी लायजन ग्रुप) के नए सिरे से गठन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

66. पुलिस थाना लूणकरणसर क्षेत्र में ग्राम पंचायत शेखसर व ग्राम पंचायत कपूरीसर के ग्रामों का क्षेत्राधिकार बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा करने के लिए।

67. पुलिस द्वारा राजस्थान में किये जाने वाले लाठी चार्ज की स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर) :

68. विधान सभा क्षेत्र खानपुर के खानपुर उपखण्ड में पुलिस थाने में सी.आई. पोस्ट सृजित किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) :

69. प्रदेश में पुलिस का व्यवहार जनता के प्रति सुसंस्कारित कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

70. प्रदेश में बीट प्रभार योजना को प्रभावशाली बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

71. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के थानों में लम्बित प्रकरणों का तत्काल निस्तारण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

72. प्रदेश में पुलिस के अफसरों व कर्मचारियों को वर्ष में 15 दिन का शारीरिक प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

73. प्रदेश में प्रति वर्ष 15 दिन का पखवाड़ा चलाकर पुलिस कर्मियों को अपराधों से निपटने का प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी) :

74. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में स्थित ग्राम पंचायत जसरापुर में नई पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

75. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में स्थित बबाई चौकी को क्रमोन्नत कर थाना बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

76. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में स्थित बसई चौकी को क्रमोन्नत कर पुलिस थाना बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

77. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में स्थित थाने में स्वीकृत समस्त पदों पर पदस्थापन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बंशीधर (खण्डेला) :

78. प्रदेश में पुलिस नफरी पूरी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

79. विधान सभा क्षेत्र खण्डेला में सी.ओ. कार्यालय एवं गोविन्दपुरा में पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर) :

80. हनुमानगढ़ जिले में पड़ौसी राज्य से हो रही घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए अधिक संख्या बल में पुलिस जाब्ता देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

81. विधान सभा क्षेत्र नोहर के उप तहसील खुईयां में एक नवीन पुलिस थाना खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

82. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भादरा के पद को प्रशासनिक एवं व्यवहारिक दृष्टि से नोहर मुख्यालय पर स्थानान्तरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

83. जिला हनुमानगढ़ तहसील नोहर के पुलिस स्टेशन में रात के समय नफरी बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा) (भरतपुर) :

84. विधान सभा क्षेत्र भरतपुर की अस्थाई पुलिस चौकी पीपला को स्थाई चौकी किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

85. विधान सभा क्षेत्र भरतपुर के थानों में नफरी बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

86. भरतपुर जिले में पुलिस निरीक्षक स्तर के थानों में पुलिस निरीक्षक लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

87. विधान सभा क्षेत्र भरतपुर की उच्चा नगला पुलिस चौकी को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

मास्टर मामनसिंह यादव (तिजारा) :

88. विधान सभा क्षेत्र तिजारा के भिवाड़ी में पुलिस अधीक्षक का कार्यालय सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

89. विधान सभा क्षेत्र तिजारा की गोठडा, गैरोली, फिरोजपुर बोर्डर, मोहन बाब गौशाला, खिदरपुर, रावड का टोल नाका, राहौड़ हरियाणा सीमा, मिलकपुर तुर्क पुलिस चौकियों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

90. विधान सभा क्षेत्र तिजारा में गौ तस्करी रोकने के लिए उड़न दस्तों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

91. विधान सभा क्षेत्र तिजारा के पुलिस थानों में कार्मिक बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

92. विधान सभा क्षेत्र तिजारा में अपराधिक गतिविधियों पर रोक की पुख्ता व्यवस्था के लिए मोबाईल पुलिस जाब्ता लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रतन लाल जलधारी (सीकर) :

93. सीकर पुलिस लाइन में नये आवास (अधिकारी/कांस्टेबल) एवं बैरक निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये 1

94. सीकर शहर में यातायात व्यवस्था सुचारु करवाने के लिए यातायात थाने में जाब्ता (नफरी) बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

95. सीकर जिले में अपराधों की रोकथाम के लिए नये पुलिस थाने व चौकियां खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

96. सीकर जिले में पुलिस नफरी बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर) :

97. प्रदेश में पुलिस को अपराध पर नियत्रंण हेतु संसाधन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) :

98. अलवर जिले से होकर हरियाणा व उत्तर प्रदेश को जाने वाले गौधन की तस्करी को रोकने के लिए विशेष दस्तों की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अजीत सिंह (टोंक) :

99. टोंक शहर में स्थित आवासन मण्डल कालोनी में असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर पुख्ता रोक लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

100. सम्पूर्ण टोंक नगर परिषद क्षेत्र में रात्रिकालीन गश्त की पुख्ता व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

101. विधान सभा क्षेत्र टोंक के उप तहसील बरवास में पुलिस थाना स्थापित करने एवं ग्राम पंचायत अरनिणापाल में पुलिस चौकी स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

102. सआयत चिकित्सालय परिसर टोंक में धर्मशाला के अन्दर स्थापित पुलिस चौकी को आमजन की सुविधा के लिए मुख्य प्रवेश द्वार के पास स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) :

103. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (जयपुर) में स्थित पुलिस चौकियों में रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

104. प्रदेश में आपराधिक अनुसंधान हेतु जांच व परीक्षण सुविधाओं में बढ़ोत्तरी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

105. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (जयपुर) में पुलिस कर्मियों हेतु भवन निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ललित कुमार (किशनगंज) :

106. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज की देवरी व रामगढ़ पुलिस चौकी को थाना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

107. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में रामगंज पुलिस चौकी के स्टाफ द्वारा जनता से अभद्र व्यवहार करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

108. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज के शाहाबाद तहसील से पिछले 14 माह में चोरी हुई 450 भैसें एवं 4 ट्रेक्टर अभी तक बरामद नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर) :

109. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर की पुलिस चौकियों व थानों में बिजली पानी एवं बोर्डर अलान्स देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

110. जैसलमेर शहर में चोरी हुई बोलेरो गाड़ी बरामद नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

111. जैसलमेर जिले में बड़े कस्बों में पुलिस थाना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़) :

112. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ के अन्तर्गत आने वाले थानों का पुर्न सीमांकन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ओमप्रकाश (महुवा) :

113. महुवा में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अजीत सिंह (टोंक) :

114. पुलिस थाना कोतवाली टोंक को सी.सी. टी.वी. कैमरे उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल (निवाई) :

115. विधान सभा क्षेत्र निवाई में अवैध बजरी परिवहन से हो रही दुर्घटनाओं की रोकथाम के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

116. विधान सभा क्षेत्र निवाई में सदर थाना खोलने एवं ग्राम करेड़ा बुर्जग, बगड़ी, नोहटा मोड़, गहलोद में नई पुलिस चौकियां खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

117. विधान सभा क्षेत्र निवाई के ग्रामों गुन्सी, राहोली, वनस्थली मोड़, झिराना, बनवाड़ा, सिरस, सोहेला की चौकियों में स्टाफ की कमी को पूर्ण करने एवं मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दलीचन्द डांगी (मावली) :

118. विधान सभा क्षेत्र मावली के ग्राम घासा में पुलिस भवन निर्माण कराने एवं रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री भीमा भाई (कुशलगढ़) :

119. विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में पुलिस थाना सज्जनगढ़, पुलिस चौकी कसारवाड़ी एवं पुलिस चौकी बगाईचा खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

120. विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ के ग्राम पंचायत साम्बेसरा, मोहकमपुरा, बड़ीसरवा एवं कोटड़ा राणगा में पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अनीता (नगर) :

121. विधान सभा क्षेत्र नगर में यू.पी. और हरियाणा बार्डर की वजह से प्रतिदिन हो रही वाहन चोरी की घटनाओं की रोकथाम की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

122. विधान सभा क्षेत्र नगर में जालूकी चौकी को क्रमोन्नत कर थाने में तब्दील करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

123. विधान सभा क्षेत्र नगर में शस्त्र लाइसेंस धारक की मृत्यु के बाद उसके वंशज को शस्त्र लाइसेंस जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

124. विधान सभा क्षेत्र नगर में शस्त्र नवीनीकरण प्रक्रिया में हो रही देरी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

125. विधान सभा क्षेत्र नगर में मेवात क्षेत्र की वजह से बढ रही गौ तस्करी की रोकथाम के लिए गौ पुलिस चौकी स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़) :

126. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के उपखण्ड किशनगढ़ के अन्तर्गत आने वाले पुलिस थानों में पर्याप्त नफरी लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

127. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के किशनगढ़ उपखण्ड में पुलिस को जवावदेही, पारदर्शी बनाने हेतु पुलिस उप अधीक्षक ग्रामीण एवं शहरी के अलग-अलग दो पदों का सृजन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

128. किशनगढ़ (अपमोडा स्थित गांधीनगर पुलिस थाने में पुलिस निरीक्षक (सी.आई.) का नवीन पद सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

राजकुमारी दियाकुमारी (सवाई माधोपुर) :

129. विधान सभा क्षेत्र सवाई माधोपुर में महिला पर्यटकों की सुरक्षा व्यवस्था को सुधारने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) :

130. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के विभिन्न थानों में नये संसाधन तथा उपकरण उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

131. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में चोरी की घटनाओं को रोकने हेतु रात्रि गश्त बढ़ाने तथा स्टाफ बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

132. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के सांभर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

133. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के किशनगढ़ रेनवाल थाने की चारदीवारी का निर्माण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

134. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के पचकोढिया में नई पुलिस चौकी खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर) :

135. विधान सभा क्षेत्र पुष्कर के पुष्कर थाने में आधुनिक हथियार उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

136. रूपनगढ उपखण्ड के थाने को सर्किल थाने में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

137. विधान सभा क्षेत्र पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर की सुरक्षा बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

138. पुष्कर थाना, गंगल थाना, रूपनगढ थाना में पर्याप्त स्टाफ लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

139. विधान सभा क्षेत्र पुष्कर के थानों का परिसीमन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र गुर्जर (देवली-उनियारा) :

140. विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में नासिरदा पुलिस चौकी को थाने में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री संजीव कुमार (भादरा) :

141. भादरा में पुलिस उपाधीक्षक (सी.ओ.) कार्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

142. विधान सभा क्षेत्र भादरा में शराब के ठेकों की उपशाखाएं (सब-ब्रांच) बन्द करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

143. विधान सभा क्षेत्र भादरा में अवैध शराब की तस्करी बन्द करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

144. विधान सभा क्षेत्र भादरा में चल रहे अवैध पर्ची सट्टा को बन्द करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती कमसा (भोपालगढ़) :

145. विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में सी.आई. पद स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ललित कुमार (किशनगंज) :

146. प्रदेश में पुलिस बल को आधुनिक सुविधा सम्पन्न बनाने एवं संसाधन उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री संजीव कुमार (भादरा) :

147. विधान सभा क्षेत्र भादरा के पुलिस थानों में स्टाफ की संख्या बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर) :

148. विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जगसी राम (रेवदर) :

149. विधान सभा क्षेत्र रेवदर आबूरोड रीको क्षेत्र में पुलिस थाना खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

150. विधान सभा क्षेत्र रेवदर के मण्डार चैक पोस्ट गुजरात बार्डर से गौ तस्करी व केमीकल तस्करी की रोकथाम की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेन्द्र पारीक (हवामहल) :

151. इन्द्रपुरी, गुर्जर घाटी वार्ड नं. 88 नगर निगम जयपुर में पुलिस थाना ब्रह्मपुरी की पुलिस चौकी की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

152. नाहरी का नाका चन्द्रशेखरजी की बगीची शास्त्री नगर, जयपुर में पुलिस थाना शास्त्रीनगर की पुलिस चौकी की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

153. हनुमानजी के मंदिर के सामने गंगापोल दरवाजा जयपुर के बाहर पुलिस थाना गलता गेट की पुलिस चौकी की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

154. पुलिस थाना भट्टा बस्ती, जयपुर की एक पुलिस चौकी शास्त्री नगर, हाउसिंग बोर्ड के सेक्टर 4 व 5 के मध्य करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

155. पुलिस थाना, गलता गेट जयपुर थाना, ब्रह्मपुरी थाना, सुभाष चौक थाना, माणक चौक थाना, शास्त्रीनगर थाना, भट्टा बस्ती में पुलिस की नफरी बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

परिशिष्ट-3

मांग संख्या 17 – कारागार पर प्राप्त कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-17 मुख्य शीर्षक कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये-

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर) :

1. डूंगरपुर जिला कारागृह को शहर से बाहर स्थानान्तरित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) :

2. अलवर जिले के सभी केन्द्रीय कारागार व उप कारागारों में पेयजल की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
3. बहरोड़ उप कारागार में कैदियों के लिये पर्याप्त बिस्तरों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
4. बहरोड़ उप कारागार में भोजन व्यवस्था सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
5. बहरोड़ उप कारागार में बैरकों को सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
6. जिला अलवर केन्द्रीय कारागार में बैरक निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर) :

7. प्रदेश के कारागारों को मोबाइल मुक्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़) :

8. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के उपखण्ड बालेसर में नया उप कारागृह खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
9. प्रदेश की जेलों में बंद अपराधियों द्वारा जेल के बाहर अपराधिक कार्य करवाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
10. जोधपुर की सेंट्रल जेल का आधुनिकीकरण करने, जेल में मोबाइल, सिम, घातक हथियार, अवैध वस्तुएं एवं अन्य आपत्तिजनक सामग्री ले जाने पर पूर्णत: रोक लगाने एवं खतरनाक कैदियों के लिए अलग से बैरक बनाई जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

11. केन्द्रीय कारागार जोधपुर के शहर के मध्य में आ जाने के कारण इसे शहर से बाहर अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास) :

12. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास के मुख्यालय पर उप कारागृह के कैदियों से मिलने आने वाले परिजनों के बैठने व पेयजल की समुचित व्यवस्था नहीं होने से उतपन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

13. प्रदेश की जेलों में कैदियों को प्रशिक्षण देने एवं लघु उद्योग धंधों से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

14. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास मुख्यालय पर उप कारागृह में पानी की कमी को दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

15. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास मुख्यालय पर उप कारागृह में क्षमता से अधिक कैदी होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :

16. राज्य की जेलों में बंद कैदियों को अपराध की प्रवृति छुड़ाने के लिए कारगर कदम उठाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) :

17. प्रदेश की जेलों में निर्धारित संख्या से अधिक कैदियों को अमानवीय तरीके से रखने, उनके खाने-पीने व सोने की समुचित व्यवस्था नहीं होने एवं चिकित्सा सुविधा नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

18. प्रदेश के कारागारों में राजनैतिक संरक्षण प्राप्त कैदियों, नेताओं, पूर्व मंत्रियों व भू-माफियाओं को अधिक सुविधाएं देने, आवभगत करने व सामान्य कैदियों की तुलना में अनावश्यक व बनावटी कारणों से वी.आई.पी. सुविधा देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

19. केन्द्रीय कारागृह जोधपुर को शहर से बाहर स्थानान्तरित करने एवं समस्त रिक्त पदों पर जेल कर्मियों की नियुक्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

20. प्रदेश की जेलों में साधारण कैदियों के साथ खूंखार व गेंगवार कैदियों द्वारा मारपीट करने, हफ्ता वसूली करने एवं उनके परिवार वालों से भारी राशि वसूल करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :

21. पाली जेल में बन्द कैदियों की पेशी वीडियो कांन्फ्रेंशिंग के माध्यम से करवाने के लिए जरूरी उपकरण उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

22. पाली स्थित जेल में कैमरे एवं जैमर लगवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमृतलाल (सलूम्बर) :

23. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के सलूम्बर कारागार को शहर से बाहर स्थानान्तरित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

24. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के उपखण्ड सराड़ा में कारागार खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

25. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में सलूम्बर कारागार के भवन का नवीनीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

26. सलूम्बर कारागार का विस्तार करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) :

27. प्रदेश में कैदियों को अच्छी किस्म का भोजन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर) :

28. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर की कारागारों में अपराधियों द्वारा की जा रही हफ्ता वसूली को बन्द कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

29. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर की कारागार में अपराधियों के पास उपलब्ध मोबाइल फोन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

30. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर के कारागारों के प्रहरियों की वेतन विसंगति को दूर करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

31. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में कारागारों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

32. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर के कारागारों में प्रहरियों की भर्ती करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना) :

33. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के कारागारों में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) :

34. प्रदेश की जेलों में कैदियों द्वारा मोबाइल फोन प्रयोग किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

35. प्रदेश की जेलों में कैदियों को दिये जाने वाले नाश्ते एवं भोजन की गुणवत्ता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी) :

36. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में कारागृह स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर) :

37. झालावाड़ जिले में खुली जेल खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) :

38. विधान सभा क्षेत्र चौमूं की कारागारों में खूंखार अपराधियों व सामान्य अपराधियों के लिए अलग-अलग बैरक बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

39. विधान सभा क्षेत्र चौमूं की कारागारों में रिक्त पदों पर भर्ती करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

40. विधान सभा क्षेत्र चौमूं की कारागार में आवश्यकतानुसार भवन का विस्तार कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

41. विधान सभा क्षेत्र चौमूं की जेल में कैदियों से होने वाले दुर्व्यवहार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

42. विधान सभा क्षेत्र चौमूं की जेलों से संचालित होने वाले अपराध पर अंकुश लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बंशीधर (खण्डेला) :

43. प्रदेश के कारागारों में नफरी पूरी करने एवं कारागारों में मुख्य द्वार पर सामान की पूर्ण जांच की पुख्ता व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

44. प्रदेश के कारागारों में मोबाइल फोन को बन्द कराने के लिए जेमर लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर) :

45. प्रदेश के पुराने कारागृहों का नवीनीकरण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

46. प्रदेश के सभी केन्द्रीय कारागारों में आधुनिक तकनीक द्वारा नई सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा) (भरतपुर) :

47. भरतपुर स्थित सेंटर जेल, सेवर में चम्बल के पानी की लाइन डलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

48. भरतपुर स्थित सेंटर जेल, सेवर में कैदियों के लिए वाटरकूलर का ठण्डा पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

49. भरतपुर की सेंटर जेल सेवर में कैदियों के पास अवैध रूप से मोबाइल फोन, हथियार तथा शराब की पहुंच पर रोकथाम की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रतन लाल जलधारी (सीकर) :

50. जिला कारागार सीकर में सुरक्षा व्यवस्था हेतु सी.सी. टी.वी. कैमरे व जेमर लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

51. जिला कारागार सीकर की चारदीवारी ऊंची कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर) :

52. प्रदेश की जेलों में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अजीत सिंह (टोंक) :

53. जिला कारागृह टोंक को आबादी क्षेत्र से हटाकर अन्यत्र स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

54. जिला कारागार टोंक में कैदियों की सुविधा हेतु पर्याप्त बजट उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

55. जिला कारागृह टोंक में खुली जेल हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

56. जिला कारागृह टोंक में पर्याप्त नफरी की व्यवस्था कराकर कैदियों द्वारा जेल के अन्दर से संचालित अपराधों पर रोकथाम लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) :

57. राज्य की जेलों में बन्द सजायाफ्ता कैदियों के न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों का जल्द निस्तारण कराने के लिए विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ललित कुमार (किशनगंज) :

58. बारां जिले की कारागार की सुरक्षा को सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर) :

59. प्रदेश के कारागारों में बन्द कैदियों को सुधारने एवं उनके उत्थान की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

60. जैसलमेर कारागार में बन्दियों से मिलने आने वाले व्यक्तियों के लिए अतिथि गृह निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अजीत सिंह (टोंक) :

61. जिला कारागृह टोंक में कैदियों से उनके परिजनों को मिलाने के लिए समुचित सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अनीता (नगर) :

62. प्रदेश के कारागार प्रहरियों का वेतनमान पुलिसकर्मियों के समान करने, प्रहरियों की संख्या बढ़ाने एवं कारागार अधिकारियों द्वारा बी.सी.आर. के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

63. प्रदेश की जेलों से कैदियों के भाग जाने में हो रही वृद्धि से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

64. प्रदेश की महिला कारागार में सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

65. डीग, भरतपुर स्थित उप कारागार में बंदियों को दैनिक उपयोग की वस्तुएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

66. राज्यों की जेलों में मिल रहे मोबाइल व अन्य सामग्री के लिए जेल अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी) :

67. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के कारागार में पर्याप्त स्टाफ लगाने एवं सुविधाएं उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

68. झुंझुनूं जिला कारागार के भवन की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

69. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी स्थित कारागार में कैदियों के रहने-खाने के लिए उचित सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

70. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी स्थित कारागार के भवन का नवीनीकरण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर) :

71. अजमेर सम्भागीय मुख्यालय पर आधुनिक जेल के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) :

72. फुलेरा स्थित सांभर कारागार में स्टाफ के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

73. फुलेरा स्थित सांभर कारागार की चारदीवारी का निर्माण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

74. फुलेरा स्थित सांभर कारागार में आमजन के बैठने हेतु पर्याप्त व्यवस्था करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सुरेश सिंह रावत पुष्कर) :

75. विधान सभा क्षेत्र पुष्कर की जेलों में मोबाइल व अन्य वर्जित सामग्रियों के पहुंचने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

76. विधान सभा क्षेत्र पुष्कर की जेल में सप्लाई होने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

77. विधान सभा क्षेत्र पुष्कर की जेलों में बढ़ते मादक पदार्थों के चलन को रोकने के लिए विशेष उपाय करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ललित कुमार (किशनगंज) :

78. प्रदेश के कारागारों में बंद नागरिकों को अपराध प्रवृत्ति छोड़ने पर प्रोत्साहित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर) :

79. विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर की जेलों में जेमर लगाने एवं विडियो कांन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।